राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 20 वां दिवस [संख्या 10

बुधवार

दिनांक 11 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भैरूंलाल !

थाना जावर क्षेत्र में चोरी की घटनायें

175. **श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री गौरीलाल कहार, ग्राम बिसलाई, थाना जावर के घर मई, 1980 में लगभग रुपये 1500) का माल चोर चुराकर ले गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि गौरीलाल समय पर ही अपने घर हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना जावर पहुंचा किन्तु थाना प्रभारी जावर ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री गौरीलाल द्वारा चोरों के नाम का संकेत देने के उपरांत भी थाना प्रभारी जावर ने चोरों से पूछताछ तक नहीं की और न ही मौके पर पहुंच कर कोई कार्यवाही की ?

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस की अकर्मण्यता से इस क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है और पुलिस अपराध प्रवृत्ति की रोकथाम करने में असमर्थ सिद्ध हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम हेतु थाना प्रभारी जावर को अब तक हुई चोरियों के अपराधियों को पकड़ने हेतु आदेश देने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) श्री गौरीलाल की रपट पर अनुसंधान जारी है।

(2) इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच की जा रही है।

(3) इन आरापों की जांच की जा रही है।

(4) जी नहीं। चोरियों को बरामद करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री भैरूंलाल : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन थाना प्रभारी के कार्यकाल में जितने भी अपराध हुए हैं एक भी अपराध को साबित करने में वह सफल सिद्ध नहीं हुए हैं। क्या सरकार किसी सक्षम अधिकारी को लगाकर इन अपराधों की जांच कराने का विचार रखती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न के भाग (4) में चोरियों की घटना के बारे में जिक्र किया ...

Page No 2

(2)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि आज उस इलाके में चोरियों की घटनायें बहुत बढ़ गई है और अन्य अपराधों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि वर्ष 1980 के अन्दर 3 चोरियां हुई और 5 नकबजनी की घटनायें हुई। कुल मिलाकर 8 घटनायें हुई जिसमें 8 हजार रुपये का माल जाना बताया गया है। 5 नकबजनी की घटनाओं में से 3 में चालान पेश किया गया है, 1 में अनुसंधान जारी है। चोरी के मामलों के अन्दर 2 के अन्दर चालान कर दिया गया और 2 में अदमसबूत के अन्दर फाइनल रिपोर्ट दे दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता।

श्री भैरूंलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चोरियों के लिये तो बता दिया लेकिन डकैतियां कितनी हुई हैं वह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह अलग से प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम

176 **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम):** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की खनिज सम्पदा के के दोहन एवं विकास के लिए पृथक से राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम बनाने का क्या औचित्य था जबकि 1969 से खनिज गतिविधियों का कार्य तत्कालीन राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के माध्यम से होता था ?

(2) पृथक खनिज निगम के निर्माण से ऐसे कौन-कौन से विशेष कार्य हुए हैं जो कि तत्कालीन आर. आई. एम. डी. सी. के अन्तर्गत नहीं हो सकते थे ?

(3) क्या यह सही है कि पृथक खनिज विकास निगम के निर्माण के कार्य स्वरूप मात्र प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हुई है जब कि तत्कालीन आर. आई. एम. डी. सी. के खनिज सम्भाग की तुलना में आय में तुलनात्मक वृद्धि नहीं हुई है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री नानालाल) : (1) राजस्थान में खनिज संपदा अतुल मात्रा में है और राज्य की अर्थ-व्यवस्था में इस क्षेत्र का विशेष योगदान है। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की गतिविधियों का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक होने से खनिजों के अन्वेषण, दोहन का समुचित विकास नहीं हो पाये। खनिज सम्पदा के दोहन कार्य को त्वरित गति देने एवं वैज्ञानिक रीति से करने के लिए राज्य सरकार ने एक अलग से खनिज विकास निगम बनाने का औचित्य समझा, ताकि खनिज विकास पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इस प्रकार के निगम अन्य प्रान्तों जैसे कि आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा, यू.पी., तामिलनाडू आदि में भी हैं।

(श्री नानालाल)

(2) निगम की स्थापना के बाद जो विशेष उपलब्धियां हुई हैं वे निम्न प्रकार हैं:-

1. बेन्टोनाइट के पाउडर बनाने के सयंत्र की स्थापना।

2. मिनो ग्रेफाइट परिष्कृत संयंत्र की स्थापना।

3. फ्लोस्पार परिष्कृत संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय।

4. जिप्सम के नये क्षेत्र पल्लू में दोहन कार्य का प्रारम्भ।

5. बेराइट खनिज के दोहन का कार्य प्रारम्भ।

6. उत्पादन व विक्रय में वृद्धि।

(3) यह सही है कि खनिज विकास निगम की स्थापना से प्रशासनिक व्यय में वृद्धि अध्यक्ष एव प्रबन्ध संचालक कक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं सचिव विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सम्भागों में पदों के सृजन के कारण हुई है। पूर्व में यह कार्य आर. आई. एम. डी. सी. के मुख्यालय पर सम्मिलित रूप से किया जा रहा था। कुछ पद आर. आई. एम. डी. सी. से नये निगम को हस्तान्तरित किये गये हैं। उक्त स्थिति में आय एवं व्यय वृद्धि की तुलनात्मक विवेचना सम्भव नहीं है। माह नवम्बर, 79 में निगम की स्थापना के बाद खनिज सम्बन्धी कार्यों एवं विक्रय में वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के अन्तर्गत वर्ष 78-79 में खनिजों की बिक्री से 144.71 लाख रुपये प्राप्त हुए तथा वर्ष 79-80 में 7 माह में यानि 30-10-79 तक 88.37 लाख रुपये प्राप्त हुए वहीं खनिज विकास निगम की स्थापना माह-नवम्बर, 79 में होने के बाद मार्च, 80 तक 5 माह में 65.59 लाख की बिक्री हुई। जो कि 3.96 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 80-81 में खनिजों की बिक्री से 237 लाख प्राप्त होने की सम्भावना है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: माननीय मंत्रीजी ने बताया कि वृद्धि हुई है तो मैं जानना चाहूंगी की वृद्धि का इन्वेस्मेन्ट में कितना अनुपात रहा है?

श्री नानालाल: इसका अनुपात पहले सम्मिलित था अलग से कोई नहीं लगाया गया है इसलिए माननीय सदस्या यह भी भावना रखती हैं तो उसके लिए भी जानकारी प्राप्त कर ली जायेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: वह तो अलग लगाया जाना चाहिए था जबकि इतना इन्वेस्टमेन्ट हुआ तो उसके मुकाबले में कितना हुआ। यह आज नहीं तो बाद में मंत्रीजी जवाब दे दें। दूसरी चीज, मैं यह जानकारी चाहूंगी कि प्रगति का प्रतिशत कितना आंका गया था और कितना मिला? क्या यह सही है कि आपने 9 प्रतिशत प्रोग्रेस का अन्दाजा लगाया और 3 प्रतिशत से भी कम हुई, क्या सही है?

श्री नानालाल: 3 प्रतिशत से ऊपर मिला है। 4 प्रतिशत के करीब मिला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज!

श्री नानालाल:...... तत्काल तो मिलती नहीं है। जैसे जैसे प्रगति हो रही है और जो लक्ष्य रखा है पूरा करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं यह जानना चाहती हूं कि मैंने आपसे यह पूछा था कि आपने प्रोग्रेस का प्रतिशत का कितना अन्दाजा लगाया था और आप कहते हैं कि 4 के करीब मिला लेकिन कितना लगाया था उसके मुकाबले में मिला या नहीं ? यह स्पष्ट कीजिए।

श्री नानालाल : जो आप जान रही हैं वह अन्दाजा लगाया हो होगा लेकिन जितना हमें प्राप्त हो गया है हमने बता दिया है। और भी हम चाह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य पूरा हो और उसमें हम प्रयत्नशील हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरे दो वाइटल पाइन्ट्स हैं जिनका जवाब दे दें। कार्पोरेशन की स्थापना के बाद कार्पोरेशन को कितनी लीज दी है और प्राइवेट पार्टीज को कितनी दी और कितनी रिन्यू की ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जो मैंने प्रतिशत के ऊपर प्रश्न पूछा उसी का जवाब नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्त्ता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि जब आर. आई. एम. डी. सी. थी तब 2 लाख 68 हजार रुपये का खर्चा प्रशासन के ऊपर था और कार्पोरेशन बनने के बाद केवल अधिकारियों और प्रशासन के ऊपर 12 लाख 78 हजार रुपये का खर्चा हुआ, क्या यह सही है ? किस बुरी तरह से खर्चा हो रहा है।

श्री नानालाल : कार्पोरेशन बनने के बाद खर्चा होता है किन्तु हमने जो उत्पादन किया है और इस निगम द्वारा जो कोई हुए हैं उससे इसको लाभ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पहले यही कार्य आर. आई. एम. डी. सी. में चलता था। 2½ लाख का व्यय था फिर 12½ लाख हो गया और अब 35 लाख प्रशासनिक व्यय है। जो काम पहले आर. आई. एम. डी. सी. करती थी.......

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं आया है, क्या उत्तर आया है आपको याद हो तो आप बता दें....

श्री अध्यक्ष : किस उद्देश्य से बनाया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो प्रशासनिक खर्चा 35 लाख का हो गया उसके बाद भी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है....

श्री अध्यक्ष : प्रोग्रेस नहीं हो रही है, इस बात का जवाब दे दिया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अगर सरकारी अधिकारियों को खपाने के लिये उन्हीं के लिये पोस्ट क्रियेट करनी है तब तो बात दूसरी है। स्टेट की रेवेन्यू का प्रश्न है। लाखों रुपया बहाया जा रहा है उसके लिये कोई कारण नहीं।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ रहा हूं, आप यह चाहते हैं कि यह अलग अलग कार्पोरेशन करने से हमारा खर्चा क्यों बढ़ाया गया है। वैसे तो निगम ने जो कार्य किये हैं मैंने आपके सामने बताये इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई जानकारी है कि किसी प्रकार की अनियमिततायें हो रही हैं तो आप मुझे बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह !

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : 1-9-79 से जब से इस आर.एस.एम.डी.सी. की स्थापना हुई है कितने उद्योग लाभ में चल रहे हैं और कितने उद्योग हानि में चल रहे हैं और 1-9-79 से पहले कितने लाभ में और कितने हानि में थे ?

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न की ही अनुमति दी है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: एक और पूछ लेता हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस आर.एस.एम. डी. सी. के कार्यकलापों से परेशान होकर भारत के प्रतिभावान आर. सी. पारीक टैक्निकल डाइरेक्टर इस संस्था को छोड़कर खेतड़ी ताम्बा प्रोजेक्ट में, नाराज होकर, जा रहे हैं। उनकी प्रतिभा का लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उस जानकारी को प्राप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास !

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे, क्या यह सही है कि कार्पोरेशन के अन्दर माइनिंग यूनिट् घाटे में चल रही है और हैड ऑफिस का खर्चा 35 लाख है। क्या यह सही है कि जो स्थिति अनडिवाइडेड के समय थी वही स्थिति चल रही है कोई एक्सप्लाइटेशन नहीं हुआ है। जो 35 लाख का खर्चा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, वेस्टफुल खर्चा है। किन्ही लोगों को एकमोडेट करने के लिए किया गया है। पहले जो माइनिंग यूनिट में थे उन्हीं को आर.एस.एम. डी. सी. के अन्दर चेयरमैन बनाया गया है।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह पहले ही बता चुका हूं, माइनिंग का कार्य करने से पहले जो खर्चा किया जाता है वह आय व्यय के हिसाब से नहीं किया जाता है। जो भी काम हाथ में लेते हैं पहले खर्चा करना पड़ेगा। बाद में लाभ हानि का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र व्यास: माइनिंग यूनिट....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। कृपया सहयोग दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माइनिंग यूनिट की वही स्थिति है जो पहले स्थिति थी। यह वैस्टफुल एक्सपेन्डीचर है। हैड आफिस के एक्सपेन्डीचर को अगर आप....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास: वे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है। माइनिंग यूनिट में खर्चा इन्वेस्टमेंट माना जाता है

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री अमीन खां !

विशाल क्षेत्र में फैले हुए शिव व बाड़मेर तहसील के ग्रामों का पुनर्विभाजन

177. **श्री अमीन खां (शिव) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिव तहसील व बाड़मेर तहसील में कई ऐसे राजस्व ग्राम हैं जो 25 वर्ग मील से 500 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं ? यदि हां, तो कृपया ऐसे ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि विकास की तमाम इकाइयां राजस्व ग्राम से जुड़ी हुई होती हैं?

(3) बाड़मेर जिले के ग्राम सुन्दरा, जेसीन्दर, गिराब, मेसूदर डावड, कितने-कितने वर्गमील में फैले हुए हैं ? क्या ऐसे ग्रामों का विभाजन कर छोटे ग्राम कायम करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) यह सही है कि जिला बाड़मेर में तहसील शिव में 37 एवं तहसील बाड़मेर में 39 ऐसे राजस्व ग्राम हैं जो 25 वर्ग मील से अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) बाड़मेर जिले में ग्राम सुन्दरा, जेसिंदर, गिरवा, मेदूसर एवं डावड का निम्नानुसार क्षेत्रफल है :

सुन्दरा	-	146 वर्ग मील
जेसिंदर गांव	-	56 वर्ग मील
जेसिंदर स्टेशन	-	87 वर्ग मील

श्री अमीन खां: या 187

श्रीमती कमला: नहीं, 87 ।

गिराव	-	94 वर्ग मील
मेदूसर	-	64 वर्ग मील
डावड	-	52 वर्ग मील

इस सम्बन्ध में माननीय विधायक, शिव द्वारा जिलाधीश बाड़मेर को कुछ सुझाव दिए हैं, जिनका परीक्षण जिला स्तर पर किया जा रहा है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अमीन खां: मंत्री महोदय, पहले जनता सरकार के टाइम पर इस तरह का क्वेश्चन यहां पर उठाया गया था उस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह आश्वासन दिया था कि बड़े-बड़े गांवों को जल्दी से जल्दी सिद्धांत के तौर पर छोटे गांवों में कायम किया जायेगा । क्या ऐसी कोई कार्यवाही विचाराधीन है, और क्या आप इसको सही मानकर इन बड़े गांवों को छोटे गांवों में कायम करने की कार्यवाही जल्द कर देंगे ?

श्रीमती कमला : मैंने आपसे निवेदन किया है जैसे ही जिलाधीश से आपके सुझावों के ऊपर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी, राज्य सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री रतनलाल ताम्बी !

Page No 7

(7)

बनास नदी के किनारे स्थित राजमहल (टोंक) स्थल का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

178. श्री रतनलाल तांबी (जहाजपुर): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजमहल जिला टोंक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा पुरातत्व की दृष्टि से अद्वितीय है ?

(2) क्या सरकार को विदित है कि बनास नदी के किनारे पर्वतमालाओं से इस रमणीय एवं ऐतिहासिक स्थल को पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के आधार पर दर्शनीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है ?

(3) इस स्थल के अद्वितीय रूप को विनष्ट होने से बचाने के लिये सरकार क्या तात्कालिक कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी ?

(4) क्या यह महल पुरातत्व विभाग के अधीन है ? यदि हां, तो इसके विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या योजनाएं हैं ?

पर्यटन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) पुरातत्व विभाग के अनुसार यह स्थान विशेष महत्व का नहीं है।

(2) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) इसका उत्तर (2) में सम्मिलित है।

(4) जी नहीं।

श्री रतनलाल तांबी : क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि इस स्थान का महत्व क्यों नहीं है? इसका इतिहास क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुरातत्व विभाग से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पर्यटन विभाग में नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फरमाया कि महत्व नहीं है। किसी स्थान के पर्यटन की दृष्टि से महत्व की बात का क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर कह सकें कि इसका महत्व है या इसका महत्व नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका सवाल यह है अध्यक्ष, महोदय, क्या राजमहल, जिला टोंक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा पुरातत्व दृष्टि से अद्वितीय है ? इसका पर्यटन विभाग से सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने जो जानकारी दी है, आपके सामने जानकारी दे दी गई है। नम्बर 4 के उत्तर में इसी प्रकार का जवाब दिया गया है। क्वेश्चन में यह सबसे बड़ी कन्डीशन है कि क्वेश्चन जिस डिपार्टमेंट के विषय का हो उसी से पूछा जाना चाहिए....

श्री दीपेन्द्र सिंह : क्राइटेरिया क्या कर रखा है?

श्री रतनलाल तांबी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं वह स्थान पुरातत्व के महत्व का है और इसके अतिरिक्त टैक्निकल दृष्टि से भी महत्व का है। बनास नदी पर अरावली पहाड़ी की शृंखला से घिरा हुआ [illegible]

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका वर्णन मिलता है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे अपने अधिकारियों को भेजकर इस स्थान के विकास के लिये निरीक्षण करें, पुरातत्व की दृष्टि से विकास करने का बहुत कुछ आधार है। यह मेन रोड से 4–5 किलोमीटर दूर है। मंत्री महोदय चाहें तो स्वयं देख लें या किसी अधिकारी को नियुक्त करें। मैं सहयोग करने को तैयार हूं। टैक्निकल दृष्टि से ही इसका विकास हो सकता है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने क्राइटेरिया के लिए पूछा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने खण्ड 2 और 3 के जवाब में यह अर्ज किया है कि कलेक्टर ने यह सिफारिश की है कि यह स्थान महत्व का है और उन्होंने यह भी बताया है कि 10-12 किलोमीटर कच्ची सड़क है उसको पक्की बना दी जाय। पर्यटन विभाग ने पी. डब्ल्यू. डी. को पक्का रोड बनाने को लिखा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : क्या कलेक्टर की राय पर ही आपका विभाग प्रगति पर सोचता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट भी देखती है, वहां के जिला प्रशासन की राय ली जाती है और भी आधार होता है, उन सबको देखते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह बताया कि वह स्थान पुरातत्व के महत्व का नहीं है। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और मेरा यह निवेदन है कि उस स्थान जैसा दूसरा स्थान नहीं मिलेगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उस स्थान की जांच करा ली जाय। वह स्थान पर्यटन के लिए घोषित करने योग्य है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया जिस प्रकार की सिफारिश प्राप्त हुई है कि कोई पर्यटक जाना चाहता है तो उसको रोड की दिक्कत आती है इसलिये पी. डब्ल्यू. डी. को 81-82 में इस सड़क को बनाने के लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। अगला प्रश्न....

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। कृपया बिराजिये।

श्री छोगालाल बकोलिया (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान बहुत महत्व का स्थान है और अभी तक पर्यटकों की सुविधा के लिए देहली में कोई भी विभाग, कार्यालय नहीं

(श्री छोगालाल बकोलिया)

खोला गया है। पर्यटकों को महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जानकारी देनी चाहिये ....।

प्रश्न संख्या 179

श्री अध्यक्ष: श्री चुन्नी लाल !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

समस्याग्रस्त ग्रामों को समीपस्थ क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से जोड़ना

श्री सूरज पाल सिंह !

180. श्री सूरज पालसिंह (भीनमाल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि घोषित अकाल राहत क्षेत्र जहां पांच किलोमीटर क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है वहां टैंकर्स द्वारा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ ऐसे गांव हैं जो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से 6-7 मील दूर हैं और यहां जब भी अकाल की स्थिति होती है टैंकरों से पानी प्रदाय किया जाता है ?

(3) क्या यह न्याय संगत नहीं होगा कि ऐसे गांवों को नजदीक की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के साथ प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाय ताकि उस गांव की पेय जल समस्या का स्थायी हल हो जाय? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री बनवारी लाल): (1) जी हां, ऐसे ग्रामों हेतु उपलब्ध साधनों के अनुसार जिलाधीशों द्वारा टैंकरों इत्यादि द्वारा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

(2) जी हां, व्यवस्था उपलब्ध साधनों के अनुसार की जाती है।

(3) जी हां, कार्य धन उपलब्धि के अनुसार करना सम्भव होगा।

श्री सूरजपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड (1) में आपने बताया कि टैंकरों द्वारा सप्लाई की जाती है। टैंकरों से सप्लाई करने के बारे में जहां पश्चिमी राजस्थान में हर दूसरे साल अकाल की स्थिति बन जाती है तो क्या मंत्री महोदय, यह बता सकते हैं कि कुल कितना व्यय होता है और पांच किलोमीटर नजदीक की जल प्रदाय योजना से जोड़ देने से उसमें कितना खर्चा होगा ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री सूरजपाल सिंह : इससे जो सम्बन्धित है, वह बता रहा हूं। आप जो खर्चा कर रहे हैं और जल प्रदाय योजनायें बनाने के लिये कहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा एक ही बात कही जाती है कि धन का अभाव है। किन्तु जहां निरन्तर अकाल की स्थिति बनी रहती है तो उसके लिये आपको सोचना पड़ेगा। जहां इस मद में हमेशा इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं मेरे भीनमाल क्षेत्र की बात बताता हूं, रंगोला और बिजलियां में पिछले साल टैंकरों से पानी दिया गया था और इस साल भी दिया जा रहा है तो ये स्थान बागोड़ा से 5 किलोमीटर हैं। इन दो सालों में जितना खर्चा किया है...

Page No 10

(10)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं माननीय सदस्य..

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री सूरजपालसिंह : मंत्री महोदय आप इस विषय में जवाब दीजिये कि प्राथमिकता के आधार पर नजदीक की जल प्रदाय योजना से जोड़ी जायेगी ।

श्री बनवारीलाल : राजस्थान में ऐसे बहुत से गांव हैं-करीब 3200 गांव हैं जहां टैंकरों से पानी भेजा जाता है इसलिये वित्तीय स्थिति को देखते हुए जो धन उपलब्ध होगा, इन समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करेंगे ।

श्री सूरजपालसिंह : जल प्रदाय की यह भयंकर समस्या है। राजस्थान के सभी गांवों में पेयजल की सुविधा के लिये सोचना पड़ेगा ....

(व्यवधान)

एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगा । क्या यह सही है कि सरकार ने यह घोषणा की थी हम अकाल के अन्दर जहां पेयजल की सुविधा नहीं है उनको प्राथमिकता के आधार पर लेंगे ? तो प्राथमिकता के आधार पर जब राज्य सरकार बार बार कहती है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री सूरजपालसिंह : अकाल में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कुल कितने गांवों को जोड़ा गया है ? आपके पास जो कुछ साधन उपलब्ध हैं उससे कितने गांवों को यह सुविधा उपलब्ध कराई ?

श्री माणकमल मेहता (पाली) : इसी से सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय, और बहुत ही इम्पॉर्टेन्ट मामला है । कई स्थानों पर खारा पानी है और पीने लायक नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आपको पूरा अवसर दे दिया गया है ।

श्री सूरजपालसिंह : मंत्री महोदय, खड़े हो रहे हैं और आप हमें बिठा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें... आर्डर प्लीज....माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ...

श्री सूरजपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निश्चित आश्वासन चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य....

श्री सूरजपालसिंह : मुझे मंत्री महोदय से निश्चित आश्वासन चाहिये ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज... माननीय सदस्य .. आर्डर प्लीज....

श्री सूरजपालसिंह : मैं आपके माध्यम से ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर ...आर्डर....

अगला प्रश्न ।

श्री मेघराज ।

पंचायत व स्थानीय निकायों के स्टाफ को ग्राह्य भत्ते व अन्य लाभ ।

181. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समितियों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कितने ओवरसियर्स कार्यरत हैं ? क्या ओवरसियर्स को हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उनके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(2) क्या पंचायत समिति व जिला परिषद् के कर्मचारियों को शहरी क्षति पूर्ति भत्ता व मकान किराया भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो कितना ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये सरकार कोई नियम बनाने जा रही है ? यदि, हां तो कब ? नहीं तो क्यों ?

पंचायत मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) पंचायत समितियों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 236 कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत थे। इस योजना के समाप्त होने के फलस्वरूप 176 पद समाप्त कर दिये गये थे परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना एवं अकाल राहत कार्यों हेतु इन 176 पदों की समयावधि दिनांक-31-8-81 तक बढ़ा दी गई है।

(2) पंचायत समिति एवं जिला परिषद् कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति जहां शहरी भत्ता व मकान किराया भत्ता देय है, वहां निर्धारित दरों से दिया जा रहा है।

(3) प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि किस नियम के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई है ।, स्थानीय निकाय का पंचायत विभाग से सम्बन्ध नहीं है । वैसे राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा के कर्मचारियों के लिये सेवा नियम अलग से बने हुए हैं ।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि उनके नियम बने हुए हैं, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के । तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को शहरी अलाउन्स और मकान भत्ता दिया जाता है और उन को जो सुविधा दी जाती है, क्या मन्त्री महोदय यह महसूस करते हैं कि उनको सुविधा मिलती है और पंचायत समिति और जिला परिषद् के कर्मचारियों को नहीं मिलती है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : जैसा मैंने निवेदन किया कि जहां तक शहरी भत्ता व मकान किराये का सवाल है, वह जिस प्रकार से राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है उसी प्रकार से जिला परिषद् और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को दिया जा रहा है ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मन्त्री महोदय, क्या यह बतायेंगे कि कोलायत तहसील में जहां करीबन 23 ग्राम पंचायतें हैं, क्या वहां एक ओवरसियर समय पर सर्वे करके तकमीना बना सकता है, क्या वह सक्षम है या कार्य कर सकता है ?

एक माननीय सदस्य : एक तो है ।

श्री हनुमान प्रभाकर : मेरे ख्याल से यह प्रश्न अलग से है। लेकिन राजस्थान की वित्तीय स्थिति से 176 ओवरसियर्स को निकालने का जो फैसला किया गया था, अब उनकी अवधि बढ़ायी गयी है। एक समय में मजदूरों की संख्या अगर अधिक बढ़ गयी है तो उसके लिए नियम बने हुए हैं। जहां काम अधिक है उसके लिए और ओवरसियर लगा दिया जायेंगे। क्योंकि 750 तक तो एक हो जायेगा फिर अगर संख्या बढ़ जायेगी तो एक ए0 ईएन0 बढ़ जायेगा और संख्या और बढ़ी तो एक एक्स0 इएन0 बढ़ जायेगा। इसकी एक पद्धति है और उसके अनुसार ये बढ़ते जाते हैं। यही जानकारी देना चाहता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या यह सही है कि आपके जो ओवरसियर्स हैं, वे जिला परिषद् के अन्दर लगे हुए होते हैं तो पंचायत समितियों को अपना समय नहीं दे पाते और अक्सर वे अपनी एजूकेशन बढ़ाने के अन्दर ध्यान देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप एक पंचायत समिति स्तर पर एक ओवरसियर की नियुक्ति करेंगे ताकि जो पुराने काम हैं, जो सर्वे लेने के हैं, वे निपटाये जा सकें ?

श्री हनुमान प्रभाकर : अलग से प्रश्न है, इसमें भविष्य में विचार किया जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह प्रश्न अलग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। आसन अपने पैरों पर है। मन्त्री महोदय, इस प्रश्न में यह कहा गया है कि जो ग्राम पंचायतों के कार्य के बारे में अपनी टैक्निकल रिपोर्ट देते हैं, यह आम शिकायत रहती है कि काम तो हो गया लेकिन कितने का काम हुआ उसका सर्वे नहीं मिलता है।

श्री हनुमान प्रभाकर : ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गत वर्ष के कुछ कामों का भुगतान नहीं हुआ है, वह हो। इस सम्बन्ध में निवेदन किया कि राज्य सरकार विचार कर रही है। जहां तक 176 ओवरसियरों को निकालने का प्रश्न था इस पर विचार करके मैं आगे जानकारी दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

सिरोही जिले में उपलब्ध टंगस्टन अयस्क का खनन

182. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)**: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सिरोही जिले में टंगस्टन अयस्क के भण्डारों का पता चला है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इनके खनन की योजना बना रही है ?

(3) ये भण्डार कितने क्षेत्र में हैं और कितनी मात्रा में हैं तथा इनका क्या उपयोग किये जाने का विचार है ?

(4) क्या टंगस्टन पर आधारित कोई अनुषंगिक उद्योग लगाने का सरकार का विचार है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री नानालाल):

(1) जी हां। सिरोही से 6 किलोमीटर दूर बालदा में टंगस्टन खनिज का पता चला है।

(श्री नाना लाल)

(2) इस क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पूर्वेक्षण का काम जारी है। भण्डारों का पता तथा टंगस्टन की श्रेणी का अनुमान लगने के बाद ही उसके खनन की योजना बनाई जा सकती है।

(3) टंगस्टन अयस्क 2.5 प्रति किलोमीटर लम्बे एवं 500 मीटर चौड़े क्षेत्र में ही कहीं कहीं अयस्क के संकेत प्राप्त हुए हैं, एक सिरा में टंगस्टन अयस्क की मात्रा 0.1 प्रतिशत पायी गयी है। भण्डारों का अनुमान किया जा रहा है।

(4) इस क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। भण्डारों की मात्रा तथा श्रेणी का पता लगने के उपरान्त ही सम्बन्धित उद्योग लगाने का विचार किया जा सकेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: इस पर टंगस्टन ऐश पर आधारित कोई उद्योग लगाने के लिए....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर दे दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लोक सभा में उत्तर का जब जवाब पूछा तो टंगस्टन ऐश पर आधारित उद्योग लगाने के लिये केन्द्रीय खनिज निगम ने नागपुर के हैड आफिस से 6 करोड़ रुपये की योजना भेजी है। भेजी है क्या ?

श्री नानालाल : टंगस्टन का उपयोग दो कामों से होता है। यह कोई धातु है, यह धातु बल्बों के काम में आती है और दूसरे रक्षा मन्त्रालय से आधारित है और राज्य सरकार द्वारा जो इस समय डेगाना में इसका कार्य चल रहा है, उसमें जो उपलब्धि होती है, वह भारत सरकार को भेजी जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: रक्षा मंत्रालय ने यहां पर एक कारखाना लगाने के लिये योजना भेजी है राज्य सरकार के पास 16 करोड़ रुपये की योजना है।

श्री अध्यक्ष: सिरोही के सम्बन्ध में पूछा गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सिरोही में टंगस्टन पर आधारित उद्योग....

श्री अध्यक्ष: टंगस्टन तो और कहीं भी हो सकता है।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी प्राप्त हुई है, इन्होंने पर्टीकुलर जगह के लिये पूछा था और उसका जवाब दे दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सिरोही जिले में बालदा में टंगस्टन का जो भण्डार मिल रहा है इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री ने सर्वे के लिए आर्डर दिया था। यह कब तक पूरा हो जायेगा, इसके लिए माननीय मन्त्री महोदय जानकारी दें ?

श्री नानालाल : ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को इसका पट्टा दिया गया है, इसकी कितनी रायल्टी दी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गई ? सिरोही में इस धातु के खनन से कितनी आय हो रही है और किसी प्राइवेट संस्था को या सरकारी एजेन्सी को, जिसमें हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड भी शामिल है, टंगस्टन के बारे में कोई पट्टा दिया गया है क्या ?

श्री नानालाल: इस प्रकार किसी कोभी नहीं दिया गया है यह तो भारतीय भू-वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, उसके द्वारा किसी अलग पार्टी को देने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में श्री भीमाराम ने प्रश्न उठाया था कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को 12 किलोमीटर का खनन पट्टा दिया गया है, इसका लोक सभा में जवाब दिया गया है।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई जानकारी तो आयी नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की कोई जानकारी देंगे तो हम उसके ऊपर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक परम्परा बहुत गलत बनती जा रही है हर प्रश्न का उत्तर इसी तरह से दिया जारहा है। सरकार उसके लिए क्या कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सूचना मन्त्री महोदय ने दे दी, अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक छोटासा आखरी पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे लगता है कि धातु का पता तो नहीं हो रहा है लेकिन मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय को शिलाजीत नामक धातु खिलाने के लिए व्यवस्था कर दें तो यह जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

देवस्थान विभाग के अधीनस्थ धर्मार्थ प्रन्यासों का पंजीकरण

183. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):** क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के अधीन करोड़ों रुपये मूल्य के धर्मार्थ ट्रस्ट्स को विभाग ने पंजीकृत नहीं किया है?

(2) क्या देवस्थान विभाग ने इस प्रकार के अपंजीकृत ट्रस्ट्स का तथा उनकी सम्पत्ति का सर्वेक्षण कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य के विभिन्न देवस्थान निरीक्षकों द्वारा औसतन प्रतिवर्ष कितने धर्मार्थ ट्रस्ट्स का पंजीकरण किया जाता रहा है ? क्या देवस्थान विभाग ने निरीक्षकों के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु कोई संख्या तय की हुई है? निश्चित संख्या से अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

देवस्थान मन्त्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) जी नहीं। देवस्थान विभाग द्वारा सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959, के अन्तर्गत 1328 धर्मार्थ प्रन्यासों का पंजीकरण किया गया है।

Page No 15

(15)

(श्री हरसहाय मीणा)

(2) पंजीकृत सार्वजनिक प्रन्यासों का का सर्वेक्षण का कार्य जारी है।

(3) देवस्थान विभाग के निरीक्षकों को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तंगत पंजीयन योग्य सार्वजनिक प्रन्यासों का पंजीयन करने का अधिकार नहीं है। पंजीकरण का कार्य सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा किया जा रहा है। सर्वेक्षण का कार्य लगातार जारी है तथा गत दो वर्षों से 113 तथा 37 प्रन्यास पंजीकृत किये गये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा कि जो ऐसे ट्रस्ट हैं जो राजस्थान से बाहर पंजीकृत हैं उनके बारे में विभाग या सरकार के द्वारा किस प्रकार से जानकारी प्राप्त की जाती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो राजस्थान से बाहर हैं उनके बारे में क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : जी हां।

श्री हरसहाय मीणा : उनके बारे में जानकारी इन्सपेक्टरों से चाही जा रही है।

श्री देवीसिंह भाटी : जानकारी क्या चाही जा रही है ? ऐसे ट्रस्ट जो राजस्थान से बाहर पंजीकृत हैं और राजस्थान में नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनके बारे में आपको सही जानकारी है या नहीं ? कई ट्रस्ट कलकत्ता और बम्बई में पंजीकृत हैं उनकी वस्तु स्थिति की जानकारी के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री हरसहाय मीणा : राजस्थान के बाहर जो प्रन्यास पंजीकृत किये जा रहे हैं वह अधिनियम के अन्तर्गत लागू नहीं हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अरे, लागू कैसे नहीं हैं।

(व्यवधान)

मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जो ट्रस्ट राजस्थान से बाहर पंजीकृत हैं जो अपने प्रोफार्मा में यह दर्ज करते हैं कि मेरा ट्रस्ट बम्बई में या कलकत्ता में पंजीकृत है और वे ट्रस्ट राजस्थान में जमीनों का या दूसरी चीजों का फायदा उठाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है, कहां और कब पंजीकृत हुए हैं, अगर उन्होंने गलत सूचना दे दी हो तो उसके लिए क्या कार्यवाही करते हैं, और कैसे सही जानकारी प्राप्त करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग से प्रश्न है। आर्डर प्लीज !

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : मंत्री महोदय, यह जानकारी दें....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री देवीसिंह भाटी : प्रश्न कर्ता क्या करें, जब उत्तर ही नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न आपको जो मूल प्रश्न दिया है उसी की परिधि में पूछना होगा। उसके सम्बन्ध में यदि आप कोई जानकारी चाहेंगे तो मैं आपको पूर्ण अवसर दूंगा।...

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग (2) के अन्दर पूछा था और उसके बारे में यह पूछ रहा हूं कि जो ट्रस्ट यहां पर पंजीकृत नहीं हैं और राजस्थान के बाहर पंजीकृत हैं और राजस्थान में फायदा उठा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : भाग (2) का मतलब दूसरा है यह नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : उसके तहत ही पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह उसके तहत नहीं है ।

(व्यवधान)

आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लेते कि जो ट्रस्ट यहां पर पंजीकृत नहीं हैं, उसका नाम बता देते तो उसका उत्तर दिया जा सकता था । लेकिन यह उसके तहत नहीं आता है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष : जरूर पूछिए ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो ट्रस्ट अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं और वे करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति बेचते चले जा रहे हैं, उनके बारे में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरसहाय मीणा : जो ट्रस्ट इस तरीके से पंजीकृत नहीं हैं और जो भी सम्पत्ति खुर्द बुर्द की जा रही है, उसके बारे में कार्यवाही बहुत जल्दी की जा रही है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : हर बात में यही जवाब कि जानकारी की जा रही है, जानकारी ली जा रही है, कार्यवाही की जा रही है, विचाराधीन है, यह क्या जवाब हुआ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । उदयपुर में गुलाब कंवर ट्रस्ट द्वारा लाखों रुपयों की प्रापर्टी को बेचा जा रहा है ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, जो भी प्रश्न पूछें, आसन के माध्यम से पूछें, आर्डर आर्डर, आर्डर-आर्डर । कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य...

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ....

श्री अध्यक्ष : अब मैं और प्रश्न अलाऊ नहीं करूंगा । कितना समय खराब हो रहा है । कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । आर्डर-आर्डर ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भाग (2) में स्पष्ट रूप से पूछा है कि जो...

श्री अध्यक्ष : भाग दो, तीन, सब साथ हो गया।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हमें प्रोटेक्शन दिया जावे, हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं और आप हमको बलाऊ भी नहीं कर रहे हैं···· ··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब कि पूरक प्रश्न वाजिब हों और मूल प्रश्न की परिधि में हों। अगर थोड़े समय में सही उपयोग नहीं करें तो मैं असहाय हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : एक ही सप्लीमेंट्री और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि अपंजीकृत ट्रस्ट्स की की सम्पत्ति का सर्वेक्षण कराया है क्या? इसका मतलब है कि जो अपंजीकृत हैं उनके बारे में आपको पता कैसे लगेगा कि यह पंजीकृत नहीं हैं या हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आप विशिष्ट सूचना चाहते हैं।···· माननीय सदस्य कृपया सहयोग दें।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, भाग 2 का उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अपंजीकृत ट्रस्ट्स के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है, उसका आप जवाब दिलायें जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके बारे में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं··· ······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर········ कृपया स्थान ग्रहण करें।········माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि वे सहयोग दें।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : भगवान खुद अपनी सम्पत्ति की रक्षा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य अगला प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है। सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ...अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 184

श्री नाथूसिंह आर्य !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

इन्द्रायणी बांध निर्माण से प्रभावित किसानों को मुआवजा

185. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील और की इन्द्रगढ़ नामक तहसील में इन्द्रायणी बांध

Page No 18

(18)

(श्री हीरालाल आर्य)

बनाया जा रहा है तथा इस हेतु कई किसानों की कृषि भूमि, बाग बगीचे, मकान आदि नष्ट किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त लोगों को उनकी सम्पत्ति का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो अभी तक मुआवजा नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त बेरोजगार लोगों को शीघ्र मुआवजे की राशि भुगतान करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, सिचाई (श्री प्रद्युम्नसिंह): (1) जी हां, पीपल्दा क्षेत्र की इन्द्रगढ़ नायब तहसील में इन्द्रायणी बांध बनाया जा रहा है। भूमि बगीचे मकान आदि इसकी डूब में आते हैं परन्तु किसी को नष्ट नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : डूब में आते हैं तो नष्ट हो ही जाते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी नष्ट नहीं किये हैं। मैं उत्तर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले आप उत्तर दे दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (2) जिन कृषकों की भूमि से बांध बनाने हेतु मिट्टी उठाई जा रही है उनकी फसलों के मुआवजे के चैक काट दिये गये हैं तथा राजस्व अधिकारियों के चुकारे हेतु दिनांक 11-3-81 निश्चित की गई है।

(3) जो भूमि मकान आदि डूब में आवेंगे उसके मुआवजे के चुकारे की कार्यवाही चालू है तथा झील में पानी भरने से पहले चुकारा किये जाने की सम्भावना है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो यह उत्तर दिया है कि उनके पेड़ पौधे, बाग बगीचे मकान, कुंए वगैरह नष्ट नहीं किये हैं, यह सूचना बिलकुल गलत है। उनके जो खेत थे, उनके बगीचों में जो नीबू, बैर आदि के पेड़ थे उनको ठेकेदार और मजदूरों ने नष्ट कर दिया है। उनसे यहां तक कहा था कि फसल को पक जाने दो लेकिन उन्होंने नहीं माना और आप फरमा रहे हैं कि नष्ट नहीं किये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, बांध के लिए मिट्टी की आवश्यकता तो होती ही है। 35 बीघा भूमि के अन्दर से मिट्टी उठाई गई है और बांध के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता है वह शिड्यूल के अनुसार ही उठाई गई है। उनकी फसल का मुआवजा देने की कार्यवाही चालू है और चैक काट दिये गये हैं और आज ही भुगतान होने की सम्भावना है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस वर्ष के बजट में इन्द्रायणी बांध की मद में कितना मुआवजा देने का प्रावधान था और कितना मुआवजा दिया जा चुका है ?

श्री अध्यक्ष : आज दिया जाएगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : फसल के मुआवजे के रूप में जो रकम आंकी गई है, अध्यक्ष महोदय, वह 5240) रुपये है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इंद्रायणी बांध के मद का जो बजट है इस साल 80-81 के मार्च 31 तक का उसमें मुआवजा देने की राशि का क्या प्रावधान है और उसमें से कितना चुकारा कर दिया गया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल 1980-81 के मार्च, 31 तक का है । तो, 25 लाख 70 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है । दूसरी बात मुआवजे की राशि के बारे में पूछी है । अभी उसके बारे में और जमीन है जिनका एक्वीजिशन होना है उसकी कार्यवाही चल रही है । काश्तकार जो थे, वे सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के माने पेश हुए और मुआवजा लेने के लिये तैयार हो गये हैं । इसके अलावा अपने....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरे सवाल का उत्तर दें, माननीय मंत्री महोदय ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि वह सूचना मन्त्री महोदय के पास नहीं है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह बात समझ में आ गई ।

(व्यवधान)

इस साल था कोई प्रावधान मार्च 31 तक कम्पेनसेशन के लिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो निश्चित था बांध निर्माण कार्य हाथ में लिया ...

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है कि सब जानकारी आपके पास विद्यमान हो ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है । मुआवजे का आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । आर्डर प्लीज ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि किसान की फसल नष्ट हो गई, बाग नष्ट हो गये, जमीन डूब में आ गई इसके लिये लगातार प्रार्थना का । 25 लाख रुपये का प्रावधान मन्त्री महोदय ने बताया । उस 25 लाख में से मुआवजे का क्या प्रावधान था ? क्या वह खर्चा हो गया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, टोटल 41 लाख 74 हजार रुपया आंका गया है । इस वर्ष मार्च 31 तक 25 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च होना था जिसमें से 23 लाख रुपया खर्च हो चुका है बाकी के लिये विभाग से जानकारी ली है। इस प्रोजेक्ट पर मुश्किल से 4-5 लाख रुपया खर्च होना है और बाकी कुल रकम का प्रावधान मुआवजे के लिये किया है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न

श्री हीरालाल आर्य ; अध्यक्ष महोदय, वह लोग बरबाद हो गये हैं, बेरोजगार हो गये हैं, भूखे मरने की स्थिति में हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । स्थगित प्रश्न पुकार रहा हूं । कृपया सहयोग दें ।

(व्यवधान)

श्री भैरू लाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : जमीन ले लेते हैं और आठ-आठ साल तक मुआवजा नहीं मिलता है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य : मुआवजा नहीं मिल रहा है। उनके बाल-बच्चे भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा मुआवजा नहीं दिया तो काम नहीं चलने देंगे। मुआवजा नहीं मिला तो काम करने को बाध्य हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न। श्री हरिसिंह !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 फरवरी, 1981)

कुम्हेर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूप लगाना

24. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या भू-जल विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार ने कृषि सिंचाई हेतु नलकूप लगाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, भू-जल (श्री शीशराम ओला) : कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के लिए भू-जल विभाग द्वारा कृषि सिंचाई हेतु नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। विशिष्ठ योजना संगठन सचिवालय द्वारा पंचायत समिति, कुम्हेर के लिए लघु सिंचाई योजना बनाई गई थी, जो कि जून, 1980 में बन्द की जा चुकी है।

श्री हरिसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस प्रकार की योजना राजस्थान के किस क्षेत्र में हैं ? तो उस क्षेत्र की परिस्थिति और कुम्हेर क्षेत्र की परिस्थितियों में क्या अन्तर है ?

श्री शीशराम ओला : जो जानकारी चाही थी उसके बारे में जानकारी एकत्र कर ली। आपने जो फरमाया, आगे के सवाल की जानकारी करके बता दिया जायगा।

श्री हरिसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि नलकूप की जो योजना बनाई जाती है वह जिस प्रकार की परिस्थितियों में बनायी जाती है उस प्रकार की परिस्थितियां कुम्हेर में उपलब्ध हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्रीमान आप बीच में इन्ट्रप्शन न करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बातें नहीं।

श्री शीशराम ओला : मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्य ने नहीं चाही थी। अब मैं जानकारी करके माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

(दिनांक 24 फरवरी, 1981)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में राहत कार्यों पर लगे मजदूर

38. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में जनवरी, 1981 के अन्त तक कुल कितने मजदूरों को काम पर लगाया गया ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमीन खां)

(2) राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को मजदूरी के भुगतान की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है एवं औसतन मजदूरी क्या मिली ?

(3) क्या सरकार उक्त बेरोजगार लोगों को शीघ्र मुआवजे की राशि भुगतान करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

अकाल राहत मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में जनवरी, 81 के अन्त तक क्रमश: 33846 व 4949 श्रमिकों को काम पर लगाया गया है। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) राज्य में श्रमिकों को राहत कार्यों पर मजदूरी का शीघ्र भुगतान करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं कि पखवाड़ा समाप्त होते ही आधी मजदूरी 2.50 रु. का शीघ्र श्रमिकों को भुगतान कर दिया जावे एवं शेष मजदूरी का भुगतान नपती के तुरन्त बाद कर दिया जावे।

औसत मजदूरी अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग आती है।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में श्रमिकों की औसतन मजदूरी प्रतिदिन क्रमश 1.50 से 4.30 व 4.00 रुपये का भुगतान किया गया है।

श्रमिकों को भुगतान जैसलमेर जिले में पखवाड़े के समाप्त होने के 10 दिन में हो रहा है एवं बाड़मेर जिले में सिंचाई विभाग के कार्यों का भुगतान कर दिया गया है एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के 19 कार्यों को छोड़ कर शेष कार्यों का भुगतान हो चुका है। 19 कार्यों के भुगतान हेतु पार्टियां पहुंच गई हैं।

(3) बाड़मेर व जैसलमेर में ग्रामीणों की जनसंख्या जनगणना 71 के अनुसार क्रमश: 10, 78, 826, व 1,45, 761 है। श्रमिकों की उच्चतम सीमा राज्य सरकार ने हटा दी है। अत: मजदूर और आने से संख्या स्वत: ही बढ़ जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अमीन खां: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं मजदूरों की जो संख्या मंत्री महोदय ने बताई उससे मैं संतुष्ट हूं। बात सही है। सवाल यह है कि जैसलमेर तहसील के गांव और शिव तहसील के गांव बहुत दूरी-दूरी पर बसे हैं कई ऐसे गांव हैं जिनमें 50-50 किलोमीटर की दूरी पर कोई राहत कार्य नहीं है। क्या इस ओर आपका विशेष ध्यान है ? इतनी दूरी के गांवों में मजदूर नहीं पहुंचे, उसके लिये आप उचित आदेश फरमायें।

श्री हनुमान प्रभाकर : जो प्रश्न के उत्तर में आंकड़े दिये हैं उसके बाद वर्तमान में बाड़मेर में 41442 और जैसलमेर में 8950 मजदूर हैं, यह अंतिम सूचना प्राप्त हुई है। बात सही है कि क्षेत्र बिखरा हुआ है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अकाल राहत समिति द्वारा जो कार्य प्रस्तावित होंगे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया जायगा। सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, पाली, जालौर, आदि ऐसी

(श्री हनुमान प्रभाकर)

डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अकाल की दृष्टि से ग्रसित हैं वहां पर अधिकतम संख्या का ध्यान नहीं रख कर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जायगा ।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर): प्रश्न के अन्दर औसतन मजदूरी मिली है उसके बारे में क्लीयर जवाब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: क्लीयर जबाब दिया है ।

श्री छोगाराम बकोलिया : इसमें 1.50 से 4.50 दिया है, क्लीयर जवाब आना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष: प्रत्येक मजदूर को प्रत्येक कैम्प में कितनी मजदूरी मिली, क्या यह आनी चाहिये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा, फेमिन के काम पर जितने मजदूरों को मजदूरी दी जाती है उसके अलावा जो विभागीय कार्य चल रहा है उनको मजदूरी देने की व्यवस्था मिनिमम वेजेज के मातहत होती है या फेमिन रेट पर दी जाती है ।

श्री हनुमान प्रभाकर : एडवान्स प्लान के रूप में जो काम लिये गये हैं उनको छोड़ कर फेमिन के अन्तर्गत प्लान के हैं ही और यह परम्परा मैं यह मान कर चलूंगा कि माननीय विरोधी दल के नेता के समय में ही बनी हुई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : आपके नेता से जवाब पूछो इसका ।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): ये xxx हैं । हम चोरी नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : बीकानेर जिले में लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है और यह कह रहे हैं कि आर्डर्स जारी कर दिये हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया । प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पीपलेट (खण्डार) में बनास नदी पर लिफ्ट इरिगेशन योजना

179. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या तहसील खण्डार के ग्राम पीपलेट में बनास नदी पर लिफ्ट इरिगेशन का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुकूल अथवा प्रतिकूल क्या रही तथा उक्त योजना को कब तक चालू करने का विचार है ?

---

xxx शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

योजना का सर्वे किया जा चुका है व प्राप्त आंकलन (Estimate) की जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही यह बताया जा सकेगा कि इस योजना पर काम आरम्भ होगा कि नहीं।

मिनी हाइड्रो पावर प्लान्ट

184. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार के सामने मिनी हाइड्रो पावर प्लान्ट स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां तो अब तक इस पर क्या निर्णय हुआ ?

(2) इस पर कुल कितनी पूंजी खर्च होगी तथा इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) जी हां। मिनी हाइड्रो पावर की निम्नलिखित योजनाएं विचाराधीन हैं :-

(1) अनूपगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट

(2) माउण्ट आबू हाइडल स्कीम

(3) राइट मेन कैनाल हाइडल स्कीम

इसमें से अनूपगढ स्कीम की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर वर्ष 1981-82 में कार्य प्रारम्भ किया जायगा। अन्य दो परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास विचाराधीन हैं जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है।

(2) अनूपगढ़ हाइडल स्कीम की अनुमानित लागत 650.70 लाख रु० है तथा इसके वर्ष 1984-85 में पूर्ण होने की सम्भावना है। राइट मेन कैनाल तथा माउण्ट आबू हाइडल स्कीम की अनुमानित लागत क्रमशः 558 लाख रु० व 534 लाख रुपये है। इनके पूर्ण होने के बारे में योजनाओं के स्वीकृत होने पर ही कहा जा सकता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भारत-पाक युद्ध के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति

174. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई):—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो ऐसे कितने लोग थे एवं उन्हें कब गिरफ्तार किया गया व कब छोड़ा गया? उन लोगों को किन-किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था ?

(2) क्या कुछ लोगों को सजाएं भी हुई ? कृपया गिरफ्तार लोगों की सूची व आरोपों का विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत पाक युद्ध के दौरान वर्ष 1965 में 3 व 1971 में 5 संदिग्ध व्यक्तियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वांछित सूचना संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) जी हां । सूची एवं विवरण संलग्न है ।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिला सवाई माधोपुर के थानों में दर्ज विभिन्न मामले

175. श्री चुन्नीलाल (खण्डार): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

थाना खांजना डूंगर, खण्डार, चौथ का बरवाड़ा के अन्तर्गत वर्ष 1977, 1978, 1979, 1980 में चोरी, हत्या, डकैतियों, बलात्कार के कितने मुकदमें दर्ज हुए ? इनमें से कितने मुकदमों का चालान न्यायालयों में पेश किया गया एवं कितने मुकदमों में अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया ? कृपया वर्षवार अलग अलग थानों के आंकड़े सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

सूचना परिशिष्ट "अ" "ब" व "स" में संलग्न है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

प्रतापगढ़ स्थित मूल्यांकन कार्यालय

176. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

प्रतापगढ़ में स्थित मूल्यांकन कार्यालय को चित्तौड़गढ़ स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

मूल्यांकन अधिकारी चित्तौड़गढ़ का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला है व उसके लिये जिला स्तर के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क करना आवश्यक है । इस अधिकारी का नियंत्रण अधिकारी जिलाधीश है । यह कार्यालय राज्य योजना मद से स्वीकृत हुआ था ।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये प्रतापगढ़ स्थित मूल्यांकन कार्यालय को चित्तौड़गढ़ स्थानान्तरित करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 1980 में जारी किये गये थे ।

विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गये अधिकारी

177. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) पिछले 5 वर्षों में राज्य से कौन कौन व कितने आर. ए. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गये ?

(2) उनमें से किस किसके प्रशिक्षण का लाभ सम्बन्धित विभाग को मिला ? कृपया नाम व वर्षवार समुचित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में राज्य से कुल 17 आई०ए०एस० व 7 आर०ए०एस० अधिकारी विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गये । उनके नाम प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में संलग्न तालिका में अंकित हैं ।

Page No 25

(25)

(कार्मिक एवं प्रशा. सुधार मंत्री)

(2) आई०ए०एस० व आर०ए०एस० अधिकारियों का पदस्थापन समय-समय पर विभिन्न विभागों में किया जाता है। अतः उनके द्वारा विदेश प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव का लाभ राज्यहित में ही होता है। जिन अधिकारियों को गत 5 वर्षों में विदेश में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था उनके वर्षवार नाम व अन्य समुचित विवरण संलग्न तालिका में अंकित है जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला सीकर में घटित अपराध

178. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1980 में जिला सीकर में कुल किस-किस श्रेणी के कितने अपराध हुए ?

(2) इन अपराधों में से पुलिस कितने अपराधियों को पकड़ने में सफल हुई ?

(3) जिला सीकर में वर्ष 1980 में कितनी चोरी की घटनायें सामने आयीं और इनमें कितने माल की चोरी हुई ? इनमें कितना माल पुलिस बरामद करने में सफल हो सकी ?

(4) पिछले तीन वर्षों में अपराधों का क्या अनुपात रहा ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सूची "अ" में संलग्न है।

(2) वांछित सूचना सूची "अ" में संलग्न है।

(3) वर्ष 1980 में कुल 254 चोरी के अपराध पंजीबद्ध हुए जिनमें से 6,82,132 का माल चोरी गया इसमें पुलिस द्वारा 75,404 का माल बरामद कर लिया गया।

(4) वांछित सूचना सूची "ब" में संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

न्यायालयों में विचाराधीन फौजदारी मुकदमें

179. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1980 में प्रदेश के न्यायालयों में चल रहे कितने फौजदारी मुकदमों में सरकारी पक्ष असफल रहा ? यह कुल मुकदमों का कितने प्रतिशत रहा ?

(2) इस सत्र में न्यायालयों में चल रहे कितने मुकदमें राज्य सरकार ने वापस उठा लिए हैं ? कृपया इन मुकदमों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1980 में प्रदेश के मजिस्ट्रेटगण की न्यायालयों में चल रहे 7177 फौजदारी मुकदमों में सरकारी पक्ष असफल रहा। यह वर्ष 1980 में विचारण के पश्चात् निर्णीत हुए मुकदमों के आधार पर 12.2 प्रतिशत रहा है।

(2) वर्ष 1980 में न्यायालयों में चल रहे 1581 मुकदमों को राज्य सरकार ने

(गृह मंत्री)

वापस उठा लिया है। इन मुकदमों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

विद्युत् संबंध हेतु तहसील प्रतापगढ़ में प्रस्तुत आवेदन-पत्र

180. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़ : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) तहसील प्रतापगढ़ में वर्ष 1980-81 में विद्युत् कनेक्शन के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ? प्राप्त आवेदन-पत्रों में से कितने को कनेक्शन दिया गया ? कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? विचाराधीन प्रार्थना-कर्त्ताओं को विद्युत कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में कृषकों को विद्युत् कनेक्शन के लिए काफी भटकना पड़ता हैं ? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र के लिये अतिरिक्त कर्मकारों की कब तक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 81 में माह फरवरी, के अन्त तक प्रतापगढ़ तहसील में विभिन्न श्रेणी के विद्युत् कनेक्शनों के लिये 1510 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 708 को विद्युत् कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 310 आवेदित उपभोक्ताओं द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराये जाने के कारण उनके प्रार्थना पत्र निरस्त किये जा चुके हैं। अब 492 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिनमें से 180 उपभोक्ताओं द्वारा "एल" फार्म तथा 21 द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराई जानी शेष है। 152 के एस्टीमेट बनाकर उपभोक्ताओं को मांग पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही जारी है तथा 139 के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(2) जी नहीं, उपलब्ध कामगारों से विद्युत् कनेक्शन देने का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।

कृषि प्रयोजनार्थ दिये गये विद्युत् सम्बन्ध

181. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत);
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा):
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गत 5 वर्षों में कितने-कितने कृषि सम्बन्धी विद्युत कनेक्शन दिये गये ? इसके लिए कितने एम. डब्ल्यू. लोड बढ़ा ?

(2) बिलाड़ा, जिला जोधपुर, तथा पाली विद्युतीकरण योजना के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में कृषि सम्बन्धी कनेक्शन देने हेतु कितने प्रार्थना पत्र सन् 1979-80, व 80-81 में प्राप्त हुए ? इनमें से कितनों को डिमान्ड नोटिस दिया गया तथा कितनों को कनेक्शन दिया गया ? वर्ष के अन्त तक का लक्ष्य क्या रहा ? शेष कितने आवेदकों को कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पिछले पांच वर्षों में दिये गये कृषि कनेक्शनों तथा उनसे बढ़े हुए लोड की स्थिति निम्न प्रकार है:—

वर्ष	वर्ष के दौरान कृषि कनेक्शन	बढ़ा हुआ सम्बद्ध भार (एम.डब्लू.)
1975-76	8243	40.62
1976-77	13843	54.84
1977-78	20969	95.49
1978-79	27103	183.11
1979-80	28864	134.84

(2) बिलाड़ा व पाली में स्थित खण्डों के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 व 1980-81 में प्राप्त कृषि कनेक्शन हेतु आवेदनों, जारी किये गये डिमांड नोटिसों तथा दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार है:—

	वर्ष 1979-80			वर्ष 1980-81		
	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किये गये डिमांड नोटिसों की संख्या	दिये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किये गये डिमांड नोटिसों की संख्या	दिये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या
बिलाड़ा (पं. एवं सं.) खण्ड	512	293	169	287 (फरवरी, 81 तक)	89	64
पाली (ग्रा. वि. नि.) खण्ड	497	200	86	124 (जनवरी, 81 तक)	46	20

वर्ष 1980-81 के दौरान समूचे राज्य में 20,000 कृषि कुओं को कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य था, इसके विपरीत अब तक राज्य में 21,000 से अधिक कृषि कुओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। वर्ष 1980-81 में बिलाडा खण्ड में 200 तथा पाली खण्ड में 350 कृषि कनेक्शन दिये जाने अपेक्षित थे। शेष आवेदनों को कनेक्शन दिया जाना ससाधनों तथा आवश्यक सामान की उपलब्धि, क्षेत्र में विद्यमान विद्युत प्रणाली की क्षमता तथा सम्बन्धित आवेदकों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किये जाने आदि पर निर्भर करता है। अत: इसके बारे में निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

Page No 28

(28)

करौली रियासत का जनरेटर सेट

182. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि करौली में भूतपूर्व रियासत के समय का बहुत बड़ा पावर हाउस बना हुआ है, जिसमें एक जनरेटर सेट भी लगा हुआ था ? वह जनरेटर सेट कहां है व वापस करौली कब लाया जावेगा ? यदि नहीं तो नया कब लाने का विचार है ?

उत्तर

भूतपूर्व रियासत के समय करौली में एक पावर हाउस स्थित था जिसमें विभिन्न क्षमता के 6 जनरेटिंग सैट्स लगे हुए थे।

इन जनरेटिंग सैट्स की सक्षम कार्यविधि समाप्त होने के कारण नीलामी द्वारा बेच दिया गया था। अतः इनके वापस लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। करौली में नये जनरेटिंग सैट लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जिला सीकर के ग्रामों को पेयजल व्यवस्था

183. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में चालू पंचवर्षीय योजना में कितने गांवों में पेयजल की व्यवस्था का प्रावधान है ? यह गांव कौन कौन से हैं ?

(2) श्री माधोपुर तहसील में कितने गांवों में पेयजल की सुविधा वर्ष 1981 में उपलब्ध करवाई जायेगी और इसका माध्यम क्या होगा ? कृपया इन गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) सीकर में ग्राम लोहरवाड़ा में अधूरी टंकी को पूरी करवाकर गढ़ भोपजी से जोड़े जाने के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले हेतु चालू पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में लाभान्वित किये जाने वाले प्रस्तावित ग्रामों की सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ग्रामों की संख्या धन उपलब्धि के अनुसार ही तय की जा सकेगी।

(2) सन्दर्भित तहसील में वर्ष 1981 में जिन चार ग्रामों में हैण्ड पम्प योजनाओं से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है उनके नाम हैं : —

(1) देवीवास
(2) कल्याणपुरा
(3) सिमला
(4) जसवन्तपुरा

(3) लोहरवाड़ा में टंकी का कार्य पूर्ण किया जाकर गढ़ भोपजी को जोड़ना तकनीकी दृष्टि से सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है।

प्रतापगढ़ को प्रस्तावित जल प्रदाय योजना

184. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जलप्रदाय विभाग ने प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के

(श्री नन्दलाल मीणा)

लिए विभिन्न प्रकार की जलप्रदाय योजना सरकार के विचार हेतु प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या सरकार प्रस्तावित योजनाओं का काम हाथ में लेना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ? कृपया प्रस्तावित योजना की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 81-82 में प्रतापगढ़ तहसील हेतु 32 ग्रामों की हैण्ड पम्प योजनायें फरवरी 981, में जिला आयोजना समिति द्वारा अनुमोदित की जाकर प्रस्तुत की गई है।

(2) इन योजनाओं के कार्य को धन उपलब्ध के अनुसार क्रियान्वित करना संभव होगा। योजनाओं में प्रस्तावित ग्रामों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम पंचायत मादलिया के सरपंच के विरुद्ध अनियमितता के विचाराधीन मामले

185. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या कोटा जिले की ग्राम पंचायत मादलिया के वर्तमान सरपंच के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो अब उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी मादलिया स्कूल भवन के लिये जाळियां खरीदने में भी सरपंच ने घोटाला किया है ?

(3) कृपया मादलिया पंचायत के सरपंच द्वारा अब तक किये गबन व अनियमितताओं का व उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत मादलिया, पंचायत समिति लाड़पुरा के सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के मामले की विस्तृत जांच हेतु अति. जिला विकास अधिकारी, कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा जांच पूर्ण की जाकर रिपोर्ट दिनांक 31-7-80 को प्राप्त हो चुकी है। सरपंच के विरुद्ध धारा 17-(4) की कार्यवाही हेतु मामला अन्तिम निर्णय हेतु सुनवाई में चल रहा है। अग्रिम सुनवाई की दिनांक 4-5-81 नियत है। सुनवाई के पश्चात अन्तिम निर्णय लिया जाना संभव होगा।

(2) जिला स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) अति. जिला विकास अधिकारी कोटा ने अपने पत्र क्रमांक 2012 दिनांक 24-4-76 सरपंच ग्राम पंचायत मादलिया के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट धारा 17-(4) की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजी है। सरपंच से दिनांक 29-11-77 को आरोपों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा आदेश दिनांक 29-11-77 द्वारा उन्हें सरपंच पद

(पंचायत मन्त्री)
से निलम्बित किया गया सरपंच पुन: निर्वाचित होने पर दिनांक 12–7–79 को निलम्बित किय गया। आरोपों की विस्तृत जाच हेतु अति. जिला विकास अधिकारी, कोटा को दिनांक 30-8-79 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। सरपंच के विरुद्ध पूर्व कार्यकाल के आरोप होने के कारण दिनांक 21-5-80 को उनके निलम्बन आदेश को निरस्त किया गया तथा विभागीय जांच की कार्यवाही यथावत रखी जाने के आदेश दिये गये। आरोपों की विस्तृत जांच रिपोर्ट अति. जिला विकास अधिकारी कोटा ने दिनांक 31-7-80 को भेजी। सरपंच के विरुद्ध 12 आरोप थे जिसमें से 10 आरोपों में दोषी पाया गया है। सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) की कार्यवाही किये जाने हेतु मामला सुनवाई में चल रहा है। आगामी पेशी का दिनांक 4-5-81 नियत है सुनवाई के पश्चात नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

खण्डार–रामेश्वर सड़क

186. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या खंडार-रामेश्वर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) कब तक उक्त सड़क चम्बल नदी तक बन जावेगी।

(1) जी नहीं। खण्डार से रामेश्वर तक सड़क की लम्बाई 24 किलोमीटर है वर्ष 1978 में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति केवल 6.00 लाख रुपये की ही प्राप्त हुई थी और उसके पेटे 5 किलोमीटर का कार्य पक्की सड़क का मय डामर के खण्डार से 5 किलोमीटर तक का पूर्ण हो चुका है।

(2) वित्तीय स्थिति को देखते हुये अभी कुछ भी कह सकना मुश्किल है।

जिला अकाल राहत परामर्शदात्री समिति का गठन

187. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में अभी तक जिला अकाल राहत परामर्शदात्री समिति का गठन सरकार द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अब जिला जालौर में नई अकाल-राहत जिला परामर्शदात्री समिति का गठन सरकार द्वारा कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) जिला अकाल राहत परामर्शदात्री समिति को सरकार द्वारा अभी तक क्या-क्या शक्तियां प्रदान की हैं और भविष्य में कब तक क्या शक्तियां प्रदान करने पर विचार चल रहा है ?

(4) अब तक जिला अकाल राहत परामर्शदात्री समितियों का गठन नहीं करने के क्या कारण है ? इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला जालौर में अकाल राहत परामर्शदात्री कमेटी जो कि

(अकाल सहायता मन्त्री)
पूर्व में ही गठित की हुई है उसे संशोधित करते हुए दिनांक 25-11-80 को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आज्ञा जारी करदी गई है जिसकी अवधि 30-9-81 की है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जिले की अभाव की स्थिति तथा राहत कार्यों पर विचार विमर्श एवं निर्णय जिला अकाल राहत परामर्शदात्री कमेटी में ही लिये जाते हैं । अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला उदयपुर में चल रहे निजी वाहन

188. श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जिला उदयपुर में निजी बस मालिकों की बसें किस-किस रूट पर लगी हुई हैं तथा किस किस मॉडल की हैं ?

(2) क्या इन बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया है ? यदि हां, तो कब-कब वे रिन्यू हुये ? कृपया वाहनों के अनुसार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं । जिन वाहनों ने फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिये हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही हैं ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

टोंक में पर्यटन केन्द्र स्थापित करना

189. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या टोंक में पर्यटन केन्द्र की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसे क्रियान्वित करने का विचार है ?

उत्तर

जी नहीं ।

प्रधान व अप्रधान खनिज रियायत नियम के तहत स्वीकृत खनन पट्टे

190. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत कोलायत तहसील में व्हाइट क्ले, चाइना क्ले, फायर क्ले एवं बाल क्ले के कितने खनन पट्टे किस-किसके नामों से स्वीकृत हैं ? कृपया सूची मय पतों व पट्टे जारी करने की तारीख सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) सिरेमिक प्लांट एवं मिनरल बेस यूनिट लगाने की विशेष शक्ति पर कितने पट्टे स्वीकृत हैं ?

Page No 32

(श्री देवीसिंह माटी)

(3) क्या विशेष शक्ति की पालना सभी पट्टाधिकारियों ने निर्धारित समयावधि में की है ?

(4) विशेष शक्ति की पालना न किये जाने पर कितने खनन् पट्टे रद्द किये गये है ? कृपया शेष की वर्त्तमान प्रगति से अवगत करावें ।

(5) मुल्तानी मिट्टी के खनन पट्टे में विशेष शर्त क्या है ? क्या पट्टाधिकारी द्वारा शर्तों की पालना की गई है ? शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर सरकार द्वारा पट्टाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(6) मुल्तानी मिट्टी से बीकानेर खण्ड की वार्षिक आय कितनी हैं ?

(7) क्या एक्टीवेशन प्लांट के उपयोगार्थ मुल्तानी मिट्टी की विभाग द्वारा जांच कराई गई है ?

(8) क्या विशेष शर्तों की पालना पट्टाधिकारी द्वारा नहीं करने पर सरकार पट्टा रद्द करने का विचार रखती है ?

(9) प्रधान व अप्रधान खनिज रियायत नियम के तहत स्वीकृत खनन पट्टे रद्द करने के कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) प्रधान खनिज नियम 1960 के अन्तर्गत तहसील कोलायत में व्हाइट क्ले, चाइना क्ले, बाल क्ले और फायर क्ले के 63 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। सूची मय पट्टाधारियों के नाम पते व पट्टा जारी करने की तिथि, संलग्न है।

(2) सिरेमिक प्लान्ट एवं मिनरल बेस यूनिट लगाने की शर्त पर 12 खनन पट्टे प्रधान खनिज के स्वीकृत किये गये हैं।

(3) शर्त की पालना सर्वश्री बीकानेर सिरेमिक्स प्रा0 लि0 बीकानेर तथा उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड ने की है। एक पट्टा शर्त की पालना न करने के कारण खण्डित कर दिया गया, शेष 9 मामले राज्य सरकार के पास नीति निर्धारण हेतु विचाराधीन हैं।

(4) विशेष शर्त की पालना न करने पर एक खनन पट्टा व्हाईट क्ले का निकट ग्राम गुढ़ा राज्य सरकार द्वारा खण्डित किया गया, शेष 9 मामले जैसा कि उत्तर संख्या 3 में दिया गया है, राज्य सरकार के पास विचाराधीन है, जिनमें नीति सम्बन्धी निर्णय लिया जाना है।

(5) मुल्तानी मिट्टी के एकमात्र खनन पट्टे में विशेष शर्त मूल अंग्रेजी का अनुवाद निम्न प्रकार है:—

(1) पट्टाधारी खनन पट्टा स्वीकृति या नवीनीकरण के एक वर्ष की अवधि में सम्भावना प्रतिवेदन तैयार करेगा। यदि मुल्तानी मिट्टी का एक्टीवेशन संयंत्र लगाना सम्भव हुआ तो पट्टाधारी सम्भावना प्रतिवेदन के एक वर्ष की अवधि में एक्टीवेशन संयंत्र लगावेगा।

(2) पट्टाधारी पूर्ण समय के लिये खनि अभियन्ता नियुक्त करेगा जिसका वेतन सरकारी सेवा के वेतन सरकारी सेवा के वेतन से

(खनिज मंत्री)

कम नहीं होगा। पट्टाधारी द्वारा विशेष शर्त की पालना नहीं की गई है। शर्त की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है।

(6) मुलतानी मिट्टी से बीकानेर खण्ड की आय 1,13,777/–रुपये वार्षिक है।

(7) एक्टीवेशन प्लांट के उपयोगार्थ मुल्तानी मिट्टी की विभाग द्वारा जांच नहीं कराई गई है।

(8) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(9) प्रधान खनिज के 7 मामले व अप्रधान खनिज का एक मामला खनन पट्टा रद्द करने हेतु सरकार के विचाराधीन हैं जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया है। बाल क्ले फायर क्ले, चायना क्ले, व्हाइट क्ले के कुछ पट्टाधारियों द्वारा विशेष शर्त की पालना न किये जाने के कारण नीति सम्बन्धी निर्णय के लिये मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सरदार समंद बांध

191. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत);
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा),
श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा),
क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत तहसील में सरदार समंद बांध बना हुआ है तथा इसकी नहरों की ढंग से मरम्मत नहीं होने के कारण भारी मात्रा में पानी का सीपेज होता है और काफी जमीन खराब हो गई है ? यदि हां, तो अनुमानतः कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध व नहरों के मरम्मत तथा मालिकाना हक बाबत कुछ विवाद है ? यदि हां, तो क्या, तथा इसे कब तक निपटा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) सोजत तहसील में सरदार समंद बांध बना हुआ है। इसकी नहरों की आवश्यक मरम्मत प्रति वर्ष की जाती है। नहरों से कोई विशेष सीपेज नहीं होता है। इससे इतना अधिक सीपेज नहीं होता है कि जमीन खराब हो।

(2) वह बांध भूतपूर्व जोधपुर महाराजा की निजी सम्पत्ति है जिसका रख रखाव (मरम्मत कार्य) सिंचाई विभाग द्वारा उनके बिहाफ पर किया जाता है। इसके मालिकाना हक बाबत कोई विवाद नहीं है।

तहसील प्रतापगढ़ के विचाराधीन लिफ्ट सिंचाई योजना

192. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ तहसील की लिफ्ट सिंचाई योजना सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना से कितने बीघा जमीन पर सिंचाई होगी और इस पर क्या लागत आयेगी ?

Page No 34

(34)

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) लिफ्ट सिंचाई योजना किन-किन ग्रामों के लिए प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

अजमेर नगर का मास्टर प्लान

193. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अजमेर नगर का मास्टर प्लान बनाया जाकर उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से ली जा चुकी है ? यदि हां, तो कृपया मास्टर प्लान की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) इस मास्टर प्लान के आधार पर क्रियान्वियन कब प्रारम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, मास्टर प्लान की एक प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) मास्टर प्लान के आधार पर क्रियान्वियन दिनांक 13-9-76 यानि मास्टर प्लान के राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित होने के दिनांक से ही क्रियान्वयन होने का है।

(मास्टर प्लान की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कस्बा भवानी मंडी की सड़कों की मरम्मत

194. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे की सारी सड़कें डामर के अभाव में खराब हो रही हैं ?

(2) वहां की सड़कों को ठीक करवाने के प्रयोजन से क्या सरकार वहां की नगरपालिका को डामर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगरपालिका को डामर क्रय करने की स्वीकृति दे दी गई है।

अजमेर नगर परिषद् की आय व व्यय

195. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, अजमेर को वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79 एवं 1979-80 में सभी स्रोतों (स्वयं के आय के स्रोत तथा अनुदानों आदि) से कुल कितनी राशि उपलब्ध हुई थी ? कृपया वर्ष वार एवं स्रोतों अनुसार विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त उपलब्ध राशि में से किस-किस मद पर कितना-कितना खर्च हुआ ? कृपया वर्षवार मदानुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) इस वित्तीय वर्ष दिनांक 1-4-80 से दिनांक 11-2-1981 तक कुल कितनी राशि किन-किन स्रोतों से उपलब्ध हुई और किस-किस मद पर कितना-कितना खर्च हुआ है ?

Page No 35

उत्तर

(1) वर्षवार आय तालिका संलग्न है।

(2) वर्षवार व्यय तालिका संलग्न है।

(3) विस्तृत विवरण तालिका संलग्न है।

(तालिका के लिये परिशिष्ट 12 देखें)

ग्राम कटराथल और दौलतपुरा को मिलाकर नगरपरिषद् बनाना

196. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कटराथल और दौलतपुरा तहसील सीकर के गांव को मिलाकर नगर-परिषद् बनाये जाने का सरकार का कोई विचार है ?

(2) इन दोनों गांवों की सम्मिलित जनसंख्या कितनी है ? क्या दोनों गांवों की सम्मिलित जनसंख्या नगरपालिका बनने लायक है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) 1971 की जनगणना के अनुसार इन दोनों गांवों की सम्मिलित जनसंख्या 5636 है जो नगरपालिका के गठन के लिये अपर्याप्त है। दो गांवों को मिलाकर नगर-पालिका बनाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

उदयपुर नगर के फव्वारे

197. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर के विभिन्न चौराहों पर लगे फव्वारों के निर्माण में कितना धन व्यय किया गया ? ये कब-कब बन कर तैयार हुये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में इनके रख रखाव पर कितना व्यय हुआ ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष में ये औसतन 20-25 दिन ही चलाये जाते हैं ? यदि हां, तो इतनी राशि व्यय करने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(2) जी नहीं। गर्मी में तीन माह में बराबर चलते हैं। सर्दी में भी धार्मिक पर्व, राष्ट्रीय त्योहार आदि पर चलाये जाते हैं। वर्षा ऋतु में अवश्य बन्द रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये विशेष आयोजनों पर भी चलाए जाते हैं। उदयपुर एक पर्यटन नगर है जिसको सुन्दर व सुसज्जित रखे जाने हेतु किया गया व्यय उचित है।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

लोंगिया अस्पताल, अजमेर के चिकित्सक का आवास भवन

198. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लोंगिया अस्पताल, अजमेर के परिसर में नगर परिषद् अजमेर के आधिपत्य के आवासीय भवन हैं और उसमें आवासीय चिकित्सक श्रीमती लीलादेवी वर्ष 1974 से रह रही थीं ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 26-9-80 को नगर परिषद् के कर्मचारियों ने इस आवास भवन को खाली करने हेतु बिना किसी पूर्व सूचना एवं नोटिस के श्रीमती लीलादेवी का सामान बाहर फेंक दिया था ?

(3) क्या राज्य सरकार एक महिला राजपत्रित अधिकारी को आवंटित आवास को इस तरह खाली कराना उचित समझती है ? यदि नहीं तो इस प्रकरण में नगर परिषद के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) लोंगिया अस्पताल परिसर में नगरपरिषद अजमेर के आवासीय भवन में श्रीमती लीलादेवी सन् 1-3-76 से रह रही थीं। सन् 1974 में रहने की बात सही नहीं है।

(2) जी नहीं। सामान बाहर फेंकने की बात सही नहीं है। उपरोक्त उल्लेखित आवासगृह में श्रीमती लीलादेवी का आवास अनाधिकृत होने के कारण नगरपरिषद् द्वारा उन्हें 6-7-76 को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया, जिसकी अवहेलना करने पर परिषद् ने 12-5-80 को बेदखली हेतु एस्टेट ऑफिसर के यहां वाद दायर किया। वाद की सूचना के उपरांत भी श्रीमती लीलादेवी एस्टेट ऑफिसर के अदालत में उपस्थित नहीं हुई। अतः एस्टेट ऑफिसर ने दिनांक 10-7-80 को परिषद् के हक में वाद का निर्णय कर आवासगृह को खाली करने का निर्णय दिया। उक्त आदेश की अनुपालना में परिषद् द्वारा आवासगृह का कब्जा चाहने पर दि. 26-9-80 को श्रीमती लीलादेवी ने स्वेच्छा से 2 कमरों का कब्जा दे दिया तथा उसके अनुरोध पर परिषद ने 1-10-80 तक शेष मकान खाली करने की मोहलत भी दी। उसके उपरांत भी श्रीमती लीलादेवी ने उक्त तिथि तक आवासगृह खाली नहीं किया। अब आयुर्वेदिक विभाग ने परिषद् को सूचित किया कि श्रीमती लीलादेवी ने दिनांक 23-1-81 को यह आवासगृह खाली कर दिया है, लेकिन अभी तक यह आवासगृह परिषद् को आयुर्वेदिक विभाग द्वारा सम्पूर्ण रूप से नहीं सम्भलाया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। क्योंकि उपरोक्त आवास गृह को खाली कराने की कार्यवाही नियमानुसार की गई है।

जिला सीकर के चयनित अन्त्योदयी परिवार

199. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इस वर्ष सीकर जिले में कितने नये अन्त्योदयी परिवारों का चयन हुआ और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
उन्हें कितनी-कितनी सहायता किस-किस रूप में दी गई ?

(2) पिछले अन्त्योदयी परिवारों को इस वर्ष कितनी सहायता दी गई ?

(3) सीकर जिले में अब तक कुल कितने अन्त्योदयी परिवारों का चयन हुआ और उन्हें कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में किसी नये परिवार का चयन अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है किन्तु एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत 66015 परिवारों को जनवरी, 198 1 तक लाभान्वित किया गया है जो सभी गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी में है ।

(2) वर्ष 1980-81 में पूर्व के चयनित 291 परिवारों को 3.50 लाख रु० ऋण के रूप में सहायता दी गई ।

(3) प्रथम दौर व द्वितीय दौर में कुल 9517 परिवारों का अन्त्योदय में चयन किया गया । इनमें से 4030 परिवारों को मार्च, 80 तक 83.24 लाख रु० वितरण कर लाभान्वित किया गया । 2531 परिवारों को पेन्शन, भू-आवंटन व रोजगार द्वारा व 1213 परिवारों को चरखे एवं करघे वितरण कर लाभान्वित किया गया ।

सांचोर कृषि मंडी की आय व व्यय

200. श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सांचोर कृषि मंडी की स्थापना किस वर्ष में हुई व आज दिन तक कितनी आय व व्यय हुआ ? कृपया आंकड़े सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सांचोर कृषि मण्डी आज दिन तक टैक्स ही वसूल करती रही है ? यदि हां, तो नियमानुसार आज दिन तक काश्तकारों को क्या कोई सुविधा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सांचोर मण्डी समिति की स्थापना वर्ष 1979 में हुई । जनवरी, 1981 तक के मण्डी समिति की आय व व्यय के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	आय	व्यय (लाख रुपयों में)
1979–80	1.92	0.59
1980–81 (जनवरी, 81 तक)	1.60	0.40

(2) जी नहीं । मण्डी समिति द्वारा काश्तकारों को अभी वर्तमान मण्डी यार्ड में पीने के पानी तथा ठहरने के लिए विश्राम-गृह की सुविधा दी जाती है । चूंकि समिति के पास मण्डी यार्ड हेतु स्वयं की भूमि अभी आवण्टित नहीं हुई है अस्तु अन्य सुविधायें जुटाना सम्भव नहीं है । भूमि का चयन किया जा चुका है तथा शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण

201. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हिरियांखेड़ी की चरागाह में एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है व मकान बना रहा है ?

(2) क्या ग्रामवासी बार-बार तहसील को लिखित आवेदन देते आ रहे हैं किन्तु इन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

(3) क्या चरागाहों की भूमि पर नित्य प्रति अतिक्रमण हो रहा है और सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

(4) क्या सरकार अतिक्रमियों से निपटने के लिये कानून का सख्ती से पालन करायेगी व अतिक्रमियों को बेदखल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम अमृतखेड़ी (जोगन खेड़ी) के एक किसान को खेती की भूमि का ए०एस०आई० कम्पनी ने उत्खनन किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस किसान को राहत पहुंचाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्रामवासियों के आवेदन पत्र पर तहसील द्वारा मौका देखा जाकर ग्रामवासियों को यह अवगत करा दिया गया कि उक्त भूमि ग्राम हिरियांखेड़ी की चरागाह की नहीं है चूंकि यह ग्राम असथली की बंजर भूमि है जिसे नियमानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा 92 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित कर आवंटन किया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) अतिक्रमण होने पर अतिक्रमियों के विरुद्ध तुरन्त राजस्थान भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(5) ग्राम अमृतखेड़ी (जोगन खेड़ी) में खसरा नम्बर 16 की 15 बीघा भूमि श्री घूलीलाल धाकड़ को आवंटन हुई थी। जिसमें से 7 बीघा 10 बिस्वा पर ए०एस० आई० कम्पनी का कब्जा है।

जिला बाड़मेर व नागौर के खनिज भण्डार

202. श्री अमीन खां (शिव) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि जिला बाड़मेर एवं नागौर में लिग्नाइट का भण्डार मिला है ? यदि हां, तो उक्त जिलों के किन किन स्थानों में और कितना-कितना भण्डार मिला है ?

(2) क्या यह सही है कि ड्रिलिंग मशीनों की कम व्यवस्था होने के कारण धीमी गति से कार्य चल रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि भू-गर्भ वैज्ञानिकों ने राज्य के थार रेगिस्तान में पोटाश के अथाह भण्डारों का पता लगाया है ? यदि हां, तो कृपया इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार सदन की मेज पर रखें।

Page No 39

(39)

उत्तर

(1) जी हाँ यह सही है कि राजस्थान के बाड़मेर एवं नागौर जिलों में लिग्नाइट खनिज उपलब्ध होने का पता लगा है। बाड़मेर जिले में कपूरड़ी तथा नागौर जिले में मेड़ता रोड क्षेत्र में इस खनिज की खोज की गई है और इसके भण्डारों का अनुमान लगाने के लिये छिद्रण द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। अब तक कपूरडी क्षेत्र में चार बोर होल द्वारा कुल 318·40 मीटर छिद्रण कार्य किया गया है। जिससे यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में लिग्नाइट की पतली परतें हैं, जिनकी मोटाई 0·1 मीटर से 3·1 मीटर तक है। यह लिग्नाइट परतें 70 से 110 मीटर के बीच गहराई में पाई गई हैं। इसी प्रकार मेड़ता रोड क्षेत्र में भी अब तक चार बोर होल्स द्वारा कुल 264·20 मीटर छिद्रण किया गया है, जिससे 6 मीटर मोटी लिग्नाइट की पट्टी का पता लगाया गया है जो 90 से 120 मीटर के बीच गहराई में पाई गई है। दोनों स्थानों पर खोज अभी चालू है, एवं खनिज के नमूनों की जांच विभागीय व अन्य प्रयोगशालाओं में की जा रही है। अतः खनिज के भण्डारों का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

(2) यह सही नहीं है कि ड्रिलिंग मशीनों की कम व्यवस्था होने से कार्य धीमी गति से चल रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि लिग्नाइट के संकेत मिलने पर पूर्व में दोनों स्थानों पर एक-एक मशीन भेजी गई तथा इनके द्वारा किये गये छिद्रण के परिणाम प्राप्त होने पर पुनः एक-एक मशीन और दोनों क्षेत्रों में भेज दी गई। अब दोनों क्षेत्रों में कुल 4 मशीनें कार्यरत हैं एवं छिद्रण के और परिणाम आने पर तथा लिग्नाइट के नमूनों के रासायनिक परिणाम जम्मू स्थित प्रयोगशाला से प्राप्त होने के उपरान्त यदि आवश्यक हुआ तो और मशीनों की व्यवस्था कर दी जायगी।

(3) यह सही है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्रों (चुरू एवं बीकानेर जिलों) में पोटाश खनिज के संकेत होने का पता लगाया है जो रोक साल्ट (सेन्धा नमक) की पट्टियों के साथ पाया गया है, इन पट्टियों में रोक-साल्ट की मात्रा ही अधिक है जबकि पोटाश की मात्रा अधिकरण 8% तक पाई गई है जो तकनीकी, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कम है। चूंकि पोटाश खनिज रोक साल्ट के साथ ही अधिकतर पाया जाता है अतः इन क्षेत्रों में रोक साल्ट की पट्टियों का पता लगने से यह आशा बनी हुई है कि किसी स्थान पर पोटाश के व्यावसायिक भण्डार हो सकते हैं। इसी आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा छिद्रण कार्य किया जा रहा है।

जिला सीकर में प्रदत्त वृद्धावस्था पेन्शन

203. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)- क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक कितने नये लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई ?

(2) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक कितने लोगों की पेंशन बन्द की गई तथा किन-किन कारणों से ?

Page No 40

(४०)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) वर्ष 78-79 एवं 79-80 में कितने लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में 1 अप्रेल, 1980 से 22-2-81 तक 233 नये लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई है।

(2) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक किसी भी व्यक्ति की पेंशन बंद नहीं की गई।

(3) वर्ष 79-80 में 953 एवं 78-79 में 273 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।

अजमेर नगर परिषद्-सीमा में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

204. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् अजमेर की सीमा में वन विभाग की जमीन पर किस-किस ने कब-कब और कितनी कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दिनांक 1-2-81 तक प्राप्त हो चुकी है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन पर क्या-क्या कार्यवाही कब कब की गयी एवं की जा रही है ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 एवं राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 26 के अन्तर्गत न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची व सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जयपुर शहर में जलाने हेतु आने वाली लकड़ी

205. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में जलाने के लिए प्रतिदिन कितनी लकड़ी बाहर से आती है ?

(2) क्या यह लकड़ी सूखी हुई लाई जाती है ?

(3) क्या उक्त लकड़ी को लाने के लिये किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो वह स्वीकृति किस आधार पर किस अधिकारी द्वारा दी जाती है ?

(4) क्या यह लकड़ी गीली काटकर न लाई जावे इस हेतु जहां से लकड़ी लाई गई है उन खेतों में जाकर चैकिंग की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो इस प्रकार गत पांच वर्षों में कितने मामलों में चैकिंग की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) इस प्रकार खेतों से काट कर लकड़ी लाने के पश्चात् क्या उनकी चैकिंग

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

किये जाने के लिए एक निश्चित प्रतिशत तय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में जलाने के लिये काफी तादाद में लकड़ी प्रतिदिन आती है। उसके वजन के सम्बन्ध में कोई आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं।

(2) गीली एवं सूखी दोनों ही तरह की लकड़ी जयपुर शहर में लाई जाती है।

(3) राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 41 के अन्तर्गत वन उपज के परिवहन हेतु ट्रांजिट पास लेना आवश्यक है। ट्रांजिट पास जारी करने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 2 (1) (2) राज/ग्रुप-8/ 73 दिनांक 16-10-73 के द्वारा खातेदारी की लकड़ी लाने के लिए ट्रांजिट पास देने हेतु (तहसील बेराठ व जमुवारामगढ़ को छोड़ कर) तहसीलदार सक्षम हैं।

(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कोई भी खातेदार कृषक अपनी कृषि भूमि में से घरेलू एवं कृषि उपयोग हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति के पश्चात् वृक्ष काट सकता है। नियमानुसार यदि हरे पेड़ काटे जायें तो गीली व सूखी दोनों प्रकार की लकड़ी उपलब्ध हो सकती है। गिरदावरी के समय राजस्व अधिकारीगण को खेतों से पेड़ काटने के बाबत भी जांच करनी होती है और अनियमित रूप से पेड़ काटे जाने पर वैधानिक कार्यवाही करने की प्रक्रिया निर्धारित है। वन विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में अनियमित रूप से लकड़ी लाई जाने पर 550 मामले कायम किये गये जिनमें से 50 मामलों का न्यायालय में चालान किया गया। शेष मामलों को नियमानुसार कम्पाउण्ड किये जाकर लगभग 24 लाख रुपये एवजाने का वसूल किया गया।

(5) जांच हेतु कोई निश्चित प्रतिशत निर्धारित नहीं है। परिवहन के समय चैकिंग के लिए वन विभाग के नाके स्थापित हैं। अवैधानिक तरीके से वृक्षों के काटे जाने की जानकारी होने पर उनकी जांच की जाती है एवं बिना ट्रांजिट पास लकड़ी का परिवहन किया जाना पाये जाने पर वन विभाग द्वारा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र में वन विभाग की पड़त भूमि

206. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र में वन विभाग के आधिपत्य की कुल कितनी जमीन खाली पड़ी है ? कृपया नक्शा मय क्षेत्रफल के सदन के पटल पर रखें।

(2) इस खाली पड़ी जमीन के उपयोग के बारे में वन विभाग की क्या योजना है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या कोई ऐसा भूखण्ड भी है जिसके बारे में विभिन्न विभागों में स्वामित्व एवं आधिपत्य का विवाद हो ? यदि हां, तो कृपया ऐसी भूमि के नक्शे एवं क्षेत्रफल की सूचना भी सदन के पटल पर रखें।

Page No 42

(42)

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर परिभाषित प्रकार की वन सम्पदा खड़ी है। यथा नक्शा मय क्षेत्रफल के सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

(2) परिभाषित वन क्षेत्रों में भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्य बजट आवंटनानुसार करवाये जावेंगे।

(3) जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से फरवरी, 81 में तहसील प्रतापगढ़ के गन्धेर तालाब पर कुछ व्यक्तियों द्वारा श्री चोखला पुत्र श्री बगता मीणा नामक आदिवासी की हत्या कर देने के विषय में,

(2) सर्व श्री यदुनाथ सिंह, मङ्गाराम चौधरी, कमलेन्द्र सिंह, गोपाल पचेरवाल, फतेसिंह, बहादुर सिंह व वीरेन्द्र प्रताप सिंह सदस्य विधान सभा की ओर से गत 27 फरवरी को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नदबई, जिला भरतपुर स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति को खंडित करने के विषय में।

(3) श्री हरीश शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले में रामगंज मण्डी तहसील के गांव सलावद में वहां के व्यवसाइयों द्वारा हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने के विषय में,

4. सर्व श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी व दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा शहर में मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया फैलने के विषय में,

5. श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में अकाल के बावजूद किसानों से वसूली और कुर्कियां होने के विषय में,

6. सर्व श्री रघुवीरसिंह कौशल व हीरालाल आर्य सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले में सिंचाई विभाग द्वारा अवाप्त की गई किसानों की भूमि का मुआवजा न चुकाने के विषय में,

7. श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से झालावाड़ शहर तथा झालावाड़ जिले के ग्रामीण अंचलों में गत 3 मार्च से जनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध न होने के विषय में,

8. सर्व श्री घनश्याम तिवाड़ी, मालाराम व सुश्री पुष्पा जैन सदस्य विधान सभा की ओर से खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में पुलिस फायरिंग से दो व्यक्तियों के घायल हो जाने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों के विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

9. सर्व श्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से 9 फरवरी को सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी के 2 कर्मचारियों को बिजली के खम्बे टूट कर गिर जाने के विषय में,

यह दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है किन्तु स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है ।

10. सर्व श्री हाजीचाव खां उम्मेदसिंह, लच्छूराम, हजारीलाल शर्मा व मेघराज तावड़, सदस्य विधान सभा की ओर से गुजरात में चल रहे आरक्षण विरोधी आन्दोलन का असर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी होने लगा है, इस विषय में,

इस स्थगन प्रस्ताव पर कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किये हैं, जिन्होंने अन्य प्रस्तावों की सूचना भी दी है। यह प्रश्न सरकार की नीति से संबंध रखता है और इसे स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता ।

11. श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर में भोजूसर ग्राम की एक नव विवाहिता भगवती को उसके ससुराल वालों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक मार देने की घटना के विषय में ।

यह घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण है किन्तु स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है ।

12. श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले में कुछ सरपंचों के विरुद्ध एक दल विशेष के सदस्य होने के नाते की गई कार्यवाही के विषय में ।

13. श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरकार के आश्वासन के बावजूद किसानों को 7 या 8 घंटे बिजली उपलब्ध न कराने के विषय में,

यह विषय भी स्थगन प्रस्ताव का नहीं है। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :

जिन अन्य स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है, वे इस प्रकार हैं:—

1. श्री नाथूसिंह, होम्योपैथिक कॉलिज की हड़ताल

इस पर सदन में सरकार की ओर से 16 मार्च 81 को एक वक्तव्य दिया जायगा ।

2. श्री लच्छूराम

केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनूं द्वारा सहकारी समितियों को ऋण न दिया जाना।

इस पर दिनांक 17 मार्च से सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा ।

3. श्री कैलाश मेघवाल,

भीलवाड़ा जिले में मेजा फीडर से सम्बन्धित मैगजीन में आग लग जाने के विषय में ।

4. श्री दाऊदयाल जोशी,

कोटा नगर में अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के विषय में ।

दिनांक 18 मार्च को सरकार द्वारा दोनों मामलों पर वक्तव्य दिया जायगा ।

5. सर्वश्री गोपाल पचेरवाल, यदुनाथसिंह, उजला अरोड़ा, फतेसिंह, मेघराज तावड,

Page No 44

(५५)

(श्री अध्यक्ष)

बूंदी जिले में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध न होने के विषय में।

6. श्री नन्दलाल मीणा,

प्रतापगढ़ के आदिवासी किसानों की झोंपड़ियों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जला दिये जाने के विषय में।

दिनांक 19 मार्च, 81 को सरकार द्वारा इन मामलों पर वक्तव्य दिया जावेगा।

7. श्री मालाराम व वीरेन्द्र प्रताप सिंह

झुंझुनूं जिले के राशन अधिकारी द्वारा तीन माह की चीनी व केरोसीन तेल का गबन करने के विषय में।

प्राप्त तथ्यों से प्रकट होता है कि गबन की बात असत्य है और दिसम्बर माह की चीनी व दिसम्बर व जनवरी का केरोसीन तेल उपभोक्ताओं को वितरित कराया जा चुका है।

8. श्री हरीश शर्मा

कोटा जिले की रामगंजमण्डी में एक खान में मजदूर की मृत्यु के विषय में,

यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है किन्तु स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। अतः मैं इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

वे स्थगन प्रस्ताव जिन पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है।

1. वीरेन्द्र प्रतापसिंह व कमलेन्द्रसिंह

केशवनगर, सिविल लाइन, जयपुर में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को जबरन कब्जा दिलाने के विषय में।

माननीय सदस्य द्वारा अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिये जाने के कारण।

2. श्री गुलाबचन्द कटारिया, जीतमल जैन व अनंग कुमार जैन,

गत 9 मार्च की रात्रि को कोतवाली थाने पर एक सब इन्सपेक्टर की हत्या।

इस सम्बन्ध में आज वक्तव्य दिया जा रहा है।

3. डा. उजला अरोड़ा,

28 फरवरी को आगरा रोड पर लखेसरा ग्राम में ऊंट के भट्टों के मजदूरों को डाकुओं द्वारा लूटे जाने के विषय में।

इस आशय का एक प्रस्ताव पूर्व में आ चुका है।

अब जैसा कि सूचित किया गया है माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास सूचना प्राप्त करने के लिए भेजे गये हैं, उसके अलावा जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये हैं, उन माननीय सदस्यों को अपना वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

आप मेरे चेम्बर में आकर मिल लें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले में सिंचाई व्यवस्था के बारे में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। उस पर आपने व्यवस्था फरमाई कि उस पर 19 मार्च को सरकार वक्तव्य देगी, मैं यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : उस वक्त तक फसल पक जायेगी....

श्री गोपाल पचेरवाल : फसल नष्ट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : इस पर पुनर्विचार कर लिया जायेगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : तब तक किसानों की फसल नष्ट हो जायेगी। क्या सरकार उनको मुआवजा देगी....

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार के लिए तारीख फिक्स नहीं कर सकता। मैंने निवेदन किया है कि यदि आपको कोई एतराज है तो इस बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है। मैं बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। इसका कुछ इलाज हो सकता है। इस पर पुनर्विचार कर लेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : कल भी मैंने निवेदन किया था आपके चैम्बर में और आज भी निवेदन कर रहा हूं, तत्काल सरकार कार्यवाही करे। दिल्ली में किसानों की रैली निकाल कर उनके प्रति हमदर्दी जाहिर की पर इधर किसान मिट रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः विचार करूंगा कि यथाशीघ्र दिलाया जा सके उत्तर यह व्यवस्था करेंगे। मेरी कठिनाई यह है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव काफी संख्या में हो जाते हैं। एक दिन में एक ही रखा जा सकता है। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को नियमों के अनुसार डिस्पोज-आफ किया जाये। स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य ज्यादा से ज्यादा हो सके, यह सुविधा देकर इसको एडजस्ट जल्दी करवा लूंगा....

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय नियम 295 के अन्तर्गत कुछ निवेदन करने की मैंने प्रार्थना की थी। उसके लिए तारीख और समय निश्चित करेंगे या मुझे मौका आज ही दे दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वैसे मैंने अनुमति दे दी है। आज ही आप उठाना चाहें तो यह प्रश्न उठाया जा सकता है। आज ही यदि चाहें तो उठा सकते हैं, जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आये थे उनको मैंने अनुमति दी है उसके तुरन्त पश्चात्।

श्री गोपाल पचेरवाल : नीति सम्बन्धी मामला है। आरक्षण के मामले पर सरकार की क्या नीति है। वह स्पष्ट रूप से बतायी जानी चाहिए अन्यथा जो स्थगन प्रस्ताव है उन पर बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष : इस पर आप आज बोल सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लखेसरा ग्राम के बारे में....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी नगर के बारे में दो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिये थे। सरकार सुन नहीं रही है। वहां लोगों की....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य....

श्री मेघराज तावड़ : माननीय हरिजन मुख्य मंत्री को कहना चाहता हूं जो अस्पताल में हैं ...

श्री अध्यक्ष : कृपया इतने आवेश में न आवें....

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था चाहिए। इस सरकार की चमड़ी पर कोई असर नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि ऐसी सरकार को बरखास्त किया जाए ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

श्री मेघराज तावड़ : सरकार नहीं सुनती है। न जवाब आने वाला है। जवाब क्या आयेगा ! पुलिस वालों के विश्वास पर ही यह जवाब देगी। पुलिस वाले कभी भी सही रिपोर्ट नहीं देंगे। आज जो फायरिंग हुई है उस पर यह कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व इसमें शामिल थे।

(व्यवधान)

कौन से असामाजिक तत्व हैं। आप चुप रहिये। आपके साथ ऐसा हो तो आपको मालूम पड़ेगा....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : हरिजनों के ऊपर आंसू बहाने वाली यह सरकार ...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : यह सरकार कुछ नहीं कर रही है....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतने आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है।...

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे विवश होकर

(व्यवधान)

मुझे नाम से सम्बोधित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, इसमें मैं यह चाहता था कि तथ्य हमारे सामने आ जाते। तीन दिन पहले ही यह आया। आज सुबह ही जानकारी ली और उसके बाद जो बात आपको कहनी थी वह कह दी। यह प्रकरण अब समाप्त हो गया सो सरकार से जानकारी लेने की जरूरत नहीं। न अब सरकार को कोई वक्तव्य देने की जरूरत है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : यह +++ है।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करूंगा। मैं माननीय सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए निवेदन करूंगा। आप कार्यवाही थोप नहीं सकते। मैं इजाजत नहीं दूंगा। जिनके नाम पुकारूंगा वे ही माननीय सदस्य बोलें।

---

x x x माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(47)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, जो आप व्यवस्था देंगे वह मानने को तैयार हैं। परन्तु हमको डराया जा रहा है। हीरालाल परमार संजय गुट के हैं, जगदीश टाइटलर आदि की तरह की कार्यवाही से हमको दबाना चाहते हैं। यह गलत है

(व्यवधान)

यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। यह धमकी दी गई है। कार्यकर्ताओं को बोलने से मना किया जा रहा है। मजदूरों पर गोली चले, पुलिस को बचाया जाय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करूंगा। कुछ माननीय सदस्यों को मैं सदन से बाहर पधारने का निवेदन करूंगा। मैं नाम से सम्बोधित करूंगा ...

श्री मेघराज तावड़ : इस x x x खिलाफ मैं वाक आउट करता हूं।

[सी. पी. आई., सी. पी. एम., जनता पार्टी (जे. पी.) के सदस्यों का बहिर्गमन]

x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के अनुसार कार्यवाही करें।

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें।

---

x x x शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई

श्री हंसराज शर्मा !

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अवसर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन किया कि आप बाधा उपस्थित न करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया विराजें।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की कार्यवाही में बाधा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : किस पर पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसी विषय पर है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पहले नियम बतायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वही बता रहा हूं। कांग्रेस के सदस्य इन्ट्रप्शन करते हैं तथा बाधा उपस्थित करते हैं उस समय आप उनको नहीं कहते कि आपको बाहर निकाल दूंगा। यह व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी नजर उधर नहीं जाती है....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न निरस्त किया जाता है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

(श्री अध्यक्ष)

श्री हंसराज शर्मा।

(व्यवधान)

एक एक करके बोलें, किस बात पर कहना चाहते हैं, तो बात सुनी जा सकती है।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, आप स्थान ग्रहण करें। मैं इजाजत दूं, तब बोलें, किस विषय पर कहना चाहते हैं। यस, वीरेन्द्र प्रताप।

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का अवसर

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपके सामने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसका अब तक जवाब नहीं आया है। अब आप यह कह रहे हैं कि प्रश्न को उठाने नहीं दिया जायेगा। गोली काण्ड हो चुका है, लोग घायल हो चुके हैं, तो किस तरह न्याय मिलेगा ? हम आपसे किस तरह न्याय की आशा कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आपकी बात। मैंने नम्र निवेदन कर दिया कि सरकार से जानकारी चाही है। बिना किसी के सूचित किये ही आज आते ही पूछा कि खेतड़ी वाली रिपोर्ट आ गयी या नहीं, तो पता चला कि खेतड़ी वाली रिपोर्ट नहीं आयी है। मैं ताकीद करके आया हूं। परन्तु मानी मानी व्यवस्था यह है कि या तो आसन किसी स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देकर उसको अस्वीकार करे तो उस स्थिति में उसी उक्त माननीय सदस्य को अवसर दे दिया जाता है। यदि सरकार से जानकारी मंगाई जाती है तो उस समय तक माननीय सदस्य को ठहरना पड़ता है। इसके बाद यदि सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाया जाता है तो माननीय सदस्य उस वक्त उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यदि सरकार के उत्तर के पश्चात् मैं यह तय कर लेता हूं कि कोई वक्तव्य नहीं दिया जायेगा तो उसी दिन माननीय सदस्य को अवसर दे देता हूं। लेकिन अपने नियम यह हैं कि साधारणतया एक विषय पर एक ही बार चर्चा हो सकती है। चूंकि माननीय सदस्य आवेश में आ जाते हैं और उस विषय पर विस्तृत चर्चा बिना आसन की अनुमति के ही कर लेते हैं तो उस विषय को दुबारा लाने पर दुबारा सोचना पड़ता है। यह कोई बात नहीं जिस तरह का माननीय सदस्य बर्ताव कर रहे थे, आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। मैंने बार बार विनम्र निवेदन किया, मैंने यह कह दिया कि कोई चर्चा नहीं होगी तो वह चर्चा होगी ही नहीं लेकिन ...

(व्यवधान)

मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूं। तीन चार एक साथ बोल रहे हैं।

सदन की कार्यवाही में बाधा

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां पक्ष वाले कहते हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहते हैं, इसका क्या कारण है, एक बात। और दूसरे आपने उनको....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, बैठे-बैठे न बोलें ।

यह बात सही नहीं है कि हां पक्ष वाले या सत्तारूढ़ दल वाले या विपक्ष ही केवल, सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाते हैं, दोनों ही इधर वाले और उधर वाले समय-समय पर बाधा पहुंचाते हैं पर आप यह मेरे पर छोड़ दीजिये कि कौन बाधा पहुंचाता है। थोड़ी बहुत बाधा के तो हम भी आदी हो गये हैं ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको ताड़ना भी आप हमारी ओर मुंह करके ही देते हैं।

श्री अध्यक्ष : हम किसी को ताड़ना नहीं देते हैं हम. तो माननीय सदस्यों के सेवक हैं, नम्र निवेदन करते हैं। आपकी तरफ से कुछ अधिकार दिये हुये हैं मुझे सभा का वादविवाद अच्छी तरह चले इसके लिये, आपके हित के लिये कहना पड़ता है। जो प्रकरण हुआ उसको यहीं समाप्त किया जाता है। मेरा इरादा कतई यह नहीं था कि मैंने कह दिया कि दुबारा चर्चा नहीं होगी तो यह मान लिया जाये कि उस विषय पर पर्याप्त चर्चा नहीं होगी। मैं इस को लागू नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, विनम्र निवेदन है कि ...

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर सर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर माननीय सदस्य आप जानते हैं कि पाइन्ट आफ आर्डर उठाना भी कभी काफी कठिन हो जाता है। कई बार ऐसे पाइन्ट आफ आर्डर आते हैं कि जो पाइन्ट आफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आते हैं। माननीय सदस्य, इसलिये कि काफी समय हो गया, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह समय जो जीरो आवर का होता है यह हमारे लिये भी काफी कठिन समय है इसको निकल जाने दें, उसके बाद आप कितने ही पाइन्ट आफ आर्डर उठाइये हम स्वीकार करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे। लेकिन, माननीय सदस्य, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि फलां स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ, फलां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ, आपके सेवक की काफी उम्र बीत चुकी है, याददाश्त भी कमजोर हो गयी है इसलिये महीने भर में जितने प्रस्ताव आये हैं उनके बारे में कुछ कहना, मुंह जबानी उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

आप कुछ कहना चाहते हैं, माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर सरकार से जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा असन्तोष है, हाउस में जो कार्यवाही चल रही है, जो कार्यप्रणाली चल रही है स्थगन प्रस्ताव रखते हैं ; पहले सुन लें उसके बाद आप जो भी व्यवस्था देंगे, उसको मैं शांतिपूर्वक सुनूंगा और मानूंगा, अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन रखा जाता है ...

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर।

श्री नाथूसिंह : हां एडजोर्नमेंट मोशन की कोई सीमा निश्चित होती है, स्थगन प्रस्ताव का यह मतलब होता है कि पब्लिक इम्पोर्टेन्स का, अर्जेंट कोई मामला है जिसको उसी दिन या दूसरे दिन हाउस में डिसकस

(श्री नाथूसिंह)

करती हैं, नियम तो यह है कि उसी दिन हाउस में डिसकस करते हैं, पर कई बार, जैसी अभी व्यवस्था दी आपने, चर्चा करली, माननीय सदस्य आवेश में आते हैं और यह हो जाता है। तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है सरकार की तरफ से इग्नोर किया जाता है, हमको, आपको और सदन को। सरकार उसका उत्तर, 15-20 दिन में देती है और नहीं भी देती है। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें उसी दिन जवाब आना चाहिये, तीन दिन बाद उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि एडजोर्नमेंट मोशन के लिये आप लास्ट सीमा तय करलें कि दो तीन या अधिक से अधिक पांच दिन में जवाब दे दें। वरना, अध्यक्ष महोदय, हाउस में बाधा पहुंचाई जाती है और उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, आप ताड़ना देते हैं और x x x कि आप सदन से बाहर निकाल देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय x x x शब्द एक्सपंज किया जाना चाहिए। यहां कभी x x x नहीं दी गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस पर मैं विचार कर लूंगा।

श्री नाथूसिंह : एक्सपंज कैसे किया जाना चाहिए ?

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में आपके लोगों ने मारा है, प्रद्युम्न सिंह जी। अखबार में पढ़ा होगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य आवेश में तब आते हैं जब कोई मामला या स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो उसका जवाब नहीं आता है, तो वे सोचते हैं कि जिस समय जवाब आयेगा तब तक उसका महत्व ही समाप्त हो जायेगा इसलिये वह जोर डालता है कि सरकार तुरन्त जवाब दे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बाधा न डालें।

श्री नाथूसिंह : हम व्यवस्था चाहते हैं दो बिन्दुओं की; फलां काल अटेंशन और स्थगन प्रस्ताव है उसके लिये आप सीमा निर्धारित कर दीजिये, जैसे पार्लियामेंट में समय की सीमा है कि इतने दिनों में जवाब आ जायेगा। एक तो इस पर हम व्यवस्था चाहते हैं और एक जब हम बोलते हैं तो बहुमत के आधार पर सत्तारूढ़ दल के सदस्य टोका-टोकी करते हैं और आप मुस्करा कर टाल देते हैं। कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उधर बैठने वाले आवेश में आ जाते हैं और x x x। कल की घटना है मंत्री महोदय बीच में बोल रहे थे x x x भरे शब्दों में बोले, हम कोई बात उठाते हैं तो टोका-टोकी के साथ दबा देते हैं आप भी हमें दबा देते हैं। हालांकि आपकी भावना तो वैसी नहीं होती है लेकिन आवेश में आकर आप उस रास्ते पर चले जाते हैं, तो इन दो विषयों पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं निवेदन कर

x x x शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दूं । माननीय श्री नाथूसिंह जी ने जो एतराज उठाया है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पूर्व में एक वक्तव्य रोजाना हुआ करता था । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी आपके सम्मुख, विरोधी दल के नेता भी थे, यह तय हुआ था कि एक वक्तव्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर और बहुत ही इम्पोर्टेन्ट हुए तो मिनिस्टर के वक्तव्य होंगे । लेकिन पिछले दिनों में लगातार आपकी महरबानी से, और चूंकि माननीय सदस्य चाहते हैं, आज दो वक्तव्य हैं और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, इन तीनों पर पर ही, आप देख लेना कि चार बज जायेंगे । डिबेट कब शुरू हो, इन बातों का भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा । इसलिए मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि जैसा कि पूर्व में तय किया गया था, आप अगर आवश्यक समझें तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो रखा गया है, को आप रख दें और उसके बाद मे जिस किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत करनी हो, तो चूंकि यह जनरल डिबेट है बजट में भी आप अपनी सारी बातें कह सकते हैं और आप शिकायत भी कर सकते हैं, इसलिए एक तो निवेदन मेरा यह था ।

दूसरा, उन्होंने यह कहा कि हां पक्ष के माननीय सदस्य x x x में हमें विश्वास नहीं है, हम तो गांधीवादी लोग हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, कृपया नियमों का ध्यान रखें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज़ ।

श्री रतनाराम चौधरी : xxx तो 77 में आप देते थे, हमारी सरकार ने कभी xxx नहीं दी और न xxx देने की इच्छा रखते हैं । xxx तो आप लोग देते थे ।

एक माननीय सदस्य: ये गांधीवादी नहीं इन्दिरा गांधीवादी हैं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय नाथूसिंह जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उसमें दो मुद्दे सदन के समक्ष प्रस्तुत किये । पहला मुद्दा यह कि स्थगन प्रस्तावों पर जितनी जल्दी सरकार की जानकारी आनी चाहिये उतनी जल्दी आती नहीं है और फिर कुछ समय के बाद वे महत्वहीन हो जाते हैं । और दूसरा यह कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत देरी से आते हैं । ध्यानाकर्षण में अपने नियमों में प्रावधान यह है कि एक दिन में एक लिया जाय, और यह भी माननीय सदस्य जानते हैं कि एक रोज में कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगत प्रस्ताव आते होंगे और जिन स्थगन प्रस्तावों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को आप समझते हैं, जिसमें काफी देर से उत्तर आते हैं, देर से उत्तर आने के पश्चात भी जिनको हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार इस मायने में कि यदि स्थगन प्रस्तावों के ऊपर मन्त्रीजी से वक्तव्य दिलाते हैं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है तो आपको ध्यानाकर्षण करने का अवसर देते हैं । उनमें भी पूर्व

---

x x x अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री अध्यक्ष)

वर्तिता निश्चित करना हमारे लिये कठिन हो जाता है। इसलिए इसमें भी कोई निश्चित पूर्वाग्रह हो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सदन के विविध पक्षों के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाने को तैयार हूं। होगा तो एक स्थगन प्रस्ताव और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमों के अनुसार, स्थगन प्रस्ताव चूंकि ज्यादा आ जाते हैं इसलिए एक के बजाय दो भी रख सकते हैं तो यह कठिनाई वास्तविक कठिनाई है। और ऐसा हो नहीं, सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी पिछले दस वर्षों के अन्दर, कितने जवाब आये हैं सरकार की ओर से, कितने पहले आते थे, पहले के मुकाबले में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव भी अत्यधिक आते हैं। और प्रश्न पूरे सत्र के लिए हैं। एक समय था, जब पूरे सत्र के लिए और सत्र भी काफी लम्बे होते थे ...

श्री यदुनाथसिंह (नदबई): हालात खराब हो गये हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: चार सौ, पांच सौ और 6 सौ आते थे, अब जो प्रश्न हैं वे 5 हजार की सीमा तो लांघ गये हैं, उससे भी ज्यादा हैं, मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि आपके हितों की रक्षा हो, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है। माननीय सदस्य, बहुत से स्थगन प्रस्ताव हैं जिन पर मैं वक्तव्य दिलाना चाहता हूं, और आये हुए पड़े हैं। लेकिन आज जो स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दिलाने की अगर मैं कोशिश करता हूं तो जल्दी से जल्दी एक सप्ताह बाद मे वह आ सकते हैं। आप कहेंगे, आज इसको लो, तो जिसको आज के लिए फिक्स किया हुआ है उसको सात दिन में लावें, यह नहीं हो सकता कि रोज के पांच-सात, जितने स्थगन प्रस्ताव आते हैं उसके आधे को या तीसरे हिस्से को महत्वपूर्ण समझते हैं, हम समझते हैं, कोई न कोई जनहित का मामला है, महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार इस पर वक्तव्य दे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): पांच दिन बाद रिजेक्ट किये जाते हैं, पहले क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष: छोटी कामली है, पूरा ढकोगे तो पैर उघड़ जायेंगे। पहले रिजेक्ट कर देंगे तो उसकी भी कई समस्यायें खड़ी हो जायेंगी। हमारी जगह कभी बिराजने का आपको अवसर मिले तो आप भी ट्राई कर लेना, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन कोशिश हमेशा रहती है कि यदि मामला वास्तव में जनहित का है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको यथाशीघ्र लाने की कोशिश करते हैं। मेरी यही कोशिश है। माननीय सदस्यों से एतराज यही है कि 4-5 माननीय सदस्य एक साथ नहीं बोलें। सदैव मैं निवेदन करता रहता हूं। स्थगन प्रस्तावों पर जब व्यवस्था दूं तो ध्यानपूर्वक सुनें, जिनके बारे में जो मैंने व्यवस्था दे दी है उसके बारे में फिर आप जानकारी चाहें या उसके बारे में औचित्य के प्रश्न को फिर आप सदन के समक्ष लावें, यह मेरे लिए कठिन हो जायगा। चार-पांच सदस्य बोलें, आधे घंटे का समय, लगभग पांच मिनट व्यवस्था के उसमें, चार-पांच माननीय सदस्य बोलें, मैं उसको व्यर्थ तो नहीं कह सकता, सदन की कार्यवाही अच्छे उद्देश्यों के लिये होती है, इसमें भी कोई हित छुपा हुआ होगा मैं तो यही मानकर चलता हूं। इसलिए अपना

(श्री अध्यक्ष)

काफी समय चला जाता है। यदि आप सहयोग करें तो मैं समझता हूं, मैं इस स्थिति में हूं कि काम को ज्यादा से ज्यादा निपटाया जा सकता है और अधिक से अधिक महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आ सकते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं, ये कठिनाइयां हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है, खेतड़ी के प्रश्न पर मुझे बताया गया है, कोई फैसला हुआ है, जो लोग वहां बैठे हैं, गरीब आदमी हैं, उनके बाद में परिस्थितियां कठिन आई हैं, तो क्या हम समझते नहीं हैं! इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, यदि गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है तो आधी रात को भी यदि हम किसी तरह मददगार हो सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिये। और कोशिश करते भी हैं। इसलिए अब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अब इस पर चर्चा नहीं उठावें।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : प्रश्नों के बारे में आप नहीं करोगे तो कौन ? करेगा आपने सीमा बांध दी, स्टाफ की कमी है तो सरकार से और स्टाफ लो।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूरी रामायण पढ़ दी। प्रश्नों के बारे में मैं क्या कर सकता हूं? जितने प्रश्न आ सकते हैं उतने ही आवेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : कौन करेगा तो आखिर ? एक तरफ तो सीमा बांध दी कि आठ से ज्यादा प्रश्न नहीं ले सकते, स्टाफ की कमी है तो सरकार को स्टाफ के लिये·······

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप विषयान्तर हो रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री लच्छूराम

(व्यवधान)

इस समस्या का मैं यहां तो कोई हल नहीं निकाल सकता। आप चाहें तो इसके बारे में अच्छा तो यह होगा कि अलग–अलग पार्टियों के नेता महोदय से अथवा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार किया जा सकता है। अपने–अपने दलों के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करके कोई रास्ता बतावें तो हम उस पर चलने को तैयार हैं।

धार्मिक ग्रन्थों का मुहावरों में प्रयोग

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था का प्रश्न है मेरा, अध्यक्ष महोदय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, पहले श्री लच्छूराम !

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनें। मैं जिस सन्दर्भ में कहना चाहती हूं, पहले मेरी सुन लें। मेरी बात पर व्यवस्था दें, फिर मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है आपका ?

श्रीमती उजला अरोड़ा: आपकी किसी बात को मुझे दोहराना नहीं चाहिये। कल

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

भी और आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथ को लेकर जिस तरह रामायण का उल्लेख किया गया यह कोई अच्छी बात नहीं थी, इस तरह से किया जाना मेरी नजर में आपत्तिजनक है। इस तरह से रामायण का उल्लेख जो एक धार्मिक ग्रंथ है जिसकी लगभग हम पूजा करते हैं, निष्ठा रखते हैं, उसके आदर्शों पर चलना चाहते हैं इस विवाद के विषय में रामायण का उल्लेख करना अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : भविष्य में इसका जिक्र न किया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह लोकोक्ति है कि रात भर तो रामायण का पाठ किया, कहानी सुनी सुबह किसी श्रोता ने कहा साहब यह राम कौन थे रावण कौन थे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि मैं इतनी बात कहूं उसके बाद फिर वही प्रश्न उपस्थित हो तो मैंने उसका उदाहरण स्वरूप पेश किया था, उसमें न तो कोई अनादर की भावना थी, न कोई अनादर कर सकता है, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री लच्छूराम (नण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले के खेतड़ी के बारे में जो माननीय भैरूलाल ने जिक्र उठाया था, मैं लगातार, जबसे सैशन हुआ उसमें स्थगन प्रस्ताव के रूप में झुंझुनू जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इस संबंध में मैंने पहले विद्यार्थी के माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : अब फिर इसमें भाषण नहीं। आप जानते हैं कि इस बारे में मैंने जानकारी चाही है, मैं स्वयं चिंतित हूं जल्दी से जल्दी इसकी जानकारी मंगायेंगे, इससे ज्यादा क्या अर्ज कर सकता हूं?

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि ..

श्री अध्यक्ष : आप भाषण देना चाहते हैं

श्री लच्छूराम : भाषण नहीं देना चाहता। मैं लगातार तीन स्थगन प्रस्ताव इस संबंध में दे चुका हूं कि झुंझुनू जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, पुलिस ने प्रशासन ठप्प करने के लिए ...

श्री अध्यक्ष : यह कोई अवसर नहीं, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथसिंह : मंत्री महोदय सो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें, कार्यवाही चालू की जानी है

एक माननीय सदस्य : मैं जानना चाहता हूं कि झुंझुनू जिले के अंदर ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें,

श्री लच्छूराम : उन लोगों के साथ.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे बहुत दुख है, सदन की कार्यवाही को आप लाइट तरीके से ले रहे हैं। अफसोस की बात है।

(श्री अध्यक्ष)

जो सीरियस मैटर्स हैं, वे डिस्कस किये जाते हैं। माननीय सदस्य, समय जा रहा है।

श्री हंसराज शर्मा !

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ....

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त होगा।

श्री हंसराज शर्मा : सवाई माधोपुर में बिजली के खंभे से एक आदमी की मृत्यु बड़ी गंभीर रूप से हो गई। उसके संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सवाई माधोपुर फैक्ट्री जब बनाई गई थी उस समय सीमेंट फैक्ट्री ...

श्री अध्यक्ष : यह जो प्रकरण हुआ उसके बारे में यही कहिये। सीमेंट फैक्ट्री तो पहले बनी है। संक्षेप में।

श्री हंसराज शर्मा : उसी संदर्भ में कहूंगा। जब सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में पानी लाने के लिए बनास नदी पर लाइन डाली थी उस समय छोटी बिजली की लाइन डाली थी, वह बिल्कुल गल चुकी है और उसके खंभे नीचे से समाप्त हो गये हैं। तारीख 8-2-81 को कुछ डाकुओं द्वारा, चोरों द्वारा उन बिजली के वायरों को काटा गया और काटकर ले गये उसी रात को वहां सीमेंट फैक्ट्री के दो कर्मचारी जो बिजली विभाग में काम करते थे, रात को लाइन ठीक करने गये, ज्यों ही खंभे पर वे चढ़े, लाइन ठीक कर रहे थे। क्योंकि खंभा पहले से ही टूटा हुआ था और उसकी अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट कर रखी थी कि खंभे टूटे हुये हैं, रात को बिजली तैयार नहीं हो सकती लेकिन साढे तीन बजे वहां के मेनेजमेंट ने जबर्दस्ती उनको भेजा और ज्यों ही पोल पर चढ़े, पोल टूट गया जब पोल टूटा वह नीचे गिरा तो रामचंद्र नामका खटीक जिसकी 35 वर्ष के करीब उम्र थी, गिरते ही ओन दी स्पाट मर गया। दूसरा जो, नानकराम मीणा था जिसकी उम्र 35 साल थी उसके हाथ पैर टूट गये उसके बाद फैक्ट्री की वहां गाड़ी पहुंची और उनको तुरन्त लेकर सवाई माधोपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : और तुरन्त बाद आन दी स्पाट मरा था जिसको डेड घोषित किया गया था उसमें जो कुछ सांस थी, डॉक्टर उसे बचाने के लिये प्रयास करते रहे, सब तरह की व्यवस्था करने के बाद भी वह नहीं बच सका और वह 5 बजकर 16 मिनट पर मर गया.....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये; माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : एक मिनट। 5 बजकर 15 मिनट पर मर गया। उसको वापस संभला दिया गया और उसके बाद में फैक्ट्री के अधिकारियों ने पुलिस को कोई सूचना नही दी। इसलिये दुर्भाग्य की बात यह है, बीमें वालों ने कहा अगर इस बोडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो बीमें का पैसा नहीं मिलेगा तो 5॥ बजे जिस व्यक्ति को 3॥ बजे अस्पताल में भर्ती कराया और 5 बजकर 10 मिनट पर मर गया, 5॥ बजे पुलिस को सूचना दी, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। इस प्रकार पूर्व में भी सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करने वाले कर्मचारी है वे इस

Page No 56

(56)

(श्री हंसराज शर्मा)

प्रकार मर जाते हैं और बीजली से मर जाते हैं। मेनेजमेंट के लोग रिपोर्ट नहीं करते है और केसेज को दबा देते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी जांच कराई जाय, उसके परिवार को सम्पूर्ण मुआवजा दिलाया जाय। जिन अधिकारियों ने पोस्टमार्टम होने से पहले....

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा: उनके खिलाफ जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री चुन्नीलाल ने भी इसमें स्थगन प्रस्ताव दिया है, यदि कोई नई बात हो तो वे फरमा सकते हैं। सर्वश्री हाजी चावखां, उम्मेदसिंह, त्रिलोकसिंह, लच्छूराम हजारीलाल शर्मा, मेघराज तावड़ ने आरक्षण विरोधी मामला उठाया है जिसको मैंने अस्वीकार किया है।

श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा....

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): आरक्षण के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में मेरा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि सबकी इच्छा यही है कि जो गुजरात में हो रहा है राजस्थान उसके प्रभाव में न आये विधान सभा में यदि इस बात को महत्व दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान में चर्चा का विषय बन जायगा। इसलिये उचित यही होगा कि इस संबंध में आप चर्चा न करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा....

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर): मेरा प्रस्ताव है, मुझे कहने....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल: सदन इस विषय में एक मत है कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन राजस्थान और देश के लिये अहितकर है। सदन में यदि इस विषय पर चर्चा होती है, मैं समझता हूं, सभी माननीय सदस्य, इस पक्ष के है कि जो कुछ गुजरात में हो रहा है वह देश के लिये घातक है और यह राजस्थान में प्रारम्भ न हो इसके लिए सभी सदस्य एकमत होकर इस विषय पर विचार करते हैं तो देश के लिए हितकर ही होगा।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया, इस विषय पर चर्चा न की जाय। मेरा निवेदन है कि एक बात उठी है और जब बात उठी है तो चर्चा करें या न करें लेकिन मुद्दे उठे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह सदन-सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष सभी सदस्य मिलकर, इस तरह के प्रयत्न अभी से प्रारम्भ करते हैं कि जो दुष्प्रवृति प्रारम्भ हुई है, वह दुष्प्रवृति समाप्त हो जाय और इसको किसी तरह से प्रोत्साहन न मिले। तो मेरा निवेदन है कि, अध्यक्ष महोदय, वह ज्यादा उचित स्थिति होगी बजाय इसके कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो, अनेकों अनेक भावनायें पैदा हो रही हैं देश में, और कहीं अधिक सीमा तक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही

Page No 57

(57)

(श्री कैलाश मेघवाल)

है इसलिए आपके द्वारा मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दुष्प्रवृत्ति आरम्भ हुई है इस दुष्प्रवृत्ति पर तुरन्त नियंत्रण पाया जाय। इसके लिए वह अपने प्रशासन को भी सचेत करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : अपने सत्तादल को सचेत करें और सभी एम. एल. एज. भी साथ बैठकर एक निश्चित संकल्प की घोषणा करें कि इस विषय पर सारा राजस्थान जिसका प्रतिनिधि यह सदन है, एक है और जिस तरह से वर्ग संघर्ष की बात हो रही है या गरीबों के हितों के विरुद्ध बात हो रही है उस के खिलाफ किसी तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं की जायगी और उससे निपटा जायगा, यही मैं चाहता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री से कि यह अहम मसला है, बांदीकुई में हो चुका है, आपके माननीय सांसद का घेराव हो चुका है, रामगढ़ में भी आपके सांसद का घेराव हो चुका है, इस विषय पर हड़तालें हुई हैं, गोली तक चली हैं, लाठी चार्ज हुआ है.... ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी भावना को समझ गये।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा निवेदन है कि आपने जो सम्मति दी ......

श्री अध्यक्ष : मेरे पास और कोई चारा नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है वे चाहें तो बोल लें। मैंने अपना मत व्यक्त कर दिया मैं इसको सीमित करना चाहता था लेकिन यह बड़ा गम्भीर रूप धारण कर रहा है। श्री हाजी चाव खां कुछ कहना चाहें दो मिनट के लिए ......

(व्यवधान)

आपका सुझाव बिलकुल ठीक था लेकिन न तो यह विचारणीय विषय है...

श्री कैलाश मेघवाल : शासक दल की ओर से संकल्प आये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : इसके प्रयत्न किये जायें। अलग-अलग और ऐसा प्रयत्न होगा तो वह स्वागत योग्य होगा, आर्डर प्लीज, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा निवेदन सुन लीजिए एक मिनट मैं इसलिए बात उठाना चाहता हूं, आपको शायद वह बात जचेगी... मेरा निवेदन सुन लीजिए एक मिनट

श्री अध्यक्ष : आप किसी अन्य तरीके से कोशिश कीजिये। माननीय सदस्य यहां भाषण नहीं होंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं वह आपको जचेगा। जैसी कि सदन की परम्परा है कि जिन स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिये जाते है उन पर आप बोलने की इजाजत देते हैं लेकिन इसकी चर्चा करने से इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है यह बहुत ही गम्भीर समस्या है इसलिये मुख्य मन्त्रीजी को आगे आकर इस विषय में सदन को विश्वास में लेकर एक संकल्प पास करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। इस पर भाषण नहीं होगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं नहीं चाहता था कि इस विषय पर चर्चा हो। जब चर्चा शुरू हो ही गयी है जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है...

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, सर्वश्री हाजी चावखां, उम्मेदसिंह, त्रिलोकसिंह, लच्छूराम मेघराज तावड़ सभी माननीय सदस्य दो-दो मिनट बोल लें। इसमें किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी और कोई रिपीटीशन नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव देना चाहता हूं। आप एक मिनट सुनिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : मैं आपके समर्थन में ही बोल रहा हूं, सुझाव के रूप में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। यों तो हर एक सदस्य सुझाव देता रहेगा। एक घन्टा हो गया है, कभी कोई सुझाव दे रहा है, कभी कोई।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, कोई सुझाव नहीं। पूर्व निर्धारित कार्यवाही के अनुसार। श्री हाजी चावखां। संक्षेप में, ज्यादा नहीं।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो ज्यादा बोलता ही नहीं। लगता है, जिनको ज्यादा बोलना आता है वह ज्यादा समय लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो गुजरात में आन्दोलन चल रहा है उसके लिये हम यह चाहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस प्रकार का आन्दोलन हमारे राजस्थान में फैल जाये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सन् 52 से लेकर आज तक कई मुख्य मन्त्री हुए पर हमारे यहां पर इस प्रकार का कोई आन्दोलन नहीं, न कोई झगड़ा फसाद ही यहां पर हुआ। अभी हमारे मौजूदा मुख्य मन्त्री जी ने भी इस विषय में बड़ी कामयाबी से काम किया जिससे कि हमारे राजस्थान में एक भी जगह इस प्रकार के झगड़े व फसाद नहीं होने दिये। लेकिन हम यह चाहते हैं कि आरक्षण से गरीब लोगों को, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिलना चाहिये। उनको मुलाजिमात उनको मिले व उनके बच्चों को शिक्षा के मामले में हर तरह से सुविधा देनी चाहिये। उनको किताबें, फीस वगैरह कापी और दूसरी सुविधायें भी दी जायें। लेकिन यह बड़ा अन्याय है कि एक बच्चा इम्तहान में बैठता है और एक बच्चा तो 80 प्रतिशत नम्बर लाता है और दूसरा 60 प्रतिशत नम्बर लाता है इस प्रकार का बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 60 प्रतिशत नम्बर वाले व्यक्ति को 80 प्रतिशत नम्बर वाले व्यक्ति पर प्राथमिकता देना अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री त्रिलोकसिंह।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो गुजरात में एक तूफान और आग लग गई है, यह आग शुरू हुई है वह राजस्थान में भी, विशेष तौर से दक्षिणी राजस्थान में फैलना शुरू हो गई है। यह तमाम जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। इस कांग्रेस पार्टी ने जो कि सत्ता पक्ष में हैं इन दो तबकों को, जिसमें मुसलमान और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना बना×××लिया है। जब यह दोनों वर्ग अपनी रोटी-रोजी की आवाज उठाते हैं तब-तब यह कांग्रेसी हुकूमत झगड़ा फसाद करवाती है, इस गरीब वर्ग के लोगों को मरवाती है और उन्हें बरबाद करवाती है। आज हमारे देश में इतने लम्बे अर्से से, पिछले 33 साल में देश में इस तरह से कभी नहीं हुआ। ये लोग हमारे देश के बाशिन्दे हैं। जब भी इन लोगों ने अपनी रोटी-रोजी के लिये आवाज उठाई है उसी वक्त यह कांग्रेस की सरकार उन लोगों को बुरी तरह से बरबाद करती हैं, उनको जगह-जगह कत्ल करवाती है। यह एक मामला नहीं है, यह कोई गाजियाबाद या अहमदाबाद का मामला नहीं है। हमेशा से ही मुसलमानों और हरिजनों को दबाने के लिए सत्ता पक्ष वाले इस तरह का हथियार इस्तेमाल करते हैं। यह अपनी ताकत से इन लोगों को दबाना चाहते हैं। नहीं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह झगड़े दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं होते? क्यों नहीं, यह हमारे पड़ोस के मुल्कों में होते हैं? आज हमारे पड़ोस के मुल्कों में, जो कि मुस्लिम देश हैं, नहीं होते हैं और न ही यह झगड़े कम्युनिस्ट देशों में होते हैं। तो फिर यह हमारे हिन्दुस्तान में ही क्यों होते हैं? यह कांग्रेस पार्टी हरिजनों और मुसलमानों को अपनी×× समझती है अपनी ××समझती है और उन्हें ×××से बाहर नहीं जाने देना चाहती। आज गुजरात में यह क्यों हुआ वहां गरीब हरिजनों की बस्तियों को जला डाला गया है, वहां पर बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह तो बहुत आसान मामला है इसमें इतने लोगों का कत्ल क्यों? वह लोग, मजदूर लोग अपनी मांग को लेकर जाते हैं। तो उन लोगों को गोलियों से भूना जाता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री त्रिलोकसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और बोलना चाहूंगा, यह मेरी दरखास्त है। आज, अध्यक्ष महोदय, इस तरह की हवायें राजस्थान में शुरू हो गयी हैं और यह हमारे अमन को फूंक रही हैं। बराबर लोगों को बरबाद कर देगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लोग कहीं इस हुकुमत की साजिश में न आ जायें इसलिये मेरा निवेदन है कि इस हकूमत की साजिश के खिलाफ में एक होकर इस जलती हुई आग को खत्म करें जिससे कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के मामले को लेकर जिस तरह से गुजरात में आन्दोलन चल रहा है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी दो दिन पहले मैं बीकानेर और चूरू गया था। वहां पर अनायास ही कुछ विद्यार्थी मुझे देखकर मेरे से मिलने के लिये आये। उनकी बातों से मुझे

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री लच्छूराम)

ऐसा पता चला कि वहां विद्यार्थियों में गुजरात के आरक्षण विरोधी आन्दोलन के प्रति सहानुभूति है। इसलिये हमारा कर्त्तव्य है कि समय से पहले हम इस विपत्ति का इन्तजाम करें। अगर हमने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि इसके भयंकर परिणाम होंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा दल आरक्षण के पक्ष में पूर्णरूप से है। और हम पुरजोर तरीके से सरकार की इस मामले में इमदाद करेंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है, यह आन्दोलन अभी तक यहां पर पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। मुझे भय है कि यह शुरू होने वाला ही है क्योंकि अभी जयपुर के मेडिकल कालेज के छात्र, बीकानेर के मेडिकल कालेज के छात्र और उदयपुर व जोधपुर के मेडिकल कालेज के छात्र आपस में इस सन्दर्भ में बातचीत कर रहे हैं। गुजरात के मेडिकल कालेज के छात्र भी यहां आये हुए हैं, परसों जब मैं बीकानेर गया और चूरू में मैं होस्टल में रहा था, वहां पर इस सिलसिले में विद्यार्थियों से बात सुनी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो मैं समझता हूं काफी दिक्कत आने वाली है, मैं कोई प्रचार के रूप में भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं इतना कहना वाजिब समझता हूं कि आरक्षण के विरध में कालेज के विद्यार्थी लोग हो रहे हैं और समय रहते इसका कोई सोल्यूशन या इसका कोई चैक नहीं निकाला गया तो मैं समझता हूं कि यह आग हमारे यहां पर भी लग जायेगी और इसमें लोग बच्चों को शामिल कर लेंगे। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस तरफ तुरन्त कार्यवाही करें जिससे कि इस प्रकार का आन्दोलन यहां नहीं चले। इस प्रकार के आन्दोलन से अगर हमें सख्ती से भी निपटना पड़े तो निपटना चाहिये। आज एक तरफ तो हम यह नारा देते हैं ..

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह नारा देते हैं, हम अन्त्योदय का, यानि जो अंत के लोग हैं, नीचे से नीचे के लोग है उन्हें हम ऊपर उठाने की बात करते है दूसरी तरफ इस सन्दर्भ में इस प्रकार के हालत हो रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी से कि अगर समय रहते आपने इसका इन्तजाम नहीं किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे, वह नहीं होने दें और इसका इन्तजाम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीलाल।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है कि गुजरात मे एक मेडिकल कालेज की सीट को ले कर वहां पर झगड़ा शुरू हुआ वह अब पूरे गुजरात में आरक्षण के विरुद्ध शुरू हो चुका है। इसलिये जिस तरह आज गुजरात आग में धधक रहा है उसी तरह से कहीं राजस्थान में यह आग नहीं शुरू हो जावे। अभी गुजरात के कुछ लोग जो आये थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि गुजरात में बहुत हालत खराब है जो अखबारों में आती है वह तो बहुत ही कम आती है वहा पर गरीब हरिजनों को कत्ल किया जा रहा है और उनके घरों को जलाया जा रहा

(श्री मेघराज तावड़)

है और इस तरह की समस्या वहां बनी हुई है। इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आरक्षण विरोधी मामला आबू और सिरोही में भी शुरू हो गया है। अभी जब मैं उदयपुर गया था तो वहां पर मुझे कुछ लोग आकर मिले थे। उन्होंने यह कहा कि गुजरात से मेडिकल कालेज के छात्र यहां पर आये हैं, उन्होंने यहां के मेडिकल कालेज छात्रों की मीटिंग भी की है, वह लोग यहां पर आन्दोलन करने वाले हैं, और सारे राजस्थान में आन्दोलन फैलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, एक जाति विशेष और वर्ग विशेष के खिलाफ में साम्प्रदायिक तत्व इस आन्दोलन को चला रहे हैं। यह साम्प्रदायिक तत्व अन्डरग्राउन्ड काम कर रहे हैं और आरक्षण विरोधी आन्दोलन को भड़का रहे हैं इसलिए मैं सरकार को यह कह देना चाहता हूं कि इस आन्दोलन को करने वालों के खिलाफ सतर्कता से काम लिया जाना चाहिये और सी० आई० डी० से काम लेकर उन तत्वों को दबाने की कार्यवाही की जानी चाहिये। नहीं तो यह आन्दोलन राजस्थान में फैलेगा और राजस्थान में गरीब तबके के लोग, हरिजन और आदिवासियों के बच्चों का कत्ले आम करेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये।

श्री मेघराज तावड़: इसलिये मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इसके लिये क्या करने जा रही है? मैं चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार अपना वक्तव्य दे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूसिंह सदस्य-जिला बीकानेर में मौजूसर ग्राम की एक नव विवाहिता को षडयंत्रपूर्वक मार देने के विषय में।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, उसमें पहला नम्बर मेरा है।

श्री अध्यक्ष: किस में, आरक्षण वाले में?

श्री गोपाल पचेरवाल: जी हां, दो मिनट साहब। मैं आरक्षण में आता हूं, इसलिए मुझे दो मिनट का समय दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहा था और स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी कि सरकार का नीति संबंधी मामला है। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विचार जानने से पहले सरकार अपनी नीति स्पष्ट करती कि आरक्षण के मामले में सरकार की क्या नीति है।

श्री अध्यक्ष: यह तो जानीमानी नीति है।

श्री गोपाल पचेरवाल: नहीं, साहब, अध्यक्ष महोदय, यह हम मानते हैं कि सरकार की जानीमानी नीति है और सरकार उसकी पक्षधर है लेकिन शंका पैदा होने लग गयी। इसलिए वह आरक्षण के मामले में पार्लियामेंट में जो घटना घटी आरक्षण के मुद्दे को लेकर उस घटना को लेकर हिन्दुस्तान का सारा पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग, गांधी व व्यावसायिक वर्ग आज चिन्तित है और पार्लियामेंट में जो गांधीवाद को लेकर वोट की राजनीति चलाते आए हैं गांधी जी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

के नाम पर और गांधी जी की समाधि पर शपथ लेकर जो राज करने की बात करते हैं वह लोग अगर पार्लियामेन्ट में इसी मुद्दे को उठाते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, इसी पार्टी के समर्थक उसी विचारधारा के समर्थक और गांधी जी के पुजारी कहलाने वाले और गांधी जी की समाधि पर शपथ लेने वाले लोग उस बात को दबाने के लिए हीरालाल परमार का मुंह दबा दें, उसको मुक्कों से मारें ! इस मुद्दे को लेकर आज हिन्दुस्तान का सारा हरिजन वर्ग, सारा दलित और शोषित वर्ग खतरा महसूस करने लगा है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन है और उसके वर्ग के प्रति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ यह षड़यंत्र हिन्दुस्तान में जारी हो गया है। जिस प्रकार की गुजरात में आग धधक रही है उसी प्रकार की राजस्थान में भी ज्वाला धधक उठी है । इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बतायें कि आप की सरकार क्या चाहती है । आज जालोर और जोधपुर में यह मामला शुरू हो गया है........ ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इस पर आपको डिबेट रखनी चाहिए कि सरकार की क्या नीति है ।

श्री अध्यक्ष : डिबेट के लिए कोई प्रस्ताव नही आया है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं प्रस्ताव मूव कर दूं ?

श्री अध्यक्ष : इस तरह जुबानी प्रस्ताव कैसे मूव कर दोगे, समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जी हमें आश्वस्त कर दें कि राजस्थान में आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहे हैं उसके लिए आप क्या सख्ती से प्रयोग कर रहे हैं। यह आप हमको आश्वासन दे दो। क्या आप इसमें सक्षम हैं ? आपका मन इसमें क्या कहता है ? आपकी सरकार की नीति क्या कहती है ? बीच में एक शंका और है, अगर सरकार इसमें कुछ भी नहीं कहती, पहाड़िया जी इसमें मौन रहते हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि केवल आप कांग्रेस पार्टी के लोग इस आन्दोलन को चलवा रहे हैं और इसलिए चलवा रहे हैं कि आरक्षण के विरोध में आन्दोलन चले ताकि हिन्दुस्तान का शिड्यूल्ड कास्ट का वर्ग इन्दिरागांधी और पहाड़ियाजी के साथ जुटा रहे। इस धमकी से कि हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमें संरक्षण नहीं मिलेगा और जो इसकी प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं वह हमको दबा देना चाहती हैं। केवल राजनैतिक लाभ लेने के लिये कांग्रेस के लोग इसमें अगुवाई कर रहे हैं । गुजरात के अखबारों में छपा है कि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्त्ता....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : कोई कांग्रेस के नेता अगुवाई नहीं कर रहे हैं । कांग्रेस की नीति इस पर बिलकुल साफ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । चर्चा का विषय नहीं होगा । कृपया समाप्त कीजिए।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

भाषण समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : एक मिनट।

मैं यह आरोप लगाता हूं सरकार पर कि वही इसको बढ़ावा दे रही है और वही चलवा रही है। मेरा आरोप गलत है तो सरकार ध्यान दे वरना मेरा आरोप सही है कि उसका नेतृत्व कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वह आन्दोलन करवा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : विरोधी दल के नेता बिलकुल XXX बोल रहे हैं। यह इनकी पुरानी आदत है। सदन को गुमराह कर रहे हैं। रैली में किसान स्वयं गये थे। जो डीजल उन्हें लेवी में मिला था, वही डीजल बसों को दिया गया है। परिवहन निगम की बसें जब किसान देहली लेकर चले गये तो फिर यात्री रह ही कहां गये थे। यात्रा तो अधिकतर किसान करते हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आर. एस. एस. के लोग वहां पर आन्दोलन करवा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गोपाल पचेरवाल :-मेरा आरोप है आप जवाब दीजिये। आप खण्डन कीजिए।

(व्यवधान)

श्री श्री राम गोटेवाला : खण्डन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अगर यह गलत है तो ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह !

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

आपस में नहीं लड़े, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री नाथूसिंह !

श्री हीरालाल आर्य : मेरे भी हस्ताक्षर हैं इस स्थगन प्रस्ताव पर।

श्री अध्यक्ष : मेरी सूची में नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, श्री नाथूसिंह !

Page No 64

(६५)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनिट का समय दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, मेरी सूची में नहीं हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री गोपाल पचेरवाल : अनुसूचित जाति के माननीय सदस्य हैं, उनका प्रस्ताव है आप बोलने नहीं देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरी सहानुभूति है। अगर समय हुआ तो जरूर समय दूंगा।

(व्यवधान)

आप इस मसले को अन्य किसी तरीके से ला सकते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अन्य क्या तरीका है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हीरालाल आर्य : आरक्षण का मामला है।

श्री अध्यक्ष : इस बात पर चर्चा हो गयी है। सब को इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : मेरे हस्ताक्षर हैं साहब, प्रस्ताव पर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री नाथूसिंह !

श्री हीरालाल आर्य : मुझे कुछ समय दीजिए। नम्बर तीन पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। श्री हीरालाल आर्य !

लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं चूंकि काफी माननीय सदस्य बोल लिये हैं, इसलिए मैं आपको इस अवसर से वंचित नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक नम्र निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव पर दस दस्तखत आ जायें और यह भी सम्भव है कि 150 भी आ जायें तो क्या आसन के लिए जरूरी है कि सबको बोलने का अवसर दिया जाये ? यह कतई जरूरी नहीं है इसलिए जो आई कैच कर रही हैं उसी माननीय सदस्य को आइन्दा अवसर दूंगा। यह प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है कि दस, दस और पन्द्रह पन्द्रह सदस्य बोल लेते हैं और सामान्य वादविवाद में भी हिस्सा नहीं ले पाते हैं इसलिए आसन सोचेगा कि यह कुछ कन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनको अवसर दिया जावेगा आइन्दा

श्री हीरालाल आर्य : दो मिनट में

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने इस पर भी व्यवस्था दे दी कि बड़ा नाजुक प्रश्न है

Page No 65

(65)

श्री अध्यक्ष : मैं स्थिति को और स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपका नाम इसलिए नहीं था कि आपने आज के दो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये इसलिए क्योंकि एक माननीय सदस्य एक दिन में एक ही स्थगन प्रस्ताव दे सकते हैं इसलिए आपका सूची में नाम नहीं था। इस सूची में से अलग कर दिया अभी आपको समय दे दिया है आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री हीरालाल आर्य : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री कैलाससिंह राठोड : एक सदस्य एक ही स्थगन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सकता है। यदि दो स्थगन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो दोनों ही खारिज कर दिये जाने चाहिये। रूल यह कहता है कि एक ही स्थगन प्रस्ताव पर दस्तखत कर सकता है। रूल के हिसाब से स्थगन प्रस्ताव नहीं देता है तो दोनों स्थगन प्रस्ताव खारिज होने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य यह डिबेट का कौनसा तरीका है। कोई विषय आया बिना अनुमति के उस पर बहस हो गई।

श्री हीरालाल !

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का जो मामला चल रहा है बड़ा नाजुक है। आरक्षण अपने संविधान में इसलिए रखा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो गरीब लोग हैं वे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बड़े पिछड़े हुए हैं उनमें अशिक्षा और अज्ञानता है ...

श्री अध्यक्ष : भूमिका की बजाय कोई सार की बात हो तो कहिये।

श्री हीरालाल आर्य : जिस तरह से एक परिवार में कोई भी कमजोर भाई या बहिन होती है तो परिवार का हर आदमी चाहता है कि उसका विकास हो वह उन्नति करे और बलवान बने। अपना देश पूरा एक परिवार है इसमें अनुसूचित जाति और जन जाति के पिछड़े हुए लोग रहते हैं जिनकी अर्थ व्यवस्था खराब है, सामाजिक दृष्टि से बड़े पिछड़े हुए हैं इनके विकास के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी आवश्यक है, विशेष सुविधा देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जैसा वातावरण चल रहा है, अपने राजस्थान में भी सिरोही, जालौर और उदयपुर आदि में भी इस तरह की चर्चायें हुई हैं और जयपुर में भी मीटिंग्स हुई है। मेरा तो केवल इतना ही निवेदन है कि यह मानवीय प्रश्न है इसके खिलाफ यदि आन्दोलन हो तो ठीक नहीं। यदि जन जाति और अनुसूचित जाति को विशेष सुविधाएं देने के नाम पर कहीं आन्दोलन होता है तो संविधान की भावनाओं के विपरीत है। और इस तरह के आन्दोलन में सरकार को सभी विरोधी दल के नेताओं को भी अपने पक्ष में करके, बात करके, इस पर विचार करना चाहिये। दूसरा अगर कहीं आन्दोलन होता तो उसको दबाया जाना चाहिये। इतना ही निवेदन कर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह, जिला बीकानेर में मोजूसर ग्राम की एक नव विवाहिता भगवती को उसके सुसराल वालों द्वारा

(श्री अध्यक्ष)

षडयंत्र पूर्वक मार देने की घटना, के विषय में।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला, वैसे तो इस तरह के मामले मैं नहीं उठाता लेकिन........

(व्यवधान)

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह विशेष मामला है और जब इस की गहराई पर प्रकाश डालूं तो आपको यह महसूस .....

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखियेगा।

श्री नाथूसिंह : वास्तव में यह मामला बड़ा गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में आज आप पता कर लें, सरकार पता कर ले, जिलाधीश कार्यालय के सामने जनता का प्रदर्शन इसी मामले को लेकर हुआ। वहां के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने जनता प्रदर्शन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल हत्या का नहीं है या आत्म हत्या का नहीं है। इस मामले में जो नव-विवाहित एक लड़की थी, 17 वर्ष की जिसका नाम भगवती देवी था कुछ समय पहिले उसकी शादी हुई और चूंकि उस शादी में दहेज नहीं दिया गया था और दहेज नहीं देने के कारण उसके पति ने उसको जान से मार दिया और मारने के बाद, तीन दिन पश्चात् यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि उसने आत्महत्या की है और सिद्ध करने में, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पुलिस की मदद ली, डाक्टर की मदद ली। सरकारी तन्त्र ने उनको खुले रूप से समर्थन दिया। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और जैसे आपने व्यवस्था दे रखी थी मैं इस पर बोल रहा हूं। लेकिन वास्तव में इस गम्भीर मामले को देखते हुए सरकार को इसकी जानकारी करनी चाहिये और इस पर वक्तव्य देना चाहिये। हुआ यह है अध्यक्ष महोदय कि उस लड़की को उठाकर पहले मार दिया गया उसके सारे गहने उतार लिये और तीन दिन बाद जब उसकी लाश सड़ गई, एक कुआं जिसमें पानी नहीं था, मामूली कोई पानी था उस कुएं के ऊपर जाकर उस लाश को रख दिया गया। पुलिस को बुलाया गया, डाक्टर को वहां बुलाया गया और डाक्टर को पैसा देकर लिखवा लिया गया कि वास्तव में कोई इसके चोट नहीं है। उस समय कुएं से निकालना बताया गया है। उस समय न तो उसके कपड़े भीगे हुए थे, न उसके सिर में किसी तरह की चोट थी, न पांव में चोट थी। उसके शरीर में कोई गहने नहीं थे जो हमेशा पहना करती थी। तो अध्यक्ष महोदय, इस मामले को देखकर के तीन दिन बाद जब लाश सड़ गई, अब हत्या का मामला आत्म हत्या का बताया गया कि कुएं में जाकर गिर गई। मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, इस घटना को लेकर वहां की जनता में भारी रोष उत्पन्न हो गया है और वहां की जनता ने जिलाधीश को ज्ञापन दिया, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और आज 11 मार्च को वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं

(1.17 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं सरकार से केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक लड़की की दहेज न देने के कारण हत्या की गई और उस मामले को आत्महत्या का मामला

(श्री नाथूसिंह)

सिद्ध किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस लड़की की जिसकी हत्या हुई जिसमें उसका पति हनुमानमल, उसके पति के चाचा सम्मिलित हैं, उसकी सास सम्मिलित है। इसलिये मामला बड़ा गम्भीर है और इस मामले में एक लड़की का सवाल नहीं है, राजस्थान में बार-बार ऐसी वारदातें होती रहती हैं। कभी दहेज न देने के मामले में, किसी लड़की की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी लड़की की हत्या कर दी जाती है और उसको आत्महत्या सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय, उस लड़की द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। उस लड़की के पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर वहां एफ. आई. आर. दर्ज कराई है.....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उस एफ. आई. आर. की कापी मेरे पास है। मैं सरकार की मदद कर सकता हूं इस मामले में पूरे फैक्ट्स मेरे पास आये हैं सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह मामला आत्महत्या का नहीं है सरकार एक उच्च स्तरीय जांच करवाये। जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, दहेज न देने के मामले में हत्या की गई है और जो उसको आत्महत्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं उनके, खिलाफ आप कार्यवाही करें। उसकी जानकारी प्राप्त करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें, वरना, सभापति महोदय, दहेज विरोधी कानून तो हमने बना दिया

श्री सभापति : Observe time....

दो मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम न लें।

श्री नाथूसिंह : आप तो अध्यक्ष महोदय से भी सख्त हैं।

श्री सभापति : आलरेडी पांच मिनट हो चुके हैं।

श्री नाथूसिंह : यह दहेज का मामला है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं आगे दहेज के मामले में किसी लड़की की हत्या न हो, उसके प्राण न ले लिये जायें, इसलिये सरकार को आगाह करना चाहता हूं इस तरह की घटनायें होती रही हैं यह सरकार के माथे पर कलंक है बहुत बड़ा....

एक माननीय सदस्य : हमको न दहेज लेना है, न दहेज देना है।

श्री नाथूसिंह : सरकार को जांच करनी चाहिये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। दो तीन मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, वे इस मामले में यहां आश्वासन दें कि इसकी जांच करायेंगे, यदि गड़बड़ करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं इतना सा निवेदन करूंगा कि सरकार इस मामले में जानकारी प्राप्त करें और जानकारी प्राप्त करने के बाद यदि सन्तुष्ट हो जाय तो सदन में वक्तव्य दे या वहां जांच करवाए।

श्री सभापति : श्री मालाराम।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा !

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सरपंचों को अनियमित ढंग से निलम्बित जो किया गया, वह स्थगन प्रस्ताव मेरा अस्वीकार कर दिया गया है....

श्री सभापति : आपका नाम है नहीं। कार्य-सूची में नाम नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया !

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, उदयपुर जिले, जहां के इस, पंचायत विभाग के सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारे मंत्री भी हैं, को समय कम दिया है, इसलिये विस्तार में न जाकर कुल तथ्य आपके सामने रख रहा हूं । हमारे यहां एक सरपंच को 22-1-81 के दिन मंत्री महोदय ने अपने प्रेशर के द्वारा सस्पेन्ड कराया ए. डी. डी. ओ. को इत्तला दी कि यह सरपंच सस्पेन्ड होना चाहिये, मैं जब जाऊं तब मुझे सस्पेन्ड मिलना चाहिये । इसी आधार पर ए. डी. डी. ओ.

(व्यवधान)

आप सुन लीजिए। मेरे पास तथ्य हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह : सभापति महोदय, हमको इनसे आरक्षण मिलना चाहिये ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और इसके आधार पर रिखबदेव के सरपंच श्री सुन्दरलालजी मानावत, जो पहले जनता पार्टी का मंत्री था, खैरवाड़ा का और अब भारतीय जनता पार्टी का मंत्री भी है और वहां का सरपंच भी है के खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । इसमें लिखा है-उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके विरुद्ध इस कार्यालय में शिकायत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है । आपके विरुद्ध पुलिस से एफ. आई. आर. दर्ज होकर आई. पी. सी. की धारा 304, 202 एवं विस्फोटक एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार कर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरवाडा की अदालत में 5000 रु. की जमानत पर रिहा किया गया। इस कार्यवाही से आपका आचरण संदिग्ध मान कर आप सरपंच पद के लिये अयोग्य माने जा सकते हैं।" यह स्पष्टीकरण मांगा था 4 तारीख को श्रीमन्, यह आरोप झूठा लगाया गया है। कुछ दिन बाद उसका कोर्ट का फैसला आ जायगा, उसकी खान में एक्सीडेन्ट हुआ और एक महिला की मृत्यु हो गई तो क्या उसके कारण एक सरपंच अयोग्य माना जा सकता है ? इस प्रकार के बेबुनियादी कारण बनाये गये हैं ।

मेरी मोटर साइकल से आदमी मर जाता है तो क्या मेरे को इस कानून के तहत हटाने के लिये नोटिस जारी कर सकते हैं। यह नोटिस इस बात का सबूत है कि उस डी. डी. ओ. के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है जल्दी-जल्दी में, वह यह भी भूल गया, कि ए. डी. डी. ओ. नोटिस की फोटोस्टेट कापी है मैं सदन की मेज पर रखूंगा । जल्दबाजी में बिना, इसमें उन्होंने जिलाधीश के स्थान पर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
बिना ए. डी. डी. ओ. किये उस पर दस्तखत करके जल्दी-जल्दी में भेज दिया उसके कारण लॉ डिपार्टमेन्ट को ......

(व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : राजनैतिक द्वेषता के आधार पर एक बेबुनियादी कारण बना कर सरपंच को सस्पेन्ड करने की कार्यवाही की जा रही है, और दूसरा, सभापति महोदय, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, आप स्वयं भी विद्वान हैं आप देखेंगे, कैसे-कैसे इस राज्य में कृत्य हो रहे हैं। 23-1-81 के दिन उनके यहां से नोटिस निकला, सरपंच के खिलाफ लगाये गये आरोपों का 10-2-81 तक स्पष्टीकरण देना है; यह विधिवत है और उसको स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। लेकिन, श्रीमन्, यह आदेश निकला 31-1 के दिन और दूसरा नोटिस देखकर आपको ताज्जुब होगा-इस सरकार की अकर्मण्यता का नमूना है, 21-1-81 का दूसरा आर्डर है, आप चाहें तो मैं नम्बर दे सकता हूं "जांच, पंचायत स. 80/उदयपुर, दिनांक 21-1-81 के अनुसरण में लेख है कि श्री पन्नालाल शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव, पचायत समिति बड़गांव, जिला उदयपुर के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच के सिलसिले में उनको राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1963 की धारा 17 (4) (अ) के तहत निलम्बित किया जाकर पंचायत की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया है।" मतलब 21-81 को निलम्बन आर्डर जारी कर दिया ......

(व्यवधान)

यह दूसरा सरपंच है, वह सरपंच रिखबदेव का था, यह सरपंच पन्नालाल शर्मा बड़गांव का है ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं मंत्री जी की कार्यवाहियों का जिक्र कर रहा हूं कि 23-1 को नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण मांगा गया उसके उपरान्त 31-1 के तहत उसको निलम्बित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, आप डिबेट अलाउ कर रहे हैं इस पर....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह मैं आपके योग्यतम मंत्री की अयोग्यतम कृतियों का नमूना पेश कर रहा हूं।

(व्यवधान)

मैं नियमों के तहत बोल रहा हूं। अगर किसी सरपंच ने गुनाह किया है तो आप जांच करें और जांच में दोषी पायें तो सजा दें, हमें कोई एतराज नहीं....

(व्यवधान)

मगर तरीके से, मुझे स्पष्टीकरण भी नहीं देने दिया गया और दूसरा आर्डर जारी कर दिया, 29-1 को ही सस्पेन्ड करने का

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उस सरपंच के कार्यालय का ताला तोड़कर दूसरे सरपंच को चार्ज दिलवा दिया गया। क्या यह घृणित कार्य नहीं है? मैं दावे के साथ कहता हूं, मंत्री जी को भी कहता हूं, अपने आदमियों को बचाया जाता है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बिना मतलब के बोले जा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपको जो भी कार्यवाही करनी है, वह करिये लेकिन नियमों और प्रावधानों को न तोड़िये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान पंचायत नियम में ऐसी व्यवस्था है, बिना मतलब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी को सस्पेन्ड करके उसको मौका दिया जाता है। यह बात सही नहीं है। एक्ट में ऐसा प्रोविजन है और जनता सरकार ने तो भीलवाड़ा जिले में लगभग

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : स्पष्टीकरण दें, उसके पहले ही निलम्बित कर दिया

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : बिना नोटिस दिये ही श्री दिग्विजय सिंह ने निलम्बित कर दिया था।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : इन्होंने तो लाखों के घोटाले किये, उनकी इन्क्वायरीज हो रही हैं। क्या मंत्री महोदय उनको सस्पेन्ड करेंगे?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैंने किसानों को इस सप्ताह पर्याप्त बिजली देने के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा था। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है, कई मामलों में पहले भी स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अन्य प्रश्न या अन्य चर्चा के अन्दर यह मुद्दा उठाया गया था और सदन के अन्दर व सदन के बाहर भी सरकार की ओर से, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से यह आश्वासन दिया गया और घोषणायें भी की गयी कि 6-6, 7-7 घण्टे तक बिजली किसानों को उपलब्ध करवायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये आश्वासन पूरे नहीं हो रहे, ये घोषणायें पूरी नहीं हो रहीं। आज मेरा स्थगन प्रस्ताव देने का एक मात्र उद्देश्य यह था कि 4-5 दिन में, माननीय सभापति महोदय, रबी की फसल चोपट होने को बढ़ी है अतः किसी भी तरह से मैं आपके माध्यम से सत्तारूढ़ दल का,

Page No 71

(71)

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का, आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों का जो यह पीरियड चल रहा है, वह क्रूसल, उसकी रबी की फसल खड़ी है, एक सिंचाई की उसको जरूरत है । अगर किसी भी तरह प्रयत्न करके पड़ोसी प्रदेशों से लेकर, किसी भी तरह मैनेज करके किसानों को एक सिंचाई के लिए बिजली दे दी जाती है तो मेरा विश्वास है, माननीय सभापति महोदय, लाखों टन अनाज पैदा होगा । यह इतनी बड़ी समस्या है कि जिसके लिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज इस बात की घोषणा करेंगे और आश्वासन भी देंगे कि जो आश्वासन उन्होंने सदन के बाहर दिये हैं और जो घोषणायें की हैं, उनका वह पूर्णतः, अक्षरशः पालन करें। मेरे इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं और यही मेरा निवेदन है कि यह जो एक हफ्ते का पीरियड है, वह क्रूसल है । जितनी ज्यादा बिजली किसानों को उपलब्ध करायी जायेगी उतना ही अधिक अनाज पैदा होगा, अन्यथा यह फसल चौपट होने की स्थिति में है । धन्यवाद ।

श्री सभापति : स्थगन प्रस्तावों की चर्चा समाप्त हुई ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है 26-2 का, मेरा निवेदन है । कोटा जिले में ....

श्री सभापति : आज वह नहीं रखा गया है । माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी : 26-2 को एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया था कि कोटा जिले में परीक्षाओं का बहिष्कार किया गया है । कल आसन के द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि इस पर सरकार जवाब देगी । परीक्षाएं अभी नहीं चल रहीं, 5 मार्च तक परीक्षायें समाप्त हो जाने वाली थीं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके आज के स्थगन प्रस्ताव की चर्चा राज्य सरकार द्वारा 18 मार्च को दी जायेगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रश्न चम्बल नदी के दोनों किनारों पर खादरों का समतलन व डाकुओं का उन्मूलन

स्थगन प्रस्तावों के बाद श्री श्री राज बहादुर जी ने नियम 295 के अन्तर्गत एक मसला कानून से सम्बन्धित उठाने की अनुमति चाही थी, वह दी गयी। श्री राज-बहादुर ।

(1.35 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, जो मसला मैं उठाना चाहता हूं, उनके सम्बन्ध में जो मैंने वक्तव्य लिखकर दिया, वह इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच में, कालपी तथा डटियाना में एक वार्ता इस उद्देश्य से होने जा रही है कि चम्बल नदी के दोनों किनारों पर लगे हुए खादरों को पचनंद परियोजना द्वारा एक बांध बनाकर पानी से भर दिया जाय और इस प्रकार एक ओर उन खादरों में आश्रय लेने वाले डाकुओं

(श्री राजबहादुर)

के गिरोह को, उनसे बाहर निकल जाने पर मजबूर कर दिया जाय और दूसरी ओर उन खादरों के नीचे दबी हुई भूमि को समतल बनाकर खेती और अन्य प्रकार के विकास के योग्य बना दिया जाय। इस विषय के उठाने का कारण स्पष्ट है और वह यह है कि बहुत गम्भीर रूप से चर्चा दोनों मुख्य मंत्रियों में चली है। हम भी जानते हैं कि हमारे कोटा जिले, सवाई माधोपुर जिले और धौलपुर उप जिलों, इन तीनों में जहां चम्बल बहती है और दूसरी नदियां हैं, वहां लाखों एकड़ भूमि खादर में दबी हुई है। हमारे यहां भी डाकुओं की समस्या है, हमारे यहां भी डाकू इन खादरों में, इन रेविन्स में आश्रय लेते हैं और डाके डालते हैं और जन जीवन को असुरक्षित किये हुए हैं। मैं सोचता था कि जब कभी ऐसे अन्तर्राज्यीय प्रश्न उठें, जहां हम भी सम्बन्धित हों, हमारे मुख्य मंत्री भी शामिल हों। इस वक्तव्य के द्वारा, इस जानकारी के द्वारा मैं यही आशा करता हूं, मैं यही अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जागरूक हों और यह सोच लें कि बिना कुछ इस सम्बन्ध में कोशिश किये कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत पुकारे हैं हम कि हमें गंगा-जमना का पानी मिले, बहुत हमने कोशिश की है कि हमारे आश्रय, हमारे जितने साधन हैं, हमें उपलब्ध कराये जायें। इसलिये यदि हमें शामिल नहीं किया जाता है तो जिस प्रकार से पचनद पर एक बांध बनाकर हम रेविन्स को भरना चाहते हैं, उसी प्रकार चम्बल पर भी एक बड़ा बांध बनाकर कर सकते हैं, इसमें शुरुआत करनी पड़ेगी, इस दिशा में चलना होगा, संकल्प करना होगा, कुछ सोचना होगा और साधन जुटाने होंगे। मैं आशा करता हूं कि खाली मेरी बात इस सदन की चारदीवारी तक नहीं रह जायेगी, बल्कि मुख्यमंत्री......

श्री अध्यक्ष : अखबारों में आयेगी।

श्री राजबहादुर : अखबारों के लिए, अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि आप मुझसे अगर यह बात कह रहे हैं तो मेरे साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने यह फरमाया कि सदन तक ही सीमित न रह जाय तो मैंने कहा कि अखबारों में भी आयेगी।

श्री राजबहादुर : ......यहां कही गयी आपने सुनी और आपने कुछ नहीं किया वह इस सदन में रह जाने के ही बराबर है। मेरा मतलब यही था कि अखबारों में आये या नहीं आये, आयेगी, ठीक है और आ भी चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो लोग कर रहे हैं, अखबारों के लिए कर रहे हैं लेकिन आप मुझसे यह आशा न कीजिए कि मैं अखबार के लिए बोलता हूं। मैंने आपसे कहा है कि लाखों एकड़ भूमि को सुधारने का है, उस पर विचार करने का सवाल है, राजस्थान का उद्धार करने का सवाल है और सुरक्षा को मजबूत करने वाला सवाल है। बहुत धन्यवाद।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। मुख्यमंत्री जी, यह गंगानगर शुगर मिल्स लि., जयपुर द्वारा एक प्रतिवेदन है।

श्री राजबहादुर : आपकी ही आवाज नहीं पहुंचती, मेरी कैसे पहुंचेगी, यही मैं कह रहा था, आपसे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (पंचायत राजमन्त्री) : श्री गंगानगर शुगर मिल्स लि. का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष: अनुमति दी जाती है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 78-79 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री सी. पी. जोशी, श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य विधान सभा जोधपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा माह अगस्त 80, में विभिन्न विभागों में सेवारत अस्थायी शिक्षकों को सेवामुक्त कर देने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न
सत्तापक्ष के सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को ही स्वीकृति

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ? अध्यक्ष महोदय, मैं आप से चैम्बर में मिला था और 11 मार्च को मेरा एक काल अटेंशन स्वीकार किया था। उसके पश्चात जब मैंने आज की कार्य सूची देखी तो, उसमें मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में था, ध्यानाकर्षण ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आ रहा हूं। उसमें मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने किसान रैली को लेकर, किसान रैली में बसों के दुरुपयोग को लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, प्रारम्भ में ही स्थगन प्रस्ताव दिया था और उस स्थगन प्रस्ताव को आपने पहले तो स्वीकार ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य, इस सम्बन्ध में कह रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : उसी सम्बन्ध में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उसमें आपका नाम नहीं है, फिर भी मैं अनुमति दे दूंगा—

श्री नाथूसिंह : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी इजाजत देने या नहीं देने का सवाल पैदा नहीं होता। यह व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुनिये कृपया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपस में बातें नहीं।

श्री नाथूसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और उस समय आपने अस्वीकार कर दिया था, दौबारा मैंने स्थगन प्रस्ताव उस पर दिया, उस समय आपने कहा कि ठीक है सरकार से जानकारी प्राप्त कर लूंगा। पहले तो सरकार की जानकारी में लाया गया या नहीं, मैं नहीं जानता, कितना समय लिया। उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद कहा कि सरकार की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं,। हमने कहा, आप कीजिये। मैंने उसी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया और आपने मुझे आश्वासन दिया कि 11 मार्च को मैं आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर दूंगा।

(श्री नाथूसिंह)

उसके पश्चात जब मैंने आज की कार्य-सूची देखी तो उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था जो मेरा न होकर और किसी माननीय सदस्य का था। मैं आपसे जो व्यवस्था चाहता हूं वह यह है कि दूसरे मंत्री महोदय इस विषय पर आज वक्तव्य देने वाले हैं, उसके बारे में आलरेडी दो स्थगन प्रस्ताव दिये थे उसमें भी कोई उल्लेख नहीं है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, कि सदन में जब कोई भी माननीय सदस्य कोई नई सूचना देता है या प्रस्ताव रखता है तो उस पर आपकी तरफ से जब एक बार व्यवस्था हो जाती है तो व्यवस्था होने के बाद दोबारा व्यवस्था नहीं दिलानी चाहिये। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे अनुभव होने लगा है, अध्यक्ष महोदय, आपने यह तय कर लिया है, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को समझ गया हूं। आपके व्यवस्था के प्रश्न को

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आपको सुन लिया, समझ लिया....

श्री नाथूसिंह : मेरा एक पाइन्ट बाकी है अभी। मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य मैंने आपको सुन लिया है। मेरा निवेदन सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप उसको सुन लें मैं यह चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय आपने जब से यह सदन चलाया है। व्यवस्था दें उससे पहले मेरी बात x x x

अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर. आर्डर। स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य... एक्सपंज आसन के विरुद्ध कहा जा रहा है। आर्डर प्लीज। यह नियम विरुद्ध है। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप पहले मेरी बात सुन लीजिये। आर्डर प्लीज आर्डर।

मैं नम्र निवेदन, यह कर रहा था कि प्रथम तो आसन किस तरह से बिजनेस को अरेंज करता है चलाता है उसके विरुद्ध कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जहां तक आपका सवाल है रैली के बारे में जहां तक मैं समझ पाया हूं, मेरे पास जो कार्य सूची है।

(व्यवधान)

सुनिये, मुझे पूरा करने दीजिये। जो कार्य सूची है उसमें निम्नांकित सदस्यों से विभिन्न प्रस्तावों के रूप में जो सूचना प्राप्त हुई थी। वह भी

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

भाग लेगें। स्थगन प्रस्ताव श्री गोपाल पचेरवाल, श्री यदुनाथसिंह, कुमारी पुष्पा, श्री घनश्याम तिवाडी, श्रीमती उजला अरोडा, श्री बंशीलाल पटवा, श्री कैलाश मेघवाल, श्री भैरूसिंह शेखावत, श्री नाथूसिंह, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री नाथूसिंह। सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। जितने भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव थे सभी को शामिल किया है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए। मैं आपकी व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि मैंने सब से पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था दो बार....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। मैं इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज.... स्थान ग्रहण करें, ...आर्डर प्लीज। आर्डर-आर्डर। मैं आपको..............

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह से हाउस नहीं चला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य .... आर्डर-आर्डर .....आर्डर प्लीज मैं माननीय सदस्य आपको............

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण कीजिए प्लीज। माननीय सदस्य, मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी, बार-बार मैं कहता रहा हूं कि भाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव..... .....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर-आर्डर।

मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि माननीय सदस्य के सैकड़ों की संख्या में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव हमारे समक्ष आते हैं उन पर कब क्या निर्णय लिया जाता है, यह जुबानी, मैंने आप से निवेदन किया है याद नहीं रह सकता। जहां तक रैली का प्रश्न है ..आर्डर प्लीज बहुत से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक नहीं बहुतेरे स्थगन प्रस्ताव भी आए थे, क्योंकि अलग-अलग समय पर माननीय सदस्यों ने दिए थे, उन सबकी मैंने जानकारी ली, उसके पश्चात मैंने, इसके लिए आज का दिन मुकर्रर किया है। अब इसमें कौन सी शिकायत रह गयी है यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री नाथूसिंह : मुझे सबसे पहली शिकायत तो यह है कि मैंने सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था और मेरा नाम सबसे नीचे रख दिया गया है। दूसरा मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर......... आर्डर प्लीज

श्री नाथूसिंह : ध्यानाकर्षण नहीं स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने अस्वीकार कर दिया था लेकिन आज की कार्य सूची देखी तो...........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक माननीय सदस्य का है और वह है श्री नाथूसिंहजी।........आर्डर प्लीज.........यह इसमें लिखा हुआ है।

श्री नाथूसिंह : है तो 11 तारीख का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसको आपने स्वीकार किया था। मैं आपसे चैम्बर में मिला था। मंत्री महोदय को आपने डायरेक्शन दिये थे।

श्री अध्यक्ष : इसमें वक्तव्य के बारे में है जो एक किसी भी माध्यम से है। कौन से माध्यम से? ध्यानाकर्षण का माध्यम स्थगन प्रस्ताव का माध्यम, कई तरीके के आए हुए थे, उसमें हमने उचित यही समझा कि इन सबको सम्मिलित कर लिया जावे और सम्मिलित करने के पश्चात् सरकार से उत्तर दिलाया जावे। इसमें आपका मत दूसरा हो सकता है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल आपका ही आना चाहिए था, मैंने इसको ठीक नहीं समझा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने कई तरह के प्रस्ताव दिये थे। इसलिए मैंने उचित यही समझा कि सभी माननीय सदस्यों को ले करके कोई एक निश्चित समय तय कर दिया जावे क्यों कि यह महत्वपूर्ण विषय सदस्यों की दृष्टि में था। मैंने उसका अवसर दे दिया। अब कौनसे माध्यम से देऊं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से देऊं, आपने सबसे पहले दिया था और यदि आप मांग करते हैं कि आपको पहले अवसर दिया जाय तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है। स्थगन प्रस्ताव जल्दी जरूर लिया जा सकता है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव सूचना देने की दृष्टि से उससे कम महत्व का होता है। मेरा ऐसा खयाल है कि ध्यानाकर्षण में ज्यादा विस्तृत सूचना मिल जाती है। तो इसमें आपका इतना नाराज होने का कारण मुझे दिखा नहीं, मैंने सभी को लेकर एक साथ रख दिया।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब आपने स्वीकार कर लिया था, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आसन के द्वारा व्यवस्था दे दी गई है...

श्री नाथूसिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस लिए दिया था कि...

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं जानते हैं कि ध्यानाकर्षण .. आर्डर प्लीज....ध्यानाकर्षण एक दिन में केवल एक आता है.

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। व्यर्थ समय आपका ले रहे हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को इस तरह से सदन का समय बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जावे।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें··· माननीय सदस्य......आर्डर, प्लीज आर्डर। बोलने में उस वक्त समय का उपयोग करते तो ज्यादा अच्छा होता। इसमें ही 15 मिनिट का समय लगा दिया। आप यदि बोलना चाहेंगे तो मैं आपको पहले अवसर दे दूंगा क्योंकि आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसमें लिया गया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक दिन में एक ही आ सकता है।

श्री नाथूसिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस-लिए था ····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ······

श्री माणकमल मेहता (पाली) : ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। आखिर अनुशासन भी कोई चीज है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। ध्यानाकर्षण के बारे में हमको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सत्ता पक्ष जिसमें 135 या 136 माननीय सदस्य हैं, को यह अवसर प्राप्त नहीं होता कि वह स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से किसी विषय को उठायें, तो वे इस अधिकार से वंचित रहते हैं। स्थगन प्रस्ताव ज्यादातर विपक्ष के माननीय सदस्य देते हैं, जिनकी संख्या करीब एक तिहाई से भी कम है, एक तिहाई ही समझ लीजिए। तो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उनको काफी अवसर मिलता है। सत्तारूढ़ पक्ष के माननीय सदस्यों को अवसर कम मिलता है। फिर विपक्ष में भी कई दल हैं। उनके भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने होते हैं। तो इनसे सब बातों पर विचार करके कि किस दल का कौन सा प्रस्ताव आ गया है और कौनसे दल कौन सा प्रस्ताव नहीं आया है हमको निर्णय करना होता है। आपका यह और भी पीछे चला जाता है। क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल वाले भी काफी देते हैं और उनके लिए अन्य कोई माध्यम नहीं है। इसलिए सीमा के महत्व को, विषयों के महत्व को समझ कर हमने इसको साथ कर दिया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को और आपने एतराज उठाया उसके बाद तो मैंने छपाया नहीं है। मेरे पास अंकित है कि इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और इन सब पर गौर करके यह तरीका निकाल दिया कि इस विषय पर अल्प कालिक चर्चा हो जाय। इसलिए मेरा खयाल है समय लेने के बजाय अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री सी. पी. जोशी।

(व्यवधान)

आप बहुत समय लेते हैं माननीय सदस्य आसन की व्यवस्था के बारे में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : आसन की व्यवस्था के बारे में नहीं है।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य की आदत सी पड़ गई है....

श्री अध्यक्ष : कृपया सहयोग दीजिए माननीय सदस्य ......आर्डर प्लीज ......कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनाराम चौधरी : आपकी भी बात नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर आप बहुत समय लेते हैं माननीय सदस्य ...कृपया बैठ जावें माननीय सदस्य ......माननीय सदस्य बैठ जावें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय नियम बिलकुल स्पष्ट है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नियम मैंने भी पढ़ रखे हैं ... ...आर्डर प्लीज

श्री नाथूसिंह : किसी भी दल का उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप इस आधार पर यह नहीं कर सकते ... ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य, मुझे मजबूर हो कर कार्यवाही जो

(श्री अध्यक्ष)

मैंने नहीं की है, वह करनी पड़ेगी। माननीय सदस्य, अब मैं आपको नाम से सम्बोधित करता हूं···· आर्डर प्लीज·······

माननीय सदस्य········

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा माह अगस्त, 1980 में विभिन्न विभागों में सेवारत अस्थाई शिक्षकों को सेवामुक्ति

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान जोधपुर विश्वविद्यालय में 14 प्राध्यापकों को सेवानिवृत करने के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। तथ्य इस प्रकार हैं। 14 प्राध्यापक जो हैं उनमें से कुछ वाणिज्य के हैं, कुछ मनोविज्ञान विभाग के हैं। और कुछ विधि संकाय के हैं। श्रीमन् जब राजस्थान सरकार ने सितम्बर 1976 को विश्वविद्यालय प्राध्यापकों को यू. जी. सी. ग्रेड दी, उस समय यह शर्त रखी थी कि सितम्बर, 76 से पूर्व कार्यरत प्राध्यापकों की क्वालिफिकेशन जो प्रेसक्राइब्ड थी, उस समय वही उनके लिये लागू होगी। जोधपुर विश्वविद्यालय में जो प्राध्यापक 76 के बाद काम कर रहे थे, सितम्बर 76 स पहले काम कर रहे थे और जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन उस समय की थी, मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास और सैकिण्ड क्लास विद श्री ईयर एक्सपीरीयंस, इस क्वालिफिकेशन के 14 अध्यापक वहां कार्य कर रहे थे। उन प्राध्यापकों को बाद में इन्टरव्यू के माध्यम से, इन्टरव्यू में भी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने एडवरटाइज की थी, उस क्वालिफिकेशन को बाद में सिण्डीकेट के माध्यम से चेंज कर दिया जो अधिकार विश्वविद्यालय सिंडीकेट को नहीं हैं, उसके बाद 14 प्राध्यापकों को सेवा निवृत्त कर दिया गया। श्रीमन्, इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि सेवा निवृत्त करने का अधिकार सिंडीकेट का इस मायने में नहीं है कि सितम्बर, 76 से काम करने वाले अध्यापकों की क्वालिफिकेशन 76 से ग्रेड मिलने के बाद की क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, जहां तक समझ में आती है मुझे। लेकिन विश्वविद्यालय सिंडीकेट ने अपने प्रस्ताव के द्वारा इन सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को भविष्य में नौकरी में नहीं लेने का निर्णय भी ले लिया। यह एक फण्डामेंटल राइट और बर्थ राइट है उसके भी सख्त खिलाफ है। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री महोदय ने सदन के अन्दर यह आश्वासन दिया था सरकार इस बारे में बहुत शीघ्र कार्यवाही करने जा रही है। आठ महीने हो गये, 14 प्राध्यापक सेवा निवृत हैं। जनता पार्टी सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा 25 जून, 75 से पूर्व कार्य करने वाले विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की सेवाएं कन्फर्म कर दी। उसमें भी उन्होंने क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, यह रखा था कि दी देन क्वालिफिकेशन जो होगी, 25 जून, 75 के पूर्व जो क्वालिफाइड है, इसका मतलब मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास और सैकेण्ड क्लास विद टू ईयर्स श्री ईयर्स एक्सपीरीयन्स। उस क्वालिफिकेशन के सभी अध्यापकों को उन्होंने कन्फर्म कर दिया। 25 जून, की डेट क्यों रखी, कैसे रखी इसके बारे

(श्री सो. पो. जोशी)

में मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात है जब सरकार और एडवोकेट जनरल इस राय के हैं कि सरकार इस बात के लिए कॉम्पीटेंट है कि वह कन्फर्म कर सकती है ग्रो ग्रॉडिनेन्स के, तो मेरा निवेदन है कि 14 प्राध्यापकों, जो जोधपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत थे और उस समय की क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो उनको भी ग्रॉडिनेंस के साथ कनफर्म किया जाये। इसके साथ साथ एक मोटा मुद्दा और भी शामिल है। एक तरफ जोधपुर विश्वविद्यालय में ऐसे अध्यापकों को सेवा निवृत्त किया जा रहा है, दूसरी तरफ जोधपुर विश्वविद्यालय की सिडीकेट प्रस्ताव पास करके बिना इंटरव्यू के, बिना माप दण्ड के बिना क्वालिफिकेशन के, रीडर और प्रोफेसर के प्रमोशन कर रही है। राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों में तीन तरह की परम्पराएं हैं। मेरे समझ में नहीं आता जब कि शिक्षा मन्त्रीजी को ऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमेन होते हैं, तीनों विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वहां आते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार ने जब पहले भी माना है और शिक्षा मन्त्री जी ने भी माना है तो दो तरह के आश्वासन स्पष्ट रूप से दें तब ही स्थिति सुधरेगी। पहला आश्वासन तो यह है कि 25 जून, 75 नहीं, सितम्बर 76 से जब से यू. जी. सी. ग्रेड लागू की गई, उससे पहले जितने भी प्राध्यापक कार्य कर रहे थे तीनों विश्वविद्यालय में उनको ग्रॉडिनेस के साथ कनफर्म किया जाये। 25 जून, राजनीतिक आधार नहीं माना जाये। उसका रेडिकल आग्यूमेंट यह है सितम्बर, 76 के पहले जो कार्यरत क्वालिफाइड हैं, उनको ग्रॉडिनेंस के तहत कनफर्म किया जाय इस तथ्य को सदन के सामने घोषणा करें। दूसरा यह कि तीनों विश्वविद्यालयों के जो हालात हैं, उदयपुर विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय तीनों विश्वविद्यालयों की सिडीकेट और एकेडेमिक कौंसिल जिस तरह का निर्णय ले रही हैं, उस निर्णय में विरोधाभास है। एक तरफ आदमी जो क्वालिफाइड है वह नौकरी नहीं लग पाता जोधपुर में दूसरी तरफ अनक्वालिफाइड आदमी को उदयपुर विश्वविद्यालय में रीडर और प्रोफेसर प्रमोट किया जा रहा है जब कि विश्वविद्यालय के एक्ट और स्टेच्यूट में किसी भी पोस्ट पर बिना इंटरव्यू के सलेक्शन किसी का नहीं हो सकता विश्वविद्यालय में प्रमोशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जोधपुर विश्वविद्यालय में और राजस्थान विश्वविद्यालय में एक्ट के अनुसार प्रमोशन कर दिया, उदयपुर विश्वविद्यालय में प्रमोशन नहीं हुआ। राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में तीन तरह की स्थिति चल रही है। उसका केवल मात्र समाधान यह हो सकता है, जनता पार्टी के द्वारा अपने शासन काल में आने के बाद तीनों विश्वविद्यालयों की सिडीकेट का पुनर्गठन करके जो स्थिति बना दी गई है उस सिडीकेट को भंग करने का राज्य सरकार स्पष्ट आश्वासन दें अन्यथा आठ महीने हो गये जो स्थिति तीनों विश्वविद्यालयों में बन रही है, एक तरफ तो प्राध्यापकों की सेवा सुरक्षा कायम नहीं दूसरी तरफ छात्रों के इम्तिहान टाइम पर नहीं हो रहे हैं, तीसरी तरफ पदोन्नतियां की जा रही हैं। और एक खास बात इसलिये कहना चाहता हूं, उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर चारसौ आदमी एडहाक काम कर रहे

(श्री सी. पी. जोशी)

है, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार एडहोक, डीन एडहोक, डायरेक्टर एडहोक, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एडहाक, यह स्थिति न तो राजस्थान के हित में है और न शैक्षणिक वातावरण के हित में है। इसलिए पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया था, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री महोदय ने अपनी राय दी, एडवोकेट जनरल की राय भी सरकार के पास आ चुकी है. इस स्थिति में आज सदन के सामने शिक्षा मन्त्री महोदय दो स्पष्ट घोषणा करें, जो आदमी दी देन क्वालीफिकेशन के यू. जी. सी. ग्रेड के पहले के हैं उनकी सर्विसेज कनर्फम की जाये और तीनों विश्वविद्यालयों की सिंडीकेट को भंग किया जाये। और यह आदेश दिये जाये जब तक सरकार पूरी स्थिति की जांच नहीं करले तब तक वाइसचांसलर कोई एक्शन नहीं लें। क्योंकि मुझे एप्रीहेन्शन है कि बहुत जल्दी ही जोधपुर विश्वविद्यालय के सिंडीकेट की मीटिंग होने जा रही है, जितने आदमियों का प्रमोशन किया है, उनको कन्फर्म कर दिया जायगा। दो तरह की स्पष्ट घोषणाएं माननीय शिक्षा मन्त्री सदन के सामने करें।

धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति न हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या मुख्य रूप से राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध रखती है। हालांकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जोधपुर विश्वविद्यालय के सबंध में ही है। मौलिक समस्या यह है कि इन विश्वविद्यालय के अन्दर सलेक्शन कमेटी की मीटिंग इन पिछले पांच सात वर्ष से अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग, आप कम से कम समझ लें, नहीं हुई। प्राध्यापक टेम्प्रेरी बेसिस पर काम करते चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़े मानवीय दृष्टिकोण से आप इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे जो एक टेम्प्रेरी लेक्चरार लग जाता है। उसका केरीयर ऊपर नजर आता है। विश्वविद्यालय के अन्दर लेक्चरार हो गया। अधिकांश उसे उम्मीद यह रहती है कि विश्वविद्यालय में मैं कनफर्म हो जाऊंगा। वह चलता रहता है। इधर आप 6 साल तक सलेक्शन कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाते हैं। दूसरी जगह वह कैरियर तलाश नहीं कर पाता है। 1920 कम छोटा कैरियर मिलता है तो उसको यह लगता है कि मुकाबले का नहीं मिला और कोई छोटा कैरियर मिला तो जाऊंगा नहीं क्योंकि उसको यह लग रहा है कि वह लेक्चरार कनफर्म हो जायगा। सात साल बाद जाकर हम यह निर्णय ले लें और क्वालिफिकेशन रिवाईज करके रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से, अपग्रेड करके पहले के लेक्चरार को बाहर निकालें तो उसका कैरियर तो ब्लाक हो जायेगा। दूसरी जगह कैरियर है नहीं जहां वह चला जाये। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह विषय है जिस पर माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय को बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करना है कि इसके बारे में क्या हो सकता है। दूसरा अहम मसला यह है कि जनता पार्टी के समय में जो शिक्षामन्त्री थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनका बड़ा संकुचित दृष्टिकोण था, बहुत छोटे खयालात से चलने वाली सरकार थी। जून, 75 से

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पहले नियुक्त प्राध्यापकों को तो कन्फर्म कर दो और बाकी जून, 75 के बाद में, क्योंकि इमर्जेंसी में गड़बड़ हो गई, कुछ इन्दिराजी ने या कांग्रेस के लोगों ने पार्टीज्म तरीके से रिक्रूटमेन्ट करके लेक्चरार अपाइन्ट कर दिये इसलिए मत करें, यह बात ठीक है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, हमको उनका फालो नहीं करना है। अध्यापकों के अन्दर हमको मेरिट से चलना है और हमको कोई आधार बना कर के जनता पार्टी के लोगों ने अपाइंट कर दिया, उस आधार पर नहीं चलना है और यह एक मसला है जिस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि सिंडीकेट और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बाडिज जितनी हैं उनका कोई विशेष सम्बन्ध इन चीजों से नहीं है। छोटी मोटी चीज के अन्दर हो सकता है। लेकिन जहां तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह नीति सम्बंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। नीति सम्बन्धी विचार माननीय शिक्षामन्त्री के आने चाहिये।

अन्त में एक बात कहूंगा। जो क्वालिफिकेशन आपने दुबारा ले डाउन की है उनको रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से क्यों लगाना चाहते हैं। हमेशा प्रासपेक्टिव इफेक्ट से लगाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : राजस्थानी साहित्य एकेडेमी के लिये शिक्षा मन्त्री जी क्या कर रहे हैं, कृपया बतायें ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अध्यापकों को नियमित नियुक्तियां राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) अधिनियम, 1974 एवं संशोधित अधिनियम 1976 की धारा 3 के अन्तर्गत की जाती हैं। इसी अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत पार्ट टाइम एवं अस्थाई आधार पर केवल 6 माह के लिए नियुक्ति करने का प्रावधान भी है। इसी अधिनियम के तहत 1974 में चयन समिति के गठन का भी प्रावधान है।

जोधपुर विश्वविद्यालय में कानून, वाणिज्य एवं मनोविज्ञान विषयों में प्राध्यापकों के चयन हेतु जुलाई-अगस्त, 80 में चयन समिति की बैठकें बुलाई गई तथा निम्न प्रकार चयन किया गया।

कानून-17 प्राध्यापक

वाणिज्य-10

मनोविज्ञान-4

इनमें से 13 प्राध्यापक वे थे जो पूर्व में ही एडहाक रूप में 6-6 माह के लिए नियुक्त थे।

जिन अध्यापकों का चयन नहीं होने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं वे निम्नलिखित हैं :-

विधि	दिनांक
1. जे. डी. अरोड़ा	2-8-76
2. आर. पी. सिंह	3-8-76
3. बी. बी. एल. माथुर	,,
4. जे. पी. शर्मा	17-7-78
5. डी. सी. सक्सेना	22-7-78
6. बसंतसिंह	18-7-78

(श्री चन्दनमल बैद)

7. एन. आर. शर्मा	30-9-78
8. एम. एल. बरड़िया	16-11-78
9. श्रीमती गीता सोलंकी	25-9-78
मनोविज्ञान	
1. कु० सरिता बक्षी	21-1-80
2. कु० लता गैरोला	,,
2. श्री ए. के. मलिक	,,
वाणिज्य	
1. श्री आर. एल. दाधिच	14-8-76
2. ,, बी. एल. वैष्णव	25-10-79

एडहाक रूप से 6-6 माह के लिये नियुक्त प्राध्यापकों के लिये यह प्रावधान है कि इनकी नियुक्ति 6 माह हेतु अथवा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, की जाती है। 6 माह बाद या चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर इनकी सेवा बिना नोटिस के समाप्त करने का प्रावधान है। इन प्राध्यापकों की सेवा समाप्ति इस कारण नहीं की गई कि वे निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते थे बल्कि इसलिये समाप्त की गई कि उनका चयन, चयन समिति ने नहीं किया। जोधपुर विश्वविद्यालय में एक भी शैक्षणिक अधिकारी की सेवाएं इस आधार पर समाप्त नहीं की गई कि वह न्यूनतम योग्यता की पूर्ति नहीं करते थे।

जिन 14 अस्थाई अध्यापकों की सेवाएं समाप्त की गई उनके लिये सिण्डीकेट ने प्रस्ताव सं० 217, दिनांक 2-8-80 द्वारा यह प्रतिबन्ध लगाया था कि जो अध्यापक चयन समिति द्वारा कंसीडर कर लिये गये एवं चयन के योग्य नहीं पाये गये उनको भविष्य में उसी पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान नहीं की जावे।

Syndicate Held on 2-8-1980

217. Resolved that a person considered and rejected by a selection Committee shall not be reappointed on an adhoc/temporary basis on the same post in future at all once the panel of name recommended by the Selection Committee is approved by the Syndicate.

सिंडीकेट ने अपनी 20-8-80 की बैठक में इस पर पुनः विचार कर निम्नलिखित निर्णय लिये:—

Metting of Syndicate Held on 19/20-8-80

222. Confirmed the minutes of the special meeting of the Syndicate held on 2nd August, 1980 with the following modifications:—

(i) Reference Resolution No. 217

Resolved that a person considered and rejected by a Selection Committee shall not be re-appointed on an adhoc/temporary basis on the same post in future once the panel of names recommended by the Selection Committee is approved by the Syndicate Further, resolved that the services of such candidates shall stand terminated from the date of the approval of the Selection Committee recommendations by the Syndicate.

इसके बाद सिंडीकेट में दिनांक 12-9-80 को अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया: —

Meeting of Syndicate Held on 12-9-1980

(श्री चन्दनमल बैद)

238. Confirmed that minutes of the special meeting of the Syndicate held on 19th and 20th August, 1980, with the following amendments:—

(i) Reference resolution No. 217.

It should be read as follows:

"Resolved that a person considered and rejected by a Selection Committee shall not be continued on an adhoc/temporary basis on the same post once the panel of names recommended by the Selection Committee is approved by the Syndicate. Further, resolved that the services of such persons shall stand terminated from the date of approval of the Selection Committee's recommendations by the Syndicate."

इस प्रस्ताव के आधार पर अचयनित प्राध्यापकों की सेवायें चयन समिति में लिये गये निर्णय के दिनांक से ही समाप्त कर दी गई अर्थात् उनका अस्थाई कार्यकाल आगे 6 माह हेतु नहीं बढ़ाया।

सिण्डीकेट ने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं दी है किन्तु कुछ व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत मामलों में शैक्षणिक योग्यता में छूट दी है। जिनको छूट दी गई है वे निम्नलिखित मामले हैं: -

(1) प्रस्ताव संख्या 209

डा. प्रेमनारायण सक्सेना एवं डा. जसवन्तसिंह गांधी को वाणिज्य विभाग में रीडर के पदों पर नियुक्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता में छूट दी गई।

(2) प्रस्ताव सं॰ 211

श्री निर्भयकुमार इन्द्रवान एवं श्री कैलाशचन्द्र दाइया को कानून विषय में प्राध्यापक पदों पर नियुक्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता में छूट दी गई।

3. प्रस्ताव सं 213

श्री श्रीपति उपाध्याय को मनोविज्ञान विषय में प्राध्यापक पद पर नियुक्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता में छूट दी गई है।

जहां तक राजस्थान एवं उदयपुर विश्वविद्यालयों में कार्यरत अस्थायी प्राध्यापकों का प्रश्न है, वहां से इस प्रकार की कोई समस्या नहीं बताई गई है। दोनों विश्वविद्यालयों में अस्थाई प्राध्यापक कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमित चयन समितियों के समक्ष उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालयों में समय पर चयन समितियों की बैठकें न होने के कारण तथा अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण जैसे नियमित कुलपति का न होना, अस्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त सत्र के प्रारंभ में जब अतिरिक्त कक्षाएं प्रारम्भ करनी पड़ती हैं तब भी अध्यापन कार्य हेतु अस्थायी नियुक्तियां करनी पड़ती हैं। अब तीनों विश्वविद्यालयों को इस प्रकार निर्देश दिये जा रहे हैं कि चयन समितियों की नियमित बैठकें बुला कर नियमित चयन के कार्य को एक निश्चित अवधि में पूरा करें एवं भविष्य मे जहां तक संभव हो अस्थायी नियुक्तियां न करें।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं था। मैंने सीधा सा प्रश्न रखा था कि जो क्वालिफिकेशन जोधपुर युनिवर्सिटी ने एडवरटाइजमेंट की उसके

(श्री सी. पी. जोशी)

बाद क्या सिंडीकेट ने क्वालिफिकेशन मोडिफाई की या नहीं और राजस्थान यूनिवर्सिटी जोधपुर युनिवर्सिटी की जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है उसमें भी सरटेन केन्डीडेट्स को छूट है और आज के दिन भी है, यह मेंशन नहीं किया।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे चुका हूं कि क्वालिफिकेशन के कारण किसी प्राध्यापक का चयन नहीं होगा....

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि जो क्वालिफिकेशन अखबार में निकाली गई जोधपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, जिस पर 14 आदमियों ने अप्लाई किया उसके बाद सिंडीकेट ने क्वालिफिकेशन चेंज करके इंटरव्यू किया ? आपने अखबार में मेंशन किया कि क्वालिफिकेशन यह होगी उस पर इन्होंने अप्लाई किया, बाद में सिंडीकेट ने क्वालिफिकेशन चेंज की और उनको इन्फार्म नहीं किया। यह मेन मुद्दा है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेन मुद्दा इस बात का है कि कुछ टीचर्स का सलेक्शन नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि टीचर्स का सलेक्शन इस बात पर नहीं हुआ कि सलेक्शन कमेटी ने उनका चयन नहीं किया इस बात से उनका चयन नहीं रुका कि उनके पास निर्धारित क्वालिफिकेशन नहीं थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के वक्त में 1975 से पहले वाले टीचर्स को पहले परमानेंट कर दिया गया और 75 के बाद वालों को डिस्प्यूटेड किया, इस आधार पर कि ये इमर्जेंसी के वक्त पर लगाये गये थे उनके बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद अभी कर रहे थे कि वो कानून गलत था, डिस्क्रिमिनेटरी था, अब माननीय सदस्य मालपुरा से आने वाले क्या यह चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी जो कानून उन्होंने बनाया उसका उदाहरण मैं दूं। मैं चाहता हूं 30 साल तक कांग्रेस पार्टी ने जिस जस्टिस से कार्य किया वह करूं या जनता पार्टी ने 3 साल तक जो गलत काम किये उनके अनुसार करूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, या तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका या मंत्री महोदय नहीं समझ सके लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि आप 1980 के बाद अब कोई ऐसा काम करें न जो डिस्क्रिमिनेशन करता हो, इस आधार पर कि जनता पार्टी के वक्त आर. एस. एस. के लोगों को लगा लिया गया। यह जो हुवा बनाई जाती है, यह नहीं करना है, इसको फॉलो नहीं करना है, लेकिन जिन लोगों को विक्टिमाइज किया गया उन लोगों के साथ तो इंसाफ करना हमारा फर्ज है। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, 1975 के पहले वालों को निकाल दिया गया था, 78 में उनके साथ न्याय करेंगे या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया। 75 तक तो स्क्रिनिंग कमेटी बना कर जनता पार्टी ने गलत कानून बना कर स्क्रीन करके सबको ले लिया उनमें से केवल एक प्राध्यापक ऐसे

Page No 85

(85)

(श्री चन्दनमल बैद)

थे जिनको नहीं लिया। अब 76 के बाद जितने भी टीचर्स थे उन सबको हमने एक कमेटी बना कर चयन कर लिया। सलेक्शन कमेटी बना कर उसमें जो आये उनको ले लिया गया जिनका चयन नहीं हो सका उनको नहीं लिया गया अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन यह किया कि 75 के पहले के जितने भी टीचर्स थे उनको गलत तरीके से ले लिया....

(व्यवधान)

आप कितना ही जस्टिफाई कीजिये। आपने बहुत गलत कानून बनाया है ऐसा गलत कानून कोई सरकार नहीं बनाती....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक्सप्लेन करिये कौन सा कानून ?

श्री चन्दनमल बैद : एक्सप्लेन किया है न, 75 के पहले 25 जून की तारीख देकर कि 25 जून के पहले के जितने भी टीचर्स हैं, उनको स्क्रीन किया जायगा। इसका मतलब हुआ इन टीचर्स को बाहर से दूसरी एप्लीकेशन लेकर जो काम्पीटेन्ट हैं उन्हीं टीचर्स को लेकर स्क्रीन किया जायेगा। यह गलत नियम था और कानून के विरुद्ध था। यह आपको नहीं करना चाहिए था।....

श्री अध्यक्ष : प्रस्तावकर्ता सी. पी. जोशी।

श्री सी० पी० जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल यह पूछा है कि 26 जून के बाद, क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय ने एडवरटाइजमेन्ट के समय में क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड करके एप्लीकेशन मांगी थी? पहला प्रश्न। उस एडवरटाइजमेन्ट के बाद क्या सिन्डीकेट ने क्वालिफिकेशन चेन्ज की है या नहीं की है? दूसरा प्रश्न। आज के दिन, आज की डेट में तीनों विश्वविद्यालयों के अन्दर इन सर्विसेज के अन्दर कोई छूट दे रखी है, क्या यह सही है, आप तीनों प्रश्नों का उत्तर दें। आप इस इश्यू को साइट ट्रेक कर रहे हैं। 14 आदमियों का चयन नहीं किया गया, यह मेरा आरग्यूमेन्ट नहीं है। आरग्यूमेन्ट तो यह है कि इन 14 आदमियों ने जिस एडवरटाइजमेन्ट के तहत अप्लाई किया था उसके बाद क्या सिन्डीकेट ने क्वालिफिकेशन को मोडिफाई किया है? इस बात की आप पहले जांच करें।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया है। माननीय श्री परसराम।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब तो सफाई से दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने मिनिमम एकेडेमिक क्वालिफिकेशन निर्धारित कर रखी हैं। वह आधार नहीं लेकिन सलेक्सन कमेटी ने नियम बना रखे हैं उसकी धारा 4 के तहत सलेक्शन किया है। उसमें उनका जो चयन किया गया है क्या वह सही है? जो सलेक्शन हुआ था, सलेक्शन कमेटी के द्वारा, चाहे वह रीडर्स का हो चाहे लैक्चरार का हो चाहे प्रोफेसर का हो, चाहे एकेडेमिक कॉन्सिल के, सिन्डीकेट ने उन सब सलेक्शन्स को एप्रूव किया है? यह

(श्री परसराम मदेरणा)

सलेक्शन कमेटी की आप जो दुहाई दे रहे हैं तो वह इम्पाशल थी। इसलिए सलेक्शन कमेटी ने जो सलेक्शन किया है उसमें जो क्वालिफिकेशन यू० जी० सी० ने निर्धारित की हैं या नहीं की हैं उसको ध्यान में नहीं रखा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सलेक्शन कमेटी ने इस एक्ट के तहत सलेक्शन किया है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने जोधपुर में उस सलेक्शन को पूर्व में डिसएप्रूव किया है वह किस आधार पर किया और यह प्रश्न मैं शिक्षा मंत्री जी से, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि अगर सलेक्शन कमेटी ने मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आधार नहीं बनाया तो जैसा कि आप सवाल उठा रहे हैं, सब्सीक्वेन्ट एडवरटाइजमेन्ट किया है जिसके अन्तर्गत उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी थी, तो आपने रिजोल्यूशन 209, 211, 213 के अन्तर्गत चार सलेक्टेड प्राध्यापकों की क्वालिफिकेशन में छूट क्यों दी? छूट नहीं देते तो सलेक्शन नहीं हो सकता था इसलिए आपने छूट देकर उनका सलेक्शन करवा दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि क्वालिफिकेशन का कोई आधार नहीं माना है, दूसरी तरफ रिजोल्यूशन के द्वारा सिन्डीकेट क्वालिफिकेशन में छूट दे रहा है। यह विरोधाभास है। तीसरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह है कि अगर जनता पार्टी की सरकार ने 25 जून, 26 जून, 1975 में जो आपातकाल लागू होने की डेट है उस डेट से कोई कानून आर्बीट्रेटरी लागू करके स्टेचुअटरी बुक में कुछ लोगों को रख लिया है, और यह आप मानते हैं कि यह बेड इन लॉ था, तो उन लोगों को तो एडवान्टेज मिल गया। यह एडवान्टेज शिक्षा मंत्री जी मानते हैं और भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी को भी यह उपदेश दे रहे हैं कि गलत कानून बनाया इस गलत कानून से कुछ लोगों को फायदा हुआ है तो कुछ को नुकसान भी हुआ है, तो क्या उस गलत कानून को वापस रिपील करेंगे। यह जनता सरकार ने फेवरेटिज्म किया है। यह डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इसको आप रेक्टीफाई कीजिये। यह मेरा प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिस्क्रिमिनेशन हो गया। फायदा हो गया तो नुकसान भी हो गया। मेन मुद्दा यह है कि 1978 के अन्दर जो स्क्रीनिंग किया गया उसमें इमर्जेन्सी का नाम लेकर कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया और बाकी लोगों को फायदा हो गया। इसलिए जिन लोगों के साथ इनजस्टिस किया गया है वह ठीक किया जाय........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 75 में इमर्जेंसी के वक्त के लोगों को.... ......

श्री अध्यक्ष : पहले वर्ष में विश्वविद्यालय टीचर्स का जो सलेक्शन किया गया है, वह विचारणीय विषय है.......

श्री सुरेन्द्र व्यास : टीचर्स की रिक्वायरमेन्ट वह होनी चाहिए परन्तु 1978 के वक्त स्क्रीनिंग के वक्त में यह भेदभाव इमर्जेन्सी के नाम पर किया गया, यह हमारा कहना है। उस वक्त इस कानून को

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से रिवाइज करके कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है उसकी ओर हम मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ....

श्री परसराम मदेरणा : क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय में एडहॉक बेसिस पर 400 लेक्चरार टेम्प्रेरी रूप से कार्य कर रहे हैं। क्या यह सही है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी ने यू० जी० सी० की मिनिमम एकेडेमिक क्वालिफिकेशन को नहीं माना है और पूर्व में जो कार्यरत लोग हैं चाहे टेम्प्रेरी हैं, एडहॉक है या नये वेतनमान में हैं, उनको इस शैक्षणिक योग्यता से इन्टरलिंक नहीं किया जाय, उसके साथ उसको न जोड़ा जाय....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव तो यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा माह अगस्त में किये गये सलेक्शन के बारे में....

श्री सी० पी० जोशी : इसमें तीनों चीजें लिंक्ड हैं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्रीजी। आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : विश्वविद्यालय सिंडीकेट अब एक प्रस्ताव पास करके उनको कन्फर्म कर रही है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटीज टीचर्स, आफिसर्स स्पेशल कन्डीशन्स आफ सर्विस एक्ट 1976 बना हुआ है उसके तहत सलेक्शन कमेटी ने कोई गलत कार्यवाही की है तो मैं हस्तक्षेप करने को तैयार हूं लेकिन इस वास्ते कि कुछ लोगों, जिनको हम चाहते थे, का चयन हो जाय उनका चयन नहीं हुआ, सलेक्शन कमेटी ने नहीं किया इसलिये हस्तक्षेप किया जाय या तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने कोई गलत कानून बना कर सलेक्शन कराया है, वह कानून गलत रूप से लागू किया गया है इसलिए यह सरकार हस्तक्षेप करे, इसको मैं उचित नहीं समझता हूं। आखिर वह एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी और यह परमानेन्ट गवर्नमेंट है।

श्री सी. पी. जोशी : जिस एक्ट की आप बात करते हैं 1976 का एक्ट है वह तीनों यूनिवर्सिटीज में लागू होता है। आप यह घोषणा कर दें कि जो एक्ट में प्रोविजन है, उसके अलावा कहीं पर त्रुटियां हैं तो उनकी आप जांच करवायेंगे। जिस एक्ट की आप दुहाई दे रहे हैं उस एक्ट की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उनको बाहर निकालने की आप घोषणा कर दें। यह एक्ट तीनों यूनिवर्सिटीज पर लागू होता है यह आप घोषणा कर दें। उनको वापस निकालेंगे क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पिछली जनता पार्टी की सरकार ने इस एक्ट का वायोलेशन किया है जिस एक्ट की आप दुहाई दे रहे हैं। यह बेड इन लॉ है इसको तो हाई कोर्ट तय करेगा आपने भी यह माना है कि यह बेड इन लॉ है और उसके तहत टीचर्स लिये गये हैं तो उनको बाहर निकालें।

श्री चन्दनमल बैद : उन्होंने इस विधानसभा की सहमति से एक्ट बनाया। पहले आर्डिनेन्स जारी किया और फिर वह विधानसभा से पारित किया गया, इसलिए वह कानून था। नैतिक दृष्टि से यह गलत था

(श्री चन्दनमल बैद)

परन्तु कानूनी दृष्टि से सही था। जो यहां कहा जा रहा है कि 400 टीचर्स उदयपुर विश्वविद्यालय में टैम्प्रेरी रूप से कार्यरत हैं यह सही नहीं है। कुछ टैम्प्रेरी टीचर्स जरूर हैं हम यह निर्देश दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका सलेक्शन किया जाय।

श्री सी. पी. जोशी : जो मैं कह रहा हूं वह आथेंटिक कह रहा हूं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें बहुत समय हो गया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय एक छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें दो ढाई घण्टा हो गया। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री सी. पी. जोशी : ध्यान आकर्षण का मतलब क्या होता है। मंत्री महोदय, वही जवाब दें जिस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जवाब का मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। काफी अवसर आयेंगे चर्चा उठाने के....

(व्यवधान)

काफी अवसर मिला है। मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।

श्री सी. पी. जोशी : केवल मंत्री के उत्तर से ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया क्या।

श्री अध्यक्ष : 9 मार्च, 1981 को रात्रि में कोतवाली, जयपुर में तैनात एक सन्तरी, श्री सुमेरसिंह द्वारा सब इन्सपेक्टर श्री बी. डी. तिवाडी को गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह प्रश्न खड़ा हुआ है इस चर्चा में माननीय मंत्री महोदय ने और माननीय सदस्यों ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री की चर्चा की उसमें क्लेरिफिकेशन मांगा।

श्री अध्यक्ष : यह दुबारा चर्चा नहीं होगी क्लेरिफिकेशन व्यक्तिगत हो सकता है, सरकार के लिए वापस क्लेरिफिकेशन नहीं होगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केवल जो शंका की बात कही है उसके लिए कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्य, विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूं अन्य किसी अवसर पर आप बता देना।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।

Page No 89

(89)

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद के छात्र बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने टाइम दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन के बाहर इस प्रांगण के बाहर यदि कोई बात होती है तो उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं निरस्त करता हूं।

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह ...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है कि समस्याओं पर इस तरह से ध्यान आकर्षित कराया जाये।

(व्यवधान)

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य। मुख्य मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

कोतवाली जयपुर में तैनात एक संतरी श्री सुमेरसिंह द्वारा 9 मार्च, 1981 को सब इन्सपेक्टर श्री बी. डी. तिवाड़ी की गोली मारकर हत्या

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 9-3-81 को रात्रि करीबन 9.15 बजे थाना कोतवाली के चौक में एकदम गोली चलने की आवाज आई जिस पर थानाध्यक्ष कोतवाली ऊपर स्थित अपने क्वार्टर से निकल कर बाहर आये तो नीचे चौक में सब इन्सपेक्टर सदानंद चिल्लाया कि सुमेर सिंह मंत्री ने श्री बी॰डी॰ तिवाड़ी थानेदार के गोली मार दी है। कानि॰सुमेर सिंह राइफल ताने थाने के चौक में खड़ा था और कह रहा था कि कोई आगे बढ़ा तो तिवाड़ी की सी हालत कर दूंगा। इस पर थानाध्यक्ष ने उसको ललकारा "ठहरो" और सीढ़ियों से नीचे आने लगे। जिस पर कानि॰ सुमेर सिंह कोतवाली से राइफल लेकर भाग निकला। थानाध्यक्ष नीचे आये। थानेदार श्री तिवाड़ी कोतवाली के मुख्य द्वार पर खून से लथपथ मृत पड़े थे उनको पीठ में बाईं ओर गोली लगी थी। कारतूस का खाली खोखा उनके पास पड़ा था।

थानाध्यक्ष ने तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना दी और पुलिस कर्मचारियों को मुल्जिम की तलाश हेतु रवाना किया। सूचना मिलते ही उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और कानि॰ सुमेरसिंह की तलाश हेतु चारों ओर पुलिस दल रवाना किये और नाकाबंदी कराई गई। जयपुर नगर व देहात के समस्त थानों एवं निकटवर्ती पड़ोसी जिलों को जरिये वायरलेस सतर्क कर दिया गया।

दिनांक 10-3-81 को श्री तिवाड़ी के शव का पोस्ट मार्टम कराकर उसके शव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

किया गया। मृतक के परिवार को मुख्य मंत्री सहायता कोष से 5000/- रुपये एवं महानिरीक्षक पुलिस द्वारा 2400/- रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

शास्त्रीनगर स्थित श्री तिवाड़ी के मकान एवं श्री सुमेरसिंह के ग्राम लखेर में पूर्ण सुरक्षात्मक प्रबन्ध कर दिये गये हैं। पुलिस दल अभियुक्त श्री सुमेरसिंह की तलाश में गये हुए हैं।

इस दुखद घटना के कारणों के बारे में अभी अनुसंधान जारी है।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्य। स्पष्टीकरण मांगना चाहें तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : when he was declared dead ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह बताया गया कि बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ये किस समय पहुंचे और उसकी तलाशी कितने बजे शुरू की गई और क्या स्टेप्स उठाये गये और किस तरह तलाश करने की व्यवस्था की गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह अध्यक्ष महोदय, एस.पी

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : यह तो ...

श्री अध्यक्ष: आप चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उससे एक बात स्पष्ट हो रही है, जैसा कि उन्होंने कहा सब इन्सपेक्टर, जो इन्चार्ज था, को जैसे ही इत्तला मिली कि सब इन्सपेक्टर को गोली मार दी वह वहां आया और कान्सटेबल को ललकारा। ललकारा उस समय वह कान्सटेबल वहीं था। आप यह जानते हैं कि वह कान्सटेबल अकेला था और एक हथियार उसके पास था आपको यह भी जानकारी है कि कोतवाली बहुत बड़ी है वहां भारी स्ट्रेन्थ है सब इन्सपेक्टर उसको ललकार रहा है कोतवाली में हथियारों की कमी नहीं है, इतने हथियार और इतने सिपाही होने के बावजूद वह आदमी निकल कैसे गया ? आपने दूसरी बात कही कि एस० पी० व उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिर आपने स्टेटमेंट में कहा कि उसके बाद सुमेर सिंह की तलाश हुयी। इसका मतलब यह है कि सुमेर सिंह हथियार लेकर चला गया और जब तक उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे उस समय तक गिरफ्तार करने की, तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की। यह बात ऐसी है कि इससे जो कल चार्ज लगाया जा रहा था कि उस आदमी को गिरफ्तार करने में ढिलाई हो रही है बंदूक लेकर चला गया उसके बावजूद। अध्यक्ष महोदय, जैसी जानकारी मिली है, मुझे, वह कितनी भी सही है, मंत्री महोदय वेरीफाई करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार वह आदमी उस हथियार को लेकर घर गया, किसी रिश्तेदार के यहां गया और वहाँ से कुछ पैसे लिये और पैसे लेने के बाद वहाँ से निकल गया। इसका मतलब साफ है कि इमीजियेट कोतवाली से बाहर निकल गया। तो निकलने के बाद इमीजियेट कोशिश की जाती तो रिश्तेदारों के घर पर या जहाँ उसकी आमद रफ्त थी, उस स्थान पर जिस स्थान पर वह पहुंच सकता था।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उन स्थानों पर तलाश की जाती तो मेरा विश्वास है कि वह आदमी मय हथियार के गिरफ्तार हो जाता, लेकिन मामले में तो माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से साफ जाहिर होता हैं कि सब इंसपेक्टर ने ललकारा और ललकार के अपना फर्ज तो पूरा किया। उसको विश्वास था कि ललकारने से हथियार फेंक देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया...

एक माननीय सदस्य : उसको विश्वास था कि भाग जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: यह सही है, यह हो सकता है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उसने इसलिये ललकारा कि ललकारते ही भाग जाये। मुझे आपत्ति नहीं है मैं तो यह कह रहा हूं कि ललकारने से भागने का मतलब आपका हो सकता है लेकिन व्यवस्था के अनुसार नहीं हो सकता है....

एक माननीय सदस्य : मेरा मतलब यह है कि उसको पकड़ा जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके मतलब की बात तो मैंने कह दी इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

(2.27 म. प.)

[श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन]

सभापति महोदय, इन सारे तथ्यों से आप थोड़ा अंदाजा लगायें कि इससे जन मानस पर क्या असर पड़ेगा। आज किसी गांव में डाका डाला जाता है तो जिनके यहां डाका डाला जाता है उनके पास हथियार नहीं हैं हथियारबंद डाकू आते हैं लूट कर चले जाते हैं। पुलिस के पास सूचना तीन घंटे बाद जाती है कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार उत्तर देती है कि डाके की सूचना तीन घंटे के बाद मिली हम तत्काल उनके पीछे चले गये बाद में डाकुओं का पता नहीं चला। एक बात और भी बार-बार कही जाती है कि अमुक स्थान पर घटना हुयी उसकी सूचना देर से मिली इसके कारण से जो क्राइम हुआ, उसको नहीं पाया जा सकता। लेकिन इस मामले में तो कहने की गुंजाइश नहीं है। कोतवाली के अन्दर इस तरह की घटना हो जाती है सारा स्टॉफ होने के बावजूद अगर केवल ललकार सुनकर सिपाही चला जाये तो आप क्या करेंगे, इससे क्या नतीजा निकालेंगे? लेकिन ईमानदारी से सोचने वाला कोई व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालेगा यह हो सकता है, मैं मानवीयता के आधार पर सोचूं तो सिपाही ने गोली चलाकर सब इंसपेक्टर को मारा तो सिपाही भी लोहे का आवरण नहीं ओढ़े होते, डर लगता है, हो सकता है डर लगा हो कि उसके पास जायेंगे तो गोली मार देगा। मैं सोचता हूं कि जिनके पास हथियार हों वे हथियार वाले इस तरह नहीं डरा करते हैं। लाठी वाले डर सकते हैं, बिना हथियार वाले डर सकते हैं लेकिन कोई कोतवाली में हथियारों की कमी नहीं है वह एक बंदूक लेकर भागा था तो 10 बंदूकें लेकर उसके पीछे जाते। अगर मुकाबला भी नहीं करना था तो दो-तीन आदमी उसका पीछा करते कि जाता कहां है, और पता करके इत्तला कर देते कि अमुक स्थान पर छिपा हुआ है। इस मामले में पुलिस की खामी रही वरना सिपाही बचकर नहीं जा सकता था। इसका व्यापक असर जनता पर होता है। असर यह होता है कि कोतवाली में हत्या करके बचकर चला गया और पकड़ा नहीं गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसका असर क्रिमिनल्स पर होगा। वे यह सोचते हैं कि कोतवाली में बन्दूक लेकर भाग सकते हैं तो जिनके पास बन्दूक हैं वह कहीं भी भाग सकता है। एक तरफ क्रिमिनल्स में और दूसरी तरफ जनता में यह धारणा बनती है कि कोतवाली में जो घटना हुई उसमें खामी रही है। इसी तरह की खामी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई तो शान्ति और व्यवस्था की क्या स्थिति होगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, केवल आंकड़ों के आधार पर और एक दूसरे पर आरोप लगाने की दृष्टि से नहीं, आज आप ट्रेन में यदि जायं तो खतरे हैं, ट्रेन में जांच पहले होगी तो एक्सीडेन्ट से बचें, और एक्सीडेन्ट से बचे तो डाकुओं से बचें, डाकुओं से बचें तो जेब कतरों से बचें, जेब कतरे छोड़ दें तो सामान उठाइगिरों से बचें, ट्रेन में यह खतरा है। यदि आप बस में जाते हैं तो बस एक्सीडेन्ट का खतरा, बस को लूटने का खतरा, यहां भी इसी प्रकार से चल रहा है। यदि जयपुर शहर में घूमने निकलें तो कहीं किसी का बटुआ निकल जाता है, तो किसी की जेब काटी जा रही है, कहीं किसी की चैन खींच ली जा रही है, यह हालत जब जयपुर शहर में हो, और आस-पास में हो तो मैं, कहना नहीं चाहता, अध्यक्ष महोदय, किसी पर कोई मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन एक बात कहना चाहूंगा जयपुर जिले में डकैती हुयी हो यह हमने नहीं सुना। आज कल जयपुर जिले में धड़ाधड़ डकैतियां हो रही हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आपके राज में भी हुई हैं।

श्री ईश्वर लाल सैनी (राज्य मन्त्री) : बैंक लूट लिये गये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दीपेन्द्र सिंहजी कह रहे हैं हमारे राज में हुई थी, उस समय आप कहां थे ?

(व्यवधान)

यह मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कई माननीय सदस्य मैं ऐसा समझता हूं की बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन कई बार वे कई बातें कह जाते हैं और भोलेपन में अपने को भूल जाते हैं, उस भोलेपन में अपने पास्ट को भूल जाते हैं और पास्ट को भूल कर ये फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन यही करना चाहूंगा कि कोई भी सवाल पूछे इस बात का ध्यान रखें कि ढाई वर्ष पहले वे कहां थे।

(व्यवधान)

उसके बाद में कोई सवाल करें।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आपकी xxx का सहयोग तो मैं दे रहा था, आपजो xxx रहे थे उसमें तो मै सहयोग दे रहा था इस xxx को कहां ले रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, इस xxx को नहीं कह रहा हूं। xxx तो मैं कह ही नहीं सकता उसको। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप बीच में क्यों खड़े हो गये। आपका तो डाक्टर साहब किसी को पता नहीं किस समय कहा चले जायें।

श्री हरिसिंह : मैं तो यह कह रहा था, आपकी xxx का मैं साथ दे रहा था उन माननीय सदस्य को क्यों बीच में ला रहे हो। मैंने आपको सौ दफा कह दिया, यह जो

---

xxx शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No 93

(93)

(श्री हरिसिंह)

आपकी आदत है छींटाकशी करने की वो छोड़ो। और भानुमती को साथ लेकर चलें ताकि तीन साल से ज्यादा राज फिर कर सको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो कुछ कहा इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन, सभापति जी, मुश्किल यह है कि आम जनता में किस प्रकार की धारणा बनती है। उस धारणा को हम आंकड़ों से सेटिसफाई नहीं कर सकते।

हम इस बात से सेटिसफाई नहीं कर सकते कि बजट प्रोविजन अबके इतने करोड़ रुपयों का रख दिया, हम इस बात से सेटिसफाई नहीं कर सकते कि इतने वायरलैस सैट्स हमने खरीद लिये, हम इस बात से लोगों का सेटिसफाई नहीं कर सकते कि हमारे यहां इतनी जीप गाड़ियों की और टेलीफोन्स की व्यवस्था हो गई है। आम जनता को हम सेटिसफाई कर सकते हैं कि इस प्रकार की घटनायें नहीं होगी उससे आप यह कहें कि डाकू पकडे जा रहे हैं, जैसा कि समाचार पत्रों में छपता है, अमुक डाकू पकड़ा गया, लेकिन सभापति महोदय, समाचारपत्र में एक तरफ डाकू पकड़ने की खबर आती है तो दूसरी तरफ फलां जगह डाका डाल दिया गया, यह खबर छपती है। करौली क्षेत्र में अभी एक डाला गया, माननीय मन्त्रीजी की जानकारी में आया होगा। सिपाहियों ने महाजनों को लूट लिया। उनको लूटने के लिए लुटेरे नहीं आए, सिपाहियों ने लूट लिया। और जब पता लगा कि हम तो गलती कर गए, लोगों को पता लग गया थाने में बुला कर समझौता किया। अब यदि यही स्थिति है लॉ-एण्ड-आर्डर की तो मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। हम इसको सीरियसली लेवें, हम इस चक्कर में न फसें किस राज में 76 में क्या हुआ था 72 में क्या हुआ, 76 में क्या हुआ, 80-81 में क्या हुआ। हमें इस प्रसंग में जाना पड़ेगा कि जनमानस में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है उस जनमानस की प्रतिक्रिया को शुद्ध करने की दृष्टि से मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय जो कुछ मैंने कहा उसको इस संदर्भ में लेकर, उसका किसी प्रकार से उपचार हो सकता है उसकी चिन्ता करेंगे। वरना मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों में आजकल बड़ा डर है। मैं जिस मकान में रहता हूं मैं कहना नहीं चाहता। आपको उसके आस-पास के कई लोग मुझको कहते हैं कि पहरे का इन्तजाम कराओ। मैंने कहा, घर-घर में कहां से पुलिस आयेगी; घर-घर में तो नहीं कराय जा सकता ज्यादा अच्छा होगा यदि आपको तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर आपस में पहरा देओ। यह तो मैं भी जानता हूं कि एक एक घर में पुलिस का आदमी नहीं हो सकता। लेकिन वातावरण जिस प्रकार का बन गया है उसके कारण से लोगों के मन मानस में एक प्रकार की चिन्ता हो गई है, बाहर निकलते ही कहीं एक्सीडेन्ट नहीं हो जाय, छुरेबाजी नहीं हो जाय, जेब काट ली जाय। इस प्रकार की जब स्थितियां बनती हैं तो सरकार को बहुत ही गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये, मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहूंगा।

---

x x x शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री हरिसिंह)

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री सभापति : एक अर्ज है मेरी, मन्त्री महोदय को एक-एक प्रश्न का उत्तर देने में आसानी होगी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सबका उत्तर एक साथ ही दे देंगे।

श्री सभापति : मुझे कोई इसमें....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, शुरू में विपक्ष के नेता ने एक-प्रश्न, दो उठाये फिर जनरल लॉ एण्ड-आर्डर के ऊपर एक संक्षिप्त भाषण भी दे दिया। अब मैं मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता कि कब से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। जो वक्तव्य मैंने यहां पर दिया, कोतवाली के अन्दर सब इन्सपेक्टर की हत्या हो गई, अगर उस पृष्ठभूमि में जाऊंगा कि 77 में जनता ने इनको राज सौंपा था तब कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति इसके बाद कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हुई, हुई जैसा कि इन्होंने स्वीकार किया, कि वे इन आंकड़े के जाल में नहीं फंसना चाहते और आंकड़े नहीं देना चाहते—

(2.38 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

यह बात सही है, लेकिन इस बात का भी इन्होंने यहां इम्प्रेशन दे दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आपके भाषण के अन्दर सुझाव के साथ-साथ सरकार के ऊपर राजनैतिक तौर से छींटाकशी हुई है। मैंने आपकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। आपका, कहना है, आपको कहने का क्या हक है कि क्या स्थिति थी, जिस भय-विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य लेकर आपने किस को किस प्रकार से भयविहीन किया। आपने जो परिपाटी डाली, वह चली आ रही है उसको कण्ट्रोल में करने में हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमन्, एक और बात निवेदन करना चाहता हूं। यह जो विरोधी पक्ष के नेता महोदय का संक्षिप्त भाषण था उसका मैंने संक्षिप्त में ही उत्तर दिया। उन्होंने दो सवाल खास तौर से पूछे, कोतवाली के अन्दर वहां जो पुलिस कान्स्टेबल होते हैं या सब-इन्सपेक्टर्स और ए. एस. आई. होते हैं, उनके पास भी हथियार होते हैं, उन्होंने कहा कि फिर क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कोतवाली के अन्दर हथियार रहते हैं, लेकिन, श्रीमन्, विरोधी पक्ष के नेता को यह जानकारी नहीं है, मैं यह सोच भी नहीं सकता था, उनकी जानकारी में नहीं है, जो सन्तरी ऑन ड्यूटी होता है उसी के पास हथियार होते हैं, बाकी लोगों के हथियार मालखाने में अन्दर रहते हैं। तो उस वक्त यह कहना कि और लोगों के पास हथियार थे, मैंने इस बात को, जो आपका प्रश्न था, स्वयं जानकारी की क्या और लोगों के पास हथियार थे ? यह तो परम्परा रही है आज नहीं, 50 साल से परम्परा रही है कि जो संतरी आन ड्यूटी होता है सिर्फ उसी के पास आर्म रहता है बाकी सब मालखाने के अन्दर बन्द

Page No 95

(95)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

रहते हैं। लॉक एण्ड की मोहर के पास रहती है। अब आपने सवाल किया, उस पर टूट पड़ते, उसको ओवरपावर करते वह स्थिति वहां नहीं थी क्योंकि पुलिस वाले और कर्मचारी थे वे निहत्थे थे और यह साइकोलोजी होती है, ऐसा वकुआ कहीं हो जाय थाने में तो सब अचरज में भौंचक्के रह जाते हैं और वहीं थाने में उस दिन हुआ उसने आवाज लगाई, उन्होंने कहा कोई आगे आया तो मार दूंगा। ललकारा उसके बाद बाहर गया और जाते ही आटो रिक्शा पकड़ा, आॅटो-रिक्शा वाले से कहा, मुल्जिम भाग गया जल्दी चलो। मैंने तथ्यों की जानकारी की। मुल्जिम भाग गया कह कर उसके अन्दर वह बैठकर रवाना होगया अध्यक्ष महोदय, वहां आये सबसे पहले लोगों ने लाश को देखा, देखा इसमें जान ही नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद पुलिस पार्टियां रवाना कीं।

एक प्रश्न जयपुर से आने वाले माननीय श्री भंवरलाल ने पूछा कि पुलिस के अधिकारी वहां कब पहुंच गये। पौने 10 बजे एस. पी. पहुंच गये, सवा 10 बजे डी. आई. जी. पहुंच गए थे। मेरे कहने का अभिप्राय है कि सरकार को इस दुर्घटना के बारे में दुःख है, खेद है, लेकिन इससे यह मोटिव इम्प्यूट कर देना और यह बात कह देना कि जनमानस के अन्दर बड़े भय की भावना पैदा हो गई है, यह बात गलत है। ऐसे वकुये पहले भी हुए हैं, इसमें मैं राजनीति को नहीं लाना चाहता। मेरे इलाके में, मेरे सब-डिवीजन में भी आपके राज में दो थानेदार मारे गये। जोबनेर में भी ऐसे ही मारे गये। मेरा कहना है कि that is very bad. जो हुआ बुरा हुआ, मैं उसको नहीं कहना चाहता। इस बारे में सरकार सचेत है।

आपने एक बात और पूछी जयपुर से आने वाले माननीय श्री भंवरलाल ने, कि पुलिस पार्टियां कब रवाना हुई। आफिसर्स आने से पहले पुलिस पार्टियां रवाना हो चुकी थीं। मैंने आपसे निवेदन किया पहली पार्टी हमारी 9.25 पर रवाना हुई, अब एक बात और आपने कही कि आपने पार्टियां कहां–कहां भेजीं ? इन्वेस्टीगेशन के हिसाब से मैं इतना कह सकता हूं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और सात पार्टीज गईं सब मिलाकर 10-10 मिनट के ड्यूरेशन से 11 लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि उसका इन्वेस्टीगेशन पर असर पड़ेगा. और मुल्जिम को इससे लाभ मिल सकता है इसलिए मैं बताना उचित नहीं समझूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार को दुःख है, उसकी मृत्यु जिन हालात में हुई।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मैं एक बात पूछती हूं। अध्यक्ष, महोदय 9 तारीख का यह वाका है आज 11 तारीख हो गई, इतने टाइम से मुल्जिम फरार है। मैं जानना चाहती हूं मन्त्री महोदय से क्या उन्होंने इस बात को जरूरी नहीं समझा कि सरकारी तौर पर कोई विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जाती जिससे मुल्जिम का हुलिया बयान किया जाता ताकि उसको फरार घोषित किया जाता, ताकि जनता में जो भय है, जनता में जो अन्देशा है, उससे किसी की जान माल को हानि हो सकती है, उससे जनता सजग

(सुश्री पुष्पा जैन)

हो जाती क्यों यह नहीं जरूरी समझा ? पकड़ने में सफल हो जाती और फोटो छप जाती उन्होंने....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्या को एक बात का जवाब दे दूं। माननीय सदस्या ने कहा विज्ञप्ति क्यों नहीं निकली। सब अखबारों में आ चुका है इसलिए विज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं थी, वायरलैस के द्वारा सभी जगह सूचना दी गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। श्री भंवरलाल शर्मा !

सुश्री पुष्पा जैन : या तो मैं अपना सवाल समझा नहीं पाई या मन्त्री महोदय पकड़ नहीं पाये। क्या अखबारों में छपने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई ? सरकारी तौर पर विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली आपने, क्यों नहीं जरूरी समझा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : एक तरफ आप कहते हैं कि विरोधी दल के सदस्यों ने राजनैतिक धूल उछालने के लिए अखबारों में छपवाया है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अखबार में आ गया तो आपकी जिम्मेदारी खतम हो गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल !

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात का जवाब आने दीजिये, उन्होंने क्यों नहीं जरूरी समझा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल संक्षेप में। आर्डर प्लीज, आपस में बातें न करें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्रियों के वक्तव्य के सम्बन्ध में प्रक्रिया के जो नियम हैं उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न नहीं किये जायेंगे, लेकिन चेयर ने बड़ी मेहरबानी करके आधा घण्टा विरोधी दल के नेता का भाषण सुना जो सदस्य बोलना चाहते हैं जयपुर से आने वाले श्री भंवरलाल उन्होंने पहले प्रश्न कर लिये और चर्चा समाप्ति की घोषणा आपने कर दी उसके बाद भी चर्चा चलती रहेगी तो फुल टाइम....

श्री अध्यक्ष : यही प्रयत्न कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले माननीय सदस्य से निवेदन है कि इस व्यवस्था में जितना समय लगाया है उसमें सवाल डिस्पोज् आफ हो जाता है तो व्यवस्था का प्रश्न उठाने वालों से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : यह सिद्धान्त का सवाल है।

(व्यवधान)

आर्डर माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जैसे ही उसने गोली मारी उसके बाद उसने सबको चैलेन्ज किया उसके बाद वहां जो थाना अधिकारी थे उन तक सूचना पहुंची ...

श्री अध्यक्ष : उसको दोहराने की जरूरत नहीं, सदन ने सुन लिया आप अपनी बात करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब है थाना अधिकारी आये और उन्होंने उसे चैलेन्ज किया। इसका मतलब है गोली मारने से लेकर उसके भागने तक कम से कम 5-7 मिनट लगे, हो सकता है घटना का मुकाबला करने के लिए आपके पुलिस वाले इतने नहीं थे लेकिन 5-7 मिनट के बाद वह गया आपका यह भी कहना है कि वह आटो रिक्शा में बैठकर गया तो उस आटो रिक्शा वाले ने पूछा कि उसे कहां जाना है तो उसने कहा एक मुल्जिम भाग गया मुझे लेकर चलो, तो फिर इस सारी स्थिति में, समय मिलने पर पुलिसवालों ने उसका पीछा क्यों नहीं किया कि वह कहां जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। आर्डर प्लीज। अब मैं प्रश्न अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली कि इस घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है। शायद उसकी पूरी तफतीश नहीं हुई इसलिए नहीं मिली लेकिन जो छुटपुट अखबारों से समाचार मिले हैं वे सारे कारण नगण्य हैं जिससे इतना प्रावोकेशन आदमी को हो जाय और ऐसे स्थान पर हो जाय, पुलिस थाने में, जो राजधानी के केन्द्र में है। मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं और मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कैसे मर्डर किया गया, 5-7 मिनट लग गए ...

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऐसा तो नहीं है कि कहीं इस प्रकार की अनुशासनहीनता इस क्षेत्र में व्याप्त हो गई हो कि जिसके कारण पुलिस के कैडर में उसको पकड़ने में उस प्रकार की स्थिति तो नहीं बन पड़ी ? मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि आज प्रातः जब थाने में जाना हुआ तो उसकी चर्चा वहां हुयी। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बात की जांच करें कहीं पुलिस कैडर में पुलिस के आपस में जो स्टेजेज हैं उनमें ऐसा तो नहीं है कि अनुशासनहीनता के कारण नमूने के तौर पर यह पहला वाका हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : फरार पुलिस वाला जो राइफल ले गया उसमें कितने कारतूस थे, वे नोटेड थे या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय दाऊदयालजी ने जो प्रश्न किया। राइफल में 9 कारतूस और हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : 9 कारतूस, और सरकारी तौर पर कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली जाय ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई। मंत्रीजी बिराज जायं।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, अब दुबारा चर्चा नहीं होगी। आप बार-बार सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, आप विराज जायें। मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह तो आपको मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि उसके पास 9 कारतूस थे। उसके बाद यहां पर माननीय सदस्य श्री ललित किशोरजी ने यह प्रश्न पूछा कि पुलिस के लोगों में क्या इतनी अनुशासनहीनता वहां पर हो गई है कि किसी ने उसको पकड़ने की चेष्टा नहीं की तो यह बात नहीं है। पुलिस के द्वारा वहां पर कोई समय बरबाद नहीं किया गया और न ही कोई प्रकार की गफलत पुलिस द्वारा की गयी। चूंकि घटना एकदम घट गयी थी इसलिये उसमें दो चार मिनट का समय लगा। वहां पर लाश पड़ी थी एक साथी की लाश पड़ी रहने के कारण इतना तो स्वाभाविक है कि दो चार मिनट लग जायें। लेकिन तुरन्त मालखाने से आर्म्स निकाल कर दूसरे सिपाहियों को दिये गये और वह लोग तुरन्त उसके पीछे रवाना हो गये। इसमें कोई गफलत हुई हो वह बात नहीं है। यह तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है।

दूसरा प्रश्न यह पूछा कि इसके क्या कारण थे। अब कारण का तो, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो मारने वाला है वह तो फरार है और जो मर गया उसको तो पूछने का प्रश्न ही नहीं है।

एक बात छोटी सी सामने आयी है उस बात को भी मैं कोई विशेष महत्व नहीं देता हूं। वह बात अखबारों में भी आयी है। वह दो तीन दिन से ड्यूटी से गैर हाजिर था। थानेदार ने उसकी गैर हाजिरी लगा दी थी। तो यह मामला तो नहीं था। यह तो मुल्जिम के पकडे जाने पर जब पूरी तफतीश की जायेगी तब पता लगेगा या वहां उस के दूसरे जो कलिग हैं उनसे पूछने पर ही स्थिति साफ हो सकेगी। इस स्टेज पर जब कि इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, कुछ कहने से इन्वेस्टीगेशन पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है इंफरेंस नहीं निकाला जा सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं वह यह है कि जब वह मुल्जिम आटो रिक्शा में बैठकर गया और पुलिस अभी तक उस आटो रिक्शा वाले को नहीं पकड़ सकी। आखिर वह आटो रिक्शा वाला कौन था, यह बतावें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। व्यवधान नहीं डालें। आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर !

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर !

16 फरवरी, 1981 को कांग्रेस (आई) द्वारा आयोजित रैली में हुई बस दुर्घटना व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को रैली के लिये बसें देने से हुई हानि

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, यातायात मन्त्री रैली के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृत मार्गों पर अतिरिक्त यात्रियों को वाहन उपलब्ध कराने का कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की है। सामान्य रूप से चलने वाले यात्रियों को सेवायें उपलब्ध कराने के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियां, जैसे मेले आदि के अवसरों पर अतिरिक्त परिचक्र यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखकर चलाये जाते हैं। 16 फरवरी, 1981 को दिल्ली में होने वाली किसान रैली में सम्मिलित होने के लिये प्रदेश के विभिन्न भागों से अनेक व्यक्तियों के सम्मलित होने की सम्भावना थी जिसके लिये यातायात के विभिन्न साधनों जैसे विशेष रेलें, विशेष बसों की व्यवस्था की गयी। रैली में जाने वाले व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या होने के कारण रैली के आयोजकों के लिये निजी वाहन एकत्रित करना सम्भव नहीं था। इसलिये उन्होंने राज्य सरकार को राज्य पथ परिवहन निगम की बसें उपलब्ध कराने की मांग की। राज्य सरकार ने इस मांग के सभी पहलुओं पर विचार कर दिल्ली में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर केवल निगम ही बसें चला सकता है निगम को इन यात्रियों को दिल्ली ले जाने एवं लाने के लिये निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों की पालना में राज्य के विभिन्न स्थानों से 1132 बसें रैली के लिये चलायी गयीं।

निगम को वित्तीय हानि होने का प्रश्न इसलिये उत्पन्न नही होता क्योंकि उपरोक्त बसों में जाने वाले यात्रियों से भाडा प्राप्त करना है। उक्त बसें रैली में भेजने की व्यवस्था करने के बाद भी राज्य के अन्दर चलने वाले परिवहन निगम के वाहनों को इस तरीके से चलाया गया जिससे कि यात्रियों को बहुत कम असुविधा हो।

यह कहना कि रैली में बसे ले जाने के कारण परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, वेतन या भत्तों का चुकारा नहीं हो रहा है, वाहनों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, सर्वथा निराधार है।

किसान रैली के संयोजक, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) है, ने सभी यात्रियों के आने व जाने के किराये के भुगतान का वायदा किया है एवं अग्रिम के रूप में एक लाख रुपये की राशि जमा करादी है। प्राप्त सूचना के अनुसार संयोजकों को अभी निगम की ओर से बिल प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये यह कहना कि भुगतान नहीं हो रहा है सही नहीं है। रैली के संदर्भ में पांच दुर्घटनाओं के होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें चार वाहन निगम के तथा एक प्राइवेट सम्मिलित था। इन दुर्घटना में आठ यात्री मृतक हुए, 9 व्यक्ति गम्भीर रूप से और 51 व्यक्ति साधारण रूप से घायल हुए। इनमें अधिकतर मामलों में अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है। यह आरोप कि रैली में अकाल राहत पर लगे मजदूरों को जबरन ले जाया गया उनका भुगतान रोका गया, सर्वथा निराधार है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव भी आये हैं और माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आया है अब यह विपक्ष के सदस्यों के ऊपर है कि वह अपनी प्रायोरिटी तय करदें वरना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देने वाले को पहले बोलने का अवसर दिया

(श्री अध्यक्ष)

जायेगा और उसके बाद में स्थगन प्रस्ताव देने वाले सदस्यों के नाम पुकारे जायेंगे। लेकिन आप जो भी कहें संक्षेप में कहें। श्री नाथूसिंह !

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा....

(व्यवधान)

कि 16 फरवरी को जो बसें दिल्ली के लिये निगम ने दीं उसमें उस रैली के संयोजक थे वहां यातायात मन्त्रीजी थे और उस कमेटी के चेयरमेन भी यातायात मंत्रीजी थे। उन्होंने ही चेयरमैन को आदेश दिये कि रैली में बसें दी जायं। अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी बसें निगम से ली जाती हैं तब निगम की यह व्यवस्था है कि निगम अपनी बसों को सवारियों के हिसाब से आन कान्ट्रेक्ट देता है। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया मन्त्री महोदय ने कि जो बसें दो गयी निगम द्वारा वह सवारियों के हिसाब से दी गयी थीं या ऑन कान्ट्रेक्ट के हिसाब से बसें भेजी गयीं ? अध्यक्ष महोदय, निगम के यह नियम है कि जब ऑन कान्ट्रेक्ट बसें दी जाती हैं तो पहले एडवान्स में किराया लिया जाता है और उसके अलावा 25 प्रतिशत ज्यादा किराये से लिया जाता है।

श्री माणकमल मेहता : यह कौनसा नियम है आपने कहां पढ़ा, यह बता दें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा जो किराये से लिया जाना हैं उन सभी नियमों की अवहेलना करके यह किया गया। दूसरे निगम की जो 350 बसें जो कि आफ रूट थीं उनके लिये एक स्पेशियल आर्डर निकाला कि इन आफ रूट बसों को मार्केट से ठीक करा लिया जाय। जो ठीक करने के नियम है कि बसों को डिपो में ही ठीक किया जाता है उसके भी स्पेशल मार्केट में ठीक कराने के स्पेशल आर्डर निकाल कर अवहेलना की है यह स्पेशल आर्डर क्यों निकाला गया इसके अलावा इसमें कितना खर्चा हुआ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : इसके अलावा निगम अपनी बस जब किराये पर देता है तो वह तीन रुपये 70 पैसे प्रति किलो मीटर के चार्ज करता है। इसके अलावा दो सौ रुपये एक रात जहां बस ठहरती है उसके लेता है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन नियमों की पालना की गयी है? इसके अलावा यह रूल है कि बसें जाकर डिपो में ही ठहरती हैं किसी के घर पर नहीं जाती हैं तो क्या रैली की बसें किसी के घर पर गयी थीं और गयी तो कहां पर ? यह भी बताने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर,। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर 13 तारीख को निगम के पास कुल 1,881 बसें थीं; इसमें से 14 तारीख को 1876 बसें रहीं और 15 तारीख को 1227 बसें.... और 16 तारीख को सिर्फ 865 बस ही आन रूट रह गयी। 17 तारीख को, 900 बसें आन रूट रही। निगम ने यह विज्ञप्ति निकाली को 19 तारीख से सभी

(श्री नाथूसिंह)

बसें यथा स्थिति में व्यवस्था पूर्वक चलेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि इन पांच दिनों में जो इतनी बसें कम हुई 11 तारीख को 800, 15 को 654 16 को 1018 बसें और 17 को 981 बसें कम हुई। इसके अलावा जो आफ रूट हैं 350 में से 50 आफ रूट रहीं बाकी सभी रैली में गयीं यह किन नियमों के तहत गयीं? इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, बसों के जो माइलोमीटर होते हैं उनको भी पहले से ही बन्द करने के आदेश दे दिये गये, तो इसमें मेरा प्रश्न यह है, कि माइलोमीटर बन्द क्यों हुए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलें।

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : आप इनको बाहर निकाल दीजिये। यह सुनना नहीं चाहते हैं।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान परिवहन निगम की बसें एक दिन में चार लाख 79 हजार किलोमीटर चलती हैं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इन पांच दिनों में निगम की बसें दो लाख 34 हजार किलोमीटर ही प्रति दिन चलीं।

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह था कि साठ पर्सेन्ट बसेज रूट पर उस दिन नहीं थीं। यहां तक कि जयपुर से अजमेर जाने वाली बसें रोक दी गई, यात्रियों को असुविधा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जिन कानूनों का पालन करना चाहिये था एक भी कानून का पालन नहीं किया गया, जयपुर में 96 बसें चल रही थीं उनमें 70 बसें रैली में भेज दी गयी। यहां केवल 26 बसें रखीं। सीकर डिपो में 85 बसें थीं उसमें से 68 बसें दिल्ली भेज दी थीं केवल 17 बसें उस दिन मौजूद थीं उसमें से 46 बसें...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्यगण, बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

एक माननीय सदस्य : वाह रे किसानों के हत्यारों.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी करनी है कि आप सत्तारूढ़ दल को व्यवस्था में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के लिए और विपक्ष के लिये समान कानून हैं और जैसी परिस्थितियां होती हैं मेरा प्रयत्न तो यह रहता है, कि दोनों तरफ के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनके ऊपर एकसी व्यवस्था लागू करूं क्योंकि

(श्री अध्यक्ष)

कभी इधर वाले उग्र रूप धारण कर लेते हैं और कभी उधर वाले कर लेते हैं। मेरी समान दृष्टि है मेरे विचार में जहां तक अवसर देने का सवाल है समान रूप से देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर सर, । जो प्रश्न सदन के सामने विचारार्थ है। वह निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, और इसलिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य

श्री छोगाराम बकोलिया : ....आपका XXXकर दिया....

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्तारूढ़ पक्ष के लोगों का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : .... मिला–जुला षड़यन्त्र है विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाय, तो हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि जो इनका षड़यन्त्र है वह कामयाब होगा या हमें बोलने दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आसन पैरों पर है। एक बात का ध्यान रखें, खासतौर से सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य, कि आपका बहुमत है अतः मेरे से भी ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि सदन में जो भी कार्यवाही हो शांति से चले। इसलिए सत्तारूढ़ दल से खासतौर से निवेदन है कि आपका दल बड़ा है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आर्डर, प्लीज, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रारम्भ कीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गलत बयानी क्यों करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज ...

(व्यवधान)

....आर्डर, आर्डर । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आंकड़े झूठे हैं या सच्चे हैं इसका निर्णय जोर से आवाज देकर या सदन की कार्यवाही में बाधा डाल करके अथवा किसी की सुनी को अनसुनी करके नहीं किया जाना चाहिये। यहां पर अपनी वाकपटुता का, दक्षता का और जानकारी का परिचय दीजिये और साबित कीजिये कि यह जो कह रहे हैं, गलत है।

XXXशब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्य,

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बसों को कान्ट्रैक्ट पर लिया या यात्री किराये पर लिया–कोई नियमों का पालन नहीं किया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, ब्यावर से आने वाले सदस्य, कृपया बैठे-बैठे रिमार्क्स पास नहीं करें, यदि कहना हो तो पाइन्ट आफ आर्डर के माध्यम से कहें। ....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, यातायात विभाग के नियम हैं, परमिट दिये जाते हैं, जिस रूट से बसें जाती हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन बसों के लिए कोई परमिट नहीं दिये गये। किसी बस का परमिट नहीं। सरकारी बसों को ले जाया गया और परमिट से जो आमदनी होती थी उससे सरकार को वंचित होना पड़ा, यात्री कर का नुकसान हुआ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय उपमंत्री जी

श्री नाथूसिंह : यात्री कर वसूल नहीं किया गया परमिट शुल्क वसूल नहीं किया गया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। यहां तक ही नहीं, जो बसों का डीजल काम में आया—एक तरफ तो किसानों को डीजल नहीं मिल रहा है और उनकी फसलें सूख रही हैं और दूसरी तरफ 18 लाख लीटर डीजल उस दिन खर्च किया गया। ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दिया गया, बसों को डीजल दिया गया। प्राइवेट बसों को डीजल नहीं दिया गया और रैली में जाने वाली बसों को डीजल दिया गया....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य,

श्री नाथूसिंह : ...और इस कारण हमारे यहां पर राजस्थान में 18 लाख लीटर डीजल का उस रोज दुरुपयोग हुआ। यही नहीं, 13 फरवरी को कांग्रेस आई के प्रदेश अध्यक्ष, श्री रामनारायणजी चौधरी का बयान आया, उन्होंने प्रेस नोट दिया और स्वीकार किया कि इस रैली के लिए हमने 3500 बसों की व्यवस्था की, 2500 ट्रकों की व्यवस्था की और 500 ट्रैक्टर्स की व्यवस्था की....

श्री अध्यक्ष : यह तो काम्पीटिशन में बताया जाता है कि हम यह कर रहे हैं और वह कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ढाई लाख किसान गये थे और उसी से आपका जी जल गया कि ढाई लाख किसान वहां पहुंच गये आपकी पोल खुल गयी, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं। अब नाथूसिंह जी और भैरोंसिंह जी भाषण भले ही दें और कुछ है नहीं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी माननीय चीफ व्हीप बोले हैं उन्होंने तो वहां बोलकर रैली में भाग लेने का काम पूरा कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गये होंगे लेकिन आप तो उसमें शामिल ही नहीं थे। शेरगढ़ से तो गये ही नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर सर, आप मुझे अनुमति देंगे, जोर से काम नहीं चलता है। चलता है, तथ्य क्या बोलते हैं। मुझे तो हाथ जोड़कर अध्यक्ष महोदय से कहना है आप किसी प्रकार इन्फार्मेशन देंगे तो व्यवस्था हो जायेगी। आपने कहा कि काम्पीटिशन है तो क्या गाड़ियां कानूनी ढंग से ले जायी गयीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने मेरी भावना को नहीं समझा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण काफी आक्रोश में थे आपस में विवाद बढ़ रहा था मैंने उस वक्त बात कही ताकि स्टीम सैट-आफ हो जाये।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है काम्पीटिशन होना चाहिये उसके लिए घोषणा की जाती है। लेकिन काम्पीटिशन हमेशा स्वस्थ परम्पराओं का होना चाहिये। यहां पर अस्वस्थ परम्पराओं का काम्पीटिशन हो रहा है गलत चीजों का काम्पीटिशन हुआ है इसलिये अच्छा नहीं कहा जा सकता....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नाथूसिंह : निगम की तरफ से एक सूची निकाली गई और सूची में लिखा गया डिपो मैनेजर, उदयपुर इतनी बसें आपके यहां से आयेंगी, डिपो मैनेजर जोधपुर इतनी बसें आपको भेजनी हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

शीघ्र समाप्त करें। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : इस सारे मामले की जो जड़ है, माननीय मंत्री महोदय ने अपने हाथ से आदेश निकाले और राजस्थान राज्य परिवहन निगम और यातायात विभाग....

(व्यवधान)

यातायात विभाग जिसके कमिश्नर आर. के. अग्रवाल थे....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, समय बहुत बरबाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नाथूसिंह : जो पहाड़िया जी के चुनाव में गए थे उनको इनाम यह दिया गया

(श्री नाथू सिंह)

कि उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिया गया। उन्होंने एक भी बस, ट्रक को परमिट नहीं दिया यात्री शुल्क लिया....

(व्यवधान)

नहीं और सारी ट्रांसपोर्ट की मशीनरी बसें इकट्ठी करने में लगादी। सरकारी खजाने को इससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ..

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, यातायात विभाग इनके पास है....

एक माननीय सदस्य : आपको दे दें क्या ?

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : वह आ जायेगा आपके कहने से नहीं आयेंगे।

वह तो साल दो साल में वैसे ही आने वाले हैं आपके कहने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। फुलफ्लेज डिबेट नहीं है। कृपया समय का ध्यान रखें। शीघ्र अपनी बात समाप्त कर दें, दो मिनट में।

श्री नाथूसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह क्या बसें कान्ट्रेक्ट पर थीं या यात्रियों के हिसाब से थी ? दूसरा, आफ रोड बसें कितनी थीं ? 16 तारीख को आफ रूट बसें कितनी थीं और जो कान्ट्रेक्ट पर दीं वह कितनी थीं..

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आफ रूट बसों को

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, बार-बार एक ही बात को कह रहे हैं यात्री, यात्री, यात्री,

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा, कृपया, इनको जल्दी समाप्त करने दीजिये।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को बसें भेजने से कितने का घाटा हुआ ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घाटा कहां हुआ ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कमाई हुई है।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : नफा हुआ है। हम कह रहे हैं नफा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : आपने गलत कहा है। हमने हमारे क्षेत्र से किराया दिया है..

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ।

श्री नाथूसिंह : राजस्थान पथ परिवहन निगम ने कितने का बिल भेजा ? क्या उस बिल का भुगतान कर दिया गया ? और क्या आपने जो कान्ट्रेक्ट देने के नियम बने हुए हैं, उनका पालन किया ? यह मेरे प्रश्न हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री नाथूसिंह जी की ओर से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था उनको कुछ अधिक समय दिया गया। जैसा कि स्थगन प्रस्तावों में आम तौर से व्यवस्था दी जाती है मंत्री महोदय, अपना वक्तव्य दे देते हैं उसके बाद में स्पष्टीकरण के तौर पर जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव दिये हुए होते हैं उनको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है इस अवसर पर भाषण नहीं होते, जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव है उनको ही अवसर दूंगा। एक-एक, दो-दो मिनट स्पष्टीकरण के तौर पर बात करने का कष्ट करें।

कुमारी पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से ··

श्री परसराम मदेरणा : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था पूर्व में यह रही है और परिपाटी है किसी ने भी स्थान प्रस्ताव रखा, चाहे आप रिजेक्ट करते हैं चाहे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं वह वक्त बोलने का होता है या स्टेटमेंट के टाइम दो मिनट बोलने का समय होता है। जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और आपकी चेतावनी के बावजूद कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे। रिकार्ड के आधार पर स्टेटमेंट दिया था, उस वक्त बोलना चाहिए या आज बोलना चाहिए। जो माननीय सदस्य उस वक्त बोल लिये हैं आपकी व्यवस्था के हिसाब से उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मेरे लिये भी बड़ा कठिन होगा पिछले 15, 20 दिनों में रैली के बारे में कई सदस्य बोल चुके हैं। इसलिये अच्छा है जिनके स्थगन प्रस्ताव में नाम अंकित हैं उनको एक, दो मिनट का समय दे देता हूं। कुमारी पुष्पा।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश का सवाल है ···

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। शांत रहे।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव दे रखे हैं एक बस एक्सीडेंट का और दूसरा किराये के विषय का। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से ट्रेजरी बैंचेज में बैठे हुए माननीय सदस्यों के लिए 16 फरवरी का वह दिन एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है क्योंकि उन्होंने गरीब किसानों की बलि देकर····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अब आप अकेली रह गई ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

एक बात कम से कम जरूर ध्यान रखें। माननीय सदस्या महिला सदस्या हैं और जब वह डिबेट में पार्टिसिपेट करें तो हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : इन्होंने इन्दिरा जी को जेल भेज दिया था वह महिला नहीं थीं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : गरीब किसानों की बलि देकर

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : किसान कहां थे मजदूर की बलि देकर

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : स्पष्टीकरण न करें। भाषण दे रही हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनसे कहिये, स्पष्टीकरण दें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : x x x

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : 16 फरवरी के दिन भीलवाड़ा जिले और निम्बाहेड़ा पंचायत समिति से उन गरीब मजदूरों को जो फेमिन में काम कर रहे थे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, " माननीय सदस्य।

मैं माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करता हूं और खास तौर से सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों को जो कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलायें, सम्मानित ढंग से चलायें। सदन में शान्ति से वाद-विवाद और चर्चा हो, यह हम सबका उत्तरदायित्व है। बड़े अफसोस की बात है एक विषय पर चर्चा हो रही है और उसमें बाधा उपस्थित कर रहे हैं यह आपके लिये और हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। मेरे लिये ऐसी परिस्थितियों में असम्भव है कि समय के भीतर सदन की कार्यवाही चला सकूं ... ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है, किन्तु जो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे हैं उनके बिन्दुओं को ही उठा सकते हैं लेकिन कोई मजदूरों की बलि देने की बात कहेगा वह बर्दाश्त नहीं होगी ... ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हनुमान प्रसाद प्रभाकर xxx कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

---

xxx अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

xxx शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया.

(श्री अध्यक्ष)

कृपया ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिससे सदन में उत्तेजना पैदा हो।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये वाक आउट के मूड में हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि 16 तारीख को सुबह....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, इस विषय पर डिबेट को मैं 3-45 तक निश्चित करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये हाउस में बोलने दें, तो हम बोलें हम इनकी मर्जी पर रहने वाले नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : बोलने के नाम पर कांग्रेस को गालियां दी जा रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं मान-सदस्यों से निवेदन करता हूं....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x हनुमान प्रभाकर जी दे रहे हैं....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : नहीं दी है।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : वाक आउट वाक आउट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज... कृपया स्थान ग्रहण करें। आप बिराज जायें। आसन को सदैव यह अधिकार है कि डिबेट या चर्चा अधिक लम्बी हो जाय तो समय सीमा के अन्दर लेकिन ...

(व्यवधान)

ऐसा अधिकार आसन को है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे बोलने का अधिकार नहीं है, आपके बोलने का अधिकार है....

(व्यवधान)

आपकी मदद हम करेंगे। आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप तो बोलिये।

श्री अध्यक्ष : यदि कोई माननीय सदस्या चर्चा में भाग ले रही हों और बाधा के कारण समय अवधि के अन्दर यदि निर्णय नहीं होता हो तो यह भी आसन को अधिकार है कि समय को बढ़ा सके, एक बार इधर ठीक हो जाता है, तो एक बार उधर ठीक हो जाता है....

(व्यवधान)

---

xxx शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय सदस्यों को बोलने का अख्तियार है लेकिन x x x बोलने का अख्तियार नहीं है....

श्री अध्यक्ष : x x x शब्द को कार्यवाही से हटाया जाता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये....।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जो आचरण हुआ उसमें मेरा निवेदन यही है कि 16 तारीख को मैं गई थी, एक्सीडेंट हुआ आदमी मारे गए। मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं कहना है सरकार इस बाबत कहे तो अच्छा है, लेकिन जो मुद्दे की बात है वह यह है कि एक तो वह बस जिस का एक्सीडेन्ट हुआ उसका परमिट नहीं था। उस बस का परमिट....

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उसका परमिट था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, दूसरी मुद्दे की बात है उस बस में जो गरीब लोग बैठे थे वे किसान नहीं थे, मजदूर लोग थे...

अनेक माननीय सदस्य : x x x

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज.... आर्डर प्लीज...

एक माननीय सदस्य : ये किसान की भाषा को नहीं समझतीं, खेतिहर मजदूर थे।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : वे गरीब मजदूर काम कर रहे थे...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न जिस पर मैं आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह यह है कि जो लोग इस रैली में मौत के घाट उतारे गये और जो लोग इस बस में थे वे किसान नहीं मजदूर थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्यों को मैं सूचित कर दूं, कि यदि शांति बनाये नहीं रखी जाती है तो मैं माननीय सदस्यों को सूचित करने की सोच सकता हूं कि इसको फिर दो घण्टे की चर्चा के बाद में लिया जाय। क्योंकि राइट आफ डिबेट तो पूरा है, पूरा होगा। इसलिये कृपया सहयोग करें ताकि इस पर चर्चा हो सके। आपसे मैं प्रिजूडिस नहीं हूं। कृपया शांत रहें।

---

xxx शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

xxx अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय अकेले झालावाड़ जिले से 11 हजार मजदूरों को उस रैली में ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सूरजपाल सिंह : खेतिहर मजदूर कहें। मजदूर और किसान की परिभाषा आप जानते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : मैंने जो सुझाव दिया था, उसके सिवाय कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। इसलिए क्या मैं यह करूं कि इसको आगे दो घण्टे के लिए रखूं, मन्त्री महोदय। नहीं, तो आप अपने दल को नियन्त्रित कीजिये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपने जो ये आरोप लगाया है....

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : आप सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं, सम्पूर्ण रूप से हम अनुशासन में हैं, नियंत्रण में हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। मंत्री जी।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : दल को नियंत्रण करने का सवाल शिरोधार्य है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जैसा अनुरोध किया कि बिन्दु जो उठाना हो, उठायें लेकिन भाषण के नाम पर प्रचार की दृष्टि से यदि इस सदन का राजनीतिक रूप से प्रयोग किया जाता है तो उसका निश्चित रूप से विरोध होता है और विरोध होता रहेगा।

(व्यवधान)

मेहरबानी करके आप शांत रहें, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि सदन के अन्दर किसी को पसन्द आये, वही बात कही जाय और आसन का यह कर्त्तव्य है, कि विषय से हटकर, मानहानिकारक, अपमानजनक और असंसदीय शब्दों का प्रयोग न हो, यह तो हमारी गारण्टी है। बाकी विचारों की पूर्ण स्वतन्त्रता है और समय सीमा का बन्धन भी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इसको उस वक्त काम में ले सकते हैं जब शांति से डिबेट हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि हम अपने दल को नियंत्रित करें मेरा निवेदन है कि जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मजदूरों की बलि चढ़ाई गई तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि कोई बात आपको पसन्द नहीं आती है अथवा आपत्तिजनक है तो अपने नियमों में पर्याप्त प्रावधान है, उसके अनुसार आप उसको एक्सपंज करवा सकते है या अन्य कोई तरीके को अपना सकते हैं

(श्री अध्यक्ष)

लेकिन उसका जवाब ये नहीं है कि सदन के नियमों को भंग करके किसी माननीय सदस्य को बोलने नहीं देंगे, बोलने का सब का अधिकार है।

व्यवस्था का प्रश्न

शासकीय वक्तव्य पर वाद-विवाद का समय

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय, ये जो रूल्स आफ प्रोसिजर में कन्डक्ट आफ बिजनेस के रूल 56 में 2 घण्टे की डिबेट का समय निर्धारित है, वह उस समय है जब आप किसी भी एडजोर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट करके और रेज करने की कन्सेंट देते हैं। एक तरफ डिबेट अरेन्ज की जाती है और हाउस का बिजनेस पोस्टपौन किया जाता है और मैं नहीं समझता हूं कि किसी के काल अटेन्शन के सम्बन्ध में 2 घण्टे के समय का प्रावधान इस धारा के अन्दर है, यह हम जानना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्दर अध्यक्ष को काफी अधिकार दिये गये हैं, नियमों को सस्पेन्ड करके जो विषय चर्चा में आ जायें, उसमें कितना समय दिया जाय, कितना नहीं दिया जाय आसन को ऐसा अधिकार है। 2 घण्टे में नियम 56 के अन्दर नहीं किया था, यह कोई इन्सीडेंट में है कि 56 में 2 घण्टे का प्रावधान है। इसलिए 2 घण्टे वाली बात नहीं कही, ऐसी बात नहीं है लेकिन नियमों के अनुसार और सदन में किसी विषय के ऊपर पर्याप्त चर्चा हो, उसमें क्या समयावधि हो, इतना नियंत्रण रखने का आसन को अधिकार है।

16 फरवरी, 1981 को कांग्रेस (आई) द्वारा आयोजित रैली में हुई बस दुर्घटना व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को रैली के लिए बसें देने से हुई क्षति

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जो फेमिन में सड़क बनाने के लिए मजदूर काम कर रहे थे....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : उनकी 35 रुपये मजदूरी 7 दिन की काटकर, उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि वे दिल्ली में आयोजित किसान रैली में भाग लें। मेरी इस बात के समर्थन, मेरी इस बात के एविडेन्स में यह कैसेट मौजूद है, जिसमें उन गरीब मजदूरों की जबान ही बन्द है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : पूरे राजस्थान से 25 हजार मजदूरों, जिनके नाम उस दिन के मस्टररोल में दर्ज हैं, की जबर्दस्ती मजदूरी काटकर उनको....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिलकुल X X X बोल रही है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मजदूर तो मजदूर, पागलों को ले जाया गया ...

(व्यवधान)

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये XXX बोल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय मजदूरों को ले गये, उस दिन की मजदूरी काटकर ले गये, इस पर भी कोई एतराज नहीं लेकिन पागलों को भी नहीं छोड़ा गया। अलवर जिले से खैरथल गांव में से 3 आदमियों को ले जाया गया। दो तो वापस आ गये और एक अभी तक वापस नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिले से एक चिट्ठी आयी है, बासू पत्नी भैरू बैरवा, इसने लिखा है मेरे पति को रामशरण मीणा नेता और गिरधारी मीणा जबर्दस्ती रैली में ले जाने के लिए लेकर गये थे।....

एक माननीय सदस्य : आपमें कौन सा XXX है।

उसके पति को लेकर गये जो आज तक रैली से वापस नहीं आया।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह दशा गरीबों की, मजदूरों की है। अब आऊँगी मैं....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए। दो मिनट।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस आई द्वारा कही जाने वाली इस ऐतिहासिक रैली को सजाने के लिए जो निगम की बसें किराये पर ली गयीं, उनके किराये पर मैं, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, मालूम यह हुआ है कि निगम के उच्च अधिकारियों को इस्तीफा तक देने की नौबत आ गयी है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के यहां एक मीटिंग आयोजित की गयी, निगम के अधिकारियों के साथ 50 प्रतिशत के हिसाब से वे पैसा जमा करा देंगे क्योंकि निगम में नियम है कि सौ प्रतिशत पैसा जमा कराना पड़ता है और उसी के बाद निगम की बसें किराये पर ली जा सकती हैं लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। मुझे यह भी पूछना है मन्त्री महोदय से कि अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि इनको कान्ट्रेक्ट बेसिस पर लिया गया या पर यात्री टिकट के हिसाब से?

श्री अध्यक्ष : ये प्रश्न पहले आ गये हैं। पुनरावृत्ति हो रही है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पैसेंजर्स....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, निगम, की इतनी बड़ी राशि जिसको चुकाना इन लोगों का फर्ज था, वह एडवांस में नहीं चुकायी और अभी भी उसे चुकाने में आनाकानी हो रही है। जिससे उच्चाधिकारियों का जो दायित्व है वह खतरे में पड़ गया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें और क्या नहीं करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बड़े तैश में आ जाते हैं, लेकिन वे यातायात के मंत्री हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस सदन के प्रति। उनको यह जवाब देना पड़ेगा कि कितनी राशि बकाया है, निगम की जो बसें आपने किराये पर दी उनकी कितनी राशि बकाया है....?

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या ।

सुश्री पुष्पा जैन : उसमें यात्री कर कितना है ? उसमें से कितना यात्री कर आया और कितना अमाउण्ट बकाया है और उसके आगे कितनी राशि में से आपने एडवांस कितना दिया कितनी राशि दी और कितनी बकाया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण कीजिए । स्थान ग्रहण कीजिए ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रही हूं -

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्या ।....

श्री गोपाल पचेरवाल ! केवल प्रश्न यदि आप पूछना चाहें स्पष्टीकरण के तौर पर जो नया विषय हो, जिस पर पहले चर्चा हो चुकी हो वह नहीं होंगे ।

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं होंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन सवाल मंत्री जी से करना चाहता हूं और जिस संयम से मैं सवाल करूं उसी संयम से मंत्री जी जवाब देंगे तो उचित रहेगा ।

मेरा सवाल यह है कि रैली में किस किस जिले से कितनी बसें किस जिले के लिए गई । उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि बूंदी जिले से भरतपुर जिले के लिए कितनी बसें गई । और बूंदी जिले से भरतपुर की दूरी तय करने में जो डीजल खर्च हुआ उसका खर्चा सरकार ने वहन किया या रैली के आयोजकों ने किया ? यह सभी जिलों के लिए है, बूंदी का तो उदाहरण दे रहा हूं । दूसरा एक निवेदन और करना चाहता हूं, श्रीमान् .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज....माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल : दूसरा मेरा सवाल यह है, श्रीमन्, कि क्या यह बेवा संदल महिला जो किसान जाति की महिला थी और निम्बाहेड़ा की रहने वाली थी, क्या उसके पास एक बीघा जमीन भी है ? क्या यह काश्तकार थी और जब वह बस एक्सीडेंट में मर गई तो अपने पीछे कितने बच्चे छोड़ गई है, सरकार ने उनके लिए क्या किया है? इन दो प्रश्नों का जवाब दिला दें इसके बाद मैं तीसरा प्रश्न लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, श्री यदुनाथ सिंह । " आर्डर प्लीज ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दिला दें । मैं ज्यादा पूछूंगा तो मंत्रीजी चकरा जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष: श्री यदुनाथ सिंह !

श्री गोपाल पचेरवाल : इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि अगर आप बाद में नहीं करने दें तो मैं अपने सारे सवाल एक साथ कर लूं ?

Page No 114

(114)

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण जो माननीय सदस्य चाहते हैं वे अपनी बात""

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। वह अपनी बात एक साथ ही कह दें और उसके बाद में मंत्री महोदय से एक साथ ही उत्तर दिलाया जाएगा। श्री यदुनाथ सिंह !

श्री गोपाल पचेरवाल : फिर तो मुझे अपनी सारी बात कहने दें। आपने फरमाया था...

श्री श्योदान सिंह (पिड़ावा): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। बाबा रामदेवरा का और पुष्कर के मेले होते हैं क्या उनमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है ? भारतीय जनता पार्टी ने भी किसान रैली निकाली थी जिसमें मंत्री जी बसेज प्रोवाइड करते थे। उसमें इनको चैलेंज नहीं करते थे यह आश्वासन इनको देते थे।

(व्यवधान)

आपके पास इतने आदमी हों तो इतनी बसें प्रोवाइड करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज.. आर्डर-प्लीज आर्डर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य, श्री गोपाल पचेरवाल और श्री यदुनाथ सिंह का जो प्रस्ताव है वह यह है कि 16 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस आई द्वारा आयोजित किसान रैली में अकाल राहत में कार्यरत श्रमिकों को जबरन पकड़ कर ले जाया गया। श्रमिकों में आमेर के पास घटित बस दुर्घटना में हुई मौतों को लेकर प्रदेश में भारी असंतोष है। प्रश्न केवल यह है। इसके आगे किस जिले से कितनी बस गई और कहां गई वह प्रश्न अलग हैं। वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आप उत्तर देते समय कह दें। आर्डर आर्डर...

श्री गोपाल पचेरवाल : जो आपने मान दिया उससे सम्बन्धित है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसलिए मेरा निवेदन है कि जो स्थगन प्रस्ताव जिस विषय में दिया गया है उसी प्रश्न तक सीमित रखा जावे।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि मंत्री जी चकरा जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसमें जिले का सवाल नहीं है। जिले का माननीय मंत्री सदस्य बोल रहे हैं। मेरे दो ही सवाल हैं, आप उन सवालों का जवाब दिला दें। मेरा पहला सवाल यह है कि जो बेवा संदल जाटों का निम्बाहेड़ा की रहने वाली है उसके मरने के बाद उसके दो मासूम बच्चे रह गए, उसके पति पहले ही मर चुके थे और किसान....

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसी व्यवस्था दी कि जो भी प्रश्न करने हों एक साथ ही माननीय सदस्य संक्षेप में पूछ लें, उसके बाद में मन्त्री महोदय का जवाब होगा जिन तथ्यों की जान-

(श्री अध्यक्ष)
कारी होगी,या जो उत्तर होगा वह आ जाएगा। इसमें विस्तार में कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है, मैं इसके लिए उनको भी बाध्य नहीं कर सकता। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब बोलने का नहीं है, माननीय सदस्य। अगर सवाल पूछें तो जवाब दे देंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरे सवाल पूछे तो मंत्रीजी ने कह दिया,मैं अपनी बात ही नहीं पूछ पा रहा हूं। आपने कहा कि मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि जो रैली में लोग मरे हैं उससे असंतोष हैं उस सम्बन्ध में मेरा सरकार पर आरोप है कि उस रैली में, जो अकाल राहत में कार्य कर रहे थे उनको ले जाया गया और उसमें बेवा संदल जो अकाल राहत में काम करती थी उसके जबरन पैसे रोक कर वहां के विधायक ने कहा कि आपके पैसे दिल्ली दिये जायेंगे और उसमें जो मेट था एक लड़का उसको धमकी दी गई कि अगर तुम्हारे लोग रैली में नहीं गए तो उनके पैसे रोक लिये जायेंगे। इस तरह से जबरन दिल्ली ले गए और वह मारी गई। उसके जो मासूम बच्चे हैं, माननीय मंत्रीजी को जानकारी होगी कि उसका पति पहले मर चुका, एक लड़का और एक लड़की....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा निवेदन यह है कि क्या सरकार यह हैसियत रखती है या क्षमता में है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके पूरे परिवार को आजीवन रहन सहन खाने पीने की व्यवस्था करेगी? इस बेवा संदल के लिए उनकी पार्टी सक्षम है। दूसरा निवेदन में यह करना चाहूंगा कि कि बसों के लिए जो बिल यातायात विभाग द्वारा भेजा गया वह कितने का बिल आया और उसका कितना भुगतान किया गया?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न पूछ लिया गया है।... आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ने पूछ लिया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय. यह बिल लेने से मना कर दिया है और अधिकारियों को धमकियां दे रहे हैं कि आप इन बिलों में कटौती करें। अध्यक्ष महोदय .. ....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : पांच लोग मरे हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। श्री यदुनाथ सिंह। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।। नई बात कोई हो तो।

श्री यदुनाथ सिंह(नदबई) : सब नई बातें हो रही हैं, साहब, इस बात में तो।

श्री अध्यक्ष : नहीं डिबेट के, वाद-विवाद का साधारण नियम यह है कि जो बातें किसी माननीय सदस्य ने कह दी है

(श्री अध्यक्ष)

उनको दोहराया नहीं जाएगा। नई बात ही फरमायें।

श्री यदुनाथसिंह : वही किसी दूसरे रूप में उठा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दूसरे रूप में भी नहीं। जिस तरीके से कहीं कहीं है वैसे तो आप भी उसको दोहरा नहीं सकते। आर्डर प्लीज। दूसरे रूप का सवाल नहीं है, मैंटर का सवाल है। क्योंकि उसी रूप में जो कोई भी माननीय सदस्य जो कुछ बोले हैं, वे भी वहीं के वहीं शब्द वापस बता सकते हैं कि मैंने यह बात कही है। इसलिए यह मैंटर वह का वह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने यह बात कही है।

(व्यवधान)

नया मैंटर नहीं है, अब चर्चा समाप्त होती है।....आर्डर प्लीज। कृपया आप बैठ जायें।

श्री यदुनाथ सिंह : जो देश के हर कोने में किसान मूवमेंट चला उससे घबरा कर इस सरकार ने और ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : वही भाषण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मेरे देखने का काम है।

श्री यदुनाथ सिंह : उससे घबरा कर इस सरकार ने किसान रैली का ढोंग रचा और हमारे देश का जो मखौल उड़ाया और सत्ता का जो दुरुपयोग किया और जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया ...निश्चित तौर पर

श्री बुलाराम (रायसिंहनगर) : वह क्वेश्चन नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : सत्ता का दुरुपयोग किया और निश्चित तौर से किया है।

(व्यवधान)

जवाब आप दिला दें। अगर जवाब दे सकें तो ? सवाल, सवाल भी करता हूं .. हिन्दुस्तान में पहली रैली नहीं है।

श्री बुलाराम : इस प्रकार की रैलियां पहले भी हुई हैं, यह कोई नई बात नहीं है। चौधरी चरणसिंह जी ने रैली की थी। मोरारजी भाई ने भी रैली की थी। ...

(व्यवधान)

इस प्रकार की पहले भी रैलियां हुई हैं। जिलाधीशों से प्रबन्ध कराया गया था 80 लाख का चन्दा इकट्ठा किया किया गया था चौधरी चरणसिंहजी के लिए यह एक रिकार्ड था। कलक्टरों से भी, एस. पी. से, कमिश्नर और चीफ इन्जीनियर्स तक से चन्दे करवाये थे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने कोई चन्दा इकट्ठा नहीं किया। रैली दिल्ली में क्या पहले कभी नहीं हुई थी....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों पर काबू करें। अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों पर काबू करें।

श्री दुलाराम : यह पार्टी का प्रश्न है, यह मन्त्री का प्रश्न नहीं है। पार्टी का प्रश्न है। आप उस पार्टी पर लांछन लगा रहे हैं, व जिस तरीके से जनता पार्टी ने लूटा है कांग्रेस पार्टी नहीं लूटेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : यह पार्टी का प्रश्न नहीं है, देश का सवाल है। गरीबों के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया है यह उसका सवाल है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, अगर अन्य कोई सदस्य इस प्रकार की बात कहते तो आपत्ति नहीं उठाते लेकिन एक मन्त्री महोदय, जो वन विभाग के मन्त्री हैं, बहुत ही इर्रेलेवेंट बात कही। उन्होंने चौधरी चरणसिंह का नाम लिया, मोरारजी का नाम लाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आर्डर में है जो बिलकुल असंगत बात है उसको यहां लायें ? एक बात। सरकार के मन्त्री होते हुए इस तरह की असंगत बात नहीं करनी चाहिए।

दूसरी बात, मैं एक और प्रार्थना करता हूं इससे समय भी बचेगा। जिस प्रकार से मिस यूज और अब्यूज आफ पावर का प्रश्न चल रहा है कि पावर का मिसयूज किया तो क्या आप एक जुडिशियल कमीशन, हाई कोर्ट के जज का कमीशन अपाइन्ट करने को तैयार हैं ?....

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : किस बात की इन्क्वायरी ? चरणसिंह की रैली की या अब तक भारतवर्ष में जितनी भी रैलियां निकाली गई हैं विभिन्न पार्टियों द्वारा उनकी इन्क्वायरी कराओ तो इस रैली की इन्क्वायरी करा सकते हो ? चरणसिंह की रैली में तो लूटा गया और जबरन चन्दा लिया गया है। कांग्रेस रैली में किसान

(व्यवधान)

हंसी खुशी गये थे और हमने कोई जबरन चन्दा नहीं लिया है। तो फिर सारी रैलियों की इन्क्वायरी करवा लो। हमारी पार्टी द्वारा जो रैली निकाली है उसकी इन्क्वायरी के लिए हम तैयार हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि चरणसिंह की रैली के लिये तीन लाख रुपया इकट्ठा किया गया। यह आरोप है, कांग्रेस के मंत्रियों ने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया....

श्री दुलाराम : यह आरोप नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : दोनों रैलियों की न्यायिक जांच करायी जाये। एक समिति बना दें। आप में ताकत हो तो, आप ईमानदार हों तो जांच करालें। आपने करोड़ों रुपया सेठों से धमकी दे देकर लिया। दुलारामजी आपने भी लिया वहां से।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय दुलारामजी को हुल्लड़ मंत्री बना दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी इस तरह की सरकार के द्वारा

(श्री यदुनाथ सिंह)
किसी भी तरह के मिस यूज की बात होगी तो हम अपना अधिकार, कर्त्तव्य समझते हैं कि उसके लिये कोई बात विधान सभा में उठायेंगे और आप इस तरह से कोई विघ्न डाल कर रोकेंगे तो हम भी निश्चय करेंगे और विचार करेंगे कि आप किस तरह से बोलते हैं।

एक माननीय सदस्य : वाक आउट करिये।

श्री यदुनाथ सिंह : वाक आउट करना है आप करिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ प्रश्न हैं। जो सरकार कानून-व्यवस्था और कानून से चलने की बात करती है उस सरकार से। क्या यह बसें परमिट लेकर राज्य से बाहर गईं ?

(व्यवधान)

रोडवेज की बसों के परमिट की बात कर रहा हूं, मैं प्राइवेट बसों के परमिट की भी बात कर रहा हूं।

दूसरा प्रश्न, क्या इन बसों ने दूसरे राज्य में घुसने से पहले उसके टैक्स का चुकारा किया है ? क्या जैसा पचेरवालजी ने कहा मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : नयी बात कहो।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या जो डीजल बसों को दिया गया, एक तरफ किसान उस डीजल के लिये उस पम्प पर रो रहा था, तरस रहा था बूंद बूंद के लिये, आपने उस डीजल को किस मद से लिया ?

अनेक माननीय सदस्य : वाक आउट। वाक आउट।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उसमें किसान भी गये थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को आप ताड़ना दें ताकि माननीय सदस्य यदि कोई बोलें तो शांत रहें या फिर उनको हुल्लड़ मंत्री बना दिया जाये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह मंत्री की बात नहीं है। मैं किसान हूं और मैं रैली में गया हूं। मंत्री की बात नहीं है किसान की बात है। और मंत्रियों में किसान भी हैं। पार्टी के नाते और किसान होने के नाते मेरा कर्त्तव्य था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित रैली में भाग लूं और मैं रैली में गया था।

एक माननीय सदस्य : आप तो हुल्लड़ मंत्री हो। आप किसानों के XXX हो, आप किसान नहीं हो।

श्री यदुनाथ सिंह: किसानों की बात करते हैं। आप किसानों के लिये क्या लाये वहां से ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : कभी दुनिया में ऐसा हुआ नहीं कि इतनी विशाल रैली कभी निकाली गई हो। हम किसानों के लिये इस रैली के द्वारा बहुत कुछ लेकर आये हैं अब यह सरकार किसानों के लिये बहुत कुछ करेगी वह लेकर आये हैं। 16 फरवरी को किसानों के सम्मुख रैली के अवसर पर इन्दिराजी ने किसानों के विकास के लिए

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)
घोषणायें की हैं, और यही कारण है कि किसानों को बहुत कुछ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, उप-मंत्री महोदय।

श्री हरिसिंह (महुआ) : किसानों के लिये डीजल खोल कर व्यवस्था की है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : किसानों को बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी आप स्वयं देखेंगे कि यह सरकार किसानों के काम में आने वाली हर वस्तु उपलब्ध करायेगी और बिजली के साथ-साथ सब चीजें मिलने लगेंगी। यह विरोधी लोग तो खोखली बात कर रहे हैं। और अपने XXX भाषण से सदन को बर्गला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो आपका संस्थान बताता है कि कितना पैसा काटा है, कितना किया है। यह तो मैं डिबेट में बोलूंगा कितना पैसा सिस्क्थ प्लान में था जनता पार्टी के टाइम में, और आपने किसानों के लिये कितना किया है। कम किया है। आपने 10 हजार करोड़ कम किया है। यह बात तो छोड़िये।

श्री तेजपाल यादव : सारा दिवाला निकाल दिया आपने।

श्री चेतसिंह राठोड़ : आप कहते हो, किसानों के लिये क्या लेकर आये वहां से। किसानों के लिये भलाई की बात लायें, किसानों का भला हम करेंगे।

एक माननीय सदस्य : पार्टीवाद लाये हो, पार्टीवाद।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरह चौधरी चरणसिंह की तरह झांसा तो नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा एक आरोप सरकार पर यह है कि वह डीजल जो किसानों के लिये आवंटित किया गया था, उस डीजल को किस अधिकार से वाहनों में दिया गया ?

दूसरा आरोप यह है, इस सरकार ने....

(व्यवधान)

उनमें डीजल किसानों ने नहीं डाला। आप XXX बोलते हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। आर्डर-आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : दूसरा, अध्यक्ष महोदय

श्री दिनेश डांगी : रैली से विपक्ष का हौसला पस्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : बड़ी खुशी की बात है कि सभी मंत्री हुल्लड़ मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि किस तरह से जिम्मेदारी सरकार निभायेगी।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No 120

(120)

श्री दुलाराम: यह पार्टी की बात है, मंत्री की बात नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह: दूसरा मेरा आरोप सरकार पर यह है कि जिस किसान की दुहाई देते हो, जिस किसान को 8 घंटे, 6घंटे बिजली देने की बात कही, उस किसान को 2 घंटे, 3 घंटे बिजली मिली और सेठों से पैसा लेकर ..

(व्यवधान)

इन ने उन लोगों को 18 घंटे बिजली किस कानून के तहत दी?

श्री खेतसिंह राठौड़: 8 घंटे देते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह: तीसरा प्रश्न मंत्री महोदय से यह है कि क्या आपके यहां कोई ऐसा प्रावधान है कि रोडवेज की बसें, जो काम करने लायक थीं, उनमें से क्या 1200 1300 बसें ऑन कान्ट्रैक्ट दे सकते हैं? बसें नहीं दे सकते हैं। आज कान्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हैं बस, यहां की जनता के लिये....

(व्यवधान)

तो मेरा निश्चित आरोप है और मैं इन आरोपों का स्पष्टीकरण मंत्री महोदय से लेना चाहूंगा।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

एक निवेदन और करना चाहूंगा, आइन्दा देश के साथ इस तरह का मजाक और मखौल करने की कोशिश ना करें।

श्री मेघराज तावड़: मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस रैली की जांच करायी जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: अभी कुछ समय पूर्व चेयर ने रूलिंग दी थी कि यह चर्चा पौने चार बजे समाप्त हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: पौने चार बजे का कहा था, वह टाइम तो निकल गया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: दूसरा निवेदन यह है कि यह, नियम 290 के तहत लिया जा रहा है, जिसमें प्रावधान है कि कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। इसके बावजूद आपकी मेहरबानी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। केवल प्रश्न ही नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि भाषण दिया जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको वाइण्ड-अप करें ताकि यह मसला खत्म हो।

श्री अध्यक्ष: मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि विधिपूर्वक यह वाइण्डअप हो जाये थोड़ा सा। लेकिन उसमें बाधा उपस्थित की जा रही है, वरना मैं तो कभी का वाइण्ड-अप कर देता।

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय, ये वाइण्डअप करने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष श्री घनश्याम तिवाड़ी, नयी बात को तो संक्षेप में कहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मेरे पास हमेशा नयी बात रही है।

अध्यक्ष महोदय, एक साल पहले इतना बड़ा ...

श्री अध्यक्ष : भूमिका नहीं बांधें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भूमिका नहीं बांध रहा हूं। विश्वास प्राप्त करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में जो किसान-क्रांति पैदा हुई, और किसानों को उचित मूल्य दिलाने की मांग की, उस किसान क्रांति से डर कर बारह महीने में प्रशासन तंत्र को जो×× बना दिया है, उस×××को और जीवन देने के लिए इस कांग्रेस रैली का 16 तारीख को आयोजन किया गया है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह घनश्याम जी का प्रश्न है क्या ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ऑक्सीजन मिल गया।

एक माननीय सदस्य : यह तो जुवानी आत्मा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है। इसे कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था फर्मायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने असंसदीय भाषा का प्रयोग, हमारी पार्टी के लिये किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसे अंकित नहीं किया जाये।

एक माननीय सदस्य : ××× तुम्हारी है।

श्री अध्यक्ष : मैं विचार करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिस प्रकार से सरकार ने अपने व्यक्तिगत आवागमन के साधनों को अवरुद्ध करके एक प्रकार से सारे देश के यातायात को ठप्प करके जिस प्रकार से सरकारी साधनों का निर्लज्जता-पूर्वक प्रयोग किया, वह भारत के प्रजातंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा कलंक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसके प्रमाण में मैं कुछ डाकुमेंट पेश कर रहा हूं। राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, गुलाबी शहर, पिंक सिटी के इतिहास में पहली बार यह कलंक का कारनामा हुआ, जब कि यहां आने वाले ट्रकों और बसों को एस. एम. एस. स्टेडियम में ले जाकर बन्द कर दिया गया। वहां काम करने वाले ड्राइवरों और मजदूरों की एप्लिकेशन है, वे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आये। उसके बाद जनता पार्टी के नेता भैरोंसिंह जी शेखावत वहां पर गये और उसके बाद इस निर्लज्ज सरकार ने उन ट्रक वालों को छोड़ा। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है!

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मेरे पास इसके एक-एक तथ्य हैं। सीकर डिपो से रु० 1,31,500), के बिल रोडवेज डिपो मैनेजर ने बना कर भेजे हैं। रु० 1,05,100 के बिल झुंझनू के डिपो से भेजे गये, और 51 हजार के बिल खेतड़ी के डिपो से बना कर भेजे गये हैं। इन सारे डिपोज के बिल 43 लाख के हैं, और 43 लाख के बिल सरकार ने वापस भेजे और कहा कि इस

×××शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रकार बिल न भेजें। इस प्रकार का काला-कारनामा यातायात मंत्री जी, सिर्फ आपके राज में हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्य। जल्दी समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं कर रहा हूं····

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, भाषण दिया ही नहीं सारे बिलों का चाटन कर गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया और जिस प्रकार की धमकी दी गई···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी भाग गये।

(4.03 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इससे साफ प्रकट होता है कि सरकार मजदूरों को जबर्दस्ती xxx करने के लिए पकड़ कर ले गयी और····

(व्यवधान)

कोई पानी वाली सरकार होती तो x x x जाती। लेकिन यह हत्या करने वाली सरकार ···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको x x x जाना चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। अनाथ आदमियों की मौत के लिये हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर, यातायात मंत्री महोदय जिम्मेदार हैं। बस का परमिट नहीं था।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारा सोना खा गये और आज साहूकार बनते हैं!

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्डियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि किस प्रकार से रैली का आयोजन किया गया, राजस्थान के ट्रकों को किस प्रकार से पकड़ा गया, किस प्रकार से मजदूरों को पकड़ा गया, किस प्रकार से किसानों को आतंकित किया गया, किस प्रकार का देश में भय का वातावरण पैदा किया गया। मेरा यह आरोप है, रैली किसानों के लिये नहीं कांग्रेस की आंतरिक फूट को दबा कर, कांग्रेस की सत्ता में जो

---

xxx शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फूट हो रही है, उसको आपातकाल का डर दिखा कर उनका मुंह बन्द कर दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको क्वश्चन पूछने चाहिये । इन्होंने भाषण शुरू कर दिया ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चौपड़ पर बोलो यह भाषण ।

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी × × × को चली है ।

एक माननीय सदस्य : अरे, सही तो बोलो, कुछ तो सही बात कहो ।

(व्यवधान)

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : अजमेर में रैली निकाली गई, उसमें कितनों को पकड़ा गया ?

एक माननीय सदस्य : उसमें कितने मरे और आपके यहां कितने मरे ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सीकर जिले के किसान अपने साधनों से गए ? क्या सीकर जिले में कोई आतंक फैला ? क्या आपने किसान रैली में ले जाने के लिए कोई सुविधा दी, उनको धमकाया ? आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसान अपने खर्चे पर गये ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न के रूप में निवेदन है कि कितने जबर्दस्ती ट्रकों को, ट्रैक्टरों को, बसों को पकड़ा गया, प्रशासनिक डी. टी. ओ. का डर दिखा कर जबरन अकाल-राहत में काम करने वाले भूखे नंगे लोगों को पुलिस द्वारा पकड़वा कर, डाल कर उनको किस प्रकार से मरवाया गया और दो दिन तक भूखा रखा गया। दिल्ली के अन्दर ऐसी नंगी मिशाल कहीं नहीं मिलेगी, प्रजातन्त्र में। सभापति महोदय, इसके अलावा कोटा बांटा गया, राजस्थान के हर एम. एल. ए. को, कि तुम इतने आदमी ले जाओगे, मंत्रिमण्डल का विस्तार उसके बाद होगा। समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, जो एम. एल. ए. सबसे ज्यादा आदमी ले जायेगा उसका मंत्रिमण्डल में विस्तार होगा और इसी लिये एम. एल. एज, ने अपने क्षेत्र में अधिकारियों से मिल कर सत्ता का नंगा नाच किया, लोगों को परेशान किया और जबरन लोगों को डर दिखा कर, सत्ता का नंगा नाच करके, शराब की बोतलें दिखा कर, शराब का नंगा नाच करके ...

(व्यवधान)

सरकारी सत्ता का दुरुपयोग किया गया ।

एक माननीय सदस्य : × × ×

(व्यवधान)

××× शब्द व अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, आप क्या कर रही हैं ? क्वेश्चन पूछ रहे हैं या भाषण कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें। मैं कुछ बोलना चाहती हूं। कृपया शान्ति से सुनियेगा। आखिर सदन की मंशा क्या है ? केवल शोरगुल करना चाहते हैं ? आप सुनिये, प्लीज। बीच में न बोलें।

(व्यवधान)

आप शोरगुल करना चाहते हैं या, जो वाद-विवाद हुआ उस पर, मंत्री महोदय का उत्तर सुनना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

प्रश्नों का सवाल नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, आसन से व्यवस्था पहले दी जा चुकी है। केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। वक्तव्य के पश्चात् केवल प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे पता है, क्या व्यवस्था दी गई है और क्या व्यवस्था नहीं दी गई है। आप शांति से सुनियेगा। आसन पैरों पर है। कृपया उत्तेजित होकर बीच में न बोलें। मैं आप सब से निवेदन करती हूं, दोनों तरफ से जिस तरह से व्यवधान हो रहा है उसको रोकें। शोरगुल न हो। आपने कई प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, आपने आपत्तियां रखी हैं, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी से उनका उत्तर आप सुनना चाहेंगे। मेरा निवेदन है कि आप शांति से बैठिये। मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री त्रिलोक सिंह : हम बोलेंगे। बाद में देंगे मन्त्री महोदय जवाब।

श्री सभापति : किसी को कहना है, तो एक व्यक्ति उठ कर बोले। मैं सुनने को तैयार हूं। सभी साथ न बोलें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पॉइन्ट आफ ऑर्डर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इनका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है। आसन से यह व्यवस्था दी गई है कि जिनके प्रस्ताव हैं वे दो-दो मिनट बोल सकते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया ये कहां से बोलने लगे ? ये नहीं बोल सकते हैं, जब तक आसन की ओर से व्यवस्था नहीं हो जाये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : एक-एक माननीय सदस्य बोलें। आप कहिये, क्या कहना है। क्या आप लोग दो मिनट किसी की बात नहीं सुन सकते ? बीच में न बोलें। इसके बाद जिसको बोलना है वह मेरी इजाजत से बोलें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारे साथी ने 290 नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, वहीं मेरा व्यवस्था का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रश्न यह है सभापति महोदय, कि यहां पर मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य के बाद प्रश्न और स्पष्टीकरण किये जा सकते हैं लेकिन यह देख रहे हैं कि माननीय सदस्य लम्बे-लम्बे भाषण कर रहे हैं और इस सदन का निर्धारित समय है वह जाया कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सदन का समय इस चर्चा के लिए पौने चार बजे तक निर्धारित किया गया था। उसके बाद कोई समय नहीं बढ़ाया गया है। आसन की तरफ से यह व्यवस्था दी गई थी पौने चार बजे इस पर चर्चा समाप्त हो जायेगी और अभी सवा चार बज रहे हैं। लम्बे लम्बे भाषण दिये जा रहे हैं लिहाजा हमें भी इस विषय पर बोलना चाहेंगे। या तो केवल प्रश्न और जानकारी चाहें वह जानकारी ले लें और मंत्री महोदय से इसका उत्तर दिलवा दिया जाये।

श्री मेघराज तावड़ : हमारे लोगों का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। इनका नहीं है इसलिए ये नहीं बोल सकते हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाती हूं कि अगर आप बीच में बार-बार व्यवधान न डालें, तो जल्दी से जल्दी जिनको प्रश्न करना हो कर लें और इसका उत्तर देने की व्यवस्था हो जायेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदया जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होते हैं, जिसके नाम से दिये जाते हैं वे ही उस पर बोल सकते हैं। सभी सदस्य उस पर नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बीच में बोले बिना नहीं रह सकते। विरोधी दल के नेता महोदय बैठे हैं मैं कुछ पूछना चाहूंगी तो उनसे पूछ लूंगी इधर मंत्री महोदय, मुख्य सचेतक महोदय, बैठे हैं वे जवाब दे देंगे। आप कृपा कर के बीच में न बोलें। आपका पाइन्ट आफ आर्डर सुन लिया। विरोधी दल के नेता महोदय आपको बोलना है क्या? आप अपने दल को कन्ट्रोल कीजिये मुझे मुख्य सचेतक को भी कहना है कि आप कन्ट्रोल करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : कितने मिनट? बीच में न बोलें। माननीय सदस्य आप कन्ट्रोल नहीं करने देते हैं। आप कन्ट्रोल करने दीजिये दो मिनट में समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच मिनट।

श्री सभापति : तीन मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था, कि राजस्थान स्टेट रोडवेज की जो बसें किराये पर ली गई 14, 15, 16 व 17 तारीखों को इन चार दिनों में जो वैसे परिचक्र करती उससे इन बसेज से रोडवेज को 80 लाख रुपये की संभावित आय होती। इस प्रकार 1 करोड़ 30 लाख रुपया राजस्थान की जनता के रेवेन्यू का दुरुपयोग किया गया है किसान रैली के नाम परXXX

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसका जवाब आपके मन्त्री महोदय दे देंगे। आप बीच में न बोलें। इस तरह से करेंगे शोर-गुल तो कार्यवाही कैसे पूरी होगी। आप मेहरबानी कर के—इस बात को माननीय सदस्य कई बार कह चुके हैं।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

श्री वीरेन्द्रसिंह : केवल प्रश्न की इजाजत दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब मैं प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। इन xxx ने जनता के पैसा का दुरुपयोग किया है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने xxx शब्द का प्रयोग किया है इनको कार्यवाही से हटाया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप पर लागू हो गया क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने हमारी तरफ इशारा कर के कहा है। हम पर इसको लागू करने की कोशिश की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने यह एक विज्ञप्ति निकाली है जिसमें यह बताया गया है कि यह बसें सरकार के आदेश से दी गई हैं।

श्री सभापति : आपका वायदा पूरा हो गया अब आप समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, एक मिनट। राज्य और केन्द्र में, सभापति महोदया, एक ही दल की सरकारें हैं। सभापति महोदय, बसें एक तो कान्ट्रेक्ट पर दी जाती हैं 2.50 रुपये प्रति किलो मीटर की दर ··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके नेता महोदय को बोलना है। अब आप समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय और दूसरा एडवान्स जमा नहीं किया जाता है। परन्तु यह 1 लाख किस पेटे में जमा किया गया और 1200 बसें क्यों दी गयीं दोनों ही कार्यवाही नहीं हुई xxx यह केवल यातायात मंत्री के आदेश पर दी गई हैं....

(व्यवधान)

इसके लिये यातायात मंत्री हनुमान प्रभाकर जिम्मेदार हैं। यह प्रजातंत्र पर xxx हैं। इन्होंने अपने बेटे को लाइसेन्स दिया है ··

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस सरकार को झुकना पड़ेगा। दूसरे लोगों के साथ जनता के साथ अन्याय किया गया है। यह प्रजातन्त्र के xxx है। इसकी सजा इनको भोगनी पड़ेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने न तो प्रस्ताव रखा है ...

श्री त्रिलोकसिंह : हमें बोलने का अधिकार है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है। स्थगन प्रस्ताव भी नहीं है। विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री त्रिलोकसिंह : हम सी. पी. एम. के हैं हम बोलेंगे ···

---

xxx अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोकसिंह)

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक-घंटी)

डीजल की कमी थी, फिर भी इतनी बसों को....

मैं आपसे अपील करूंगा किसानों के साथ अन्याय किया गया।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ऑफ आर्डर

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है। स्थान ग्रहण करें। पाइन्ट आफ आर्डर पहले आ चुका है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : यह क्या हो रहा है ?

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं विपक्ष के नेता महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे बोलें।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : देश को लूटा जा रहा है ....

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

व्यवस्था का प्रश्न
शासकीय वक्तव्य पर प्रश्न

श्री बंसीलाल पटवा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री बंसीलाल पटवा : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पहले आ चुका है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि आज की जो कार्य सूची है उसके आइटम नम्बर तीन पर दिया गया है कि मंत्रियों द्वारा वक्तव्य। मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 290 में किसी मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया है कि किसी लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष की सहमति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकता है पर जिस समय वक्तव्य दिया जायगा कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। मैं इस में यह व्यवस्था चाहता हूं। फिर भी आसन ने यह व्यवस्था दी कि वक्तव्य देने के बाद कोई आशंका रह जाये तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं लेकिन भाषण नहीं होंगे ? लेकिन नियमों में यह स्पष्ट है कि प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे, लेकिन व्यवस्था हो चुकी है इस लिये प्रश्न तो पूछ सकते हैं लेकिन भाषण नहीं केवल प्रश्न पूछ सकते हैं ...

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : किसान रैली....

श्री सभापति : आप बोल नहीं सकते हैं आपका नाम नहीं है इसमें।

(व्यवस्था सूचक-घंटी)

श्री त्रिलोकसिंह : दूसरे जिलों के....

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक-घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये।

श्री बंशीलाल पटवा : पाइन्ट ऑफ आर्डर है, सभापति महोदया।

श्री सभापति : मैं अभी खड़ी हूं आप स्थान ग्रहण करें। मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगी कि आप अपने सदस्यों पर कंट्रोल कर।

(व्यवधान)

आप मेरी मदद करें जिससे कि व्यवस्था कायम की जा सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि आप मुझसे मदद मांग रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, विरोधी पक्ष के सदस्य उनके कंट्रोल में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बीच में नहीं बोलें तो अच्छा होगा। सत्तारूढ़ दल के नेता महोदय। इसी से तो व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

(व्यवस्था)

आप बुजुर्ग हैं कृपया बीच में न बोलें। आप स्थान ग्रहण करें उसके बाद ही बोलें। मुझे क्षमा करें माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इनकी तो xxx हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय मैं ऐसा समझता हूं कि यदि बीच में व्यवधान नहीं होता तो अब तक इतने प्रश्न पूछे जा सकते थे और उनके उत्तर भी आ जाते लेकिन अफसोस इस बात का है कि अध्यक्ष महोदय भी जिस समय पदासीन थे सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से निवेदन किया था व्यवस्था बनाये रखने का, सहयोग का, सहयोग कितना मिला यह आप अनुमान लगा सकती हैं सहयोग दिया या नहीं इसके लिये मैं कुछ नहीं कहता। आप हमसे सहयोग चाहते हैं। आप हमसे सहयोग चाहें कि कोई भी न बोले एक ही बोले तो दूसरे पक्ष वाले भी क्या इस बात की गारन्टी देने को तैयार हैं कि जब हमारा पक्ष बोलेगा तो न तो व्यवधान डाला जायेगा न दूसरे सदस्य बोलेंगे····

एक माननीय सदस्य : ये भी तो····

श्री सभापति : आप क्यों बोलते हैं मंत्री बैठे हैं वह जवाब देंगे मुख्य सचेतक जी जवाब देंगे। शान्त रहें। हां तो कहिये विरोधी दल के नेता महोदय।

16 फरवरी, 1981 को कांग्रेस (आई) द्वारा आयोजित रैली में हुई बस दुर्घटना व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को रैली के लिये बस देने से हुई क्षति

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, आपने जो कहा उस पर कहूं या किसी····

xxx अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : जो आपकी इच्छा हो उस पर कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ पूछना चाहता हूं ··

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय नहीं महोदया।

श्री सभापति : ये शेखावत जी हैं ये तो महोदय ही कहेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने भी शेखावत जी कह ही दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मैं इस सदन का ध्यान वार्षिक प्रतिवेदन 1978–79 के पेज 54 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं जिससे संबंधित मूल प्रश्न है। इसमें लिखा है राजस्थान परिवहन निगम सेवा में बिना टिकट यात्रा निवारण अध्यादेश के अन्तर्गत बिना टिकट यात्रा करते हुये पाये जाने पर यात्री को 250 रु. का जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों का प्रावधान किया गया है....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं, सभापति····

श्री सभापति : शान्त, शान्त। शान्त रहें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय मैंने इसलिये आपके सामने पढ़ कर सुनाया है कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि रोडवेज का कितना किराया ड्यू होता है उसमें से केवल एक लाख रुपया ही जमा कराया गया है बाकी का बिल नहीं आया है। कानून की दृष्टि से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था है कि बिना टिकट लिये हुये बसों में यात्रा नहीं कर सकते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार कानून में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार से यह कानून का भारी उल्लंघन हुआ है। सभापति महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न, सभापति महोदया, यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में कानून बना हुआ है राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन एक्ट इस में लिखा हुआ है--

Production of tickets : A passenger shall, upon demand made during the course or immediately before or after the journey, produce to any prescribed authority, the ticket voucher or document relating to his travel or to the carriage of his goods. On his failure to do so, he shall be charged twice the fare as penalty."

मैं यह जानना चाहूंगा, मंत्री महोदय से कि इस कानून के अन्तर्गत बिना टैक्स चुकाये कोई व्यक्ति सरकारी बसेज में यात्रा कर सकता है क्या? जहां तक मेरी जानकारी है कानून के अनुसार बिना टैक्स का पेमेंट किये कोई आदमी इस प्रकार यात्रा नहीं कर सकता है और अगर वह यात्रा करता है तो कानून का उल्लंघन करता है।

श्री माणकमल मेहता : यह नियम कान्ट्रेक्ट की बसेज पर एप्लाई नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मैं तीसरा प्रश्न यह पूछना चाहूंगा

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कि रोडवेज की 1800 बसें है और आपने जानकारी दी कि लगभग 1100 बसें आपने लगा दीं और आपके स्टेटमेंट के अनुसार रोडवेज की बसों में 8 लाख लोगों को केवल यात्रा की सुविधा दी जाती है, तो अब जब 1150 बसों को आपने रैली में लगा दिया तो राजस्थान के 6 लाख पैसेंजर्स के लिये आपने क्या आल्टरनेटिव व्यवस्था की थी ? कोई व्यवस्था नहीं की थी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह गुर्जर : बसों में जाने के लिए कोई बचा ही नहीं था वे तो सारे के सारे रैली में चले गये थे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदया, वे तो ··

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कृपा करके बीच में न बोलें। यह विभाग आपके पास नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : विभाग कैसे नहीं है मेरे पास ?

श्री सभापति : यातायात है क्या आपके पास ?

(व्यवधान)

आपके नेता बोल रहे हैं, और आप व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदया, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में एक बात कही है कि कांग्रेस रैली के लिये आयोजकों ने राजस्थान सरकार से बस और यातायात की व्यवस्था करने के लिये निवेदन किया। उस पर राज्य सरकार ने कार्पोरेशन को यह कहा कि इनके लिए बसेज की व्यवस्था की जायगी, मैं समझता हूं, मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उससे समझा हूं। क्या मैं उनसे यह जानकारी कर सकता हूं कि राज्य सरकार ने किस मामले के अन्दर कार्पोरेशन एक्ट के तहत कार्पोरेशन को कोई डाइरेक्शन इश्यू किये हैं ? यदि डाइरेक्शन इश्यू किये तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जितने भी नेशनलाइज्ड रूट्स हैं उनके ऊपर आपने स्वयं ने यह कहा कि प्राइवेट बसेज नहीं प्लाई कर सकती है ? मैं यह जानकारी करना चाहूंगा जिन नेशनलाइज्ड रूट्स पर, रोडवेज की बसें चलती हैं क्या प्राइवेट बसें उन रूट्स पर नहीं चलीं ? प्राइवेट बसेज को परमिट आपने दिये हो तो मैं नहीं कह सकता, उनको परमिट रोडवेज कार्पोरेशन से एन. ओ. सी. लिये बिना आपने दिये हैं। क्या यह सही है कि कई गाड़ियों के परमिट गाड़ियां आने के बाद में बैक डेट में दिये गये ? सभापति महोदय-महोदया, आप नाराज हो गईं, महोदय निकल जाता है।

श्री सभापति : मैं भी आपको शेखावत-जी कहना शुरू कर रही हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह उचित नहीं समझते हैं कि 16 तारीख को बसों का उपयोग होने के बाद, 17 को या 18 को जब बसें वापस आ गईं आज 11 तारीख हो गई पन्द्रह दिन का समय निकल गया। क्या इन पन्द्रह दिनों के अन्दर कार्पोरेशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को बिल पेश नहीं करने चाहिये थे, बकाया की वसूली के सम्बन्ध में ? क्या कार्पोरेशन को बिल पेश नहीं करने चाहिए थे। यदि बिल पेश नहीं किये तो क्या कार्पोरेशन के अधिकारियों ने जान बूझकर इस कार्पोरेशन के कानून का उल्लंघन नहीं किया है ? क्या इसके हितों पर आघात नहीं किया है ? मन्त्री महोदय कार्पोरेशन के उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे जिन्होंने आज तक बकाया के सम्बन्ध में आपके सामने बिल पेश नहीं किये ? सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानकारी करना चाहूंगा कि बकाया जो किराया है उस किराये की अदायगी के सम्बन्ध में राज्य सरकार नहीं बल्कि जिस रैली का जिन लोगों ने आयोजन किया, क्या उन आयोजनकर्त्ताओं से आपने गारण्टी ली है ? क्या उन्होंने लिख कर दिया है कि इन बसेज का किराया चुका देंगे, यदि लिखकर दिया है तो कब लिखकर दिया ? और लिख कर नहीं दिया है तो आयोजकों से आप किस प्रकार वसूली करेंगे ? आयोजकों की तरफ से गारन्टी देने वाला कौन व्यक्ति है, उसका नाम भी सदन में बताने की कृपा करें ? सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्दर ट्रकों को इकट्ठा किया गया और पैसेन्जर्स को दिल्ली ले जाने के लिए उनको काम में लिया गया ? क्या यह सही है कि ट्रक जाना नहीं चाहते थे उन सारे ट्रक्स के कागजात ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने एकत्रित कर लिये और जब दिल्ली से वापस आये तब भीड़ लग गई और तभी उनको कागजात वापस लौटाये गये।

क्या यह सही है कि जिन प्राइवेट बसेज को आपने इस काम के लिए एन्गेज किया उन बसेज के परमिट जहां जिस अथॉरिटी से मिलने चाहिये उन अथॉरिटी से नहीं मिले और बिना परमिट अधिकांश गाड़ियां दिल्ली गईं ? न राजस्थान स्टेट का किराया अदा किया, न उन्होंने हरियाणा स्टेट का किराया अदा किया। आपने आते वक्त किसी प्रकार का किराया चुकाया ? आप एक भी बस का उदाहरण दे दीजिये जिस बस ने हरियाणा में किसी प्रकार का टैक्स जमा कराया हो या राजस्थान में किसी प्रकार का टैक्स जमा कराया हो।

सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि केवल रैली में जाने वालों का दोष नहीं है, जो चले गये वे चले गये मुझे आपत्ति नहीं है वे किसी भी पार्टी के हों, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के लोग जायं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा सीधा चार्ज है कि राजस्थान के यातायात मन्त्री महोदय ने पैसेन्जर टैक्स कानून की अवहेलना करायी जो उनका यातायात सम्बन्धी कानून है उसका उल्लंघन किया, राजस्थान में ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में सारी व्यवस्था की थी उस व्यवस्था को भंग किया। इसलिये आवश्यक है कि राजस्थान के यातायात मन्त्री, श्री हनुमान प्रभाकर को बर्खास्त किया जाय ताकि आइन्दा.......

(व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री जी उत्तर देंगे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए।

(व्यवधान)

विरोधी दल के नेता ने अपनी बात कह दी ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका नाम भी उसमें है, इनका बोलना जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री बन्शीलाल पटवा : मेरा निवेदन है कि मैंने 26 तारीख को रैली के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और यह जो प्रश्न है जो घटना घटी, जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई वे भीलवाडा के हैं मैं भी भीलवाड़ा जिले का हूं और भीलवाड़ा जिले की घटना है, इसलिये मुझे बोलने की इजाजत दी जावे, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : आपका नाम इसमें शामिल है आप बोल सकते हैं।

श्री बन्शीलाल पटवा : सभापति महोदया, जहां तक रैली का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कोई जिक्र मैं नहीं करना चाहता जो पहले बातें कही गई हैं उनको भी मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन निवेदन यह है कि इतनी सरकारी मशीनरी की हरकत हुई। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि अकाल राहत में काम करने वाले श्रमिक रैली में नहीं थे, लेकिन इस सम्बन्ध में मेरी चुनौती है कि वे गये हैं और इस सम्बन्ध में मेरे पास टेप हैं जिन श्रमिकों ने बयान दिये हैं, मैं इसलिए नहीं ला सका, आप इजाजत दें तो मैं टेप लाकर पेश कर सकता हूं उसमें....

(व्यवधान)

सात श्रमिकों के बयान हैं और जो श्रमिक हैं, जो श्रमिक रैली में गये हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री बन्शीलाल पटवा : आप लोग बो लेने से वंचित नहीं कर सकते।

व्यवस्था का प्रश्न

शासकीय वक्तव्य पर प्रश्न

श्री राम रघुनाथ चौधरी : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ आर्डर बीच में कैसे हो गया, इनके बोलते बोलते! आप स्थान ग्रहण करें। आप बोलिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह फिर व्यवधान की बात हो गई

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, पाइन्ट ऑफ आर्डर तो किसी का भी हो सकता है, माननीय सभापति महोदया...

(व्यवधान)

उनको बोलना है। उनको कहने दो।

श्री सभापति : आप शांति रखें। आपने पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया उनकी बात है उनको कहने दें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा नियम 290 के

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

तहत निवेदन किया था, आपसे व्यवस्था चाही थी, इस पर आपने विरोधी दल के नेता को यह कहा था कि वे अपनी बात समाप्त कर लें, प्रश्न पूछ लें। उसमें सीधा है कि जब भी मन्त्री महोदय का वक्तव्य होता है, तो प्रश्न पूछे नहीं जा सकते, फिर भी प्रश्न पूछने की व्यवस्था दी थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अब डिबेट ओपन कर दी है ?

श्री देवीसिंह भाटी : डिबेट का प्रश्न नहीं है

(व्यवधान)

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर का उत्तर आसन देता है आप नहीं। आप कहिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : क्या आपने डिबेट ओपन कर दी है या प्रश्न पूछने की व्यवस्था कर दी है? क्योंकि वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह भाषण के रूप में कह रहे हैं प्रश्न के रूप में नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं व्यवस्था चाहता हूं। नियम 290 के तहत।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं 290 के तहत कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि आज जो 3 घण्टे से कार्यवाही चल रही है, सारी नियमों के अन्तर्गत चल रही है क्या? क्षमा करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह तो कोई व्यवस्था नहीं। आपकी ड्यूटी है कि सारे सदन का कार्य आपकी व्यवस्था के अन्तर्गत चले अगर नहीं चलता है तो जिम्मेदारी आपकी है। मैं व्यवस्था चाहता हूं, आपको व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री सभापति : बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगी। अभी जैसे बोल रहे हैं उत्तर भी होगा। बन्शीलाल जी अपना बोलना शुरू करेंगे लेकिन बहुत कम।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपने डिबेट ओपन कर दी है क्या ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। माननीय सदस्य. स्थगन प्रस्तावों की सूची में जिन-जिन व्यक्तियों के नाम हैं 5-7 लोग बोलने वाले हैं जिनमें कई सदस्य बोल चुके, आप सवाल पूछ चुके हैं। उसी सूची में बंशीलाल पटवा का भी नाम है उसमें पुष्पा जी का भी नाम है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 100 आदमी होंगे लेकिन आपकी व्यवस्था क्या है ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : किसी बात पर पांइट आफ आर्डर माननीय सदस्य ने रेज किया था। जिन-जिन ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे इस पर वे बोल चुके थे। तब यहां आसन की तरफ से व्यवस्था हुई थी कि उनको प्रश्न पूछने दिये जायं। चूंकि यह बात यहीं तक ही सीमित होती है। अगर आप डिबेट अलाउ करती हैं तो व्यवस्था दीजिये।

श्री सभापति : जैसे अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं।

16 फरवरी, 1981 को कांग्रेस (आई) द्वारा आयोजित रैली में हुई बस दुर्घटना व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को रैली के लिये बस देने से हुई क्षति

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदया, मैं अर्ज कर रहा था, मंत्री महोदय ने जवाब में कहा कि अकाल राहत कार्यों के लिए कोई श्रमिक रैली में नहीं गए। मेरी इस बारे में चुनौती है कि जो कुछ रैली में गये हैं मांडल क्षेत्र से, उसमें अधिकांश अकाल राहत श्रमिक हैं और 13 महिलायें जाटों के निम्बाहेड़ा से देवगढ़-निम्बाहेड़ा रोड पर महिलायें काम कर रही थीं वे महिलायें गईं और सारी की सारी जख्मी हुई उनको जबर्दस्ती भेजा है।

(व्यवधान)

श्री महेंद्र सिंह : यह तो भाषण कर रहे हैं। हम भाषण नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति : आप आसन ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल पटवा : जोर जबर्दस्ती भेज दिया।

(व्यवधान)

श्री भेरूसिंह गुर्जर : भाषण तो हमारे नेता देते हैं, तुम्हारे नेता ने खूब कहा, भाषण नहीं सुनेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : आपको बोलने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : बोलूंगा।

(4.43 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण आर्डर प्लीज।

अनेक माननीय सदस्य : XXX भाषण नहीं सुनेंगे।

श्री रतना राम चौधरी : आप इस तरह सदन की कार्यवाही में बाधा डालेंगे तो हम भी आपके नेता को बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब विरोधी दल के नेता बोल चुके और सारे माननीय सदस्य करीब-करीब बोल चुके। श्री पटवा को जो कुछ कहना है एक दो मिनट में बोल दें उसके बाद मन्त्री महोदय का जवाब सुन लें।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो जायेगा, इसलिए शीघ्र समाप्त करें।

अनेक माननीय सदस्य : ये बोल चुके।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री पटवा

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि सारे के सारे जो गाड़ी में गए हैं वे अधिकांश अकाल राहत कार्यों पर काम कर रहे थे मस्टररोल में उनके नाम हैं और अब उनको काम से वंचित इसलिये कर दिया गया है कि उनमें से 7 व्यक्तियों ने कांग्रेस (आई) के खिलाफ और जो सरकारी कर्मचारी ले गये हैं उनके खिलाफ बयान दिये हैं।

श्री महेंद्रसिंह (सांगरिया) : XXX बोल रहे हैं।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No 135

(135)

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द की कार्यवाही से निकाला जाता है।

श्री महेन्द्रसिंह : आप बिलकुल XXX बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया शब्दों के इस्तेमाल करने में संयम बरतें। माननीय सदस्य काफी इस बात से नाराज हैं कि भाषण हो रहा है, प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। मेरी व्यवस्था तो सुन लीजिये। अगर किसी भाषण या किसी वाक्य के आगे क्या लगा दिया जाता है तो प्रश्न हो जाता है इसलिए माननीय सदस्यों के जितने भी भाषण या प्रश्न होते हैं उनके सम्पादित करने का आसन को अधिकार है, आप प्रश्न देते है उसमें भी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको हम ठीक कर देते हैं तो सवाल और भाषण की टैक्निकल्टी में हमको नहीं जाना चाहिये, जितना समय इसमें लगेगा उतने में माननीय सदस्य प्रश्न कर देंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न आ गया बीच में।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विरोधी दल की साजिश है कि किसी तरह से 5 बजवा दिये जायं ताकि प्रेस को, जो गवर्नमेंट का जवाब होगा, उसका कवरेज न मिले इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह साजिश और षडयंत्र है, पहले जवाब आ जाय 5 बजे से पहले फिर चाहे दो घन्टे उनको और मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया दो मिनट में समाप्त करें और पटवा साहब आखिरी बोलने वाले सदस्य होंगे। आर्डर प्लीज।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं अर्ज कर रहा था कि जिन श्रमिकों ने बयान दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। बयान वाली बात आपने पूर्व में कह दी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : समाप्त कर रहा हूं। उन 35 श्रमिकों को काम से इसलिये निकाला गया कि उन्होंने कांग्रेस (आई) के खिलाफ बयान दिये हैं। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 5 की पहले हुई, एक की बाद में हुई, 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई लेकिन इस सरकार ने किसी तरह के प्रबन्ध नहीं किये हैं वह बताना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों को एक छोटे व्हीकल में एक लाश पर दूसरी लाश, दूसरी लाश पर तीसरी लाश, तीसरी लाश पर चौथी लाश रख कर घरों पर पहुंचाया गया, उनका कोई इंतजाम नहीं किया गया, समदले नामक एक पिनारी मारी गई उसको सबसे नीचे रखा गया उसके दो बच्चे हैं वे भूख से तडफ रहे हैं, मरने वाली विधवा है, लड़कों को आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। मृतका समदल व 7 अन्य के दाह संस्कार तक की व्यवस्था भी नहीं की गई। इसके साथ साथ मैं बताऊं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : रैली निकाली जाय हमें कोई एतराज नहीं लेकिन यदि किसानों के हित के नाम पर यह रैली निकालने का जनून हैं प्रभाकरजी को तो, मान॰

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बन्शीलाल पटवा)

नीय हनुमानजी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में किसान रैली के नाम पर चुनाव लड़ें और मैं भी आपके क्षेत्र से लड़ता हूं देखें कि कौन जीतकर आता है, आपको मालूम पड़ जायेगा कि रैली का कितना असर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समाप्त कीजिये।

श्री बन्शीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारे यहां से भीलवाड़ा से 42 बसें धौलपुर भेजीं। आप चाहे रैली निकालें....

(व्यवधान)

लेकिन भीलवाड़ा में वहां पर ऐसी स्थिति हुई कि सिर्फ 11 बसें ही बची थीं और लोगों के आवागमन के साधन रुक गये। इतना ही नहीं, ऐसी भी स्थिति हो गयी कि कइयों की मां मर गयीं और कइयों के बाप मर गये और बसों के नहीं होने के कारण लोग दाह संस्कार में शामिल तक नहीं हो सके। इनके द्वारा कानून के हनन करने से यह हुआ है।

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। समाप्त कीजिये। आर्डर।

श्री बन्शीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जब तक अन्यों के लिए टाइम फिक्स नहीं होगा तब तक इनको जवाब....

(व्यवधान)

नहीं देने दिया जायेगा। अतः हनुमान प्रभाकर इस्तीफा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तुम जवाब सुनना ही नहीं चाहते।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। मुझे ऐसा हक है। व्यवस्था का प्रश्न है वह यह है कि एक दफा जब सदन में कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके बाद में यह आवश्यक नहीं है दस पन्द्रह सदस्य जिन्होंने ही प्रस्ताव दिया हो वह सभी बोलें अथवा दूसरे इससे वन्चित हो जायं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि जब एक प्रस्ताव सदन में आता है तो वह सदन की सम्पत्ति बन जाता है और इसमें देखने की बात यह है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के सदस्य, मैं समझता हूं, काफी बोल चुके हैं ज्यादा ही बोल चुके हैं इस चर्चा को अब समाप्त किया जाय। सदन का समय भी समाप्त हो रहा है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर यह जरूरी नहीं है कि सभी माननीय सदस्यों को ही इसमें भाग लेने दिया जाय। काफी चर्चा हो चुकी है पर्याप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर आर्डर जहां तक सी. पी. एम. के नेता महोदय का प्रश्न है उन्होंने भी वाद-विवाद में हिस्सा ले लिया है इसलिये, मैं समझता हूं कि अब मन्त्री महोदय का जवाब आ जाय। मन्त्री महोदय।

(शोरगुल)

कृपया शान्त रहिये। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं सभी सदस्यों से पूछ लेता हूं, त्रिलोक सिंह जी आपको क्या शिकायत है ?

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय मुझे शिकायत है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बोले तो थे, त्रिलोक सिंह जी, आपको ध्यान नहीं है।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने ही नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

यह किसानों की जिन्दगी से खेल रहे हैं उन्हें खेलने नहीं दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। समय बहुत कम है आप जवाब देने दीजिये। पर्याप्त चर्चा इस विषय पर हो चुकी है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां से 73 गाड़ियां भेज दी गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बसें तो सभी जगह से गयी हैं। माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। मेरे ख्याल से पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर जितना पार्टिसिपेशन किया है उतना शायद किसी भी विषय पर नहीं किया गया है। आप लोगों ने अपने अमूल्य सुझाव किसी न किसी रूप में यहां दे दिये हैं चाहे मेरी अनुमति से आये चाहे मेरी बिना अनुमति से आये, पर आ गये।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, इस विषय पर मैं अब ज्यादा समय नहीं दूंगा। मन्त्री जी का वक्तव्य। मन्त्री जी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर ले जाया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सभी स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें, आर्डर आर्डर, आप मन्त्री महोदय के वक्तव्य में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। अब इस सदन में सिवाय मन्त्री महोदय के वक्तव्य के कोई चर्चा नहीं होगी। कृपया शान्त रहें। आर्डर।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मन्त्री महोदय। मैं ऐसा देख रहा हूं कि माहौल ऐसा है कि विपक्ष के माननीय सदस्य मन्त्री महोदय का जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं।

Page No 138

(138)

(श्री अध्यक्ष) ·

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। वाद विवाद का यह नियम है कि जब एक तरफ से कोई बात कही जाती है तो दूसरी तरफ से उसका जवाब सुनना पड़ता है अगर नहीं सुनते हैं तो यह नियमों का हनन है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, आप वाद विवाद के नियमों का सख्त उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता सदस्यों को उकसा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय सदन का समय जब तक मंत्री महोदय का जवाब समाप्त नहीं हो जाय तब तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय मंत्री महोदय का जवाब समाप्त नहीं हो तब तक के लिये बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय मंत्री महोदय का जवाब समाप्त नहीं हो तब तक के लिये बढ़ाया गया।

मंत्री जी।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर, आर्डर। ऑर्डर कृपया शान्त रहें।

श्री शेखावत !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। विपक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय। सदस्य। कृपया। शान्त रहें आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज;

(व्यवधान)

बहुत दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सदस्यगण दोनों तरफ से इस तरह से कर रहे हैं:...

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार दिनांक 12 मार्च, 1981 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म0प0 5.02 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 12 मार्च, 1981 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1177 की सूची)

25 वर्गमील से अधिक क्षेत्रफल वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.		नाम तहसील	नाम ग्राम	वि. वि.
1.	शिव	बलाई	33	
2.	,,	नीम्बला	26	
3.	,,	नागड़दा	34	
4.	,,	सांजीतड़ा	29	
5.	,,	धारवीखुर्द	37	
6.	,,	कलां	29	
7	,,	उण्ड	51	
8.	,,	कानासर	33	
9.	,,	काश्मीर	42	
10.	,,	भीयाण्ड	73	
11.	,,	मोखाबकला	30	
12.	,,	झणपली	35	
13.	,,	उनरोड	85	
14.	,,	आरंग	36	
15.	,,	चोचरा	31	
16.	,,	जेसिन्दर गांव	56	
17.	,,	जेसिन्दर स्टेशन	87	
18.	,,	डाभड़	52	
19.	,,	बंधड़ा	41	
20.	,,	संदेरा	146	
21.	,,	द्रांभा	136	
22.	,,	रोहिड़ी	187	
23.	,,	शिव	37	
24.	,,	गंगा	28	
25.	,,	हुडवा	28	
26.	,,	हुरसानी	92	
27.	,,	राणासर	63	
28.	,,	मुगेरिया	47	
29.	,,	काढेड़ा	101	

Page No 140

(१४०)

1	2	3	4	5
30.	शिव	वालेवा	36	
31.	,,	रेडाना	41	
32.	,,	गिराब	94	
33.	,,	चितरोड़ी	63	
34.	,,	मेदसर	67	
35.	,,	खानियानो	57	
36.	,,	तामलोर	38	
37.	,,	बांडासर	31	

25 वर्गमील से अधिक क्षेत्रफल वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	क्षेत्रफल वर्गमील में	वि. वि.
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	44	
2.	,,	शिवंकर	26	
3.	,,	बांधरा	53	
4.	,,	महाबार	62	
5.	,,	भाड़खा	44	
6.	,,	भठिया	26	
7.	,,	खड़ीन	37	
8.	,,	सेन्वराऊ	26	
9.	,,	बिशाला	46	
10.	,,	नान्द	39	
11.	,,	जनापतरासर	29	
12.	,,	बायत पनजी	29	
13.	,,	भापेजी	26	
14.	,,	कोल	30	
15.	,,	भर्करदड़ा	35	
16.	,,	कानोड़	28	
17.	,,	जाजवा	31	
18.	,,	झांक	34	
19.	,,	बाटाड़	66	
20.	,,	चोखला	34	
21.	,,	भरतीया	29	
22.	,,	रांवतसर	43	

(141)

1	2	3	4	5
23.	बाड़मेर	चवा	34	
24.	,,	होड़	47	
25.	,,	नोखड़ा	30	
26.	,,	सनावड़ा	35	
27.	,,	ग्राड़ेल	33	
28.	,,	सरली	35	
29.	,,	भूखा भगतसिंह	29	
30.	,,	दाखा	32	
31.	,,	सड़ा	28	
32.	,,	गुड़ा	51	
33.	,,	नगर	35	
34.	,,	ग्रोरीमना	27	
35.	,,	दूधू	26	
36.	,,	रतऊ	51	
37.	,,	खोखर	45	
38.	,,	सवाऊ पदमसिंह	45	
39.	,,	परेऊ	27	

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

तहसीलवार श्रमिकों की संख्या, जिला बाड़मेर व जैसलमेर

जिला बाड़मेर

क्र.सं.	नाम तहसील	श्रमिकों की संख्या
1.	बाड़मेर	14196
2.	शिव	5870
3.	चौहटन	9180
4.	पचपदरा	4290
5.	सिवाना	310
	योग :-	33846

जिला जैसलमेर

1.	जैसलमेर	2068
2.	पोकरण	2881
	योग :-	4949

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

रामनगर, नाहरी का नाका (जयपुर) में खाली पड़े भू-खण्ड

186. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) :-क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा नीलामी अथवा अलॉटमेंट में प्रदत्त भूखण्ड को संबंधित व्यक्ति द्वारा कितनी अवधि में निर्मित करा लेना चाहिये ? कृपया संबंधित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रामनगर नाहरी का नाका (जयपुर) पूर्व योजना के काफी संख्या में भूखण्ड अनिर्मित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके मालिकों को शीघ्र निर्माण कार्य कराने हेतु बाध्य करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या इस योजना में अभी भी भूखण्डों की नीलामी करनी शेष है ? यदि हां, तो कृपया रिक्त भू-खण्डों की संख्या व नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान नगर सुधार (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अधीन आवंटित भूखण्डों के लिए उन पर आवंटन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि में निर्माण करना अनिवार्य है। नीलामी द्वारा बेचे गये भूखण्ड के लिये कोई अवधि निश्चित नहीं है। उक्त नियम राजस्थान राजपत्र में भाग 4-सी दिनांक 19-3-75 को प्रकाशित हुए हैं।

(2) जी हां। नगर विकास न्यास द्वारा सर्वे कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

नीलामी हेतु रिक्त भूखण्डों की सूची

ए-33, 34
सी-39, 81, 82, 83,
डी-35
169, 557ए, 560ए, 788, 805, 863, 903, 960, 985 987, 988, 989
990, 993, 994, 995, 1008, 1009, 1015, 1031ए, 1051, 1055,
1089, 1167*

जयपुर से प्रकाशित अग्रगण्य दैनिक हिन्दी पत्रों को विज्ञापन

187. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय).-क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 12 सितम्बर से 19 सितम्बर, 1980 तक जयपुर से प्रकाशित राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत को किस-किस प्रकार का कितना कितना विज्ञापन प्रकाशनार्थ भेजा गया था ?

(2) इन समाचार पत्रों में विज्ञापन के मूल्यांकन में अन्तर रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इन समाचार पत्रों को यथा सम्भव समान रूप से विज्ञापन वितरित किये जाते हैं। विज्ञापनों के वितरण का मूल्यांकन प्रतिदिन के आधार पर न होकर मासिक व वार्षिक के आधार पर होता है।

12 सितम्बर, 80 से 19 सितम्बर, 80 तक जयपुर से प्रकाशित राजस्थान पत्रिका, नवज्योति एवं राष्ट्रदूत को दिये गये विज्ञापनों का विवरण

क्र. सं.	पत्र का नाम	किस प्रकार का विज्ञापन		कुल योग
		वर्गीकृत	सजावटी	
		रु.	रु.	रु.
1.	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	1235.52	—	1235.52
2.	राष्ट्रदूत, जयपुर संयुक्त संस्करण	24,827.10	2116.50	26,993.60
3.	नवज्योति, जयपुर संयुक्त ,,	1362.00	2380.00	3742.00

मदरायल कस्बे के निकटस्थ क्षेत्र को डोलों के पुल से मध्य प्रदेश राज्य से जोड़ना

188. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के मदरायल कस्बे के पास मध्य-प्रदेश से जोड़ने के लिए डोलों का पुल राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन है ?

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

(2) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य सरकार को डोलों के पुलों के लिए अपना हिस्सा देने के लिए लिख चुकी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार अगर अपना हिस्सा दे तो केन्द्र सरकार भी इसमें सहयोग करने को तैयार है व धौलपुर पर जो डोलों का पुल लगा हुआ था वह वहां आसानी से आ सकता है व उससे राज्य सरकार को बहुत बड़ी आय खनिज व अन्य पदार्थों से हो सकती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। धौलपुर पर यू. पी. सरकार का डोलों का पुल लगा था, उसे यहां लाने का मामला विचाराधीन था, पर यू. पी. सरकार ने उसे देने से इन्कार कर दिया और उसे अन्यत्र ले गई है। अत: अब लाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कृषि उपज मण्डी, टोडारायसिंह

189. श्री चतुर्भुज (टोडाराय सिंह): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोडारायसिंह मंडी की स्थापना कब हुई, तथा इससे पूर्व टोडारायसिंह मंडी का शुल्क कौनसी मंडी वसूल किया करती थी ?

(2) टोडारायसिंह गौण मंडी के समय इसकी क्या आमदनी होती थी, तथा उसका किस प्रकार से हिसाब रखा जाता था ?

(3) टोडारायसिंह में जब नई मंडी बन गई तो उस समय टोडारायसिंह की नई मंडी को क्या-क्या सामान व स्टाफ दिया गया था ?

(4) क्या टोडारायसिंह में नई मंडी बन जाने के पश्चात रु. 95737 का भुगतान टोडारायसिंह मंडी को किया जाना था ?

(5) क्या 95737 रु. का भुगतान कर दिया गया है ? यदि कर दिया गया है तो कृपया क्रमांक व दिनांक अंकित कर सूचना सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या कृषि उपजमंडी, टोडारायसिंह को परियोजना में लाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) टोडारायसिंह मण्डी समिति की स्थापना 11.2.80 को हुई थी। पूर्व में मण्डी शुल्क कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा द्वारा वसूल किया जाता था।

146

(कृषि मंत्री)

(2) टोडारायसिंह (कृषि मंत्री) गौण मण्डी के समय की आमदनी वर्ष 1978-79 में 1,23,520.23 रुपये तथा वर्ष 1979-80 में 10.2.80 तक 95,735.69 रुपये थी। टोडारायसिंह गौण मण्डी प्रांगण की आय का लेखा उप कार्यालय, टोडारायसिंह में रखा जाता था।

(3) टोडारायसिंह की नई मण्डी समिति को कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा द्वारा दिये गये सामान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सामान के प्रति-रिक्त एक नीलाम लिपिक तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थानान्तरण भी नई मण्डी समिति को किया गया था।

(4) जी हां। टोडारायसिंह नई मण्डी समिति बन जाने पर मण्डी समिति, मालपुरा, द्वारा टोडारायसिंह क्षेत्र से वसूल किया गया मन्डी शुल्क नई मण्डी को दिया जाना था।

(5) जी नहीं। इसमें मालपुरा मण्डी ने बटवारे पर आपत्ति कर रखी है। जिसके निराकरण हेतु कार्यवाही जारी है।

(6) मण्डी समिति, टोडारायसिंह द्वारा भूमि उपलब्ध करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि प्राप्त होने के पश्चात ही परियोजना बनाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

जिला सवाई माधोपुर स्थित टाइगर प्रोजेक्ट

190. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है? यदि हां, तो उनका क्षेत्रफल कितना है तथा उसकी सीमाबन्दी कर दी है, या नहीं?

(2) टाइगर प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल व सीमा के अलावा वन विभाग के पास उस क्षेत्र में कितना रकबा किस-किस ग्राम के रकबे में बाकी है? कृपया विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि प्रोजेक्ट के पास कोर व खादर क्षेत्र है? यदि हां, तो क्या उन स्थानों पर जानवरों को चरने की अनुमति दी जाती है? क्या यह क्षेत्र जंगलात विभाग के पास है?

(4) जिन स्थानों पर जानवरों को चरने की अनुमति दी जाती है, वह ग्रामों से कितनी दूर है तथा क्या उन स्थानों पर जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध है? यदि हां, तो कितनी दूरी पर?

(श्री हंसराज शर्मा)

(5) क्या यह सही है कि प्रोजेक्ट के प्रभारी, श्री फतेसिंह लोगों को जान बूझकर परेशान करते हैं और बाहर से भी जानवरों को पकड़ा कर दवाब खाने में बन्द कर देता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर अधिशासी अभियन्ता भवन व पथ बीकानेर खण्ड द्वारा 52 डिग्गियां पूरी करली गई हैं और दो डिग्गियों पर निर्माण कार्य चल रहा है।

(2) डिग्गियों के निर्माण पर लगने वाली ईंटों के बारे में कोई अलग आश्वासन नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राज. नहर परियोजना के पास इस काम के लिए ईंटें उपलब्ध होंगी तो उनसे ईंटें दिलवा दी जावेगी परन्तु यदि राजस्थान नहर परियोजना विभाग के पास इस काम के लिए ईंटें उपलब्ध नहीं हों तो ठेकेदार को ही ईंटों का प्रबन्ध करना था। टेण्डर मय सामग्री के था इसलिए ठेकेदार को ईंटों का भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(3) डिग्गियों को टैस्ट किए जाने से पहले इनका फाइनल भुगतान नहीं किया गया है।

(5) 30 डिग्गियों में नहरी पानी पहुंचा था। इनमें से 11 डिग्गियां लगातार भरी जा रही हैं, शेष 19 के खालों का संधारण नहीं होने से पानी नहीं पहुंच रहा है।

जेलों का उद्योग एवं दस्तकारी कार्य

191.श्री श्री कैलाश मेघवाल(अजमेर पूर्व): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राज्य की विभिन्न जेलों में कहां-कहां पर क्या-क्या उद्योग धन्धे एवं दस्तकारी कार्य होता है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) इन उद्योगों एवं दस्तकारी के कार्यों की हानि-लाभ की क्या स्थिति है तथा इनसे होने वाली आय का किस रूप में उपयोग किया जाता है ? कृपया सन् 1979-80 एवं 1980-81 में दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक के हानि-लाभ एवं आय के प्रति माह के आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट सदन को पटल पर रख दिया गया है।

(2) राज्य सरकार कारागृहों पर उद्योगों का संचालन बिना हानि-लाभ के सिद्धांत पर करती है एवं मुख्य उद्देश्य बन्दियों को सश्रम कारावास की पालना में कार्य कराना होता है। वर्ष 1979-80 में आंकड़े महीनावार हानि 2,18,000 रु. थी व वर्ष

Page No 148

(१५८)

(जेल मंत्री)

1980-81 अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिये हानि-लाभ की स्थिति बतलाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि वर्ष समाप्ति के उपरान्त ही हानि-लाभ के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। व अप्रेल, 1979 से नवम्बर, 80 तक हुई आय का मासिक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। क्योंकि हानि-लाभ का लेखा-जोखा वर्ष समाप्ति के बाद ही बनाया जाता है। अतः प्रति माह इसमें लाभ का विवरण देना सम्भव नहीं है। दिसम्बर, 1980 व जनवरी, 81 के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार से नहीं हुआ है अतः नहीं दिया जा सकता है।

बिक्री की राशि राज्यकोष में जमा करा दी जाती है व यह राज्य की आय है कारागार विभाग को नहीं दी जाती है।

परिशिष्ट 'क'

कारागृहों में चल रहे विभिन्न उद्योगों का विवरण

क. सं.	कारागृह का नाम	कारागृह में चल रहे उद्योगों का नाम
1	2	3
1.	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	1. हाथ करघों एवं शक्तिचालित करघों पर कपड़ा बुनाई कार्य । 2. गलीचे बनाना । 3. दरी बनाना । 4. बढ़ईगिरी का कार्य:—विभिन्न प्रकार का फर्नीचर बनाना व मरम्मत करना । 5. सिलाई कार्य । 6. धुलाई कार्य व रंगाई कार्य । 7. निवार बनाना । 8. फीता नत्थी डोरा बनाना । 9 कुर्सियों का बेंत से बुनाई कार्य । 10. कृषि व बागवानी कार्य ।
2.	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	1. हाथ करघे और शक्तिचालित करघों पर कपड़ा बुनाई कार्य । 2. गलीचे बनाना । 3. दरी बनाना । 4. बढ़ई गिरी का कार्य:- विभिन्न प्रकार का फर्नीचर बनाना व मरम्मत करना । 5. सिलाई कार्य । 6. धुलाई व रंगाई कार्य । 7. निवार बनाना । 8. फीते रस्सा व नत्थी डोरा बनाना। 9. लुहारगिरी का कार्य । 10. कुर्सियों का बेंत से बुनाई कार्य । 11 कृषि व बागवानी कार्य ।

Page No 150

(150)

1	2	3
3.	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	1. हाथ करघे और शक्तिचालित करघों पर कपड़ा बुनाई कार्य । 2. दरी बनाना । 3. बढ़ई गिरी का कार्य:-विभिन्न प्रकार का फर्नीचर बनाना व मरम्मत करना । 4. सिलाई कार्य । 5. धुलाई व रंगाई कार्य । 6. निवार बनाना । 7. फीते रस्सा व नत्थी डोरा बनाना । 8. कृषि व बागवानी कार्य । 9. कुर्सियों का बेंत से बुनाई कार्य ।
4.	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	1. हाथ करघों पर कपड़ा बुनाई कार्य । 2. ऊनी कालीन बनाना । 3. ऊनी कम्बल और ऊनी कपड़े बनाना । 4. दरी बनाना । 5. धुलाई व रंगाई कार्य । 6. ऊनी कताई कार्य । 7. कृषि व बागवानी कार्य ।
5.	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	1. हाथ करघों और शक्ति चालित करघों पर कपड़ा बुनाई कार्य । 2. दरी बनाना 3. धुलाई व रंगाई कार्य 4. बेंत की कुर्सी बनाई कार्य 5. सिलाई कार्य 6. कृषि व बागवानी कार्य 7. निवार बनाना ।
6.	"ए" श्रेणी जिला कारागृह, अलवर	1. हाथ करघे पर कपड़ा बुनाई कार्य 2. दरी बनाना 3. निवार बनाना 4. धुलाई व रंगाई कार्य 5. कृषि व बागवानी कार्य 6. बेंत से कुर्सी बनाना

Page No 151

(151)

1	2	3
7.	"ए" श्रेणी जिला कारागृह, कोटा	1. हाथ करघों पर कपड़ा बुनाई कार्य 2. दरी बनाना 3. धुलाई व रंगाई कार्य 4. निवार बनाना 5. कृषि व बागवानी कार्य
8.	"ए" श्रेणी जिला कारागृह, भरतपुर	1. दरी बनाना 2. निवार बनाना 3. चर्म उद्योग :- जूते, सूटकेस, अटेची, एयरबैग, आदि बनाना 4. कृषि व बागवानी कार्य
9.	"ए" श्रेणी जिला कारागृह, गंगानगर	1. दरी बनाना 2. रंगाई व धुलाई कार्य 3 निवार बनाना
10.	"ए" श्रेणी जिला कारागृह, टौंक	1. दरी बनाना 2. निवार बनाना 3. कृषि व बाग वानी कार्य 4. कुर्सियों की मरम्मत करना 5. मुंढ़े बनाना
11.	"बी" श्रेणी जिला कारागृह, भीलवाड़ा	1. दरी बनाना 2. हाथ करघे से कपड़ा बनाना 3. निवार बनाना 4. कृषि व बागवानी कार्य
12.	महिला बन्दी सुधारगृह, जयपुर	1. निवार बनाना 2. सिलाई कार्य 3. निटिंग तथा बुनाई कार्य 4. मशीन से निटिंग करना।
13.	बाल बन्दी सुधारगृह, उदयपुर	1. लुहारगिरी कार्य:- बाल्टी, गर्म पानी के टब, लैटरीपान, पूरलिन पान 2. सिलाई कार्य 3. बढ़ईगिरी कार्य 4. कुर्सियों से बैंत बुनने का कार्य

परिशिष्ट "स"

कारागृह उद्योग के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में हुई आय का मासिक विवरण जो बजट हैड "056 जेलें [ख] कारागार में निर्मित वस्तुओं का विक्रय" के अन्तर्गत राज्य कोष में जमा कराई गई है :—

1	अप्रेल,	79	रु.	19,988.74
2	मई,	79	,,	36,231 04
3	जून,	79	,,	48,163.35
4	जुलाई,	79	,,	2,25,887.19
5	अगस्त,	79	,,	3,18,805.70
6	सितम्बर,	79	,,	61,270.15
7	अक्टूबर,	79	,,	1,02,856.33
8	नवम्बर,	79	,,	15,401.65
9	दिसम्बर	79	,,	74,595.52
10	जनवरी	80	,,	1,70,656.03
11	फरवरी	80	,,	2 38,170.62
12	मार्च,	80	,,	7,93,994.53
			योग रु.........	21,06,020.85

परिशिष्ट "ब"

कारागृह उद्योग के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 [अप्रेल, 80 से नवम्बर, 80 तक] में हुई आय का मासिक विवरण। जो बजट हैड "056 जेलें (ख) कारागार में निर्मित वस्तुओं का विक्रय" के अन्तर्गत राज्य कोष में जमा कराई गई हैं:--

1	अप्रेल,	80	रु.	2,06,396.50
2	मई,	80	,,	61,312.71
3	जून,	80	,,	2,48,472.24
4	जुलाई,	80	,,	1,09,482.30
5	अगस्त,	80	,,	69,749.38
6	सितम्बर,	80	,,	70,177.18
7	अक्टूबर,	80	,,	85,705.64
8	नवम्बर,	80	,,	51,343.09
			योग रु. ...	9,02,639.04

उदयपुर नगर में सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था में संलग्न दिवंगत कामगार

192. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) उदयपुर नगर परिषद् संचालित सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था से गत 2 वर्षों में कितनी दुर्घटनायें हुई ? कितने कामगार मृत्यु के शिकार हुए ?

(2) क्या मृत कामगारों में से सभी को वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा दिया गया है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में उदयपुर नगर परिषद द्वारा संचालित सड़कों के प्रकाश की व्यवस्था के दौरान दुर्घटनाओं में विद्युत् मण्डल, व नगर परिषद् के एक-एक कामगार की मृत्यु हुई।

(2) जहां तक विद्युत् मण्डल के मृत कर्मचारी का प्रश्न है जिन स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है, वहां मृत कामगारों को मुआवजा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उनके नियमानुसार दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी को वर्कमैन कम्पेनसेशन एक्ट के अधीन मुआवजा देय नहीं है। विद्युत् मण्डल के मृत कामगार के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियमानुसार कम्पेनसेशन समय-समय पर दिया जा रहा है। दूसरे कामगार का सम्बन्ध उदयपुर नगर परिषद् से था। अतः विद्युत् मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के मापदण्ड

193. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने का आधार क्या है एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने किस आधार पर केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की है ?

(2) क्या बीकानेर जिला औद्योगिक रूप से समृद्धशाली है ? यदि नहीं, तो इस जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करने हेतु सरकार कब तक केन्द्र से स्वीकृति दिलाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार घोषित पिछड़े हुए क्षेत्रों के अतिरिक्त भी कुछ जिलों को सरकारी अनुदान प्रदान करती है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में बीकानेर जिले को यह अनुदान दिलाने का विचार है ?

उत्तर

(1) विभिन्न जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन निम्नांकित 6 मापदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जाता है :—

1. प्रमुख फसलों का प्रति व्यक्ति (ग्रामीण जनसंख्या) उत्पादन मूल्य।
2. प्रति 1000 श्रमिकों में गैर कृषि श्रमिकों की संख्या।
3. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन मूल्य (ग्रोस)
4. प्रति एक लाख की जनसंख्या में फैक्ट्री श्रमिकों की जनसंख्या।
5. बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग।
6. प्रति एक लाख की जनसंख्या के लिए उपलब्ध सड़कों की लम्बाई।

उपरोक्त आधारों पर ही राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सिफारिश की गई हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने हेतु लिखा जा चुका है। मामला भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 6 जिलों के अलावा बाकी सभी 20 जिलों को पिछड़ा मान कर सरकारी अनुदान प्रदान करती हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने साधनों से बीकानेर शहर को छोड़कर, बीकानेर जिले में भी राज्य अनुदान दिया जा रहा है।

सीकर जिले में पर्यटन विकास की योजनायें

194. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में पर्यटन विकास के लिये चालू पंचवर्षीय योजना में कौन से नये कार्यक्रम विचाराधीन हैं ? क्या सीकर जिले में भी पर्यटन विकास की दृष्टि से कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चालू पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पर्यटन विभाग के लिए 650 लाख रुपयों के प्रावधान का प्रस्ताव है। योजनावार ब्रेक अप विचाराधीन है।

Page No 156

(156)

खुर्रमपुर नहर से सिंचाई सुविधा

195. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार खुर्रमपुर नहर को बढ़ाकर कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या उससे निम्नांकित गांवों को सुविधा उपलब्ध होगी :—

लौकी, कुरबाड़ा, महरावर, जहांगीरपुर, अस्तावन, दहवा, पचोरा, विरहरा, हिंगोली व उसरानी ?

उत्तर

(1) जी हां। खुर्रमपुर नहर को बढ़ाकर ग्राम लौकी, कुरबाड़ा, महरावर, जहांगीरपुर, अस्तावन, दहवा, पचोरा, विरहरा, हिंगोली व उसरानी को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रस्तावित है।

जोधपुर जिले की ग्रामीण जल-प्रदाय योजनायें

196. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में कितनी ग्रामीण जल-प्रदाय योजनायें कार्यरत हैं ? कृपया ऐसी ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें जिस योजना में आखिरी के गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण जल-प्रदाय योजना के बनने के बाद आज दिन तक गत तीन वर्षों से लगातार माह में 20 दिन पानी नहीं आता है ? यदि हां, तो हमेशा पानी पहुंचता रहे इसके लिए विभाग ने क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या गांवों में जहां पेयजल योजना बनी हुई है, पानी का हौज नहीं होने से जनता व मवेशियों को तकलीफ उठानी पड़ रही है ? वहां हौज बनाने हेतु विभाग कब तक कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में विभिन्न प्रकार की कुल 125 ग्रामीण जल-प्रदाय योजनायें कार्यरत हैं। अपेक्षित सूची संलग्न है।

(2) जी हां, लगभग 13 ग्राम इस श्रेणी में आते है। समस्या के निदान हेतु नए नलकूप, भूतल जलाशय अथवा बूस्टर पम्प इत्यादि लगाने के प्रस्ताव है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

(3) क्षेत्रीय योजनाओं में प्रत्येक ग्रामवासी को सुगमता से पेयजल उपलब्ध हो सके, इस प्रकार हौज बनाये गये हैं। तीन पारम्परिक जल स्रोत योजनाओं पर पंचायत द्वारा हौज बनाये जाने शेष हैं।

जोधपुर जिले में क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजनाओं की सूची जहां छोर के गांवों में पानी नहीं पहुँच रहा है :—

क्र. स.	योजना का नाम	
(1)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	शैतानसिंह नगर-जाम्बा
(2)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	नोखरा-चारणा-चम्पासर
(3)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	सिहडा-टेकरा-टेपू
(4)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	सालोडी, आगोलाई
(5)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	रतकुडिया-बासनी
(6)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	डोली-धावा-प्रथम चरण
(7)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	सतलाना-फिच
(8)	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना	झंवर-डोला-पाल

अकाल राहत कार्य

197. श्री लच्छूराम (मण्डावा): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने माह नवम्बर, 1980 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत राहत कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक किस-किस जिले में कितना-कितना कार्य प्रारम्भ हुआ व इन कार्यों पर कितने मजदूरों को राहत मिली ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 16-11-80 को परीक्षण राहत कार्य प्रारम्भ करने के आदेश जिलाधीशों को दे दिये थे।

(2) माह फरवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह को जिलेवार प्रारम्भ किये गये कार्यों की सूची एवं कार्यरत श्रमिकों की संख्या की सूची-परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(158)

तारांकित प्रश्न

GOVERNMENT OF

(RELIEF

STATEMENT SHOWING THE LABOUR ON RELIEF

S.No.	Name of Districts	P. W. D. Works	P. W. D. Labourers	Irrigation Deptt. Works	Irrigation Deptt. Labourers	Forest Works
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ajmer	22	3711	64	5898	3
2.	Alwar	—	—	—	—	—
3.	Banswara	2	1306	2	280	—
4.	Barmer	24	17600	4	248	1
5.	Bharatpur	—	—	—	—	—
6.	Bhilwara	56	6456	11	1064	—
7.	Bikaner	17	1765	—	—	—
8.	Bundi	7	794	3	135	—
9.	Chittorgarh	5	4476	2	195	—
10.	Churu	—	458	—	—	—
11.	Dungarpur	3	1452	2	190	—
12.	Ganganagar	—	—	—	—	—
13.	Jaipur	14	1083	10	901	—
14.	Jaisalmer	4	3293	3	467	—
15	Jalore	5	1757	6	1393	—
16.	Jhalawar	—	130	—	—	—
17.	Jhunjhunu	5	274	1	31	—
18.	Jodhpur	37	7218	1	59	—
19.	Kota	—	—	2	160	—
20.	Nagaur	7	885	—	—	—
21.	Pali	25	10135	26	1856	—
22.	S. Madhopur	—	—	—	—	—
23.	Sikar	1	129	3	453	—
24.	Sirohi	11	2318	—	—	—
25.	Tonk	7	253	15	1290	—
26.	Udaipur	42	11977	18	1280	—
	Total...	294	77570	173	15900	4

(159)

ANNEXURE-A

संख्या 197 की सूची

RAJASTHAN

DEPARTMENT)

& DEPARTMENTAL WORKS AS ON DATED 4-2-1981

Deptt. Labourers	Soil Conservation Works	Soil Conservation Labourers	Other/Revenue Works	Other/Revenue Labourers	Total Works	Total Labourers	Departmental Labourers
8	9	10	11	12	13	14	15
10	—	—	—	727	89	10346	575
—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	430	—	—	5	2016	—
78	—	—	—	—	109	17926	—
—	—		100	600	100	600	—
—	—	—	476	13965	543	21485	—
—	—	—	—	2382	17	4147	—
—	—	—	18	1566	28	2495	—
	—	—	8	1406	15	6077	—
—	—	—	—	—	—	458	—
—	—	—	—	—	5	1642	—
	—	—	2	25	2	25	—
—	—	—	—	—	24	1984	—
—	—	—	15	4200	22	7960	—
—	—	—	—	3879	11	7029	—
—	—	—	—	—	—	130	938
—	—	—	5	525	11	530	—
—	—	—	37	9825	75	17102	3215
—		—	—	—	2	100	—
—	—	—	—	1161	7	2046	1497
—	—	—	47	14328	98	26319	6600
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5	921	9	1503	—
—	—	—	5	3308	16	5626	1000
—	3	402	53	986	78	3031	—
—	2	34	26	15100	88	28391	—
88	6	866	797	74604	1274	169028	18712

ग्राम पलसाना (दांतारामगढ़) में उप-तहसील खोलना

198. श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील दांतारामगढ़ के ग्राम पलसाना में उप-तहसील खोलने के लिये जिलाधीश ने कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ तहसील एक कोने में होने के कारण से पलसाना के आस-पास के लोगों को वहां आने-जाने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सरकार उन लोगों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए कब तक पलसाना में उप-तहसील खोलेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम पलसाना में उप-तहसील बनाने हेतु जिलाधीश, सीकर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह मामला अभी विचाराधीन है।

(2) जी हां।

राज्य में पिछड़ी जातियों में समाविष्ट जातियां

199. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में कौन-कौन सी जातियां पिछड़ी जातियों में सम्मिलित हैं ? इनको पिछड़ी जातियों में सम्मिलित करने का क्या आधार है ?

(2) क्या यह सही है कि मुस्लिम अल्प संख्यकों में ऐसी बहुत सी जातियां या समुदाय हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं लेकिन ये पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं ?

(3) क्या सरकार इसे धर्म निरपेक्ष सिद्धान्त के विपरीत नहीं मानती कि उसी पेशे में कार्यरत लोग हिन्दू होने के कारण पिछड़ी जातियों में सम्मिलित हैं ? लेकिन उसी पेशे में कार्यरत लोग यदि मुस्लिम हैं, तो पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं माने जाते ?

(4) क्या राज्य सरकार मुस्लिम अल्प संख्यकों में अथवा अन्य अल्प-संख्यक धर्मों के मानने वाले लोगों में पिछड़े हुए समुदायों को पिछड़ी जातियों में मानने की घोषणा करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जो भी जातियां पिछड़ी जातियों में सम्मिलित हैं उनकी सूची संलग्न है। अनुसूचित जातियों को छुआछूत के आधार पर, अनुसूचित जन जातियों को उनके आदिम जाति होने के आधार पर सम्मिलित किया गया है तथा अन्य पिछड़ी जातियों का आधार उनका आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन है।

(2) यह सारा प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग तथा 'हाई पावर पैनल' गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है।

(3) यह सारा प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग तथा "हाई पावर पैनल" गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है।

(4) यह सारा प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग तथा "हाई पावर पैनल" गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है।

Published by Ministry of law, justice and Company affairs (legislative Department) Govt. of India. No. 151
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
(Part 11) Dated 27th Sept. 1976

Part XV-Rajasthan (enforced w. e. f. 27th July, 1977)

1. Adi Dharmi
2. Aheri
3. Badi
4. Bagri, Bagdi
5. Bariwa, Berwa
6. Bajigar
7. Balai
8. Bansphor, Bansphod
9. Baori
10. Bargi, Vargi, Birgi
11. Bawaria, Beria
12. Bedia, Beria
13. Bhangi, Chura, Methar Olgana, Rukhi, Malkana Halalkhor, lalbegi, Balmiki Valmiki, Korar, Zamalli
14. Band
15. Bidakia
16. Bhand Bola
17. Chamar, Bhambhi, Bambhi Bhambi, Jatia, Jarava Mochi Raidas, Rohidas, Regar Raigar, Ramdasia, Chambhar Shamgar, Haralayya, Harali

Page No 162

(162)

Kha Khalpa, Machigar Mochigar Madar, Madig, Telegu, Mochi Kamati Ranigar Rohit, Samgar

18. Chanadal
19. Dabgar
20. Dhanak, Dhanuk
21. Dhankia
22. Dhobi
23. Dholi
24. Dome, Dom
25. Gandia
26. Garancha, Gancha
27. Garu, Garura, Garoda
28. Gavaria
29. Godhi
30. Jingar
31. Kalbelia, Sapera
32. Kamad, Kamedia
33. Kanjar, Kunjar
34. Kapadia, Sansi
35. Khangar
36. Kharik
37. Koli, Kori
38. Kooch Bhand, Kuchband
39. Koria
40. Madari, Bazigar
41. Mahar, Taral, Dhegumagu
42. Mahyavanshi, Dhed, Dheda Vankar Maru Vankar
43. Majhabi
44. Mang, Matang, Minimading
45. Mang Garodi, Mang Garudi,
46. Mangh. Maghval, Meghwal, Manghaval
47. Mehar
48. Nat, Nut
49. Pasi
50. Rawal
51. Salvi
52. Sanoi
53. Santia, Satia
54. Sarbhangi
55. Sargara
56. Singiwala
57. Thori, Nayak
58. Tirgar, Tirbanda
59. Tori

Part XIII-Rajasthan

1. Bhil, Bhil Garasis, Dholi Bhil Dumgri Bhil, Dungri Garasia Mewasi Bhil Rawal Bhil Tadvi Bhil, Bhagalia Bhilala Pawra, Vasava, Vasave.
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
5. Garasia (excluding Rajput Garasia)
6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathidi, Dhor Katkari, Son Kathidi Son Katkari
7. Kokoo, Kokni, Kokna
8. Koli Dhor, Tokre Koli
9. Mine
10. Naikda Nayaka Cholivala Naya
10. Naikda, kapadja Nayaka Mota Nayaka, Nana Nayaka
11. Patelia
12. Scharia, Sehria, Sahariya

This Central Act was notified vide Govt. of India No. B. C./12016/34/76/SCT-Vand came into force w. e. f. 27 July, 1977. This issued with the concurrence of the Govt. of Rajasthan in Social Welfare Department.

(C) OTHER BACKWARD CLASSES

I. *Throughout the State except Ajmer District :--*

1. Banjare
2. Baori
3. Badera
4. Bagaria
5. Bhat
6. Bhoi (Sagarvanshi Mali)
7. Cheeta
8. Chamta
9. Dakot
10. Damami
11. Daroga
12. Dhandi
13. Dhankas
14. Dhobi
15. Dholi
16. Gaderia
17. Gadia Lohar
18. Ghanacha
19. Ghanchi
20. Hazuree
21. Hela
22. Jogi
23. Julaha
24. Kahar
25. Kalal
26. Kangi
27. Kanvi
28. Khant
29. Kharol
30. Kumbhar
31. Labana
32. Lakhera
33. Lohar
34. Merat and Mer
35. Mehra
36. Maha Brahmin
37. Miras
38. Merasi
39. Mogia
40. Nagarchee
41. Nai
42. Naik
43. Nairia
44. Ood (Beldar)
45. Patwa (Phadal)
46. Pinjara
47. Rai
48. Rona Rajput
49. Rawat
50. Rehbari
51. Sad
52. Sonsi (Sehar)
53. Satiya (Sindhis)
54. Sikligar
55. Sirkiwala
56. Teli
57. Thatera

II. *In Ajmer District:--*

1. Aheer
2. Banjare
3. Cheeta
4. Daroga
5. Dhakad
6. Gadolia
7. Gujar
8. Jat
9. Kahar
10. Khati
11. Kumbar
12. Lodha
13. Lohar
14. Mali
15. Mena
16. Merat
17. Nai
18. Nayar
19. Rawat
20. Rehbari
21. Sadhu
22. Teli
23. Scheduled Castes who have embraced Christian religions.

औद्योगिक इकाइयों व किसानों को प्रदत्त ऋण

200. श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1977 से 1980 तक वर्षवार कितना ऋण कितने यूनिट्स को दिया गया ?

(2) राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से राज्य में कितना ऋण 1977 से 1980 तक वर्षवार कितने किसानों को दिया गया ?

(3) आइटम नं. 1 व 2 के अन्तर्गत दिये गये ऋण का औसत प्रति औद्योगिक इकाई व प्रति किसान परिवार क्या-क्या है ?

(4) इन दोनों के औसत में इतनी बड़ी असमानता से क्या राज्य सरकार भिज्ञ है ? इस असमानता को दूर करने का प्रयास करने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष 77-78 से 79-80 तक निम्न प्रकार ऋण स्वीकृत व वितरित किये हैं :—

वर्ष	सकल ऋण स्वीकृत		ऋण वितरित	(करोड़ रुपयों में)
	यूनिट सं.	ऋण राशि	यूनिट सं.	ऋण राशि
1977-78	544	9.03	402	5.23
1978-79	1055	14.32	654	7.97
1979-80	2510	31.54	1964	17.94

(2) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को वर्ष 77 से 80 तक वर्षवार निम्नांकित सदस्यों को निम्न राशि के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं:—

वर्ष	सदस्य संख्या (लाखों में)	राशि (लाख रुपयों में)
77-78	10.08	6142.56
78-79	11.17	7188.88
79-80	12.27	8762.42

उत्तर

राजस्थान वित्त निगम	सहकारी बैंक
1977-78 रुपये 1.66 लाख प्रति इकाई	रुपये 609.38 पैसे प्रति किसान
1978-79 रुपये 1.36 लाख प्रति इकाई	रुपये 643.59 पैसे प्रति किसान
1979-80 रुपये 1.25 लाख प्रति इकाई	रुपये 714.13 पैसे प्रति किसान

एक औद्योगिक इकाई में किये गये ऋण विनियोजन को सहकारी समिति के माध्यम से प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त सहायता की तुलना किया जाना व्यवहारिक नहीं है। एक औद्योगिक इकाई अपनी क्षमता के अनुसार अनेक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराती है जब कि किसान द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से प्राप्त सहायता उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है। अतः असमानता के लिए कोई प्रयास किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

मन्दिर व वक्फ के अधीन तहसील जयपुर के ग्रामों की भूमि

201. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जयपुर के ग्राम विजयमहल, ग्राम नाहरगढ़ व ग्राम बदनपुरा में माफी मन्दिर व मस्जिद (वक्फ) की कौन-कौन सी खसरा नम्बरान की कितनी भूमि किस मन्दिर व वक्फ के अधीन हैं ?

(2) क्या माफी मन्दिर या ठाकुर जी के भोग राग की भूमि की बिक्री या नामान्तरण कराया जा सकता है ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ?

(3) क्या उक्त ग्रामों की भूमि माफी पर कोई नामान्तरण करवाकर तरमीम किये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया सम्वत् 2015 से आज तक के विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर तहसील जयपुर के ग्राम विजयमहल, नाहरगढ़ एवं बदनपुरा स्थित माफी मन्दिर की जितनी भूमि इन ग्रामों में स्थित मन्दिरों के अधीन है, उस की सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 166

उक्त ग्रामों में कई मस्जिद हैं, परन्तु कोई मस्जिद वक्फ की माफी की भूमि नहीं है।

(2) जी नहीं। माफी मन्दिर या ठाकुर जी के भोग राग की खातेदारी भूमि को पुजारी या व्यवस्थापक द्वारा विक्रय अथवा उसके नामान्तरकरण नहीं कराये जा सकते हैं।

(3) जी हां। उक्त ग्रामों की जिन माफी मन्दिरों की खातेदारी की भूमि का हस्तानांतरण सम्वत् 2015 से हुआ है और उनके नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुके हैं, वे सूची के विशेष विवरण के कालम में दर्शाये गये हैं। सम्वत् 2015 से माफी मन्दिरों की खातेदारी भूमि को हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में नामान्तरकरण पटवारियों एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा कानून के प्रावधान का भली-भांति न समझने के कारण खोले तथा तस्दीक किये गये हैं। इस हेतु राज्य सरकार ने निर्देश दिये हैं कि माफी पुनर्ग्रहण के पश्चात मन्दिर की खातेदारी भूमि पुजारियों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक हो गये हैं तथा पुजारियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने के फलस्वरूप अन्य व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक हो गये हैं उन मामलों में नामान्तरकरण आदेश निरस्त करने के लिये राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स किया जावे। इसके अन्तर्गत जिलाधीश ने समस्त तहसीलदारों से इन मामलों का विवरण भेजने हेतु निर्देश दे दिये हैं।

परिशिष्ट—क

तारांकित प्रश्न संख्या 201 की सूची

ग्राम विजय महल

खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2015 से 2034 के अनुसार — वर्तमान रिकार्ड के अनुसार

क्र० सं०	नाम भोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि माल	खसरा नम्बर एवं रकबा	कुल रकबा	भूमि अधिकारी/जागीरदार उप जागीरदार, माल-गुजार जिम्मेदार या जमींदार विवरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित	खसरा नम्बर मय रकबा	कुल रकबा	विशेष विवरण
1.	माफी मन्दिर श्री गोविन्ददेवजी सा. जयपुर	खुद काबिज	3/ 212, 4/ 1,5, 6 9)3, 3)2, 3)2 10. 19 20. 21, 21.)7, 1), 1)4, 1), 211)2 23, 24, 25, 26, 27, 1111), 1)2, 11), 1)1, 111)1	किता 15 1711)3	राजस्थान सरकार	मन्दिर श्री गोविंद देवजी	5 19 20 21)3 1) 1)8)1 22 23 24 25 211), 1111, 1)2, 11) 26 27 3 4 1)1 111)1, 211)2, 1) 6 9 10 3)2, 11)3, 1)2	किता 15 1711)3	
2.	माफी मन्दिर बलदाऊजी वल्द वल्लभदासजी महन्त नारायणदास चेला	खुद काबिज	225 रकबा 2 बिस्वा 267 रकबा 1 बीघा 7 वि.	किता 2 11)4	राजस्थान सरकार	नारायणदास चेला वल्लभदास सिरेड्योडी बाजार, जयपुर	225 रकबा 2 बिस्वा 226 रकबा 1 बीघा 7 वि. 227 रकबा 1 बीघा 10 वि.	किता 3 2 बी, 19 वि.	
3.	माफी मन्दिर श्री महादेवजी पुजारियों-कारनाथ चेला गुलाबनाथ जाति जोगी सा. देह	खुद काबिज	41 42 43 44 45 1), 1) 1)1, 1)1 11)3 50, 51, 52, 53, 54 111)1, 1) 1)2 1) 2 1)1	किता 21 25 बीघा 7 बिस्वा	राजस्थान सरकार	ओंकारनाथ चेला गुलाबनाथ कोम जोगी सा. देह	41 42 43 44) 1) 1) 1)1 45 50 51 52 11)3 111)1 1) 1)2	किता 21 25 बी. 8 वि.	नोट :—नामान्तरकरण संख्या 69 दि. 31-1-81 के ओंकार नाथ चेला गुलाबनाथ की बजाय हनुमान सहाय साहू पुत्र श्री जगन्नाथ [illegible]

(168)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			55 56 57 58 59 1) 11)1 1)1)1 111)1 60 61 62 63 64 65 2) 11)2)2 11) 8)4 311)2				53 54 55 56 1)2 11)1 1)1 11)1 57 58 59 60 1)1)1 111)1)2 61 62 63 64 1)2)2 11) 8)4 65 311)2		ओंकार जाति तेली निवासी चौड़ा रास्ता फिल्म जयपुर के नाम स्वीकार है । एस. डी. पटवारी 21-1-81 नोट :-उपजिलाधीश महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक आरए 81/158 7-2-81 तथा तहसीलदार महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक भ. म./81/583 दिनांक 18-2-81 के अनुसार उक्त नामान्तरकरण 69 दि. 31-1-81 का अमल दिनांक 17-3-81 तक रोका गया ।
4.	माफी मन्दिर श्री सीताराम जी पुजारी	खुद काबिज	251 रकबा 5 बिस्वा. 252 रकबा 12 बिस्वा 257 रकबा 1 बिस्वा	किता 3 18 बि.	राजस्थान सरकार	मन्दिर श्री गोपाल जी ठीकाना गलता ट्रस्ट महन्त श्री दामोदर आचार्य	215 रकबा 5 बिस्वा 252 रकबा 12 बिस्वा 257 रकबा 1 बिस्वा	किता 3 रकबा 18बि.	भा. सं. 59 दि. 17-9-1988 से आदेश श्री एस.डी.एम. जयपुर के क्रमांक आर.ए./77/1218 23-7-77 तहसील भू अभिलेखा 10-8-77 डिग्री मि. नं. 98/73 ता. 27-1-77.
5.	उपरोक्त	राम गोपाल रामानन्द पुजारी बालुदास जाति ब्राह्मण सा. देह	256 रकबा 1 बीघा	किता 1 1 बीघा	राजस्थान सरकार	राम गोपाल रामानन्द पिता बालू जाति ब्राह्मण	254 रकबा 14 बिस्वा 255 रकबा 1 बिस्वा 258 रकबा 7 बिस्वा 256 रकबा 1 बीघा	किता 4 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा	

ग्राम बदनपुरा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर

खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015 से 2034 के अनुसार | वर्त्तमान रिकार्ड के अनुसार

नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान	नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान	खसरा नम्बर	कुल रकबा	भूमि अधिकारी जागीरदार उप जागीरदार या जमींदार, मालगुजार जिम्मेवार या जमीदार विवरण	नाम कृषक विवरण सहित	खसरा नम्बर	कुल रकबा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70 25/2 माफी मन्दिर श्री गोरधन नाथ जी विराजमान मोहनबाड़ी	खुद काबिज	534	5।।)1	राजस्थान सरकार	गोरधन लाल जी ब्रजभान मोहनबाड़ी	534	5।।)1	
71 माफी देवराज पुजारी (88) लक्ष्मणनाथ चेला शंकरदास कोम जोगी सा. वेद	;; (माफीदार)	520/541	)1	उपरोक्तानुसार	लक्ष्मण नाथ चेला शंकर नाथ कोम जोगी	520/541	—)1	
72/ माफी मन्दिर देवराज 69 उदक भोग शिवजी विराजमान वेद महंतधर्म पुजारी नंदी वल्द छीतर कोम ब्राह्मण सा. वेद	नन्दा वल्द छीतर कोम ब्राह्मण सा. वेद मु. बदोम	189	।।।)1	उपरोक्तानुसार	नन्दा पुत्र छीतर को. ब्राह्मण सा. वेद	189	।।।)1	नोट : न. सं. 108 दि. 26-8-74 विरासत मूलचन्द, हरिनारायण, जगदीशनारायण, रामस्वरूप, पुत्रान नंदा के हुआ ।
		190	।।)4			190	।।)4	
		193	2)3			193	2)3	
		194	।)2			194	)2	
		195	)8			195	।)3	
		196	।।)2			196	।।)2	
		197	)7			197	)1	
		198	1)			198	1)	
		199	)।			199	)1	
		200	।।।)1			200	।।।)1	

शीही दोयम	जौवे	शीही सोयम	मिजान खाता
11)4	12	।।)3	10
16.32	1.31	4.80	
जाव	बंजड़ अव्वल	वा.उ.	मै.मु.
)3	2)3	1)	।।।)3
2.56	1.40	3.75	—

योग खाता

शोहे 2	जाव	शीही सोयम	बंजड़ 1	बारानी	मै.मौ.
114	12	112	2)3	1)	।।।3
16.32	1.31	4.88	1.40	3.75	—

Page No 170

(170)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73 माफी देवराज उदक मन्दिर ठाकुरजी अहतधाम पुजारी लादू वल्द गोरधन कोम ब्राह्मण सा. देह	नारायण दास चेला रामानुजाचार्य स्वामी सा. देह	269 270 272	।।))3 ।।।)2	उपरोक्तानुसार ,, ,,	नारायणदास चेला रामानुजाचार्य कोम स्वामी	269 270 272	।।))3 ।।।)2	नोट : ना. सं. 115 ता. 28-9-77 नारायणदास जी की पोती पर राघेवन्दर आचार्य पुत्र चेला नारायण दास का नाम हुआ।
	मीजान खाता शाही अव्वल जाव मै.मु. ।)2 –)3 2.25 – –	3	1।)					नोट:तहसील जयपुर दि. 31-7-80 उपजिलाधीश महोदय के आदेश सं.एफ-5(6)80, विविध/ 4497 दिनांक 7-4-80 के आदेश संख्या एफ-5 (6) 80 / विविध / 6937 दिनांक 8-7-80 द्वारा कालम संख्या 11 में निम्न प्रकार खातेदारों का नाम दर्ज है।
							1।।)	मन्दिर ठाकुर श्री मुरली मनोहर जी मार्फत स्वामी राघवेन्द्राचार्य शास्त्री चेला नारायण दास अध्यक्ष कार्यवाहक प्रन्यासी (श्री वेंकटेश देवस्थान न्यास) गंगापोल बाहर रामानुजमार्ग, जयपुर उक्त इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 115 की पृष्ठ पर स्वीकृत है। एस. डी महमूद अली पटवारी।
74/ 71 माफी मन्दिर उदक मन्दिर ठाकुर जी अहतधाम पुजारी सूरजमल वल्द मनदास कोम स्वामी सा. देह मु. कदीम	खुद काबीज माफीदार	236 238 240 241 242	।)4)2 ।)5)1 ।।)4	उपरोक्तानुसार	नंदकिशोर पुत्र सूरजमल कोम ब्राह्मण सा. देह	236 238 240 241 242	।)4)2 1।))1 ।।)4	नोट : ना. नं. 88 ता. 16-3-70 के तहत।
75/ 72 माफी पंचायत मन्दिर नसीया मोहन बाड़ी	खुद काबिज माफीदार	522 524	6।2 3।।।	उपरोक्तानुसार	पंचायत मन्दिर नसिया मोहन बाडी	522 524	6)2 3।।।	

Page No 171

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76/ 80 माफी मन्दिर श्री जी ब्रहतधाम पुजारी मोहनलाल संतुराम ब्राह्मण सा. देह	खुद काबिज माफीदार	521/ 2 525 526 527/ 2 531/ 1	6।।)4 9।। 6।4 4)2 8।)	उपरोक्तानुसार	मोहनलाल पुत्र संतुराम कोम ब्रा. सा. जयपुर जाट के किले के रास्ते में ।	531/ 2 525 526/ 1 527/ 2 531/ 1	6।)4 8।।।) 4) 4)2 8।)	
	मिजान खाता श. प्र. श. दो. 9।। 25।। 6.17 7.65	किता 5.35)			योग खाता बंजड1 बंजड2 9।।) 23)। 6.17 6.91	5.32।।)1		
77/ 67 माफी मन्दिर श्री हुनुमान जी ब्रहतधाम पुजारी श्री नारायणदास पुत्र ज्ञानदास कोम स्वामी सा. जयपुर	नारायण दास वल्द रतनदास कोम स्वामी सा. जयपुर मु. वदीम	152	।)1	;;	गोपालदास चेला नारायणदास ब्राह्मण	150 152	।।।)। ।)1	नोट : यह खाता ना. सं. 92 दि. 22-7-70 के तहत नारायण पुत्र रेणमल (2) ज्ञानचन्द पुत्र मुन्नामल हरसहाय पुत्र ज्ञानचन्द रमाकान्त पुत्र कालूराम पालीवाल जयपुर के नाम स्वीकार हुआ है ।
78/ 60 माफी मन्दिर श्री हनुमान जी विराजमान देह ब्रहतधाम पुजारी नारायण दास रतन दास कोम स्वामी सा. देह	खुदकाश्त नारायण दास वल्द रतनदास स्वामी हि. 1/ 2 बालू पुत्र गणेश कोम ब्राह्मण हि. 1/ 2 सा. देह	7 8 153 154 155 156 157 ——— 7	1।।।)2 2) ।।)1 1)4)2 ।) 4)4 ——— 10)3	;;	गोपालदास पुत्र नारायणदास हि. 1/ 2 राम कल्याण पु. बाल ब्राह्मण हि. 1/ 2	7 8 153 154 155 156 157 ——— 7	1।।।)2 2) ।।)1 1)4)2 ।) 4)4 ——— 10)3	नोट : नामान्तरकरण नं. 6 दिनांक 3-7-76 के तहत ।
	शा. प्र. जाव शा. दो. जाव धा. प्र. मै. मु. 1।4 ।। 3।।)3 ।।। 3।।।)2)3 21.75 1.50 41.06 2.81 10.20 —				योग खाता शाही 1 जाव शाही 2 जाव बरानी 1 मै. मु. 1।4 ।)1 3।।3 ।।। 3।।।) 2)3 21.75 1.50 41.06 2.81 10.20 —			
	सिवाय चक बिला लगानी	188 192/ 1	1)2 1)		मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर	188 192/ 1	1)2	नोट : जरिये ना. नं. 128 दिनांक 16-10-79 मुताबिक आदेश जिलाधीश महोदय आ. प. 5917

(172)

ग्राम नाहरगढ़

खतोनी बन्दोबस्त सम्बत् 2015 से 2034 के अनुसार					वर्तमान रेकार्ड के अनुसार				
क. सं.	नाम भोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान	नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान	खसरा नम्बर मय रकबा	कुल रकबा	भूमि अधिकारी जागीरदार उप जागीरदार माल-गुजार माल जिम्मेदार या जमीदार ववरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित	खसरा नम्बर मय रकबा	कुल रकबा	विशेष विवरण
1.	माफी मन्दिर चन्द्र शेखर जी महादेव पुजारी नारायण वल्द हीरालाल कोम महाजन सा॰ जयपुर	खुद काबिज	282	)।	,,	नारायण पुत्र हीरालाल महाजन सा. जयपुर	282	।)।	
3.	माफी मन्दिर छीपावाला पुजारी गोविन्दनारायण पिता गोपीनाथ जाति ब्राह्मण सा॰ छीपावाली ढाणी।	स्वयं माफीदार	234,235, ।)2)। 236,237)। 21)3	2।।।)2	,,	गोविन्दनारायण पुत्र गोपीनाथ जाति ब्राह्मण नि. ढाणी छीपावाली	234,235 ।)2)। 236,237)। 21)3	2।।।)2	
4.	माफी जैन मन्दिर बनाम केशरलाल वल्द भौरेलाल जमनालाल पिता नन्दलाल विजयलाल व गणेशलाल जवाहरलाल चि॰ चन्द्र भंवरलाल पुत्र गुलाबचन्द जाति महाजन।	स्वयं काश्त	225/1225/2 3)2)। 226 ।।)	3।।)3	,,	केशर लाल वल्द भौरेलाल जमनालाल पुत्र नन्दलाल विजयलाल पुत्र गणेशलाल जवाहरलाल चि. चन्द्र-भंवरलाल पुत्र गुलाबचन्द कोम महाजन सा. जयपुर बोरडी का रास्ता	225/1,225/2 3)2)1 226 ।।)	3।।)3	
5.	माफी मन्दिर महादेवजी साके देव कोड़ोनाथ वल्द दुर्गानाथ जाति भट्ट सा. वेह	मकबूजा माफीदार	139	)3	,,	केसरनाथ पुत्र दुर्गानाथ जाति भट्ट	)3		
6.	माफी महादेव स्थान देह पुजारी प्रतापगिरी वल्द मैंथागिरी कोम गुसाई देह	स्वयं काश्त	205,210)3 ।2)2 2।।/1,2।।/2)। ।।।)2	3)3	,,	कैलाश गिरी पुत्र प्रतापगिरी कोम. गुसाई	205,210)3 2)2 2।।/2 ।।।)2	3)3	ना.न.106 विरासत
7.	माफी मन्दिर तारकेश्वर	स्वयं माफीदार	374,376,377	।।)	राजस्थान सरकार	पंचायत प्रनवर ब्राह्मण [redacted]	374,376,377)।)। ।)	।।)	

वर्ष 1979 में जोधपुर में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांध

203. श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई विभाग, जोधपुर के अन्तर्गत जुलाई, 1979 में आई बाढ़ से कितने बांध क्षतिग्रस्त हुए ?

(2) विभाग ने मरम्मत कार्य हेतु सरकार से कितनी राशि की मांग की एवं कितनी राशि आवन्टित की गई तथा कितना खर्चा हुआ ? कृपया प्रत्येक क्षतिग्रस्त कार्य पर आवन्टित राशि एवं खर्च का ब्यौरा अलग अलग बताया जाकर सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने बांधों की पुनः मरम्मत कर दी गई और ऐसे कितने बांध हैं जो क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े हैं ? कृपया मय नाम एवं कारण स्पष्ट करते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार इन बांधों की मरम्मत करवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979 की बाढ़ से जोधपुर सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जोधपुर जिले में 19, नागौर जिले में 12, जालौर जिले में 21 एवं बाड़मेर जिले में 14 बांध क्षतिग्रस्त हुए थे।

(2) जिलेवार मांग की गई राशि, स्वीकृत राशि एवं व्यय निम्नानुसार है:-

जिला	मांगी गई राशि (लाखों में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय की गई राशि (लाखों में)
जोधपुर	60.20	38.69	46.75
नागौर	26.32	14.11	7.10
जालौर	48.50	42.80	38.26
बाड़मेर	15.00	13.50	13.21

बांधवार विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(3) जिलेवार पुनः निर्माणित बांधों की संख्या, शेष बचे क्षतिग्रस्त बांधों की संख्या, उनके नाम एवं कारण निम्न प्रकार हैं:—

(176)

	जिला	पुनः निर्माणित बांधों की संख्या	शेष क्षति ग्रस्त बांधों की संख्या	शेष क्षतिग्रस्त बांधों के नाम
1.	जोधपुर	16	3	(1) बोरून्दा (2) बैनन (3) बिसलपुर
2.	नागौर	10	2	(1) पुण्डलू (2) मालियों का धोरा
3.	जालौर	19	2	(1) केरिया (2) हाकरा
4.	बाड़मेर	13	1	(1) बाजना

शेष बचे बांधों में से केरिया एवं हाकरा का कार्य ग्रामवासियों के विरोध के कारण नहीं कराया जा सका। बिसलपुर बांध का कार्य भूतपूर्व जागीरदार के मुआवजे का निर्णय न होने के कारण नहीं करवाया जा सका। बैनन बांध अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से इसका पुनः निर्माण लाभदायक नहीं है। बाजना के पुनः निर्माण के कार्य की स्वीकृति दे दी गई है। बोरून्दा, पुण्डलू एवं मालियों का धोरा के बांधों के पुनः निर्माण कार्य स्वीकृत राशि के अभाव में नहीं कराए जा सके।

(4) जी हां। शेष क्षतिग्रस्त बांध बोरून्दा, पुण्डलू एवं मालियों का धोरा के पुनः निर्माण उपलब्ध वित्तीय साधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराये जाने की संभावना है।

जिला जोधपुर

क्र. सं.	कार्य का नाम	मांगी गई राशि लाखों में	स्वीकृत राशि लाखों में	वास्तविक व्यय लाखों में
1	2	3	4	5
1.	सुरपुरा बांध	2.60	2.60	1.68
2.	बिसलपुर बांध	1.50	1.50	0.07
3.	बेरी बांध	1.50	1.50	2.22

1	2	3	4	5
4.	नाहार सागर	0.40	0.40	0.40
5.	गोलछोर बांध	0.30	0.30	—
6.	सालोरी बांध	0.50	0.50	0.38
7.	बोल्था बांध	4.00	1.50	0.01
8.	बनोन बांध	1.50	0.50	—
9.	पोपावास बांध	0.60	0.50	1.12
10.	जसवन्तसागर बांध व कैनाल	40.79	29.39	37.70
11.	पीपारसिटी बांध	0.70	—	1.73
12.	हीरादेसर	0.70	—	—
13.	बानसी	1.00	—	0.47
14.	चोपरा फीडर	2.50	—	0.70
15.	माडालिया	0.30	—	—
16.	नान्दीया कालान	0.75	—	0.27
17.	कास्ती बांध	0.40	—	—
18.	कुरी फीडर	0.10	—	—
19.	तेमवारीया बांध	0.15	—	—
	योग: —	60.20	38.69	46.75

जिला-नागौर

1.	मालियान का घोरा	0.50	0.28	—
2.	सतलात टेंक	1.00	0.38	0.74
3.	जागराणा	4.25	3.25	3.98
4.	कुण्डलो	12.10	4.05	—
5.	भातसिया	4.30	3.90	1.59
6.	धानावा	0.35	0.35	0.17
7.	भेरतवा	0.63	1.00	0.35
8.	पावराण्डा	0.04	0.10	—
9.	माताजी का वाला	2.50	0.35	—
10.	हरसोरा बांध व नहर	0.40	0.10	0.26
11.	धनसारियां का नाका	—	0.15	—
12.	डोडियाना	0.25	0.20	—
	योग:—	26.32	14.11	7.10

क्षतिग्रस्त बांधों को मरम्मत हेतु बांधों पर हुए सर्वे की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	जिला	विभाग द्वारा मांगी गई राशि (लाखों में)	राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि (लाखों में)	खर्च राशि (लाखों में)	मद सुरक्षा एवं रख रखाव के अन्तर्गत खर्च हुई राशि (रुपये लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चितलवाना बांध	जालौर	8.65	4.00	7.92	—	गांव वाले मरम्मत नहीं करवाना चाहते
2.	रतनपुरा बांध	,,	2.38	2.50	2.80	—	
3.	केरिया बांध	,,	—	3.50	—	—	
4.	गोमी क्रास बांध	,,	2.79	2.00	2.66	—	
5.	मलेपा बांध	,,	3.40	2.50	2.90	—	
6.	पावटा बांध	,,	3.22	2.50	2.38	—	
7.	होती गांव बांध	,,	0.76	1.50	9.63	—	
8.	टाभी बांध	,,	1.42	1.00	1.19	—	
9.	मुराबन्द प्रथम बांध	,,	2.48	1.00	2.07	—	
10.	मुराबन्द द्वितीय बांध	,,	1.15	1.00	6.93	—	
11.	मोलासर बांध	,,	1.23	1.00	1.07	—	
12.	बरगणा बांध	,,	9.06	2.80	2.38	—	
13.	सुवड़ी बांध	,,	3.51	2.50	2.34	—	
14.	खोजड़ियाली प्रथम	,,	3.44	2.50	2 69	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	खोजड़ियाली द्वितीय	जालौर	2.43	2.00	1.98	--	
16.	रितया क्रास बांध	,,	2.57	2.00	2.08	—	
17.	हाकरा बांध	,,	—	2.00	—	—	गांव वाले मरम्मत नहीं करवाना चाहते।
18.	बड़गांव केनाल	,,	0.59	1.50	—	0.42	
19.	पंकसी बांध व केनाल	,,	3.00	3.00	1.40	—	
20.	नेसरा केनाल	,,	2.26	2.00	1.64	—	
21.	बीठन केनाल	,,	—	0.60	—	0.33	
		योग	48.50	42.89	38.26	0.75	
22.	बांजना बांध	बाड़मेर	—	2.00	—	—	ज्यादा क्षतिग्रस्त
23.	साडोरिया क्रास बांध	,,	3.04	1.50	2.80	—	
24.	सिन्धरवा बांध	,,	0.26	0.30	0.27	—	
25	गेकरना साढ़ीन	,,	1.36	1.50	1.03	—	
26.	सिनली	,,	0.79	0.25	1.01	—	
27.	भीमरसाई	,,	1.64	1.00	1.39	—	
28.	घेरिया	,,	0.27	0.50	—	0.27	
29.	माकोड़ा	,,	0.21	0.30	—	0.19	
30.	तिसवाड़ा	,,	2.20	1.00	2.35	—	
31.	मन्डली	,,	0.63	0.50	—	0.71	

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	प्रेलड मेरी बांध व केनाल	बाड़मेर	0.12	0.10	—	0.16	ज्यादा क्षतिग्रस्त
33.	पूतन की भाखरी खाडी	,,	0.88	0.95	—	0.13	
34.	घातीतरा स्पर्श	,,	0.88	1.00	0.57	—	
35.	मालोतरा टाउन मार्जीनस बांध	,,	3.50	3.50	3 79	—	
		योग	15.00	13.50	13.21	1.46	
		कुल योग....	63.50	56.30	51.47	2.21	

भीलवाड़ा जिले में चोरी व अन्य अपराधों के प्रकरण

204. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

भीलवाड़ा जिले के किन-किन थानों में चोरियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के मारपीट तथा अन्य अपराधों के मामले दर्ज किये गये ? दर्ज किये गये मामलों के नतीजे क्या रहे ?

उत्तर

स्पष्ट अवधि का उल्लेख नहीं होने से वर्ष 1980 में घटित विभिन्न अपराधों के बारे में वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

तालिका

क्र. सं.	नाम थाना	अपराध	संख्या दर्ज मुकदमात	अदम वकुआ	अदम पता	अदम सबूत	जैरतफ.	चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भीलवाड़ा	कतल	1	—	—	—	—	1
		लूट	8	3	—	—	—	5
		नकबजनी	69	6	36	—	4	23
		पशुचोरी	3	1	1	—	—	1
		अन्यचोरी	119	11	53	1	10	44
		बलवा	40	21	—	1	1	17
		अन्य आई. पी.सी.	234	72	14	5	21	122
2.	सदर	कतल	—	—	—	—	—	—
		लूट	6	4	1	—	—	1
		नकबजनी	15	3	8	—	3	1
		पशुचोरी	4	1	2	—	—	1
		अन्य चोरी	17	5	7	—	2	3
		बलवा	26	14	—	—	—	12
		अन्य आई.पी.सी.	79	32	2	—	7	38

Page No 180

(182)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बनेड़ा	कतल	2	—	—	—	1	1
		लूट	4	—	—	—	—	4
		नकबजनी	26	1	13	1	2	9
		पशु चोरी	5	1	3	—	—	1
		अन्य चोरी	15	2	2	—	2	9
		बलवा	16	6	—	1	—	9
		अन्य आई.पी.सी.	64	17	1	1	3	42
4.	मान्डल	कतल	2	—	—	—	2	2
		लूट	—	—	—	—	—	—
		नकबजनी	21	1	13	—	—	7
		पशुचोरी	7	2	2	—	1	2
		अन्य चोरी	38	17	7	—	—	14
		बलवा	23	13	—	—	—	10
		अन्य आई.पी.सी.	121	48	3	—	7	63
5.	हमीरगढ	कतल	1	1	—	—	—	—
		लूट	1	—	—	—	—	1
		नकबजनी	19	4	7	—	1	7
		पशुचोरी	3	—	1	—	—	2
		अन्य चोरी	20	3	8	—	—	9
		बलवा	14	6	—	—	1	7
		अन्य आई.पी.सी	43	15	1	—	2	25
6.	शाहपुरा	कतल	—	—	—	—	—	—
		लूट	—	—	—	—	—	—
		नकबजनी	17	—	10	—	3	4
		पशुचोरी	4	1	1	—	—	2
		अन्य चोरी	20	3	9	—	1	7
		बलवा	—	2	—	—	2	4
		अन्य आई.पी.सी.	94	25	1	—	2	66
7.	जहाजपुर	कतल	2	—	1	—	1	—
		लूट	—	—	—	—	—	—
		नकबजनी	17	—	12	—	1	4
		पशुचोरी	2	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अन्य चोरी	28	5	7	2	4	10
		बलवा	10	4	—	—	—	6
		अन्य आई.पी.सी.	87	26	6	1	5	49
8.	मन्डेर	कतल	—	-	-	-	-	-
		लूट	1	-	-	-	-	1
		नकबजनी	7	2	1	-	1	3
		पशु चोरी	4	2	-	-	1	1
		अन्य चोरी	17	8	5	-	-	4
		बलवा	5	2	-	-	-	3
		अन्य आई.पी.सी.	60	18	-	2	-	40
9.	शंकरगढ़	कतल	-	-	-	-	-	-
		लूट	1	-	-	-	-	1
		नकबजनी	9	2	3	-	-	4
		पशु चोरी	4	2	-	-	-	2
		अन्य चोरी	8	1	4	-	1	2
		बलवा	7	2	-	-	-	5
		अन्य आई.पी.सी.	37	11	-	-	-	26
10.	भुलिया	कतल	1	-	-	-	-	1
		लूट	3	2	-	-	-	1
		नकबजनी	12	-	7	-	1	4
		पशु चोरी	5	-	2	-	-	3
		अन्य चोरी	14	3	1	-	-	10
		बलवा	8	3	-	-	-	5
		अन्य आई.पी.सी.	48	12	3	-	-	33
11.	मान्डलगढ़	कतल	-	-	-	-	-	-
		लूट	2	-	-	-	-	2
		नकबजनी	13	1	3	-	5	4
		पशु चोरी	8	2	-	-	1	5
		अन्य चोरी	29	10	5	-	2	12
		बलवा	13	-	-	-	-	13
		अन्य आई.पी.सी.	69	16	1	-	1	51
12.	बिजोलिया	कतल	2	—	—	—	—	2
		लूट	2	1	1	—	—	—
		नकबजनी 1	19	—	15	—	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		पशु चोरी	5	1	—	—	1	3
		अन्य चोरी	9	1	6	—	—	2
		बलवा	4	—	—	—	—	4
		अन्य आई.पी.सी.	66	24	—	—	6	36
13.	बिगोद	कतल	1	—	1	—	—	—
		लूट	4	1	—	—	1	2
		नकबजनी	19	—	12	—	1	6
		पशु चोरी	10	—	3	—	3	4
		अन्य चोरी	16	1	12	—	2	1
		बलवा	3	—	—	—	—	3
		अन्य आई.पी.सी.	50	19	1	—	1	29
14.	काछोला	कतल	2	—	1	—	—	1
		लूट	1	1	—	—	—	—
		नकबजनी	7	3	2	—	1	1
		पशु चोरी	2	—	—	—	1	1
		अन्य चोरी	6	1	2	—	—	3
		बलवा	9	1	—	—	—	8
		अन्य आई.पी.सी.	43	7	3	—	2	31
15.	कोटड़ी	कतल	1	—	—	—	—	1
		लूट	5	2	1	—	—	2
		नकबजनी	29	2	14	—	3	10
		पशु चोरी	7	1	3	—	—	3
		अन्य चोरी	13	4	2	—	2	5
		बलवा	13	2	—	—	—	11
		अन्य आई.पी.सी.	92	21	1	1	5	64
16.	गंगापुर	कतल	1	—	—	—	—	1
		लूट	1	—	—	—	—	1
		नकबजनी	21	2	8	—	2	9
		पशु चोरी	3	1	1	—	—	1
		अन्य चोरी	37	12	7	2	2	14
		बलवा	14	8	—	—	—	6
		अन्य आई.पी.सी.	143	74	1	—	9	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	रायपुर	कतल	1	—	—	—	—	1
		लूट	1	—	1	—	—	—
		नकबजनी	10	1	2	—	1	6
		पशु चोरी	6	—	1	—	1	4
		अन्य चोरी	7	3	2	—	1	1
		बलवा	14	9	—	—	—	5
		अन्य आई.पी.सी.	76	38	3	—	3	32
18.	करेड़ा	कतल	1	—	—	—	—	1
		लूट	—	—	—	—	—	—
		नकबजनी	10	—	7	—	1	2
		पशु चोरी	2	—	1	—	—	1
		अन्य चोरी	9	2	1	—	2	4
		बलवा	8	6	—	—	1	1
		अन्य आई.पी.सी.	33	11	—	1	2	19
19.	बागोर	कतल	—	—	—	—	—	—
		लूट	—	—	—	—	—	—
		नकबजनी	6	1	2	—	1	2
		पशु चोरी	6	1	1	—	—	4
		अन्य चोरी	11	4	3	—	2	2
		बलवा	1	—	—	—	—	1
		अन्य आई.पी.सी.	64	28	3	1	3	29
20.	गुलाबपुरा	कतल	1	—	—	—	—	1
		लूट	—	—	—	—	—	—
		नकबजनी	21	—	11	—	3	7
		पशु चोरी	—	—	—	—	—	—
		अन्य चोरी	22	11	4	—	—	7
		बलवा	8	3	—	—	—	5
		अन्य आई.पी.सी.	71	11	1	1	6	52
21.	आसिंद	कतल	2	—	1	—	—	1
		लूट	2	—	1	—	—	1
		नकबजनी	18	2	7	—	2	7
		पशु चोरी	2	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अन्य चोरी	26	7	6	—	—	13
		बलवा	10	5	—	—	—	5
		अन्य आई.पी.सी.	9341	1	3	1		47
22.	बन्दनोर	कतल	3	—	1	—	—	2
		लूट	3	—	—	—	—	3
		नकबजनी	10	2	5	—	—	3
		पशु चोरी	5	—	2	—	—	3
		अन्य चोरी	8	3	2	—	1	2
		बलवा	14	4	—	—	3	7
		अन्य आई.पी.सी.	50	10	1	—	8	31
23.	शम्भूगढ़	कतल	1	—	1	—	—	—
		लूट	2	—	—	—	—	2
		नकबजनी	10	—	4	—	2	4
		पशु चोरी	—	—	—	—	—	—
		अन्य चोरी	7	3	1	—	1	2
		बलवा	16	7	—	1	—	8
		अन्य आई.पी.सी.	46	18	—	—	4	24

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 फरवरी, 1981)

कुम्हेर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नल-कूप लगाना

24. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर):** क्या भू-जल विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार ने कृषि सिंचाई हेतु नल-कूप लगाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां।

नगर पालिका को डामर क्रय करने की स्वीकृति दे दी गई है।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 174 की सूची व विवरण गिरफ्तार व्यक्तियों की जो वर्ष 1965 व 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान गिरफ्तार किये गये।

वर्ष 1965

1. कुतुबुद्दीन पुत्र करामत अली निवासी काटियों की पीपली, जयपुर को दिनांक 18-9-65 को जयपुर में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया जिसके विरुद्ध थाना एस. पी. एस. जयपुर में मु. नं. 1165 दर्ज किया था जिसमें 14 वर्ष की सजा हुई। यह अभियुक्त दिनांक 26-12-74 को रिहा किया जा चुका है।

2. अब्दुल अजीज पुत्र कलन्दर खां नि. पाक दिनांक 18-9-65 को जयपुर में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना एस. पी. एस. जयपुर में मु. नं. 1/65 दर्ज किया गया जिसमें मुलजिम को 5 वर्ष की सजा हुई। यह अभियुक्त कुतुबुद्दीन का सहअपराधी था सजा काटने के बाद अभियुक्त को वर्ष 1969 में पाक निष्कासित कर दिया गया है।

3. –शमशुलहक अर्सी पुत्र इदरिश नि. जोधपुर भी कुतुबुद्दीन के साथ ही सह अपराधी था इसको भी मु. नं. 1/65 में 5 वर्ष की सजा हुई। यह 14-10-65 को गिरफ्तार किया गया था व 1969 में रिहा हो चुका है।

वर्ष 1971

1. अब्दुलगनी पुत्र करीमुद्दीन नि. भावलनगर पाक को थाना करनपुर जिला गंगानगर में जासूसी के आरोप में दिनांक 29-7-71 को गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध मु. नं. 49/71 दर्ज किया गया। इस अभियुक्त को पाक भारत समझोते की पालना में दिनांक 6-7-74 पाकिस्तान को वापस सौंप दिया गया।

3. रोशन पुत्र जमालद्दीन नि. भावलनगर (पाक) भी अब्दुलगनी का सहअभियुक्त था जिसे भी मु. नं. 49/71 में गिरफ्तार किया गया था और भारत-पाक समझोते की पालना में 6-7-74 को सौंप दिया गया।

3. मल्लासिंह पुत्र अमरसिंह नि. भुट्टीवाला थाना करनपुर जिला गंगानगर में दि० 29-7-71 को गिरफ्तार किया गया यह भी अब्दुलगनी का ही सहअभियुक्त था जिसे दिनांक 6-5-75 को धारा 169 जा. फो. में रिहा कर दिया गया।

4. मुख्तारहुसैन पुत्र मुमताज हुसैन निवासी कराची (पाक) को जिला बाड़मेर में जासूसी के आरोप में दिनांक 10-7-71 को गिरफ्तार किया गया इसके विरुद्ध

(188)

थाना एस. पी. एस. जयपुर में. मु. नं. 1/71 दर्ज किया गया दिनांक 6-7-74 को भारत पाक समझोते के अन्तर्गत इसको पाक सौंपा गया।

5. बच्चू पुत्र मल्लार निवासी चौहटन बाड़मेर को दिनांक 7-10-71 को गिरफ्तार किया गया। यह अभियुक्त भी अभियुक्त मुख्तारहुसैन का सहअभियुक्त था इसको मु. नं. 1/71 में दिनांक 13-3-76 को अदालत द्वारा 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। सजा भुगतकर दिनांक 13-3-76 को रिहा किया गया।

परिशिष्ट 5

परिशिष्ट 'अ'

अतारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूचना

पुलिस थाना रवांजना डूंगर में सन 1977-78-79 व 80 में चोरी, हत्या, डकेती और बलात्कार के मुकदमात की सूची

अपराध का नाम	सन	मुकदमे दर्ज हुए	चालान	फाइनल रिपोर्ट	पेन्डिंग तफतीश
चोरी	1977	14	3	11	--
	1978	25	9	16	--
	1979	17	5	12	--
	1980	27	7	19	1
हत्या	1977	--	--	--	--
	1978	2	1	1	--
	1979	--	--	--	--
	1980	--	--	--	--
डकेती	1977	--	--	--	--
	1978	--	--	--	--
	1979	--	--	--	--
	1980	1	1	--	--
बलात्कार	1977	1	--	1	--
	1978	--	--	--	--
	1979	--	--	--	--
	1980	1	1	--	--

परिशिष्ट 'ब'

पुलिस थाना खन्डार में 1977-78-79 व 80 में चोरी, हत्या, डकेती और बलात्कार के मुकदमात की सूची।

अपराध का नाम	सन्	मुकदमे दर्ज हुए	चालान	फाइनल रिपोर्ट	पेन्डिंग तफतीश
चोरी	1977	7	2	6	—
	1978	7	2	5	—
	1979	23	6	17	—
	1980	24	5	19	—
हत्या	1977	0	0	—	—
	1978	3	3	—	—
	1979	2	1	1	—
	1980	2	2	—	—
डकेती	1977	—	—	—	—
	1978	—	—	—	—
	1979	1	1	—	—
	1980	1	1	—	—
बलात्कार	1977	—	—	—	—
	1978	—	—	—	—
	1979	—	—	—	—
	1980	1	1	—	—

परिशिष्ट 'स'

पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा में सन् 1977-78-79 व 80 में चोरी डकेती, और बलात्कार के मुकदमात की सूची।

अपराध का नाम	सन्	मुकदमे दर्ज हुए	चालान	फाइनल रिपोर्ट	पेन्डिंग तफतीश
चोरी	1977	10	5	5	—
	1978	10	4	6	—
	1979	12	5	7	—
	1980	7	3	4	—
हत्या	1977	—	—	—	—
	1978	—	—	—	—
	1979	1	1	—	—
	1980	—	—	—	—
डकैती	1977	—	—	—	—
	1978	—	—	—	—
	1979	—	—	—	—
	1980	—	—	—	—
बलात्कार	1977	—	—	—	—
	1978	—	—	—	—
	1979	—	—	—	—
	1980	—	—	—	—

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या

गत 5 वर्षों में राज्य से विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजे गये

क्रम सं.	अधिकारी का नाम एवं पद	प्रशिक्षण का विवरण
1	2	3
	आई. ए. एस.	वर्ष 1976
1.	श्री एल. एन. गुप्ता शासन सचिव, उद्योग एवं खनिज विभाग।	कान्फ्रेन्स आन पालिसी एण्ड प्लानिंग।
2.	श्री राजेन्द्रपाल सिंह पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।	यू. एन. डी. पी. फैलोशिप रेप्लि-केशन आफ माडर्न टेक्निक्स फार इम्प्रूवमेन्ट आफ पब्लिक एडमिनि-स्ट्रेशन।
3.	श्री जी. जे. मिश्रा मुख्य चुनाव अधिकारी एवं निदेशक, चुनाव व पदेन शासन सचिव, चुनाव, स्वायत्त शासन, नगर आयोजना, समाज कल्याण एवं श्रम विभाग।	सेमीनार आन फाइनेन्सिंग लोकल डवलपमेंट।
4.	श्री वी. एस. वर्मा शासन सचिव, चुनाव, स्वायत्त शासन, नगर आयोजना, समाज कल्याण एवं श्रम विभाग।	प्लानिंग एण्ड एप्राइजल आफ ह्यूमन रिसोर्सेज-अण्डर कोलम्बो प्लान।
5.	श्री हरिमोहन माथुर निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।	रीजनल प्रोग्राम फार नेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन।
		वर्ष 1977
6.	श्रीमती कृष्णा भटनागर शासन उप-सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।	मैन पावर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट। अण्डर कोलम्बो प्लान।
7,	श्री टी० वी० रमणन् शासन विशिष्ट सचिव, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग।	एडवान्स्ड पब्लिक सर्विस मैनेजमेन्ट गवर्नमेन्ट एडिमनिस्टेशन अण्डर कोलम्बोप्लान।

177 की तालिका

आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारियों का वर्षवार विवरण

प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापन
4	5	6
होनोलूलू हवाई (यू. एस. ए.)	5-4-76 से 10-4-76	शासन सचिव, उद्योग एवं खनिज विभाग।
आस्ट्रेलिया व फिलीपाइन्स	29-4-76 से 27-7-76	शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मंत्रि-मण्डल सचिवालय।
कोलालम्पुर	10-5-76 से 29-5-76	मुख्य चुनाव अधिकारी एवं निदेशक, चुनाव व पदेन शासन सचिव चुनाव, स्वायत्त शासन, नगर आयोजना, समाज कल्याण एवं श्रम विभाग।
यू. के.	20-9-76 से 23-12-76	शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगर आयोजना, समाज कल्याण व नियोजन विभाग।
बैंकाक	20-10-76 से 9-11-76	निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
यू० के०	21-4-77 से 27-7-77	शासन उप-सचिव, कृषि (सी० ए० डी०) विभाग।
यू० के०	15-6-77 से 7-8-77	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

1	2	3
8.	श्री पवन चोपडा शासन उप-सचिव, कृषि (विशिष्ट योजनाएं) विभाग	इकानामिक डवलपमेंन्ट इन्स्टीट्यूट-जनरल प्रोजेक्ट्स।
9.	श्री आर० एस० कुमट शासन विशिष्ट सचिव, सहकारिता विभाग।	मैनपावर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट-कोलम्बो योजना।
10.	श्री डी० एन० उपाध्याय कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर।	यूनिडो कार्यक्रम के अन्तर्गत एस० एफ० डी० ओ० जनरल स्टडी।
		वर्ष 1978
11.	श्री एम० एम० के० वली विकास आयुक्त एवम् शासन सचिव	सेमीनार आन को-आपरेटिव डवलपमेन्ट
12.	श्री के० के० भटनागर शासन विशिष्ट सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार	एम० डी० पी० ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग-कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत
13.	श्री एच. एस. रमानी, सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।	यूनिडो इन प्लान्ट ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन आर्गेनाइजेशन एण्ड मैनेजमेंट आफ एग्रो इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स।
		वर्ष 1979
14.	श्री एस. पी. विश्नोई, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं शासन सचिव।	ई. डी. आई.-रूरल डवलपमेंट प्रोजेक्ट।
15.	श्री सतीश कुमार, आयुक्त एवं शासन, सचिव, अन्त्योदय एवं विशिष्ट योजना संगठन।	सेमीनार आन प्रोजेक्ट मेनेजमेंट फार कामन वैल्थ एसोशियेशन कन्ट्रीज।
		वर्ष 1980
16.	श्री अनिल कुमार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं विनियोजन निगम।	मैनेजमेंट आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज।
17.	कुमारी अलका ऋषि शासन उप सचिव, विशिष्ट योजना संगठन। (प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थीं)	प्रोजेक्ट प्लानिंग।

4	5	6
वाशिंगटन (यू०एस०ए०)	11-7-77 से 9-9-77	शासन उप सचिव, कृषि (विशिष्ट योजना संगठन) विभाग ।
यू० के	26-9-77 से 25-12-77	शासन विशिष्ट सचिव, कृषि (सी० ए० डी०) विभाग ।
फिलीपाइन्स व जनेवा ।	3-10-77 से 30-10-77	कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ।
यू० एस० ए०	24-4-78 से 26-4-78	विकास आयुक्त एवम् शासन सचिव ।
यू० के०	7-5-78 से 15-8-78	शासन विशिष्ट सचिव, शिक्षा विभाग ।
यूगोस्लाविया	18-9-78 से 18-11-78	सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।
यू. एस. ए.	29-1-79 से 30-3-79	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
बंगला देश	16-7-79 से 21-7-79	आयुक्त एवं शासन सचिव, अन्त्योदय एवं विशिष्ट योजनाएं संगठन ।
यू. के.	21-4-80 से 17-7-80	शासन विशिष्ट सचिव सार्वजनिक निर्माण, खाद्य एवं नागरिक रसद व सहायता विभाग ।
यू. के.	21-4-80 से 11-7-80	अपर सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।

(196)

1	2	3
	आर० ए० एस०	वर्ष 1976
1.	श्री पुखराज सालेचा सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर।	ग्रुप ट्रेनिंग कोर्स इन लोकल गवर्नमेन्ट।
2.	श्री रामकुमार सिंह अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगानगर।	प्लानिंग सर्विसेज फार आफेन्डर्स इन कम्युनिटी।
3.	श्री शिवचरण शर्मा उप निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।	मैनेजमेन्ट आफ अरबन डवलपमेन्ट।
		वर्ष 1977
4.	श्री पी. सी. सचेती उप निदेशक (प्रशासन), हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।	ट्रेनिंग मेथडोलोजी।
		वर्ष 1978
5.	श्री एम. पी. सिंह उप निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।	मैनेजमेन्ट आफ ट्रेनिंग।
6.	श्री नरेश चन्द्र जैन प्रधान प्रबन्धक, राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)।	को-आपरेटिव मैनेजमेन्ट।
		वर्ष 1976
7.	श्री धर्मवीर निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर।	सोशल रिसर्च फार डवलपमेन्ट।
		वर्ष 1980

4	5	6
जापान	18-3-76 से 17-6-76	विशेषाधिकारी, नगर विकास न्यास, जयपुर।
यू० के०	20-4-76 से 5-8-76	उपनिदेशक (प्रशासन), शहरी भूमि, जयपुर।
यू० के०	27-9-76 से 7-1-77	उपायुक्त (अपील), वाणिज्य कर, अलवर।
यू० के०	19-9-77 से 19-6-78	उप निदेशक (प्रशासन), हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
यू० के०	31-7-78 से 20-10-78	उप निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
मास्को	1-9-78 से 30-11-78	प्रधान प्रबन्धक, राजस्थान को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)।
यू० के०	6-6-79 से 29-8-79	जनरल मैनेजर, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।

(198)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 178 की सूची

अभियोग	कुल संख्या	अभियोग संख्या जिनमें अपराधी पकड़े गये
डकैती	—	—
हत्या	27	17
लूट	35	8
नकबजनी	152	35
चोरी	264	58
बलवा	342	190
अन्य अपराध	773	466
योग	1593	774

तुलनात्मक आंकड़े तीन साला अपराधों के, कमी बेशी मय प्रतिशत के –जिला सीकर ।

क्रम सं.	शीर्षक	1978	1979	1980	अपराधों की कमी बेशी 1980 / 1978	1980 / 1979	प्रतिशत 1980 / 1978	1980 / 1979
1.	डकैती	—	3	—	—	—3	—	—
2.	लूट	32	23	35	+3	+12	+9.38%	+52.17%
3.	हत्या	24	21	27	+3	+6	+12.50%	+28.57%
4.	बलवा	340	299	342	+2	+43	+0.59%	+14.38%
5.	नकबजनी	232	201	152	—80	—49	—34.48%	—24.38%
6.	चोरी	370	317	264	—106	—53	—28.65%	—16.72%
7.	अन्य अपराध	637	658	773	—136	+115	+21.35%	+17.48%
	योग	1635	1522	1593	—42	+71	—2.57%	+4.66%

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 179 की सूची

वर्ष 1980 में राज्य सरकार द्वारा वापस उठाये गये मुकदमों की सूची

क्र. सं.	मुकदमों का विवरण
1.	सरकार बनाम कृष्णमोहन वगैरह अन्तर्गत धारा 353–341 भा. दं. सं. नयापुरा कोटा।
2.	वर्ष 1973 में हुई हड़ताल के दौरान प्रबन्धकों द्वारा यूनियन कार्यकर्त्ताओं तथा सदस्यों के खिलाफ चलाये गये मुकदमों को वापस लेने बाबत अन्तर्गत धारा 147, 149, 323 भा. दं. स. (कोटा)।
3.	सरकार बनाम अब्दुल रहमान चौधरी वगैरह मु. नं, 35 व 36 अन्तर्गत धारा 323, 147, 148 भा. दं, सं. [नागौर]।
4.	सरकार बनाम थानसिंह वगैरह मु. नं. 149/78 अन्तर्गत धारा 16 पी. एफ. एक्ट [जिला नागौर]।
5.	सरकार बनाम मेखा, ग्यारसा वगैहर मु. नं. 86/75, 55/73 [जि. नागौर]
6.	प्रहरियों एवं मुख्य प्रहरियों की हड़ताल से बने मुकदमे:–– सरकार बनाम शनीफ खां वगैरह मु. नं. 364/78 अन्तर्गत धारा 353, 147, 341 भा. दं. सं. [जयपुर]।
7.	सरकार बनाम शिवप्रसाद वगैरह मुकदमा नं. 9/78 अन्तर्गत धारा 353 भा. दं. सं. उदयपुर।
8.	सरकार बनाम मोहनलाल वगैरह मु. नं. 366/78 अन्तर्गत धारा 353, 147 341 भा. दं. सं जयपुर।
9.	अध्यापक एवं कर्मचारियों के झगड़े में बना मुकदमा सरकार बनाम भगवानदास वगैरह अन्तर्गत धारा 147, 148, 332, 333 भा. दं. सं. [गंगानगर]।
10.	अक्टूबर, 1977 व दिसम्बर 1978 में श्रीमती गांधी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस [आई] के कार्यकर्ताओं पर बने मुकदमे [अजमेर] भारत सरकार बनाम लादूराम वगैरह केस नं. 298/78 अन्तर्गत धारा 147, 323 भा. दं. सं [अजमेर]।

200

क्र. सं.	मुकदमों का विवरण
11.	सरकार बनाम बालकिशन वगैरह केस नं. 299/78 अन्तर्गत धारा 452, 147 148, 149, 427 भा. दं. सं. ।
12.	बोनस एक्ट के अन्तर्गत बने मुकदमे [बीकानेर] सरकार बनाम सतीशचन्द्र वगैरह मु. नं. 288/78 अन्तर्गत धारा 19 बी. बोनस एक्ट बीकानेर ।
13.	सरकार बनाम भागीरथ वगैरह मु. नं. 287/78 अन्तर्गत 19 बी बोनस एक्ट बीकानेर।
14.	सरकार बनाम हनुमान प्रभाकर वगैरह प्रकरण सं. 207/79 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 353, 332, 440 एवं 307 भा. दं. सं. [उदयपुर]।
15.	सरकार बनाम छगनलाल सोनी मु. नं. 5/77 अन्तर्गत धारा 342, 511 भा. दं. सं., एफ. आई. आर. नं. 172/70 थाना रतनगढ़ [चूरू]।
16.	सरकार बनाम मंगलचन्द मु. नं. 299/75 अन्तर्गत धारा 353, 332, 336 भा. दं. सं. [चूरू]।
17.	सरकार बनाम प्रीतमसिंह व अन्य केस नं. 16/75 अन्तर्गत धारा 13 वोटिंग एक्ट [सवाईमाधोपुर] ।
18.	सरकार बनाम सूरजनारायण अग्रवाल मु. नं. 14/78 [अजमेर] एवं मोटर व्हीकल एक्ट के 1563 मुकदमे ।

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 184 की सूची

वर्ष 1981-82 के प्रतापगढ़ के ग्रामों की सूची

क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2	तहसील 3	कोड़ नं. 4	जनसंख्या 5	केटेग्री 6
1.	बाडी	प्रतापगढ़	131	169	III
2.	अडवेला	,,	136	164	III
3.	प्रयागजी की पठार	,,	142	227	III
4.	बोरी	,,	149	955	III
5.	पलथाना	,,	162	351	III
6.	कारमादी खेडा	,,	185	179	II
7.	रघुनाथपुरा	,,	183	229	III
8.	साजी का पठार	,,	192	160	III

1	2	3	4	5	6
9.	सीता नगरी	प्रतापगढ़	194	311	III
10.	धमाना डूंगरी	,,	206	248	III
11.	दतोर	,,	212	233	III
12.	टीमरवास	,,	216	231	III
13.	करीपावड	,,	221	174	III
14.	अरणीया	,,	227	499	I
15.	बसेरा	,,	229	463	I
16,	बागरीया	,,	239	262	I
17.	आमलीखेडा,	,,	262	282	II
18.	महंदी खेडा	,,	200	187	III
19.	खेमपुरीया	,,	276	152	I
20.	अम्बेरी	,,	279	200	II
21.	बरमाडो का खेड़ा	,,	291	49	I
22.	बारा खेडी	,,	331	307	I
23.	उंचवानीया	,,	341	153	III
24.	बन्जारी	,,	310	213	II
25.	पाडूनी	,,	395	4'0	I
26.	फेरोदी	,,	400	273	II
27.	उंखला	,,	432	173	III
28.	मचुन्दला	,,	467	199	II
29.	लाला खेड़ा	,,	505	270	II
20.	वेर	,,	522	246	I
31.	मोरज़ार	,,	171	173	III
32.	मोती खेडा	,,	350	224	III

परिशिष्ट–10

प्र. सं. 10 अतारांकित प्रश्न संख्या 188 की सूची

उदयपुर जिले में मिनो बस मालिकों की बसें जो कि मार्ग पर चलाई जा रही हैं की सूची मय मोडल एवं फिटनेस तिथि :–

मार्ग का नाम	वाहन संख्या	मोडल	फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता तिथि
1	2	3	4
1. केसरियाजी से जावरमाईन्स, बाथा कल्याणपुर, खेमारी,	आर.एस.वाई. 5031 आर.एस.एल. 6997	69 67	12.6.81

Page No 200

1	2		3	4
पलोदड़ा	आरएसवाई	3693	68	16.3.81
	आरजेवाई	4589	66	26.7.81
	आरजेवाई	5151	57	20.10.81
	आरजेवाई	4553	70	30.7.81
	आरजेवाई	3374	67	30.8.81
2. सलूम्बर से डूंगरपुर वाया गणेशपुर, इन्टालीखेड़ा	आरजेए	2274	64	
3. उदयपुर से सलूम्बर वाया कुराबड़ बम्बोरा	आरजेवाई	5129	67	28.12.81
	आरएसवाई	8931	78	25.11.81
	आरजेई	1999	66	19.12.81
	आरएसवाई	7651	71	13.2.81
	आरजेई	1916	65	13.9.81
	आरएसवाई	4557	76	27.6.81
	आरजेवाई	3231	54	23.12.81
	आरएसवाई	5892	76	5.3.81
	आरएसवाई	5796	75	
4. उदयपुर से सेमारु वाया देबारी साकरोदा, कुराबड़, बम्बोरा	आरजेवाई	4108	61	21.9.81
	आरजेआर	3943	65	28.1.82
	आरएसवाई	5789	73	7.5.81
5. उदयपुर से गींगला ओरवाड़िया वाया देबारी कुराबड़	आरजेएस	8404	60	19.2.81
	आरजेए	1853	61	21.1.82
	आरजेवाई	2345	59	26.1.81
	आरएसवाई	4984	59	10.2.82
	आरजेवाई	2441	60	5.2.82
6. उदयपुर से कुराबड़ वाया देबारी मोडी, बाठेड़ा	आरजेएस	9127	61	17.5.81
	आरजेवाई	5022	69	28.2.81
7. उदयपुर से लसाड़िया वाया साकरोदा कुराबड	आरजेवाई	3063	60	
	आरजेएच	925	68	23.10.81
	आरजेवाई	6032	65	3.2.81

Page No 201

(203)

1	2	3	4		5
8	उदयपुर से इन्टालीखेड़ा वाया कुराबड़, गींगला, सलूम्बर वृद्धिकरण सेमारी	आरजेवाई	3949	61	12.1.82
		आरजेवाई	3579	63	23.1.81
9.	उदयपुर से डूंगला वाया धाऊजी की बावड़ी (करटेण्ड उदयपुर से धाऊंजी की बावड़ी 68 डी भोम)	आरजेई	2069	67	3.10.81
10.	वल्लभनगर से पारसोडा वाया भटेवर, भीण्डर कानोड़	आरजेवाई	2427	61	3.12.81
		आरजेवाई	3215	69	1.5.81
		आरजेवाई	8141	65	14 11.81
11.	उदयपुर से प्रतापगढ़ वाया देबारी, साकरोदा, मोड़ी, बाठेड़ा, भीण्डर, कानोड़	आरएचएस	1228	64	1 7.81
		आरजेवाई	1621	60	12.10.81
		आरजेवाई	3857	67	7.9.81
		आरजेवाई	3374	67	16.12.81
12.	उदयपुर से पारसोला वाया देबारी साकरोदा, मोड़ी, भटेवर खेरोदा, कानोड़	आरजेवाई	4054	89	9.10.81
		आरजेएस	647	66	3.6.81
13.	उदयपुर से भीण्डर वाया मोडी, बाठेड़ा	आरजेवाई	5015	68	3.11.81
14.	उदयपुर से बड़ी सादड़ी वाया डबोक भटेवर, खेरोदा	रा.रा.प.प. निगम की वाहनें चलाई जा रही है।			
15.	उदयपुर से बड़ी सादड़ी वाया साकरोदा, मोड़ी, बाठेड़ा	आरजेवाई	6167	1969	
		आरजेवाई	6164	1968	
16.	फतेहनगर से बड़ी सादड़ी वाया आकोला मंगलवाड़ डूंगला	आरजेवाई	7322	1969	16 7.81
		आरजेवाई	6095		
17.	मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा, बढ़ोतरी भीण्डर	आरजेएल	7597	1968	
		आरजेएच	3145	1971	
		आरजेएच	2713	1970	
		आरजेवाई	3787	1968	29-6-81

Page No 202

(205)

1	2	3	4	5
18.	भादसोडा से निम्बाहेड़ा	आरजेवाई 3876	1957	26-1-82
		आरएसवाई 6007	1969	
		आरजेआर 6755	1969	
		आरजेएच 2377	1970	
19.	उदयपुर से फतहनगर वाया एकलिंगजी	आरजेवाई 4019	1969	
		आरएसवाई 5 12	1971	20.1.82
20.	सनवाड़ से फतहनगर वाया कुरज	आरजेवाई 2847	1966	20.8.81
		आरजेवाई 4989	1569	16.7.81
21.	उदयपुर से थामला वाया देबारी	आरजेवाई 4653	1970	
		आरजेओ 221	1969	27.3.81
22.	उदयपुर से नाथद्वारा वाया देबारी	आरजेवाई 1771	1960	25.9.81
		आरजेई 2065	1968	10.4.81
		आरएसवाई 4559	1970	23.1.81
24.	उदयपुर से आकोला वाया गुडली	आरजेवाई 4435	1964	21.4.81
		आरजेवाई 4761	2970	26.2.81
25.	बम्बोरा से फतहनगर वाया कुन्तवास	आरजेवाई 5765	1968	25.2.81
		आरजेवाई 3335	1967	10.8.81
		आरजेवाई 4551	1966	9.7.81
		आरएसवाई 2815	1973	10.11.81
26.	धरियावद से केशरियाजी	आरजेजे 582	1967	
		आरजेवाई 5265	1967	29.6.81
27.	उदयपुर से तपरिया खेड़ी वाया देबारी	आरएसवाई 4917	1971	
		आरजेवाई 9464	1969	29.9.81
28.	केलवा से आमेट	आरजेई 1941	1968	
29.	केलवा से आमेट, बढ़ोतरी राजाजी का परेड़ा	आरजेएल 6697	1960	30.8.81
30.	कांकरोली से आमेट वाया केलवा, बढ़ोतरी दीवेर	आरजेवाई 2151	1962	3.8.81
		आरजेवाई 3555	1961	13.4.81

1	2	3	4	5
		आरजेवाई 3121 1961		30.10.81
31.	चारभुजा से राजा का करेड़ा	आरएसएम 1381 1969		8.1.82
32.	आमेट से चारभुजा	आरजेवाई 1365 1958		21.2.82
33.	चारभुजा से गुगापुर	आरजेवाई 2575 1961		2.11.81
34.	आमेट से फतहनगर	आरजेवाई 3172 1959		20.10.81
		आरजेई 1366 1965		25.11.81
35.	आमेट से फतहनगर वाया बनेड़िया	आरजेवाई	4737 62	8.12.81
		आरजेवाई	4331 61	29-9-81
36.	आमेट से गोरखिया वाया बोराना	आरजेवाई	2425 59	3-3-82
37.	आमेट से देवगढ़ वाया कोशीथल	आरजेवाई	3951 53	10-5-81
		आरजेवाई	1123 57	30-12-81
38.	आमेट से देवगढ़ वाया पिछोला	आरजेवाई	3390 60	
		आरजेवाई	3069 69	
		आरजेवाई	4655 52	22-6-81
		आरएलवाई	933 70	
39	फतहनगर से देवगढ़ वाया गुवारड़ी	आरजेवाई	4809 64	27-2-82
		आरजेवाई	6515 54	20-6-81
		आरजेबी	865 66	22-3-82
		आरजेवाई	5075 60	16-7-81
40.	भीम से देवगढ़ वाया कामलीघाट	आरएसके	691 65	2-6-81
		आरजेई	2133 65	23-3-81
41.	बस्सा खेड़ा से चारभुजा	आरजेजेड	2751 55	20-11-81
42.	देवगढ़ से भीम वाया बातलवानी	आरएसवाई	5451 71	10-9-81
		आरजेवाई	3806 50	1-8-81
		आरएसवाई	8069 71	23-7-80
43.	बदनोर से भीम	आरजेवाई	9479 65	20-11-81
		,,	3194 63	2-5-81
		,,	5957 64	23-3-81

(206)

1	2	3		4	5
44.	बदनोर से देवगढ़	आरजेई	1974	62	10-5-81
		आरएसवाई	5255	68	10-5-81
45.	उदयपुर से नाथद्वारा वाया हल्दीघाटी	आरजेई	6127	68	24-10-81
		आरआरएस	2425	69	30-8-81
		आरजेबी	1821	88	18-12-81
		आरएसवाई	4388	71	16-7-81
		आरजेइ	1995	68	12-2-82
		आरजेई	1298	70	18-7-81
		आरएसवाई	3076	71	18-12-81
		,,	2168	69	13-3-81
		,,	4058	75	4-11-81
		आरजेवाई	2155	74	28-10-81
46.	उदयपुर से केलवाड़ा वाया इसवाल	आरएसवाई	5415	75	7-6-81
		आरजेवाई	1521	59	23-1-82
		आरजेएस	1072	69	2-11-81
		आरजेवाई	5082	69	5-8-81
		आरजेवाई	5597	68	4-7-81
		,,	4169	63	10-6-81
		,,	3525	68	10-5-81
		आरएसवाई	3664	73	17-1-81
		आरजेवाई	5031	69	18-10-81
		आरजेवाई	3257	66	29-10-81
47.	उदयपुर से गांव गुड़ा वाया इशवाल	आरजेवाई	5565	68	22-2-82
		,,	4333	67	28-2-81
48.	उदयपुर से खेरवाड़ा वाया झाडोल	आरजेवाई	3395	64	
		आरजेके	252	60	10-6-81
		आरजेवाई	4191	64	28-6-81
		आरजेवाई	5591	56	13-4-81
		आरजेवाई	6815	66	27-4-81
		,,	9398	68	5-10-81
49.	उदयपुर से कोटडा वाया झाडा पीपला	आरजेवाई	4511	70	22-11-81
		आरजेवाई	4911	71	4-2-82

1	2	3		4	5
50.	उदयपुर से झाडोल	आरजेएस	813	70	24-5-81
		आरजेआर	7515	70	24-10-81
51.	उदयपुर से गोगुन्दा वाया झाडोल	आरजेवाई	9599	68	23-1-82
		आरएसवाई	2039	71	27-1-82
52.	उदयपुर से कन्धारिया वाया झाडोल	आरजेवाई	4679	57	21-10-81
		आरजेवाई	4527	70	28-6-81
53.	उदयपुर से मावली	आरजेवाई	3855	65	27-1-82
		आरजेवाई	4793	67	23-1-82
54.	झाड़ापीपला से गोगुन्दा	आरजेवाई	2460	62	23-8-81
55.	खेरवाडा से वासे बढोतरी डूंगरपुर	आरजेवाई	3951	69	27-1-82
56.	खेरवाड़ से झोझरी	आरजेवाई	5745	70	22-10-81
57.	रिशभदेव से रानी वाया बबास	आरजेवाई	3142	64	24-11-81
58.	रिशवदेव से रानी वाया कल्याणपुर	आरजेवाई	513	70	2-11-81
59.	केशरियाजी से प्रतापगढ़ वाया सलूम्बर	आरजेवाई	4367	70	16-11-81
		आरजेओ	786	73	25-10-81
		आरजेबी	1830	73	23-12-81
60.	केशरियाजी से सलूम्बर वाया बलुआ	आरजेवाई	2747	59	23-2-81
61.	सलूम्बर से बान्सी वाया कुरावली	आरएसवाई	5425	71	
		आरजेवाई	3991	62	22-6-81
62.	सलूम्बर से गोहनगर वाया बम्बोरा	आरजेवाई	4201	65	16-6-81
		आरजेजेड	2517	64	18-6-81
63.	सलूम्बर से खेरवाड़ा वाया प्रसाद	आरजेजेड	399	63	4-11-81
		आरएसएल	325	63	20-1-82
		आरजेवाई	3107	61	
		आरजेवाई	4081	59	

Page No 206

208

1	2	3		4	5
64.	सलूम्बर से केशरियाजी	आरजेजे	549	58	
		आरजेवाई	5781	68	24-1-82
		आरजेजे	393	68	23-9-81
		आरजेवाई	4711	64	30-10-81
		आरएसजेड	5421	73	2-3-81
		आरजेवाई	5499	71	20-10-81
65.	सल्लूबर से धरियावद वाया भकराना	आरजेएच	595	63	
		आरजेवाई	2670	59	
66.	धरियावद से डूंगरपुर वाया भभराना	आरजेएस	6297	59	
		आरजेवाई	4271	63	4-2-82
67.	सलूम्बर से लसाडिया वाया बम्बोरा	आरजेवाई	5765	68	25-2-81
		आरजेवाई	3047	67	1-7-81
68.	ऊथरदा से डूंगरपुर वाया सलूम्बर	आरजेवाई	3915	67	29-1-82
		आरजेवाई	1155	59	
69.	केशरियाजी से गींगला वाया सराड़ा	आरजेवी	459	69	
		आरजेए	2274	64	
		आरजेजे	322	69	
70.	नाथद्वारा से कानोड वाया भटेवर	आरजेवाई	4677	66	18-10-81
		आरजेवाई	3602	59	15-3-81
71.	गांव गुडा से फतेहनगर वाया नाथद्वारा	आरजेएच	479	62	17-4-81
		आरजेवाई	2453	64	27-6-81
		आरजेई	1881	68	1-8-81
		आरजेई	6129	68	19-1-82
70.	नाथद्वारा से कानोड वाया भटेवर	आरजेवाई	4677	66	15.3.81
		आरजेवाई	8602	59	17.4.81
71.	गांवगुडा से फतेहनगर वाया नाथद्वारा	आरजेएच	479	62	27.6.81
		आरजेई	2453	64	1.8.81
		आरजेवाई	1881	68	19.1.82
		आरजेई	6129	68	
72.	नाथद्वारा से छोटी सादड़ी	आरएसएल	1362	64	26.10.81
		आरजेएच	805	69	16.3.81
		आरएसवाई	8307	70	1.11.81

1	2	3		4	5
73.	नाथद्वारा से आवरीमाता	आरएसवाई	7707	68	22.5.81
		आरजेवाई	3988	66	16.7.81
		आरजेवाई	2641	61	16.9.81
74.	नाथद्वारा से केलवाड़ा	आरजेवाई	3307	67	15.3.81
		आरजेवाई	1582	59	17.1.82
		आरजेवाई	2540	64	30.7.81
75.	नाथद्वारा से केलवाड़ा वाया थामोल	आरजेवाई	3511	69	13.4.81
		आरजेई	1153	61	13.4.81
		आरजेवाई	1563	59	8.8.81
		आरएलएम	713	59	17.6.81
		आरजेएच	1418	71	22.11.81
76.	नाथद्वारा से मचीन्द	आरजेवाई	2192	62	15.3.81
		आरजेवाई	9696	66	
77.	मचीन्द से फतेहनगर	आरजेई	1989	65	13.4.81
		आरएसवाई	4126	71	17.4.81
78.	नाथद्वारा से भीलवाड़ा	आरजेवाई	2189	62	15.3.81
		आरजेवाई	2108	62	18.1.82
		आरजेई	949	57	
79.	नाथद्वारा से आसीन्द	आरजेवाई	95[illegible]3	69	30.10.81
		आरजेवाई	3105	62	21.10.81
80.	कांकरोली से केलवाड़ा वाया घाटा	आरएसवाई	1493	65	21.10.81
		आरएसवाई	1287	63	19.3.81
81.	कांकरोली से केलवाड़ा वाया फरारा महादेव	आरजेवाई	6872	70	21.2.82
		आरजेवाई	6257	68	24.5.81
		आरएसवाई	6744	72	12.1.82
82.	कांकरोली से भीम	आरजेवाई	3503	65	7.10.81
		आरजेवाई	3501	61	21.6.81
83.	कांकरोली से चित्तौड़गढ़ वाया गिलूण्डा घुमाना	आरएसवाई	6817	69	17.2.82
		आरजेवाई	3785	65	27.2.81
		आरजेवाई	3253	61	
		आरजेवाई	3079	61	20.6.81
		आरजेवाई	3305	62	20.3.81
		आरजेवाई	4365	62	11.2.81
		आरजेई	5225	70	4.7.81

1	2	3		4	5
84.	सेवन्त्री से चारभुजा	आरजेवाई	3783	64	25.5.81
85.	कांकरोली से निम्बाहेडा	आरजेई	2027	67	4.4.81
		आरजेवाई	4975	68	
		आरजेवाई	9631	68	13.3.81
		आरजेई	2119	68	12.1.82
		आरजेवाई	4029	68	14.12.81
		आरजेवाई	5202	65	11.2.82
86.	कांकरोली से मारवाड जंक्शन	आरजेवाई	2428	64	12.2.81
		आरजेवाई	6719	68	19.6.81
		आरजेवाई	3251	67	1.11.81
87.	भीम से गंगापुर	आरजेवाई	7141	61	
		आरजेवाई	3505	67	
		आरजेवाई	3013	66	
		आरजेवाई	3268	65	15.1.82
88.	भीण्डर से फतेहनगर वाया ताणा	आरजेई	2347	62	
		आरजेवाई	6137	67	6.2.82
		आरएसवाई	3690	65	
89.	भीण्डर से जावमा	आरजेएच	1053	62	23.1.82
90.	जसवन्तगढ़ से स्वरूपगंज	आरजेवाई	4477	63	20.5.81
		आरएसवाई	3085	71	
		आरजेजे	569	57	5.2.82
91.	जूडा से स्वरूपगंज	आरएसवाई	2609	74	
		आरजेवाई	8960	70	21.2.81
		आरएसवाई	6306	75	
92.	टीडी से जावर माइन्स	आरजेवाई	6421	69	6.5.81
93.	प्रतापनगर से रवीन्द्र नगर वाया हिरणमगरी सेक्टर (सिटी बस)	आरएसवाई	3147	76	16.9.81
		आरएसवाई	3148	75	16.9.81
94.	उदयपुर से खारवा (सिटी बस)	आरएसवाई	7711	74	4.11.81
		आरजेजे	371	70	1.2.82
		आरजेवाई	3873	66	7.11.82
95.	बडेगांव से झामरकोटडा	आरएसवाई	3933	72	8.2.82
		आरजेआर	4761	67	16.8.81

1	2	3	4	5
96.	तीतरडी से चीरवा वाया	आरएसवाई 5189	73	19.6.81
	भुवाना	आरएसवाई 6669	77	18.1.81
97.	हल्दीघाटी से उन्दरी	आरजेवाई 3231	95	18.9.81
		आरजेवाई 4709	68	20-1.82
98.	डबोक से बडी वाया देवारी	आरजेएच 11	57	
99.	भवंरासिया से मदार	आरजेवाई 4774	70	21.12.81
		आरजेवाई 4701	70	18.7.81
		आरजेवाई 4522	74	11.11.81
		आरजेवाई 2817	75	30.10.81
100.	नाहरमगरा से बड़ी	आरजेवाई 4695	67	30.10.81
		आरजेवाई 4541	67	29.4.81
101.	नाहरमगरा से ओ. टी. सी.	आरजेवाई 9165	69	13.7.81
		आरएसवाई 4491	71	19.11.81
		आरएसवाई 6762	73	7.12.81
102.	नाहरमगरा से गोवर्धनविलास	आरएसवाई 1541	72	
		आरएसवाई 3911	69	30.7.81
103.	नाहरमगरा से नाई	आरजेवाई 5178	71	5.2.82
		आरजेवाई 6159	69	19.7.81
		आरएसवाई 9717	73	4.3.82

नोट:—उपरोक्त सूची में अंकित वाहनों में से जिन वाहनों के सामने फिटनेस की वैधता नहीं दर्शायी गयी है वे वाहनें समीपवर्ती ज़िले से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करती हैं एवं जिन वाहनों के पास वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं है उन वाहनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश परिवहन निरीक्षकों को दिये जा चुके हैं।

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 190 की सूची

खनिज अभियन्ता, खान एवम् भू-विज्ञान विभाग बीकानेर कार्यालय द्वारा स्वीकृत खनन पट्टों की सूची

	पट्टाधारी का नाम	खनिज	स्वीकृत क्षेत्र	निम्नांकित तारीख से 20 वर्ष की अवधि के लिये
	1	2	3	4
1.	मैसर्स बीकानेर क्लेज एण्ड केमिकल्स, बीकानेर	1. बाल क्ले. मढ़	136.45 है.	2-1-74
		2. फायर क्ले इन्दो का बाला	127.62 है.	17-6-69
		3. फायर क्ले गुडा	266.73 है.	17-8-71
2,	मैसर्स टहलाराम एण्ड संस बीकानेर	1. फायर क्ले मढ	54.32 है.	15-9-69
		2. फायर क्ले कोटरी	55,50 है.	24-11-70
		3. फायर क्ले मढ	114-97 है.	8-6-73
		4. फायर क्ले मढ	162.44 है.	18-8-71
		5. फायर क्ले कोटरी	46.82 है.	3-12-74
		6, बाल क्ले मढ व कोटरी	246.85 है.	20-4-76
		7. चायना क्ले कोटरी	39.09 है.	28-1-69
		8. बाल क्ले चांदी	32.37 है.	8-6-76
		9. चायना क्ले मढ़	33-05 है.	27 10-79
		10. चायना क्ले मढ	82-44 है.	27-12-[illegible]3
		11. बाल क्ले कोटरी	54.63 है.	30-6-78
3.	श्री गुलाबचंन्द कोचर बीकानेर	1. फायर क्ले कोटरी	131.52 है.	19-6-71
		2. व्हाइट क्ले मढ	105.22 है.	31-10-64
		3. चायना क्ले मढ	33.13 है.	6-8-69
		4. चायना क्ले कोटरी	38.94 है.	14-9-73
4.	सम्पतलाल डागा	1. फायर क्ले इन्दो का बाला	32.37 है.	23-5-74

1	2	3	4	5
		2. फायर क्ले रेड व येलोओकर सांखली की बस्ती	105.22 है.	24-3-70
		3. व्हाइट क्ले सांखली की बस्ती	32.37 है.	21-3-66
		4. व्हाइट क्ले कोटरी	46.72 है.	3-2-68
		5. बाल क्ले गुडा	89.25 है.	29-6-77
5.	मैसर्स भगवानदास चन्द्रकुमार, बीकानेर	1. व्हाइट क्ले देह	71.94 है.	1-2-57
		2. ,,	42.31 है.	24-3-70
6.	श्री जयचन्द लाल डागा	फायर क्ले इन्दो का बाला	147.81 है.	25-1-74
7.	श्री रामेश्वरलाल चढक	बाल क्ले खारी	305.70 है.	1-2-75
8.	मैसर्स बीकानेर सिरेमिक प्रा० लि०	फायर क्ले इन्दो का बाला	74.01 है.	11-4-72
9.	मैसर्स राज० विनियोग प्रा० लि०	बाल का गुडा	45.71 है.	19-2-75
10.	मैसर्स उडीसा सीमेन्ट लि०	फायर क्ले कोटरी	94.97 है.	30-11-74
11.	श्रीमती पेमा देवी शर्मा	फायर क्ले	157.11 है.	6-3-74
12	श्रीमती प्रेमलता गुप्ता	फायर क्ले इन्दो का बाला	256.27 है.	9-9-74
13.	श्री सुरेन्द्र कुमार गोलेछा	व्हाइट क्ले चांदी	75.13 है.	12-4-73
14.	श्री तिलक राम चांदना	पत्थर क्ले गुडा	288.17 है.	8-6-73
15.	श्री हनुमानप्रसाद सिंघानिया	व्हाइट क्ले गुडा	112.80 है.	23-12-68
		व्हाइट क्ले गुडा	32.37 है.	6-2-74
		पत्थर क्ले गोलारी	32.37 है.	6-2-74
16.	मैसर्स शिवरतनलाल ज्वालाप्रसाद	व्हाइट क्ले कोटरी	67.03 है.	29-8-63
17.	श्री दीपचन्द किसनलाल	व्हाइट क्ले गुडा	382.73 है.	9-12-74
18.	श्री शुभकरण चोरडिया	पत्थर क्ले गुडा	155.33 है.	10-2-75
		पत्थर क्ले मोटवाला	145.69 है.	22-7-76
		पत्थर क्ले गुडा	132.54 है.	5-4-77
19.	श्री उम्मेदसिंह राठोड	बाल क्ले एस बस्ती	133.31 है.	27-9-76

Page No 212

(214)

1	2	3	4	5
20.	श्रीमती सावित्री देवी पुरोहित	बाल क्ले एस बस्ती	124.10 है.	28-12-76
		बाल क्ले कोटरी	130.71 है.	2-3-78
		बाल क्ले गुढा	61.51 है.	26-4-78
		बाल क्ले इन्दो का बाला	108.53 है.	2-3-78
21.	श्री धनराज चोरयाल	बाल क्ले गुडा	131.60 है.	3.4-77
22.	मैसर्स परफेक्ट सेनिटरी पाइप फिटिंग	बाल क्ले चांदी	64.75 है.	26-8-77
23.	श्री भैरूदासमल	बाल क्ले गुडा	149.72 है.	8-9-77
24.	श्री महावीरसिंह वैद्य	बाल क्ले गुडा	129.50 है.	8-9-77
25.	मधुसुदन आसोपा	बाल क्ले मढ	66.30 है.	24-5-77
		बाल क्ले मढ	32.37 है.	25-9-76
26.	श्री उदाराम हटीला	पत्थर क्ले खातोलाई	388.59 है.	27-3-78
27.	मैसर्स जिन्दल मिनरल्स	बाल क्ले मढ	37.65 है.	24-2-78
28.	श्री रामनिवास कुरी	बाल क्ले गुडा	102.51 है.	25-5-78
29.	श्री धनराज चोरडिया	बाल क्ले गुलारी	291.72 है.	15-5-78
30.	श्री प्रतापचन्द कोचर	पत्थर का गुडा	141.03 है.	25-9-78
31.	मैसर्स प्रोडक्टस प्लास्टर फर्ट बीकानेर	चायना क्ले इन्दो का बाला	123.80 है.	7-4-79
32.	श्री सीताराम राजकुमार	पत्थर क्ले जोगिरा	131.42 है.	2-5-79
33.	श्री भवरलाल नायक	पत्थर क्ले गुडा	279.31 है.	5-9-79
34.	मैसर्स उडीसा इण्डस्ट्रीज	बाल क्ले कोटरी	36.42 है.	13-7-79

215

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 195 की सूची

वास्तविक आय 81–82

मद का नाम		वर्ष 1977-78	वर्ष 1978-79	वर्ष 1979-80
प्रारम्भिक शेष				
1. नगर पालिका कोष में		266012-15	4278995-03	4975613.95
	योग....	2626012-15	4278995-03	4975613-95
	(अ) आवर्तक आय का विवरण			
एक (कर)				
1. भवन व भूमि कर				
(अ) मौजूदा		553736-48	489959-44	492247-85
(ब) बकाया		692352-19	570429-47	514864-42
(स) सर्विस चार्जेज		70088-49	44833-33	221468-14
	योग अ, ब, स,	1316177-16	1105222-21	1228580-41
2. चुंगी कर		7388248.06	8301137-78	9093398.99
4. पथ कर		711-59	1253-59	327-52

	1	2	3	4
6.	यात्री कर	48256-47	65703-39	66384-35
	मद सं. एक का जोड़	8753403-98	9433317-00	10388691-27
	घटाये करों की वापसी रकम	921-30	2468-61	1035-65
	करों से प्राप्त शुद्ध आय का योग	8752482-68	9470848-39	10387655-62
	दो-उपविधियों (बाइलाज) के अन्तर्गत अनुमति पत्रों (लाइसेन्सेज) से प्राप्त आय			
1.	वध गृह के अनुमति पत्रों की फीस	12908-0[illegible]	27152-72	21606-84
2.	आटा चक्की व अन्य लघु यंत्रालयों के अनुमति पत्रों की फीस	2618-50	3377-00	5744-25
3.	चूने के भट्टे/लगाने आदि के अनुमति पत्रों की फीस।			
4.	इमारती कामों व विकास तामीर की इजाजत की फीस	9127-20	9180-00	8800-00
10.	साइन विज्ञापन बोर्ड आदि की फीस	17038-85	38947-97	31667-50
12.	जन्म मृत्यु पंजीकरण उपविधियों के अन्तर्गत आय	4657-60	5355-50	5614-50
13.	ठेला, रिक्शा साइकिल बैलगाड़ियों व अन्य गाड़ियों के पंजीकरण शुल्क की आय	—	—	1279-00
15.	मेलों (पशु मेलों) आदि की आय	—	—	—
15.	कुत्तों का रजि० फीस	140-25	124-00	122-80

217

16. सफाई के उपलक्ष फीस	15688-63	11185-49	14535-18
17. वेन्डेड वेयर हाउस फीस	1944-20	1286-26	1855-22
18. वेन्डेड वेयर हाउस निरी० फीस	13056-00	17050-00	20257-00
मद सं० दो का जोड़:—	77179-25	106648-94	11429-29
तीन– नगरपालिका संपत्ति से एवं अधिकारों द्वारा प्राप्त आय			
1. तहबाजारी किराये की आय	148527-17	135423-93	148575-43
2. दुकानदारों के किराये की आय	259963-51	293654-13	329177-94
3. तुलाई मशीन की आय	627-30	728-05	4825-20
4. खाद की बिक्री की आय	3965-01	9682-50	9368-75
5. गंदे पानी की आय	6385-00	—	15075-00
6. अन्य सम्पत्ति जो आवर्तक प्रकृति की हो की बिक्री की आय	60350-53	67135-10	31936-80
7. मकानों व दुकान के किराये की आय	11514-75	14223-67	16267-07
8. जमीन की पैदावार	47162-30	35727-40	348336-39
9. नम्बर प्लेट्स की आय	511-20		
10. मेडिकल फीस	5488-00	3445-00	1192-00
मद सं० तीन का जोड़	534539-77	560019-78	591254-58
चार–विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अन्तर्गत आय			
(1) पशु गृह से आय (केटल ट्रेस पास एक्ट के अन्तर्गत)	17170-00	19329-60	19302-00

1	2	4	3
(2) प्रिवेन्शन आफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट व रूल्स के अन्तर्गत आय	12284-00	14593-00	15376-00
(3) चुंगी मार्ग दर्शक शुल्क	4558-58	5081-63	4308-00
मद सं0 चार का जोड़	34012-58	39004-23	38981-08
पांच—शास्तियां :			
(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित	19708-00	21048-25	7162-00
(2) अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत आरोपित	25032-28	12371-90	20263-28
(3) समझौता व अभिसंधान से प्राप्त आय	22553-65	28224-90	5400-00
मद सं0 पांच का जोड़	67293-93	61645-05	32825-28
नौ- विविध :			
(1) नगरपालिका के विनियोग पर ब्याज की आय	135315-79	372292-20	303753-37
(2) मनोरंजन कर की क्षतिपूर्ति हेतु प्राप्त सहायता की आय	86277-00	86277-00	172554-00
(3) सरकार द्वारा वार्षिक सहायता की राशि	1639473-00	1490430-00	1466692-00
(4) अन्य	—	—	345015-59
(5) विविध	138383-23	168702-41	676499-25
मद संख्या नौ का जोड़	1999449-02	2117701-61	2964514-15

मद संख्या एक से नो तक आवर्तक आय का जोड़			
संक्षिप्त विवरण:—			
मद संख्या एक कर	8752482-68	9480848-39	10387655-62
मद संख्या दो उपविधियां	77179-25	106648-94	111429-29
मद संख्या तीन संपत्तियां	534539-77	560019-78	591254-58
मद संख्या चार अन्य एक्ट	34012-58	39004-23	38981-08
मद संख्या पांच शास्तियां	67293-93	61645-75	32825-28
मद संख्या नौ विविध	1999449-02	2117701,61	2964514-15
कुल आवर्तक आय का जोड़	11464957-23	12355868-00	14126660-00
दस–भूमि विक्रय से प्राप्त आय			
1. भूमि विक्रय	7720-00	39791-08	—
2. भूमि की कीमत, लीज मूल्य जो एक मुश्त प्राप्त किया गया हो	70408-20	57531-02	100681-68
मद सं. दस का जोड़	78128-20	97322-10	100681-68
ग्यारह–विशिष्ट सहायता ऋण			
1. विकास कार्यों व विशिष्ट योजना के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता की राशि	—	—	-

२२०

1	2	3	4
2. समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई सहायता की राशि	100000-00	—	—
4. केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सहायता की राशि	200000-00	—	—
5. वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त सहायता की राशि (1) ग्राम विकास	—	3280 0-00	679687-00
मद सं. 11 का जोड़	300000.00	328000-00	679687-00
बारह अन्य आय स्रोत जो अनावर्तक प्रकृति के हों:—			
1. अमानत व प्रतिभूति आदि की प्राप्त राशि	398793-10	298012-78	309552-91
2. लाइब्रेरी की अमानत की प्राप्त राशि	1485-00	1779-00	3012-00
3. दुकानों व मकानों के किराये की अमानत की प्राप्त राशि	—	150-00	—
4. अन्य अस्थाई राशि	69461-85	73401-81	10469-99
मद सं० 12 का जोड़....	469040-85	373343-59	323034-90
मद सं. दस से बारह तक अनावर्तक आय का जोड़:— संक्षिप्त विवरण			
मद संख्या दस–भूमि विक्रय व लीज	78128-20	97322-06	100681-68
मद संख्या ग्यारह सहायता ऋण	300000-00	328000-00	679687-00
मद संख्या बारह अन्य आय के स्रोत	569040-85	373343-59	323034-90
अनावर्तक आय मद संख्या दस से बारह का जोड़....	847169-05	798665-65	1103403-58

(221)

कुल आय मद का सारांश:—			
(अ) आवर्तक आय मद एक से नौ	1146457-27	12355868-00	14126660-00
(स) अनावर्तक आय मद संख्या दस से बारह	847169-05	798665-69	1103403-58
योग....	12312126-28	13154533-69	15230063-58
(द) प्रा॰ शेष	2626012-15	4278995-03	4975613-95
कुल आय के मदों (एक से बारह तक) का योग....	14938138-43	17432528-72	20205677-53

अनुमानित व्यय

मद सं.	मद का नाम	वर्ष 1977-78	वर्ष 1978-79	वर्ष 1979-80
एक.	सामान्य शासन			
	(अ) अधिकारियों का वेतन			
1.	अधिकारियों का वेतन व भत्ता	18564-60	46289-50	33565-80
2.	प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	706-00	1919-00	1053-00
3.	प्राविधायी ग्रेच्यूटी	—	6177-24	—
4.	लीव पेंशन कैन्ट्रीब्यूशन	2896-67	—	5540-00
	योग (अ)	22117-57	54385-74	40059-80

1	2	3	4
(ब) कर्मचारियों का वेतन			
1. कर्मचारियों का वेतन	467971-36	450666-15	529292-87
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	29638-00	4719-00	4456-00
3. लीव पेन्शन कन्ट्रीब्यूशन	3667-99	1016-40	3280-60
4. प्रावधायी ग्रेच्यूटी	4346-00	—	9910-01
योग (ब)	505623-35	456401-55	546939-48
(स) भत्ता			
1. महंगाई भत्ता	47475-13	46609-31	71214-96
2. यात्रा भत्ता	4973-45	4969-29	7628-74
3. चिकित्सा भत्ता	12633-70	23672-59	30398-97
4. सवारी भत्ता	865-81	1491-13	985-23
5. अन्तरिम सहायता	—	—	—
6. मकान किराया	19499-34	35435-86	32362-11
7. अन्य भत्ते	312-99	—	—
योग (स)	85860-51	112178-18	142589-980

(द) अन्य व्यय

1. डाक तार	7062-75	6900-30	8236-00
2. वर्दियां	9963-26	22955-54	9673-49
3. स्टेशनरी	42742-04	39897-78	28822-81
4. छपाई	719[illegible]1-86	14875-47	27621-54
5. मकानकिराया	—	—	—
6. पुस्तकें व समाचार पत्र	5763 87	2885-21	4368-80
7. फर्नीचर	272-16	100-00	2248-80
8. टेलीफोन	46041-86	25149-93	20354-41
9. प्रचार विज्ञापन	49203-18	69801-35	4115-41
10. चुनाव	25444-05	34999-40	8890-03
11. उद्यान एवं राष्ट्रीय पत्र	2757-70	382[illegible]5-99	2315-52
12. मनोरंजन व मेला	20265-46	14792-49	24100-72
13. आडिट फीस	5000-00	170000·00	69997-00
14. न्यायालयों सम्बन्धी व्यय	6267-73	7506-15	4790-16
15. विनियोजन	50000-00	—	—
16. रोशनी के बिलों का भुगतान	6083-02	11025-32	14163-75
17. स्वायत्त शासन संस्था का चंदा व सहायता	250-00	2000-00	2000-00
18. अन्य कन्टिजेन्सीज	17970-05	28453·28	72053-74

1	2	4	3
19. जनरल पर्पजेज अनुदान	2000-00	8086-47	11000-00
20. पेंशन ग्रेच्यूटी	158748-28	367175-28	556144-74
(द) का जोड			
मद सं. 1 का कुल योग (अ, ब स, द)	472177-20	924676-86	1017949-28
	1185778-70	1547642-33	1747537-94
दो— कर वसूली चुंगी शाखा			
(अ) अधिकारियों का वेतन			
1. अधिकारियों का वेतन	7789-57	6574-93	19871-08
2. प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	366-00	322-00	698-00
3. प्रावधायी व ग्रेच्यूटी	—	161-06	—
योग (अ)	8155-57	7057-99	11569-08
(ब) कर्मचारियों का वेतन:			
1. कर्मचारियों का वेतन	451713-24	434313-24	515057-01
2. प्राविडेन्ट फण्ड की राशि	26706-00	3306-00	6379-00
3. लीव पेन्शन कन्ट्रीब्यूशन	3526-00	—	25-00
योग (ब)	484945-24	437619-24	521461-01

(स) भत्ते :				
1. महंगाई भत्ता		27571·22	42760-78	71569-19
2. यात्रा भत्ता		510-00	739-77	839-22
3. चिकित्सा भत्ता		11741-61	21747-95	29370-59
4. सवारी भत्ता		894-46	951-53	1193-38
5. अन्तरिम सहायता		—	—	—
6. मकान किराया		18984-42	37820-32	33348-75
7. अन्य भत्ते		—	—	—
	योग (स)	59701-93	104020-35	136321-13
(द) अन्य व्यय :				
1. डाक तार व्यय		298-96	—	—
2. वर्दियां		7375-55	493-25	2608-33
3. कन्टिनजेन्सीज		4079-89	4971-97	10138-45
	योग (द)	12454-40	5435-22	12746-78
योग चुंगी शाखा (1) अ ब स द		565257,14	554132·80	682098-00

(II) भवन व भूमि शाखा

Page No 224

(226)

1	2	3	4
(अ) अधिकारियों का वेतन :			
1. अधिकारियों का वेतन	4477-67	6533-20	5800-00
2. प्रोविडेन्ट फण्ड	234-00	494-00	484-00
योग (स)	4711-67	7027-20	6284-00
(ब) कर्मचारियों का वेतन :			
1. कर्मचारियों का वेतन	182494-63	207674-63	219505-39
2. प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	12439-00	1440-00	1021.00
3. लीव पेंशन कन्ट्रीब्यूशन	66-00	—	—
4. ग्रेच्यूटी	4471-36	—	—
योग (द)	199401-00	209164-63	220526-39
(स) भत्ते:			
1. महंगाई भत्ता	15778-49	19330-93	27895-14
2. यात्रा भत्ता	456-88	968-58	600-85
3. चिकित्सा भत्ता	3902-32	7765-86	9553-74
4. सवारी भत्ता	2729-50	2790-42	3248-01

5. अन्तरिम सहायता	—	—	—
6. मकान किराया	9095-11	18705-62	16016-1
योग (स)	31962-30	49562-41	57313-87
(द) अन्य व्यय:			
1. वर्दियां	2084-00	2146-21	114-60
कन्टिनजेन्सीज	307-02	—	5355-29
योग (द)	2391-02	2146-21	5469-89
योग भूमि व भवन शाखा अ ब स द	238465-99	267899-45	289594-15

अन्य कर (III):

(अ) अधिकारियों का वेतन:			
1. अधिकारियों का वेतन भत्ता	5360-16	5527-33	7409-04
2. प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	204-00	250-00	422-00
योग (अ)	5564-16	5777-33	7831-04

Page No 226

1	2	3	4
(ब) कर्मचारियों का वेतन:			
1. कर्मचारियों का वेतन	40369-90	58956-88	67968-74
2. प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	3449-00	994-00	1224-00
3. लीव, पेंशन कन्ट्री.	2423-00	—	—
योग (ब)	52241-90	59950-88	69192-74
(स) भत्ते:			
1. महंगाई भत्ता	5135-64	6546-14	9176-64
2. यात्रा भत्ता	233-23	538-60	252-40
3. चिकित्सा भत्ता	1558-25	3716-74	4812-03
4. सवारी भत्ता	421-50	469-84	607-98
5. अन्तरिम सहायता	—	—	—
6. मकान किराया	2527-48	5322-44	4596-24
7. अन्य भत्ते	385-00	—	—
योग (स)	10261-10	16593-76	19445-29
(द) अन्य व्ययः	—	—	—
1. वर्दियां	592-27	382-35	2702-00

229

2.	डाकखर्च	592-27	382-35	2702-00
	योग (द)	69659-43	82704-32	99171-00
	योग अन्य कर अ, ब, स, द मद सं. 2 योग (कर शाखा) (I-II-III)	873382-70	904736-57	1070863-22
तीन–	सार्वजनिक हितकारी व जनस्वास्थ्य :			
1.	स्वास्थ्य शाखा			
	(अ) अधिकारियों का वेतन:			
1.	अधिकारियों का वेतन	7760-42	4500-00	7620-00
2.	प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	535-00	372-00	633-00
3.	लीव, पेंशन, कन्ट्रीब्यूशन	—	593-50	—
	योग (अ)	8295-42	5465-50	8253-00
(ब)	कर्मचारियों का वेतन			
1.	कर्मचारियों का वेतन	2350864-05	258263-74	8606951-21
2.	प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	185640-05	48315-00	89014-00
3.	लीव पेंशन, कन्ट्रीब्यूशन	3651-50	1856-64	11022-00
	योग (ब)	2540155-60	2632804-38	3706987-21

1	2	3	4
(स) भत्ते—			
1. महंगाई भत्ता	238898-61	302857-35	498744-52
2. यात्रा भत्ता	664-34	600-54	541-90
3. चिकित्सा भत्ता	77161-55	182074-92	243834-92
4. सवारी भत्ता	7124-83	6739-32	11350-53
5. अन्तरिम सहायता	—	22908-13	—
6. मकान किराया	33277-53	165105-08	286236-99
7. राणावत एरियर	9952-43	—	292-00
7. झाड़ू भत्ता	12186-16	—	42359-58
योग (स)	379265-45	680282-34	1083360-44
(द) अन्य व्यय			
1. डाक तार व्यय	325-37	20-00	8-50
2. वर्दियां	49850-83	7185-05	74820-22
3. पशुओं की टीके की दवाइयां	689-02	—	4345-87
4. दवाइयां/फिनाइल	480-10	2098-86	2342-65
5. गाड़ियों की मरम्मत	—	3286-80	—
6. कन्टिन्जेसीज	28694-27	104402-57	53050-63
	2451-52	2262-45	2585-12

8.	खाद्य विश्लेषण व्यय	231-34	7-50	—
	योग (द)	82722-35	119263-23	137144-99
	योग स्वास्थ्य (1) अ, ब, स, द	3010438-82	3437815-45	4935745-64
(ब)	कर्मचारियों का वेतन			
1.	कर्मचारियों का वेतन	287318-95	343085-02	364382-15
2.	प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	18912-35	7489-21	8068-00
3.	लीव पेंशन व कन्ट्रीब्यूशन	5196-50	6-13	246-00
	योग (ब)	311427-80	357580-36	372696-15
(स)	भत्ता			
1.	महंगाई भत्ता	25015-12	39632-52	44605-45
2.	यात्रा भत्ता	183-70	47-00	115-50
3.	चिकित्सा भत्ता	7809-01	14968-88	18589-57
4.	सवारी भत्ता	1-14	628-01	195-00
5.	अन्तरिम सहायता	—	—	—

1		2	3	4
6.	मकान किराया	11041-01	21536-86	19545-72
7.	अन्य भत्ता	1385-93	--	--
	योग (स)	45437-91	76893-27	83052-27
(द)	अन्य प्रभार			
1.	वर्दियां	240-36	—	—
2	पेट्रोल	186746-79	174379-27	322579-23
3.	ट्रक, ट्रेक्टर की मरम्मत	137765-03	146996-42	273502-07
4.	अन्य व्यय	4171-28	8138-97	507-75
	योग (द)	328923-46	329514-66	596659-05
	योग गेरेज (II)	685789-17	756948-20	1052407-47
	योग मद सं० 3 जनस्वास्थ्य I+II	3696227-99	4194764-74	5988153-11
चार—सार्वजनिक रक्षा अग्नि				
	(अ) अधिकारियों का वेतन			
1.	अधिकारियों का वेतन	3735-00	—	--

233

2. प्रोवीडेन्ट फण्ड	—	—	—
3. लीव पेन्शन, कन्ट्रीब्यूशन	174-00	—	—
योग (अ)	3959-00	—	—
(ब) कर्मचारियों का वेतन			
1. कर्मचारियों का वेतन	144059-30	158239-89	181277-28
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	9863-70	1932-70	2508-00
3. लीव, पेंशन कन्ट्रीब्यूशन ग्रेच्यूटी	—	—	8-00
योग (ब)	153921-00	162161-59	183793-28
(स) भत्ता			
1. महंगाई भत्ता	14527-51	14435-50	21510-30
2. यात्रा भत्ता	11-00	422-58	160-44
3. चिकित्सा भत्ता	3373-01	7354-92	9094-51
4. सवारी भत्ता	—	—	—
5. अन्तरिम सहायता	6922.22	—	—
6. मकान किराया	4075-63	9207-86	8925-28
9. अन्य भत्ते		—	—
योग (स)	28909-37	31420-86	39960-53

1	2	3	4
(ब) अन्य व्यय			
1. वर्दियां	8942-25	245-52	4438-85
2. अग्नि बुझाने के यन्त्र	18211-24	15679-62	28083-32
3. तेल व पेट्रोल	—	—	—
4. सामान व औजार क्रय	9198-81	18992-36	66400-04
5. कन्टिजेन्सीज	5499-31	5515-66	5884-56
योग (द)	41776-61	42233-16	104906-77
योग मद सं. चार अ, ब, स, द	228562-98	233815-91	328310-58
पांच औषधालय :			
(अ) अधिकारियों का वेतन	16748-17	17246-30	23366-29
1. अधिकारियों का वेतन			
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	633-70	1434-09	3156-00
योग (ब)	17381-17	18680-30	26522-29
(ब) कर्मचारियों का वेतन			
1. कर्मचारियों का वेतन	192233-04	207002-90	198051-96

235

2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	13165-56	2973-00	1493-00
3. लीव, पेंशन, कन्ट्रीब्यूशन	6026-10	—	—
योग (ब)	211424-70	209975-90	199544-96
(स) भत्ते			
1. महंगाई भत्ता	25764-67	23277-97	29999-00
2. यात्रा भत्ता	40-77	48-28	—
3. चिकित्सा भत्ता	4540-64	8389-56	10029-68
4. अन्तरिम सहायता	—	356-76	—
5. मकान किराया	9964-73	14065-51	11905-26
6. राणावत एरियर	17240-68	—	—
7. सवारी भत्ता	111-69	205-54	349-36
योग (स)	57677-18	46343-62	52283-30
(द) अन्य व्यय			
1. वर्दियां	—	—	227-15
2. दवाइयां	50941-95	77284-49	95542-04
3. अन्य औषधालयों की सहायता	—	—	—
4. छूत के रोगों की रोकथाम	428-25	1021-00	8433-75

1	2	3	4
5. औजार क्रय	199-51	—	—
6. प्रसूति ग्रह शिशु कल्याण केन्द्र	—	—	—
7. कन्टिन्जेन्सीज	6455-02	8223-59	499-29
योग (द)	58035-73	86529-08	110202-23
मद सं. 5 औषधालय अ, ब, स, द	344518-78	361528-90	388552-78
क: : रोशनी			
(अ) अधिकारियों का वेतन	—		—
(1) अधिकारियों का वेतन	—	1745-25	2808-00
योग (अ)	—	1745-25	2808-00
(ब) कर्मचारियों का वेतन			
1. कर्मचारियों का वेतन	39728-81	56973-28	87820-80
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	2881-00	2207-00	18375-98
3. लीव पेन्शन व कंन्ट्रीब्यूशन	—	1 43-50	474-00
योग (ब)	42609-81	62023-78	106670-78

Page No 235

237

(स) भत्ता			
1. महगाई भत्ता	4880-13	1116-40	15654-36
2. यात्रा भत्ता	153-64	430-60	560-22
3. चिकित्सा भत्ता	840-00	1410-41	1935-48
4. सवारी भत्ता	1812-21	2170-86	2882-40
5. अन्तरिम सहायता	—	—	—
6. मकान किराया	1923-80	4087-45	4136-57
7. अन्य भत्ता	459-67	—	—
योग (स)	10069-52	19515-72	25169-10
(द) अन्य व्यय			
1. वर्दियां	—	—	—
2. बल्लियों की टूटफूट	—	—	3896-00
3. बिजली के बिलों का भुगतान	304383-03	404129-49	471499-84
4. बिजली के सामान क्रय	240956-07	137155-63	263677-19
5. कन्टिनजेन्सीज	204-30	1074-60	1568-61
6. पुरानी बिजली का भुगतान	—	—	75000-00
योग (द)	545543-40	542359-72	815641-64

Page No 236

1	2	3	4
योग मद सं० 6 रोशनी			
अ, ब, स, द	508222-73	625644-47	950289-52
सात-(ब) कर्मचारियों का वेतन			
1. कर्मचारियों का वेतन	—	1458-16	—
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	—	—	—
3. लीव पेंशन, कन्ट्रीब्यूशन	3741-76	—	—
योग (ब)	7341-76	1458-16	—
(स) भत्ते			
6. अन्य भत्ते	2724-89	—	—
	2724-89	—	—
योग मद सं, 7 का व्यय अ, ब, स, द	6466-65	1458-16	—
आठ-पशुगृह			
(अ) कर्मचारियों का वेतन			
1. कर्मचारियों का वेतन	31056-17	34325-72	51263-56
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	2318-00	462-00	504-00
योग (ब)	33374-17	34787-72	51767-56

Page No 237

(स) भत्ता			
1. महंगाई भत्ता	3066-85	3772-17	8055-50
2. यात्रा भत्ता	--	--	--
3. चिकित्सा भत्ता	1127-01	2019-37	3826-50
4. सवारी भत्ता	--	--	--
5. अन्तरिम सहायता	--	--	--
6. मकान किराया	1911-72	3216-96	3364-79
7, अन्य भत्ते	--	--	--
योग (स)	6105-58	9008-50	15246-29
(द) अन्य व्यय			
1. वर्दियां	--	--	--
2. चारा दाना व्यय	2153-30	6729-00	10360-00
3. कन्टीन्जेन्सीज	558-60	250-00	1929-20
योग (द)	2821-90	6979-00	12289-20
योग मद सं0 8 पशुगृह अ, ब, स, द	42301-65	50775-22	79303-05

239

1	2	3	4
नो–(ब) कर्मचारियों का वेतन			
1. कर्मचारियों का वेतन	67724-14	78450-35	85192-65
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	4460-00	21-00	321-00
योग (ब)	72184-14	78478-35	85513-65
(स) भत्ते			
1. महंगाई भत्ता	8673-46	8203-70	12096-96
2. चिकित्सा भत्ता	1929-00	4316-51	5492-22
3. अन्तरिम सहायता	--	--	--
4. मकान किराया	4064-08	4778-58	5136-79
5. अन्य भत्ते	240-48	205-00	173-00
6. सवारी भत्ता	174-38	--	--
योग (स)	15081-15	17503-53	22898-97
(द) अन्य व्यय			
1. वर्दियां	--	--	--
2. समाचार पत्र पत्रिकायें	10617-40	13068-96	9302-60
3. मकान किराया	1154-93	1020-00	50-70
4. रोशनी व्यय	6242-25	4703-89	8432-47

5. अन्य वाचनालयों की सहायता	3418-05	358-25	—
6. किताबों की मरम्मत	79-80	—	442-50
7. नई पुस्तकें क्रय	2205-93	22721-60	11074-79
8. कन्टिन्जेन्सीज	971-95	2438-12	1392-10
9. फर्नीचर	—	6096-90	2929-33
योग (द)	24690-31	50477-80	30024-55
योग वाचनालय (II)	11955-60	146459-96	138437-17
बस–उद्यान			
(ब) कर्मचारियों का वेतन	204026-31	213481-82	261344-72
प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	14731-81	3426-72	3849-00
लीव पेंशन	3656-50	—	—
योग (ब)	222014-62	216978-54	265193-72
(स) भत्ते			
1. महंगाई भत्ता	14636-36	24760-85	40204-47
2. चिकित्सा भत्ता	7341-28	14418-96	18467-72
3. अन्तरिम सहायता	—	—	—

(241)

1	2	3	4
4. मकान किराया	9145-50	12127-80	13835-98
5. सवारी भत्ता	550-32	550·00	600-00
योग (स)	31603·46	51937-61	73178-17
(द) अन्य भत्ते			
1. वर्दियां	2893-33	11974-20	—
2. पौधे व बीज का क्रय	8454-00	665-00	2706-28
3. औजार क्रय	3440-45	—	20964-00
4. कन्टिन्जेन्सीज	154891-12	95690-53	104652-15
5. पुष्प प्रदर्शनी	2684-74	16517-58	13191-63
6. पानी के बिलों का चुकारा	—	—	—
7. बिजली के बिलों का भुगतान	575-62	2897-50	5104-72
योग (द)	172939-26	127744-81	146618-78
योग मद संख्या 10 उद्यान अ, ब, स, द	426620-34	396590-96	484990-67
ग्यारह–सार्वजनिक मरम्मत			
(अ) अधिकारियों का वेतन			
1. अधिकारियों का वेतन	13928-23	19052-14	18000-00

Page No 241

243

2. प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	—	—	—
3. लीव सेलेरी पेंसन, कन्ट्री.	—	8333-26	4088-00
योग (अ)	13928-23	27385-40	22788-00
(ब) कर्मचारियों का वेतन			
1. कर्मचारियों का वेतन	332642-31	380235-40	405678-98
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	24279-00	4956-00	6415-00
3. लीव सेलेरी पेंसन	1275-00	—	—
योग (ब)	358196-31	385191-40	512093-98
(स) भत्ते :—			
1. महंगाई भत्ता	24848-20	39973-59	73227-63
2. यात्रा भत्ता	416-88	1968-09	1907-36
3. सवारी भत्ता	2511-12	2184-12	2014-55
4. अन्तरिम सहायता		—	—
5. मकान किराया	12753-39	32619-00	27104-51
6. मकान किराया	10968-52	23826-39	30329-92
योग (स)	51498-11	100641-26	134578-87

1	2	3	4
(द) अन्य व्यय			
1. वर्दियां	—	—	750-00
2. वार्षिक मरम्मत का व्यय	799062-25	424107-43	732083-91
3. फुटकर सामान क्रय	14000-08	9809-14	10669-13
4. श्मशानघाट	—	1549-83	—
5. कन्टिन्जेन्सी व्यय	—	1996-81	747-56
6. डाकतार व्यय	—	-	—
7. अन्य व्यय	9099-30	—	—
योग (द)	82233-63	437463-21	744249-72
योग मद सं0 11 सार्वजनिक मरम्मत अ, ब, स, द	1246586-58	9500981-27	1313010-57
पूर्णआवर्तक मदों का सारांश			
मद सं. 1 सामान्य प्रशासन	1185778-77	1547642-33	1747537-94
मद सं. 2 कर वसूली	873382-56	904736-57	1078863-22
मद सं. 3 जनस्वास्थ्य	3696227-99	4194763-74	5988153-11
मद सं. 4 सार्वजनिक रक्षा	2282562-98	233815-91	328317-58
मद सं. 5 औषधालय	344518-78	361528-90	388552-78
मद सं. 6 रोशनी	518222-73	625644-47	950289-52
मद सं. 7 जल व्यय	6466-65	1458-16	—

मद सं. 8 पशुगृह	42309-65	50775-22	79303-05
मद सं. 9 शिक्षा वाचनालय	111955-60	146450-94	138437-10
मद सं. 10 उद्यान	426627-34	396590-96	484990-67
मद सं. 11 सार्वजनिक मरम्मत	2445856158	950681-27	1313010-57
मद सं. 12 वाणिज्यिक संस्थाओं पर व्यय	[illegible]	[illegible]	—
वृहद् मद सं. 1 से 12	8759901-56	9414097-47	12489448-61
तेरह-विकास कार्य			
1. नई सड़कें मकानात, नालियां आदि	1179467-08	1159193-86	733864-52
2. पुरानी सड़कें मकानात नालियां	—	693475-97	632705-86
3. बिजली लाइनों में वृद्धि	75927-56	40400-44	50300-68
4. उद्यान का निर्माण	11285-27	45649-96	33872-98
5. पुराने जवाहरात बदलने	—	5100-00	16000-00
6. पेशाब घर	3459-71	8524-48	—
7. ग्राम सुधार हेतु	12000-00	156253-62	557769-05
8. सम्राट पृथ्वीराज	—	—	—
9. स्टेडियम ट्रेनिंग ग्राउन्ड सुधार	13454-79	—	11649-93
10. दुकानें	22041-86	48874-72	46500-00
योग	1317645-27	2157473-04	2782662-92

(245)

(२४६)

1	2	3	4
चौदह-नवीन संपत्ति क्रय			
1. ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली व जीप व नाप तोल मशीन क्रय	13859-00	55892-89	351719-88
2. गाड़ियों का क्रय	7845-14	—	
3. नावें क्रय	—	—	—
4. टाइपराइटर क्रय	—	—	—
5. व्हील बैरोज हैण्ड कार्ट्स क्रय	13916-65	61419-17	43077-42
6. प्रोजेक्ट क्रय हेतु			
1. टी. वी. सैट	—	—	5800-00
योग मद सं. 14 नवीन संपत्ति क्रय	35620-79	117312-06	400597-30
पन्द्रह ऋण-भुगतान–			
1. किश्तों की राशि			
(क) केन्द्रीय सरकार	46101-84	10472-14	—
2. ब्याज की राशि	37727-13	—	—
योग मद सं. 15 ऋण	83828-97	10472-14	—
सोलह-विविध			
1. अमानत की फीस–सीटीडी	88071-20	160915-60	184829-34
	194381-91		
	107-00	244-00	150-00

3. कर्मचारियों को मकान बनाने के	–	500-00	–
4. अग्रिम स्थाई राशि	152892-11	596900-46	–
योद मद सं. 16 विविध	435452-22	758560-06	349461-84
संपूर्ण अनावर्तक मदों का सारांश			
1. मद संख्या 13 विकास कार्य	1317645-27	2157473-00	208266-92
2. मद संख्या 14 नवीन संपत्ति	3562079-00	117312-06	–
3. मद संख्या 15 ऋण भुगतान	83828-97	10472-14	400597-30
4. मद संख्या 16 विविध	43542-22	758560-56	349461-84
वृहत योग मद सं 13 से 16	1872547-25	3043817-30	2832722-06
ब्याज	1225000-00		
2. सेविंग सर्टिफिकेट	––	––	––
3. अन्य सिक्योरिटीज	––	––	––
4. विकास बाण्ड की राशि	175000-00	––	––
5. फिक्सड डिपोजिट	––	––	––
योग न्यूनतम अन्तिम शेष	4278995-03	––	––

1		2	3	4
सम्पूर्ण व्यय का शेष		10632448-81	—	—
(अ) आवर्तक व्यय		8759901-56	9414097-47	12489448-61
				138-50
(ब) अनावर्तक व्यय		1872547-25	3043817-30	2832722-06
	योग....	10632448-81	12457914-77	15322170-67
(स) न्यूनतम अन्तिम शेष		4278995-73	4975613 95	4883368-36
कुल योग—बृहत ..		14611443-84	17433528-72	20205677-57
	वी० पी०+	12514-59		
	एस० सी०+	14180-00		
		14938138-40		

आय-व्यय खर्च

		1-4-80 से 31-1-81	1-2-81 से 11-2-81
आरम्भिक शेष		4883368-36	
	योग	4883368-36	

कर (भवन व भूमि कर)		
अ. मौजूदा	339383-83	17403-60
ब. बकाया	459325-27	12241-03
स. सर्विस चार्जेज	91728-32	—
योग अ-ब	890437-42	29644-63
2. चुंगीकर	82791[illegible]77	405158-35
4. पथ कर	1-80	—
6. यात्रीकर	53718-47	—
मद संख्या एक का जोड़	9223356-46	405158-35
घटाईये करों वापसी रकम ( )	1148-02	—
योग	9222208-44	405158-35

वास्तविक आय :

		1-2-81 से 11-2-81
2. उपविधियों (बायलाज) के अन्तर्गत अनुमति पत्रों (लाइसेन्स) से प्राप्त आय		
1. बध गृह के अनुमति पत्रों की फीस	16660-31	700-04

1	2	3
2. आटा चक्की व लघु न्यायालयों के अनुमति पत्रों की फीस चूने के भट्टे बनाने आदि के अनुमति पत्रों की फीस	5419-00	150-00
4. इमारती कामों व विकास तामीर की इजाजत की फीस	7376-00	300-00
10. साइन विज्ञापन बोर्ड आदि की फीस	25482-25	
12. जन्म मृत्यु पंजीकरण उपविधियों के अन्तर्गत आय	5549-25	106-00
13. ठेला रिक्शा, साईकिल, बैलगाड़ी आदि	1368-00	50-00
15. कुत्ते की रजिस्ट्रेशन की फीस	20-00	4-00
16. सफाई उपलक्ष फीस	14247-20	615-00
17. वान्डेड वेयर हाउस फीस	6267-00	13-80
18. बस स्टेण्ड	11262-00	2-00
मद संख्याओं का योग	93701-09	1940-84
नगर पालिका सम्पत्ति स. एवं अधिकारों द्वारा प्राप्त आय :		
1. तहबाजारी किराये की आय	127201-47	6106-43
2. दुकानदारों के किराये की आय	283834-26	23661-82
3. तुलाई मशीन से आय	800-00	11-00
4. खाद की बिक्री की आय	852-50	217-50
6. अन्य सम्पत्ति जो आवर्तक प्रकृति की हो की बिक्री की आय	45364-28	120-00
7. मकानों व दुकानों के किराये की आय	23778-09	—

8.	जमीन की पैदावार से आय	52955-25	1512-20
11.	मेडीकल एक्सरे को फीस	135-00	115-00
	मद सं. तीन का योग	537593-35	31643-95
	विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अन्तर्गत आय		
1.	पशु गृह सं. आय केटल ट्रेस पास एक्ट के अन्तर्गत आय	17461-00	531-00
2.	विभिन्न आय, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत आय	12352-00	739-00
3.	चुंगी मार्ग दर्शन (तांगा आदि)	3527-55	113-17
	मद संख्या 4 का योग	33340-55	1383-17
	प्राप्तियां		
1.	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत आवेदित	9922-00	910-00
2.	अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत आवेदित	24126-13	590-25
3.	समझौता व अभिसंधान से प्राप्त आय	6831-08	435-00
		40879-21	1935-25

1	2	3
विविध		
1. नगर पालिका के विनियोग पर ब्याज की आय	153195-61	39972-22
4. सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि	1482978-00	—
7. विविध	1145860-04	34006-70
मद संख्याओं का योग	2782033-65	73980-92
संक्षिप्त विवरण :—		
मद संख्या एक कर	9222208-44	405150-35
मद संख्या दो उपविधियां	93701-09	1940-84
मद संख्या तीन सम्पत्ति	537593-35	31643-95
मद संख्या चार अन्यकर एक्ट	33340-55	1385-17
मद संख्या पांच शक्तियां	40879-21	1935-25
मद संख्या नौ विविध	2751293-09	73983 09
कुल आवर्तक आय का जोड़....	12679015-73	516042-48

भूमि विक्रय से प्राप्त आय		
1. भूमि विक्रय		
भूमि की कीमत लीज मूल्य जो एक मुश्त प्राप्त किया गया	85787–66	3626–92
मद संख्या दस का जोड़	85787–66	3626–92
विशिष्ट सहायता व ऋण		
3. कर्मचारियों से मकान बनाने आदि ऋण की वसूली से आय	3600–00	–
मद संख्या 11 का जोड़	3600–00	
अन्य आय स्रोत से अनावर्तक प्रकृति के हों।		
1. अमानत व प्रतिभूति आदि की प्राप्त राशि	228814–28	1218–00
2. लाईब्रेरी की अमानत की प्राप्त राशि	1510–00	35–00
3. अग्रहाई अग्रिम राशि	9841–20	–
मद संख्या 12 का योग	240165–48	1253–00
मद संख्या दस से बारह तक अनावर्तक आय का योग		
संक्षिप्त विवरण		

1	2	3
मद संख्या दस भूमि विक्रय व लीज	85787-66	3626-92
मद संख्या ग्यारह सहायता ऋण	3600-00	-
मद संख्या बारह अन्य आय के स्रोत	240155-46	1253-00
अनावर्तक कार्य मद संख्या दस से बारह का योग	329553-14	4879-92
कुल आय मद का कार्य		
ब आवर्तक आय मद एक से नौ	12679015-73	516042-48
स अनावर्तक आय मद संख्या दस से बारह	329553-14	4879-92
	13008568-87	520922-40
प्रारम्भिक योग	4883368-36	
कुल आय के मदों (एक से बारह) तक का योग		17891937-23

व्यय का विवरण

लेखे का शीर्षक	1-4-80 से 31-6-81	1-2-81 से 11-6-81
1	2	3
सामान्य शासन		
(अ) अधिकारियों का वेतन		
1. अधिकारियों का वेतन	37652-84	3710-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	986-00	92-00
योग (अ)	38638-84	3802-00
(ब) कर्मचारियों का वेतन		
1. कर्मचारियों का वेतन	493916-22	45782-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	4899-00	544-00
योग (ब)	498815-22	46326-00
(स) भत्ता		
1. महगाई भत्ता	123751-53	12155-00
2. यात्रा भत्ता	5712-87	76-32
3. चिकित्सा भत्ता	30531-28	2366-56
4. सवारी भत्ता	671-40	124-52
5. अन्तरिम सहायता	—	—
6. मकान किराया	28217-61	2831-68
7. अन्य खर्च	40274-75	—
योग (स)	229159-54	17554-08
(द) अन्य व्यय		
1. डाकतार	4400-00	—
2. वर्दियां	120452-30	—
3. स्टेशनरी	22747-40	—
4. छपाई	44946-43	—
5. मकान किराया	—	—
6. पुस्तकें व समाचार पत्र	1717-02	—
7. टेलीफोन	27748-63	320-00

(256)

1	2	3
8. प्रचार विज्ञापन	37289-30	—
9. उत्सव एवं राष्ट्रीय	1229-00	—
10. मनोरंजन व मेला	29257-49	—
1'. आडिट फीस	28332-44	—
12. न्यायालयों संबंधी व्यय	3194-90	—
13. अन्य कन्टिजेन्सीज	14101-09	—
14. जनरल परचेज	5000-00	—
15. पेंशन एवं ग्रेच्युटी	138193-29	76306-71
(द) का जोड़	1722337-29	76626-71
मद संख्या 1 का कुल योग		
अ ब स द	2488950-39	—
कर वसूली		
चुंगी शाखा (1)		
(अ) अधिकारियों का वेतन		
1. अधिकारियों का वेतन	8822-00	1281-80
2. प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	421-00	75-00
योग (अ)	9343-00	1356-80
(ब) कर्मचारियों का वेतन		
1. कर्मचारियों का वेतन	419458-42	42371-20
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	4203-00	476-00
योग (ब)	423661-42	52847-20
(स) भत्ते		
1. महंगाई भत्ता	106599-24	14699-50
2. यात्रा भत्ता	778-32	—
3. चिकित्सा भत्ता	25716-13	3025-00
4. सवारी भत्ता	766-93	360-00
6. मकान किराया	26126-74	3629-00
7. अन्य भत्ते	7754 68	—
	167742-04	21712-50

1	2	3
(द) अन्य व्यय		
6. कन्टिजेन्सीज	2222-96	--
योग (द)	2222-96	
योग चुंगी शाखा (श)		
अ ब स द	602869-42	
1. भवन व भूमि शाखा		
(अ) अधिकारियों का वेतन		
1. अधिकारियों का वेतन	4570-00	470-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड	381-00	39-00
योग (अ)	4951-00	509-00
(ब) कर्मचारियों का वेतन		
1. कर्मचारियों का वेतन	213594-41	700-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड	1019-00	—
योग (ब)	214613-41	700-00
(स) भत्ते :—		
1. महंगाई भत्ता	49674-94	130-00
2. यात्रा भत्ता	175-47	--
3. चिकित्सा भत्ता	9795-51	--
4. सवारी भत्ता	2512-01	—
5. मकान किराया	12294-65	40-00
6. अन्य भत्ते	18611-81	658-21
योग (स)	93064-39	828-21
(द) अन्य व्यय		
1. वर्दियां	--	--
2. कन्टिजेन्सीज	26912-73	--
योग (द)	26912-73	--
योग भूमि व भवन शाखा अ ब स द	339541-53	--

(258)

1	2	3
अन्य कर III		
(अ) अधिकारियों का वेतन		
1. अधिकारियों का वेतन	4390-00	400-00
2. प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	367-00	–
योग (अ)	4757-00	—
(ब) कर्मचारियों का वेतन		
1. कर्मचारियों का वेतन	52796-15	4787-00
2. प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	678-00	63-00
योग (ब)	53474-15	5320-00
(स) भत्ता		
1. महंगाई भत्ता	11559-82	1474-50
2 यात्रा भत्ता	—	—
3. चिकित्सा भत्ता	3691-73	350-00
4. सवारी भत्ता	390-00	40-00
5. मकान किराया	3752-90	360-00
7. अन्य भत्ते	4070-71	
योग(स)	23467-16	2224-50
योग अन्य कर		
अ ब स द	81698-31	—
मद म. 2 योग (कर शाखा)		
1, 2, 3,	1024109-26	—
सार्वजनिक हितकारी व जन स्वास्थ्य		
1. स्वास्थ्य शाखा		
(अ) अधिकारियों का वेतन		
1. अधिकारियों का वेतन	9000-00	900-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	750-00	75-00
3. लीव, पेंशन कन्ट्री०	1691-00	–
योग (अ)	11441-00	975-00

1		2	3
(ब) कर्मचारियों का वेतन			
1.	कर्मचारियों का वेतन	3136359-54	231142-48
2.	प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	101202-00	10415-00
3.	लीव, पेंशन कन्ट्रीब्यूशन	591-00	—
	योग (ब)	3238152-54	241557-48
(स) भत्ते			
1.	महंगाई भत्ता	713316-71	73409-69
2.	यात्रा भत्ता	124-00	—
3.	चिकित्सा भत्ता	227150-03	22749-57
4.	सवारी भत्ता	7628-31	2307-40
5.	मकान किराया	172905-63	16891-99
6.	अन्य भत्ता	20507-86	—
7.	झाडू भत्ता	53052-05	546-11
		1194684-60	115904-16
(द) अन्य व्यय			
3.	टीके की दवाइयां	175-00	—
5.	दवाइयां फिनाइल	8860-15	—
8.	कन्टिजेन्सीज	32306-79	42-35
	योग (द)	41341-94	42-35
योग स्वास्थ्य (1) अ ब स द		4485620-08	—
(अ) कर्मचारियों का वेतन			
1.	कर्मचारियों का वेतन	336435-30	28626-24
2.	प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	7450-00	681-00
	योग (ब)	343885-30	29307-24

1	2	3
(स) भत्ता		
1. महंगाई भत्ता	91726-25	8008-74
2. यात्रा भत्ता	170-0	—
3. चिकित्सा भत्ता	19033-86	1842-74
4. सवारी भत्ता	165-42	15-00
5. मकान किराया	19437-70	1864-84
6. अन्य भत्ता	19397-44	—
योग (ब)	149931-17	11731-32
अन्य प्रभार		
1. वर्दियां		
2. पेट्रोल	234758-18	4516-33
3. ट्रक, ट्रेक्टरों की मरम्मत	175485-72	14724-00
3. अन्य व्यय	44012-07	—
योग (द)	454255-97	19240-33
	948072-44	—
योग मद सं० 3 जनस्वास्थ्य	5433692-52	
सार्वजनिक रक्षा अग्नि		
1. कर्मचारियों का वेतन	219156-13	15554-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	3075-00	348-00
योग (ब)	222231-13	15902-00
(स) भत्ता		
1. महंगाई भत्ता	43475-71	4292-00
2. यात्रा भत्ता	—	—
3. चिकित्सा भत्ता	828-24	—
4. सवारी भत्ता	10683-53	825-00
5. मकान किराया	8972-12	960-00
6. अन्य भत्ता	18087-84	—
योग (स)	82047-44	6077-00

1	2	3
(द) अन्य व्यय		
1. वर्दियां	3433-25	
2. अग्नि बुझाने के यंत्र	23392-21	
3. सामान व औजार क्रय	26243-99	
4. कन्टिन्जेन्सीज	3976-29	
योग (द)	57045-74	
योग मद सं० चार अ ब स द	361324-31	
औषधालय		
अधिकारियों का वेतन		
1. अधिकारियों का वेतन	15284-87	1860-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	878-00	83-00
योग (अ)	16162-87	1943-00
(ब) कर्मचारियों का वेतन		
1. कर्मचारियों का वेतन	208489-67	16358-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	1377-00	119-00
योग (ब)	209866-67	16477-00
(स) भत्ते		
1. महंगाई भत्ता	46821-67	4350-00
2. यात्रा भत्ता	604-15	
3. चिकित्सा भत्ता	12724-34	650-00
4. मकान किराया	10112-31	965-00
5. अन्य भत्ते	52-15	
6. सवारी भत्ता	255-00	15-00
योग (स)	70569-62	5987-00

(द) अन्य व्यय

(262)

1	2	3
1. दवाइयां	67899-79	85-60
2. कन्टिन्जेन्सीज	4707-20	--
योग (द)	72606-99	85-60
योग मद सं. 5 औषधालय अ ब स द	369206-15	--
(ब) कर्मचारियों का वेतन		
1. कर्मचारियों का वेतन	73118-42	5119-90
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	325-00	33-00
योग (ब)	73443-42	5152-90
(स) भत्ते		
1. महंगाई भत्ता	13367-33	1461-20
2. यात्रा भत्ता	106-56	--
3. चिकित्सा भत्ता	3047-93	275-00
4. सवारी भत्ता	2208-97	196-10
5. मकान किराया	2606-90	260-00
योग (द)	21336-97	2192-30
(द) अन्य व्यय		
3. तेल व्यय	384925-76	8963-61
4. बिजली बिल भुगतान	176404-22	--
5. बिजली का सामान क्रय	44655-58	--
7. बिजली के पुराने बिलों का भुगतान	50000-00	--
योग (द)	655985-55	8963-61
योग मद सं. 6 रोशनी अ ब स द	750765-88	

1	2	3
पशुगृह		
(ब, कर्मचारियों का वेतन	37822-19	3628-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	420-00	42-00
योग (ब)	38242-19	3670-00
(स) भत्ता		
1. महंगाई भत्ता	9550-00	1047-50
3. चिकित्सा भत्ता	2925-00	300-00
6 मकान किराया	2360-00	246-00
योग(स)	14835-00	1593-50
(द) अन्य व्यय		
2. चारा दाना व्यय	10640-50	—
योग (द)	10640-50	
योग मद सं. आठ पशुगृह		
अ ब स द	63717-69	—
(अ) शिक्षा		
कर्मचारियों का वेतन	87508-60	8079-00
2. प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	369-00	44-00
योग (ब)	87877.60	8123-00
(स) भत्त		
1. महंगाई भत्ता	22554-14	2095-00
2. चिकित्सा भत्ता	9073-42	634-87
4. मकान किराया	4615-00	15-00
5. सवारी भत्ता	95-00	530-00
योग (स)	36337-56	3274-87

	1	2	3
	(द) अन्य व्यय		
2.	समाचार पत्र पत्रिकाए	4566·90	—
3.	मकान किराया	264?-71	—
6.	किताबों की मरम्मत	2053-00	—
7.	नई पुस्तकें क्रय	1704-58	—
8.	कन्टीजेन्सीज	1665-50	—
9.	फर्नीचर	12078-00	
	योग (द)	24710-69	—
	वृहत योग मद सं. नौ शिक्षा	148925-85	—
	उद्यान		
	(ब) कर्मचारियों का वेतन		
(1)	कर्मचारियों का वेतन	204524-14	19922-37
2.	प्रोवीडेन्ट फण्ड की राशि	3394-00	417-00
	योग (ब)	207918-14	20339-37
(स)	भत्ते :		
1.	महंगाई भत्ता	52462-11	5606·16
2.	चिकित्सा भत्ता	16661-67	1696-39
3.	मकान किराया	10397-04	1100-17
4.	सवारी भत्ता	575-00	65-00
5.	राणावत	22-00	—
	योग (स)	80117-82	8467-72
(द)	अन्य भत्ते :-		
2.	पौधे व बीज का क्रय	4702-00	—
3.	औजार क्रय	2675-40	—

1	2	3
4. उद्यान मरम्मत	28956-82	-
5. पुष्प प्रदर्शनी	21395-42	-
योग (द)	57729-64	
योग पद सं. दस उद्यान अ ब स द	345765-60	-
सार्वजनिक मरम्मत		
(अ) कर्मचारियों का वेतन		
1. कर्मचारियों का वेतन	15500-00	1550-00
योग (अ)	15500-00	1550-00
(ब) अधिकारियों का वेतन		
1. कर्मचारियों का वेतन	349618-68	31750-79
2. प्रोविडेन्ट फण्ड की राशि	6345-00	574-00
योग (ब)	355963-68	32324-79
(स) भत्ते :—		
1. महंगाई भत्ता	89847-03	9114-66
2. यात्रा भत्ता	2097-85	210-04
3. सवारी भत्ता	2173-96	245-00
4. चिकित्सा भत्ता	29098-06	2375-00
5. मकान किराया	22837-79	2263-77
योग (स)	146054-69	14208-47
(द) अन्य व्यय		
2. वार्षिक मरम्मतें का व्यय	211415-59	204388-00
3. फुटकर सामान क्रय	665-00	-
6. श्मशान घाट	45982-18	-
योग (द)	258062-77	204388-00
योग मद संख्या ग्यारह सार्वजनिक मरम्मतें अ ब स द	775581-14	

नगर परिषद्, अजमेर

व्यय का विवरण

लेखे का शीर्षक	व्यय 1-4-80 से 31-1-81	व्यय 1-2-81 से 11-2-81
1	2	3
सम्पूर्ण आवर्तक मदों का सारांश		
1. सामान्य प्रशासन	2488950-39	
2. कर वसूली	1024109-26	
3. जन स्वास्थ्य	5433692-52	
4. सार्वजनिक कक्ष	361324-31	
5. औषधालय	369206-15	
6. रोशनी	750765-88	
8. पशुगृह	63717-69	
9. वाचनालय	148925-85	
10. उद्यान	345765-60	
11. सार्वजनिक मरम्मत	775581-14	
वृहत योग	11762038-79	
विकास कार्य		
1. नये कार्यों का निर्माण (पालिका की आय से किये जाने वाले निर्माण कार्य)		
सड़कें, नालियां, मकानात	663708-42	17734-30
पुरानी सड़कें, नालियां, मकानात	125875-94	
3. बिजली लाइनों में वृद्धि	7402-54	3471-00
7. सम्राट पृथ्वीराज	50000-00	
9. दुकानें	26297-47	
योगदान मद सं.	873284-37	21205-30

1	2	3
नवीन सम्पत्ति क्रय		
1. ट्रक, ट्रेक्टर ट्राली व जीप माप-तौल मशीन क्रय	348055-31	
2. व्हील बेरोज हैण्ड कार्टस क्रय	47672-10	
3. अन्य सामान क्रय, लैट्रीन	18900-00	
	414627-41	
विविध		
1 अमानत की फीस	298353-73	
2. कर्मचारियों की ऋण की वापसी	67000-00	
5. अग्रिम धन अस्थाई	167135-22	
योग	532488-95	
सम्पूर्ण अनावर्तक मदों का सारांश		
1. मद संख्या 13 विकास कार्य	873284-37	
2. मद संख्या 14 नवीन सम्पत्तिकरण	414627-41	
4. मद संख्या 16 विविध	532488-95	
वृहत योग मद संख्या 13 से 16	1820400-73	

नगर परिषद्, अजमेर

व्यय का विवरण

	1-4-80 से 31-1-81
सम्पूर्ण व्यय का योग	
(अ) आवर्तक व्यय	11762045-09
(ब) अनावर्तक व्यय	1820400-73
योग	13582445-82
(स) न्यूनतम अन्तिम शेष	4309491-41
वृहत योग (अ+ब+स)	17891937-23

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूची

नाम फव्वारा	निर्माण वर्ष	व्यय राशि रुपयों में
1. सूरजपोल चौराहा फव्वारा	1967-68	29,933-83
2. पटेल सर्कल फव्वारा	1970-71	1,00,000-00
3. शास्त्री सर्कल फव्वारा	1970-71	92,657-00
4. सुखाड़िया सर्कल	1971-72	6,10,621-00
5. पंचवटी तिराहा फव्वारा	1975-76	35,735-00
6. हाईकोर्ट चौराहा फव्वारा	1976-77	15,000-00
7. हाथीपोल चौराहा फव्वारा	1976-77	75,084-00
8. उदियापोल चौराहा फव्वारा	1977-78	1,56,164-00

गत तीन वर्षों में फव्वारों के रख-रखाव पर हुये व्यय की राशि-
(रुपये 8,71,852=54 पैसे)

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 204 की सूची

सूची 'अ'

अजमेर वन मण्डल में नगर परिषद अजमेर की सीमा में वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण की सूची, धारा 91 के अन्तर्गत

क. सं	नाम अतिक्रमी एवं पता	नाम वन क्षेत्र जिसमें कब्जा किया	क्षेत्रफल जिस पर कब्जा किया	वर्ष जिसमें कब्जा किया	कार्यवाही जो की गई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पांचू पुत्र हरजी नि० भोपों का बाड़ा, अजमेर	महुआ बीड वनखण्ड	50X20	1976	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 धारा बेदखल कर 5/- जुर्माना किया गया।
2.	श्री मोहन पुत्र मांगीलाल नि० भोपों का बाड़ा, अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 द्वारा बेदखल कर 10/- जुर्माना किया गया।
3.	श्री मदन पुत्र हुक्मा नि० भोपों का बाड़ा, अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर दि. 26-8-76 द्वारा बेदखल कर 10/- जुर्माना किया गया।

Page No 268

1	2	3	4	5	6	7
4.	श्री मोती पुत्र बुद्धा, नि० भोपों का बाड़ा, अजमेर	महुआ बोर्ड वर खण्ड	50×20	1976	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिन 26-8-76 को बेदखल कर 10/-जुर्माना किया गया।
5.	श्री पांचू पुत्र लादू नि० भोपों का बाड़ा, अजमेर	--,,--	--,,--	--,,--	--,,--	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 को बेदखल कर 10/- जुर्माना किया गया।
6.	श्री धर्मा पुत्र दुर्गा, नि० भोपों का बाड़ा, अजमेर	--,,--	--,,--	--,,--	--,,--	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 को बेदखल कर 10/- जुर्माना किया गया।
7.	श्री मांगीलाल पुत्र मोडु, नि० भोपों का बाड़ा, अजमेर	--,,--	--,,--	--,,--	--,,--	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 को बेदखल कर 10/- जुर्माना किया गया।

8. श्रीमती मांगी पत्नी धना नि० गणेशगढ़ अजमेर	महुआ वीड वन खण्ड	30×30	1976	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 को बेदखल कर 10/— रुपये जुर्माना किया गया।
9. श्री प्रभु पुत्र घीसा नि० गणेशगढ़, अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 को बेदखल कर जुर्माना किया गया।
10. श्री मिश्रीलाल पुत्र किशना निवासी गणेशगढ़, अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 को बेदखल कर 10/—रु० जुर्माना किया गया।
11. श्री मिश्रीलाल नि० लोहागल, अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 को बेदखल कर 10/— जुर्माना किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
12.	श्रीमती पार्वती पत्नी गणेश नि० जाटिया वास, अजमेर	महुआ बोर्ड वन खण्ड	30 × 30	1976	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 26-8-76 को बेदखल कर 5/– रुपये जुर्माना किया गया।
13.	श्री भंवरलाल पुत्र किशना नि० भोपों का बाड़ा, अजमेर	—,,—	50×50	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 27-6-77 द्वारा बेदखल कर जुर्माना 5/– किया गया।
14.	श्री राम नारायण पुत्र मूला निवासी भोपों का बाड़ा, अजमेर	—,,—	15X15	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 27-6-77 द्वारा बेदखल कर जुर्माना 5/– किया गया।
15.	श्री हरजी पुत्र भागीरथ नि० भोपों का बाड़ा अजमेर	—,,—	20'×20'	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 27-6-77 को बेदखल कर जुर्माना 5/– किया गया।

Page No 271

16. श्री नानूराम नि० भोपों का वाड़ा अजमेर	मदुआ बोर्ड वन खण्ड	15'×15'	1977	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 25-3-80 को अतिक्रमण नहीं होने से खारिज किया गया।
17. श्री प्योलाल नि० भोपों का वाड़ा अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—
18. श्री मानसिंह पुत्र भायालाल नि. भोपों का वाड़ा, अजमेर	,,	25×25	1977	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 27-6-77 को बेदखल कर 5/– रु. जुर्माना किया गया।
19. श्री रामचन्द्र पुत्र प्रभु नि. भोपों का वाडा, अजमेर	,,	15×15	,,	,,	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 26-7-77 को बेदखल कर 5/– रु. जुर्माना किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
20.	श्री चोथू पुत्र मंगलाराम नि. भोपों को बाडा, अजमेर	मड़ुआ बोर्ड	15×15	1977	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 26-7-77 को अतिक्रमणों द्वारा स्वतः कब्जा छोड़ने पर खारिज किया गया।
21.	श्री भंवरलाल पुत्र आसू नि. भोपों का बाडा, अजमेर	,,	20×20	,,	,,	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 27-6-77 को बेदखल कर 5) रुपये जुर्माना किया गया।
22.	श्री श्योकरण पुत्र खोयाराम भोपों का बाडा, अजमेर	,,	25×35	,,	,,	अतिक्रमी ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना नहीं बताया इसलिये दि. 25-3-80 को न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा केस खारिज किया गया।
23.	श्री छीतर पुत्र अर्जुन नि., भोपों का बाडा, अजमेर	,,	15×15	,,	,,	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा

275

						दिनांक 27-6-77 को बेदखल कर 5/- रु. जुर्माना किया गया ।
24.	श्री मोजीराम पुत्र धन्नालाल नि. भोपों का वाडा, अजमेर	महुआ बोर्ड वन खण्ड	15 × 15	1977	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक. अजमेर द्वारा दि. 27-6-77 को बेदखल कर 5/- रुपये जुर्माना किया गया ।
25.	श्री अमर चन्द पुत्र रुघाराम नि., भोपों का वाड़ा, अजमेर	"	20 × 20	"	"	अतिक्रमी एवं अमीन को रिपोर्ट अनुसार कब्जा नहीं होने से न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा 25-3-77 को खारिज किया गया ।
26.	श्री रामकरण पुत्र पोकरराम नि. भोपों का बाडा, अजमेर	"	"	"	"	"
27.	श्री छोतर पुत्र खुमा नि० शास्त्री नगर अजमेर	महुआ बीड वन खण्ड	1/ 4	1974	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दि० 8-8-78 को बेदखल कर 7)- जुर्माना किया ।

1	2	3	4	5	6	7
28.	श्रीमती तुलसी पत्नी भूरसिंह नि० अजमेर	महुआ बोर्ड वन खण्ड	1/4 बीघा	1979	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दि० 9-6-78 को बेदखल कर 11)- रु. जुर्माना किया गया
29.	श्रीमती सीता पुत्री राजमल नि० अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन, संरक्षक अजमेर द्वारा दि० 9-6-78 को बेदखल कर 7)– जुर्माना किया गया।
30.	श्रीमती राधा पत्नी रामनारायण नि० अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 9-6-78 को बेदखल कर 7)– जुर्माना किया गया।
31.	श्री मिश्रीलाल पुत्र किशना नि0 अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दि० 8-8-78 को बेदखल कर 10)–जुर्माना किया गया।
32.	श्रीमती रामेश्वरी पत्नी रामसिंह नि० अजमेर	—,,—	3/4	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 9-6-78 को बेदखल कर 20)– जुर्माना किया।

33.	श्रीमती राधा पत्नी प्रहलाद नि० अजमेर	महुआ बोर्ड वन खण्ड	1/4	1978	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 9–7–78 को बेदखल कर 7)– जुर्माना किया।
34.	श्री पूसा पत्नी चिमना निवासी, अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—
35.	श्रीमती सुआ पत्नी प्रभुसिंह नि. अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—
36.	श्रीमती विजयकली पत्नी सीताराम नि० अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—
37.	श्रीमती चुका पत्नी घासी नि० अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 9–6–78 को बेदखल कर 7)- जुर्माना किया गया।
38.	श्री गुमान पुत्र भारूजी नि. अजमेर	महुआ बोड वन खण्ड	3/4 बीघा	1978	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दि. 8-8-78 को बेदखल कर 10)- रु. जुर्माना किया गया.

1	2	3	4	5	6	7
39.	श्री दीपसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, अजमेर	महुआ बोड वन खण्ड	28X40	1978	बेदखल किया गया	धारा 91के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, द्वारा दिनांक 24-3-80 को बेदखल कर 40)- जुर्माना किया गया
40.	श्रीमती अमीना पत्नी शफी मोहम्मद नि. अजमेर	—,,—	16X10	—,,—	—,,—	—,,—
41.	श्रीमती बल्लू पत्नी लक्ष्मन नि. अजमेर	—,,—	14X7	—,,—	—,,—	—,,—
42.	श्रीमती गीता देवी पत्नी हनुमानसिंह नि. अजमेर	—,,—	10X7	—,,—	—,,—	—,,—
43.	श्री शिवराज पुत्र बलदेव नि. अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—
44.	श्री मोतीसिंह पुत्र हुकमसिंह अजमेर	—,,—	40X20	—,,—	—,,—	—,,—
45.	श्री देवीसिंह पुत्र हुकमसिंह अजमेर	15X40	15X40	—,,—	—,,—	—,,—
46.	श्रीमती नन्दू बाई पत्नी श्री किशन नि. अजमेर	—,,—	10X3	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर

					द्वारा दिनांक 18·9·80 द्वारा बेदखल कर 14)-रु. जुर्माना किया गया
47. श्रीमती जमीला पत्नी जमशेद नि. अजमेर	महुआ बोर्ड	12X10	—,,—	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दि. 25-3-80 को बेदखल कर 40)- जुर्माना किया गया
48. श्री रामनिवास पुत्र राधाकृष्ण, अजमेर	—,,—	30X25	1979	—,,—	धारा 91के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दि. 25-3-80 को बेदखल कर 40)- जुर्माना किया गया
49. श्री टोलसिंह पुत्र भगनसिंह, नि. अजमेर	—,,—	15X40	—,,—	—,,—	—,,—
50. श्री मजीदखान पुत्र मोहम्मद खान	—,,—	10X9	—,,—	—,,—	—,,—
51. श्री रामा पुत्र हमीरा निवासी, अजमेर	महुआ बोड	24′×15′	1980	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर

1	2	3	4	5	6	7
						द्वारा दिनांक 27-8-80 को बेदखल कर 80/ – रु. जुर्माना किया गया।
52.	श्री लादूराम पुत्र बिहारीलाल निवासी अजमेर	महुआ बोड	12′×8′	1980	बेदखल किया गया	—,,—
53.	श्री इब्राहिम खां पुत्र इस्माईल खां	—,,—	13′×22′	—,,—	—,,—	—,,—
54.	श्रीमती मुनीबाई पत्नी हुसन खां अजमेर	—,,—	15′×12′	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 6-10-80 को बेदखल कर 8/ – रु. जुमाना किया गया।
55.	श्री अलादीन खां पुत्र मोहम्मद खां	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—
56.	श्री सुनहरी लाल पुत्र रामसिह अजमेर	—,,—	15′×14′	—,,—	—,,—	—,,—
57.	श्रीमती जमना पत्नी रामदयाल	—,,—	13′×13′	—,,—	पेन्डिग	कार्यवाही जारी है।

58. श्री बाबू पुत्र सुलेमान निवासी अजमेर	मदुआ बोड	50′×30′	1980	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 6-10-80 को बेदखल कर 8/- रु. जुर्माना किया गया।
59. श्री नीम्बा पुत्र हजारी निवासी अजमेर	—,,—	10′×14′	—,,—	—,,—	—,,—
60. श्री बंदू खां पुत्र सरदार निवासी, अजमेर	—,,—	8′×11′	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 27-8-80 को बेदखल कर 80/- रु. जुर्माना किया गया।
61. श्री चतुर्भुज पुत्र मोहनलाल अजमेर	—,,—	17′×15′	—,,—	—,,—	—,,—
62. श्रीमती गीता पत्नी हनुमानसिंह, अजमेर	—,,—	15′×20′	—,,—	पेन्डिंग	कार्यवाही जारी है।
63. श्रीमती बलू पत्नी लक्ष्मन, अजमेर	—,,—	22′×12′	—,,—	—,,—	—,,—

1	2	3	4	5	6	7
64.	श्रीमती जमीला पत्नी जमशेद, अजमेर	--,,--	15'×10'	--,,--	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 27-8-80 को बेदखल कर 40/-रु. जुर्माना किया गया।
65.	श्री शिवराज पुत्र बलदेव नि. अजमेर	महुआ बोड	22'x16'	1980	बेदखल किया गया।	धारा 91 के अन्तंगत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दि. 27-8-80 को बेदखल कर 80)रु. जुर्माना किया गया।
66.	श्री मजीदखान पुत्र मोहब्बत खान, अजमेर	--,,--	12'x12'	--,,--	--,,--	धारा 91 के अन्तंगत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा पुनः इसी भुमि पर कब्जा करने पर दि. 7-10-80 को बेदखल कर 6)रु. जुर्माना किया गया।
67.	श्री रामनिवास पुत्र राधाकिशन, अजमेर	--,,--	21'x14'	--,,--	--,,--	धारा 91 के अन्तंगत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दि. 27-8-80 को बेद-

						खल कर 80)रु. जुर्माना किया गया।
68.	श्री दीपसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, अजमेर	महुआ बोड	17′x9′	1980	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा पुनः इसी भूमि पर कब्जा करने पर दि. 30-10-80 को 5)रु. जुर्माना किया जाकर बेदखल किया गया।
69.	श्रीमती अमीना पत्नी शफि मोहम्मद,	—,,—	15′x15′	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर दि. 30-10-80 को बेदखल कर 6)रु. जुर्माना किया गया।
70.	श्री मोतीसिंह पुत्र हुकमसिंह अजमेर	—,,—	8.50′x17′	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण करने पर दि. 30-10-80 को बेदखल कर 8/- रुपये जुर्माना किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
71.	श्री टीलुसिंह पुत्र मगनसिंह अजमेर	महुआ बोड	20′x 5′	1980	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर ने पुनः इसी भूमि पर अतिक्रमण करने पर दिनांक 30-10-80 को बेदखल कर 3/– रुपये जुर्माना किया गया।
72.	श्री देवीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, अजमेर	—,,—	—,,—	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर ने पुनः इसी भूमि पर कब्जा करने पर दि. 29-10-80 को बेदखल कर 3/- रुपये जुर्माना किया गया।
73.	श्रीमती आयुबकी पत्नी घासी	—,,—	14′x 13′	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 29-10-80 को बेदखल कर 12/– रुपये जुर्माना किया गया।
74.	श्री बजरगलाल पुत्र सूरजमल अजमेर	महुआ बीड़ वनखण्ड	5′×40	1980	पेन्डिंग	कार्यवाही जारी हैं।

Page No 283

75.	श्री सुगना पुत्र नाथा, नि० अजमेर	महुआ बोड	8'×3"	1980	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर दिनांक 30-10-80 को बेदखल कर 4/- जुर्माना किया गया।
76.	श्री भंवरलाल पुत्र हरजी नि० अजमेर	—,,—	18'×6'	—,,—	—,,—	—,,—
77.	श्री घना पुत्र माधू नि० अजमेर	—,,—	35'×20'	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 30-10-80 को बेदखल कर 40/- जुर्माना किया गया।
78.	श्री भैरू पुत्र भंवरा नि० अजमेर	—,,—	17'×12'	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 20-10-80 को बेदखल कर 12/- जुर्माना किया गया।
79.	श्री कैलाश पुत्र भंवरलाल, अजमेर	—,,—	20'×10'	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर

1	2	3	4	5	6	7
						द्वारा दिनांक 30-10-80 को बेदखल कर 12/– जुर्माना किया गया।
80.	श्री छोटू पुत्र लाडू नि० अजमेर	महुआ बोड	20'×20"	1980	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 17-9-80 को बेदखल कर 20/– जुर्माना किया गया।
81.	श्री मूला पुत्र मैवा नि० अजमेर	—,,—	10'×7'	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 17-9-80 को बेदखल कर 8/– जुर्माना किया गया।
82.	श्री भंवरलाल पुत्र योगाराम	—,,—	18'×24'	—,,—	पेन्डिंग	कार्यवाही जारी हैं।
83.	श्री मांगीलाल पुत्र जयराम नि० अजमेर	—,,—	24'×10'	—,,—	बेदखल किया गया	धारा 91 अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 17-9-80 को 10/– रु० जुर्माना किया गया।

84.	श्री अमरदास पुत्र रामकरण, अजमेर	महुआ बोर्ड वन खण्ड	15′×5′	1980	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दि॰ 29-10-80 को बेदखल कर 8/– जुर्माना किया गया।
85.	श्री शिवप्रसाद पुत्र हजारीलाल, अजमेर	—,,—	15′×12′	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दि॰ 29-10-80 को बेदखल कर 12/–जुर्माना किया गया।
86.	श्री मदनलाल पुत्र हजारीलाल, अजमेर	—,,—	15′×6′	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 29-10-80 को बेदखल कर 14/– जुर्माना किया गया।
87.	श्री प्रहलाद पुत्र मकूराम, अजमेर	—,,—	9′×7′	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 29-10-80 को बेदखल कर 4/–जुर्माना किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
88.	श्री प्रभूसिंह पुत्र चौथूसिंह नि. अजमेर	मदार रोड वन खण्ड	11′×11′	1930	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 30-10-80 को बेदखल कर 8/–जुर्माना किया गया।
89.	श्री रामसिंह पुत्र हरजी नि. अजमेर	–,,–	10′×11′	–,,–	–,,–	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 29-10-80 को बेदखल कर 8/–जुर्माना किया गया।
90	श्री देवीसिंह पुत्र बालूसिंह, नि. अजमेर	–,,–	7′×5′	–,,–	–,,–	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक,अजमेर द्वारा दिनांक 21-10-80 को बेदखल कर 5/– जुर्माना किया गया।
91.	श्री हनुमानसिंह पुत्र भीमसिंह, अजमेर	–,,–	15′×14′	–,,–	–,,–	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा 21-10-80 को बेदखल कर 12/–जुर्माना किया गया।
92.	श्रीमती सीतादेवी पत्नी राजमल, नि. अजमेर	–,,–	15′×10′	–,,–	–,,–	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर

Page No 287

289

					द्वारा दिनांक 20-10-80 को बेदखल कर 8/–जुर्माना किया गया ।
93. श्रीमती सवा पत्नी फुसा, नि. अजमेर	महुआ बोड वन खण्ड	30'×13'	1980	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 29-10-80 को बेदखल कर 16/– जुर्माना किया गया ।
94. श्री गुमान पुत्र भैरू, नि. अजमेर	—,,—	20'×13'	—,,—	—,,—	—,,—
95. श्री भंवर सिंह पुत्र रामनारायण, नि. अजमेर	—,—	14'×10'	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 30-10-80 को बेदखल कर 8/–जुर्माना किया गया ।
96. श्री छीतर पुत्र खुमा नि. अजमेर	—,,—	10'×10'	—,,—	—,,—	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक अजमेर द्वारा दिनांक 29-10-80 को बेदखल कर 8/–जुर्माना किया गया ।

1	2	3	4	5	6	7
97.	श्री सीताराम पुत्र चन्द्रबली, नि. अजमेर	महुआ बोर्ड वन खण्ड	13′×12′	198	बेदखल किया गया	धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अजमेर द्वारा दिनांक 29-10-80 को बेदखल सर 12/-जुर्माना किया गया।
98.	श्री गोपी पुत्र रामनारायण नि. अजमेर	—,,—	16′×14′	—,,—	—,,—	—,,—

क्षेत्रीय वन अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत प्रकरणों की सूची :— (ब)

क्र. सं.	नाम मुल्जिम	अतिक्रमण का स्थान	क्षेत्रफल जिस पर कब्जा किया	केस दायर करने की तारीख	अग्रिम कोर्ट द्वारा तारीख पेशी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री दीप सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह रावत, पुलिस लाईन, अजमेर	महुआ बोड मौका पोल्ट्रीफार्म के पीछे	एक प्लाट मकान 28′x40′ कच्ची ईंटों का बनाना	16-6-79	16-4-81

2. श्री टीकूसिंह पुत्र मगनसिंह रावत, नि. अजमेर	महुआ बोर्ड मौका पोल्ट्री फार्म के पीछे	एक मकान प्लाट 15'x40' कच्ची ईटों का बनाना	16.6.79	15-4-81
3. रामनिवास पुत्र राधाकृष्ण कुम्हार शास्त्रीनगर, अजमेर	—,,—	30'x25' जमीन पर नाजायज कब्जा	—,,—	23-4-81
4. श्रीमती गीतादेवी औरत हनुमानसिंह जाति दरोगा, नि. नई बस्ती, अजमेर	,,—	10'x7' जमीन पर एक मकान कच्ची ईटों का बनाना	—,,—	23-4-81
5. श्रीमती बल्लू औरत लक्ष्मण जाति माली नि० मगवाना नई बस्ती, अजमेर	—,,—	एक मकान 14'x7' कच्ची ईटों का बनाना	—,,—	14-4-81
6. श्रीमती अमीना औरत शफी मोहम्मद मुसलमान. लोहाखान, अजमेर	—,,— —,,—	एक मकान 16'x10' कच्ची ईटों का बनाना	—,,—	23-4-81
7. श्रीमती नन्दबाई औरत किशनजी बेवा जाति राजपूत लोहाखान, अजमेर	—,,—	एक मकान 10'x10' जमीन पर कच्ची ईटों का बनाना	—,,—	16-4-81
8. श्री मजीदखान पुत्र मोहम्मद खान पठान नई बस्ती, लोहाखान, अजमेर	—,,—	एक मकान 10'x9' कच्ची ईटों का बनाकर लोहे की चद्दरें डालना	—,,—	21-4-81

1	2	3	4	5	6
9.	श्री देवीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह रावत नई बस्ती, लोहाखान, अजमेर	महुआ बोर्ड मौका पोल्ट्री फार्म के पीछे	एक मकान 15'x40' कच्ची ईटों का बनाना	16.6.79	21-4-81
10.	श्री शिवराज पुत्र बलदेव नाई भोपों का बाड़ा, अजमेर	—,,—	एक प्लाट 40'x25' में 69'x14' का बनाना	—,,—	22-4-81
11.	श्रीमती जमीला औरत जमशेद मुसलमान लोहाखान, अजमेर	—,,—	एक पक्का मकान 20x10' का बनाना	—,,—	14-4-81
12.	श्री मौसीसिंह पुत्र हुकमसिंह रावतमाली अजमेर	महुआ बोड मौका पोल्ट्री फार्म के पीछे	एक मकान 40'x28' कच्ची ईटों का बनाना	16-6-79	15-4-81
13.	श्री इब्राहीम खां पुत्र इस्माइल खां मुसलमान देशवाली पठान	,, — ,,	दो कमरे पक्के बनाना 16X10 12X10 के	10-8-79	24-3-81
14.	श्री मिश्रीलाल पुत्र धन्नालाल माली हाथी पटटा, पानी भोपों का बाड़ा,	मदार पहाड़ पानी की टंकी के पास भापों का वाड़ा, अजमेर	एक कच्ची झोंपडी ईटों की बनाना 9X8	10-8-79	23-1-81
15.	श्री सूरजमल पुत्र बलदेव भापों का बाड़ा, अजमेर	,, — ,,	एक पक्का मकान साईज 18X9 का बनाना	—,,—	24-3-81
16.	श्रीमती जमना बेवा रामलाल कहार नई बस्ती, लोहाखान	पोल्ट्री फार्म नाले के पीछे	एक झोंपडी व एक रसोई कच्ची ईटों का बनाना	—,,—	—,,—

17. श्री बन्दु खां पुत्र सरदार खां देशवालों लोहाखान, नई बस्ता, अजमेर	पोल्ट्री फार्म वाले के पीछे	एक झोंपड़ा पुरानी दो झोंपड़ियों कच्ची ईंटों का बनाना	10.8.79	24.3.81
18. श्री रंगलाल पुत्र घीसा भावीभोपी का,	,, — ,,	एक झोंपड़ी कच्ची ईंटों का बनाना 15X9	—,,—	—,,—
19. श्री भंवरलाल पुत्र धूला माली भोपा का बाड़ा, अजमेर	मदार पहाड़ पानी की टंकी के पास	एक मकान मिट्टी में चुनाई छत पर पट्टियां 16X9	—,,—	—,,—
20. श्री देवीलाल पुत्र बख्तावर माली नि. भोपों का बाड़ा अजमेर	,, — ,,	एक झोंपड़ी कच्ची ईंटों की 15X8 बनाना	—,,—	—,,—
21. श्री मांगीलाल पुत्र नारायण मेघवंशी भोपों का बाड़ा अजमेर	पानी की टंकी के पास भोपों का बाड़ा, अजमेर	एक मकान कच्चा सने का बनवाना साईज 12X9	—,,—	—,,—
22. श्री जीवन पुत्र देवाराम भावी भोपों का बाड़ा अजमेर	मदार पहाड़ पानी की टंकी के पास	एक मकान कच्चा मिट्टी में चुनाई, छत पर लौहे की चद्दर 17X9	—,,—	—,,—
23. श्री भंवरलाल पुत्र भोलाराम भांवी	,, — ,,	एक कमरा कच्ची ईंटों का बनाना 12X9	—,,—	—,,—

1	2	3	4	5	6
	भोगो का बाड़ा, अजमेर				
24.	श्री भंवरसिंह पुत्र राधाकिशन दरोगा पानी की टंकी के पास	मदर पहाड़ पानी की टंकी के पास	एक कमरा 13X7 का बनाना	10.8.79	24.3.81.
25.	श्री मानसिंह पुत्र खेमाना माली पानी के टंकी के पास	,, – ,,	एक हत्था चुना पत्थर का 30X25 का बनाना	—,,—	—,,—
26.	श्री मोहनलाल पुत्र मांगीलाल मदार पहाड़, भोपा का बाड़ा अजमेर	,, – ,,	एक कमरा कच्ची ईंटों का बनाना 15X9 का	—,,—	—,,—
27.	श्री भंवरलाल पुत्र बीजराम भावी, मदार पहाड़ पानी की टंकी के पास	मदार पहाड़ पानी की टंकी के पास भोपों का बाड़ा, अजमेर	एक कमरा कच्ची ईंटों का बनाना साईज 14X9	10-8-79	24-3-81
28.	श्री शंकरलाल पुत्र छोगालाल रेगर, भोपो का बाड़ा, अजमेर	–,,–	एक कमरा साईज 13X8 ऊंचाई 13X8X8 छत पर चद्दर	18-7-80	6-5-81

29.	श्रीमती नारायणी, श्री देवी सिंह बेवा, लोहाखान	मदार पहाड़ पानी की टंकी के पास भोपों का बाड़ा, अजमेर	एक कमरा 13X11 का बनाना	18.7.80	6.5.81
30.	श्री जगदीश सिंह, पुत्र हनुमान सिंह नाई लोहाखान नई-बस्ती, अजमेर	–,,– –,,–	एक कमरा पक्का 16X10 छत पर पट्टियां	–,,–	–,,–
31.	श्री प्रेमसिंह पुत्र दुर्गासिंह चपरासी लोहाखान	वन खण्ड महुआ बीड पोल्ट्रीफार्म	एक कमरा पक्का साईज 10X12 छत पर पट्टियां रसोई बिना छत 6X6 बनाना	–,,–	15–4–81
32.	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत, लोहाखान	–,,–	एक कमरा पक्का छत पर पट्टिया 16X10 बनाना	–,,–	6–5–81
33.	श्री मांगीलाल पुत्र जयराम शास्त्री नगर, अजमेर	महुआ बीड गणेशगढ़ के मंदिर के पास हरि नगर	24X10 पर कब्जा करके एक कमरा 10X10 का चद्दर एक कमरा 13X9 बनाना	–,,–	–,,–
34.	श्रीमती जानकी ओ० घीसा गूजर, गणेशगढ़	–,,–	12X8 कब्जा करके 4X3 छत पर पट्टियां डालकर बनाना	–,,–	15–4–81

1	2	3	4	5	6
35.	श्री लादूराम पुत्र बिहारीलाल पारीक	वन खन्ड महुआ बोड़ मौका पोल्ट्रीफार्म के पीछे	भूमि पर कब्जा 60X40 इसमें चार कमरे पक्के 10X8, 8X6, 8X4, 8X3 व एक बरामदा	18.7.80	15.4.81
36.	श्रीमती सीताबाई पुत्री राजमल शास्त्री नगर, अजमेर	महुआ बोड, गणेशगढ़ के नीचे	10X10 भूमि पर कब्जा 3X3 साईज की झोपड़ी बनाना	–,,–	6-5-81
37.	श्री देवीसिंह पुत्र लालसिंह दोरीगाह, शास्त्री नगर, अजमेर	–,,–	एर कमरा 22X1 छत पर पट्टियां	–,,–	–,,–
38.	श्री छीतर पुत्र खूमा मेघवाल, उम्र 42 वर्ष	–,,– –,,–	एक कमरा कुल 13X8 का बनाना	–,,–	–,,–
39.	श्री छोटू पुत्र लाडू जी कुम्हार, अजमेर	–,,–	20X20 कब्जा करके 5X4 बनाना	–,,–	–,,–
40.	श्रीमती पुष्पा ओ० मोहनलाल उम्र 27 वर्ष घर का काम, नि० अजमेर।	महुआ बोड, गणेशगढ़, पहाड़ी के पीछे	वन विभाग की सीमा में 9X9 भूमि पर कब्जा 6X3 एक कमरा छत पर पट्टियां	–,,–	–,,–

41.	श्री केशरसिंह पुत्र हरी सिंह रावत उम्र 36 साल पेशा ड्राईवर मेडिकल कालेज, अजमेर	मंहुग्रा बीड गणेशगढ़ की पहाड़ी के नीचे.	वन विभाग 17x6 पर कब्जा करना	18-12-80	6-5-81
42.	श्रीमती भंवरी बाई ग्रो. मिश्रीलाल नायक (खरवा)	,,	5x3 व कुल भूमि पर 7x5 पर	18-7-81	,,
43.	श्री गुमान पुत्र भैरू गूजर, शास्त्रीनगर, अजमेर	,,	19x12 कब्जा करके 9x4 पक्का कमरा	15-12-80	10-2-81
44.	श्री जेठमल पुत्र छीतर जांगीड, लोहाखान नई बस्ती, अजमेर	पोल्ट्री फार्म नाले के पीछे	20x25 जमीन पर कब्जा करके मकान बनाना,	,,	,,
45.	श्री रतनलाल पुत्र पुसाराम फाई सागर, रोड, अजमेर	पानी की टंकी के पास भोपों का बाड़ा,	5x15x355 का बनाना	,,	,,
46.	श्रीमती घांची ग्रौरत धर्मा भील नि. कायड, भोपों का वाडा, ग्रजमेर	,,	53x36 पर कब्जा करना झोंकी एक प 31x11डी बनाना छत फूस की	,,	,,
47.	श्री इम्रान उल्ला खां पुत्र फैजलाला मुसलमान, लोकसेवा ग्रायोग के सामने बंगला नं. 113 के पास, अजमेर	लोहाखान पो. फार्म के पीछे	14x10 पर कब्जा एवं 12x8का एक मकान बनाना	,,	,,

1	2	3	4	5	6
48.	श्रीमती पारवति पुत्री भूरा उम्र 45 वर्ष जाति घोसी भोपों का बाड़ा, अजमेर	माताजी के स्थान के पास	10X10 की झोपड़ियां इंटों का मकान बनाना	15.12.80	10.3.81
49.	श्री बाबू खान पुत्र वजीरखान मुसलमान नई बस्ती पो. फार्म के पीछे, नाले के पास, अजमेर	पोल्ट्री फार्म के पीछे	1225 वर्गफुट पर कब्जा करना एवं 16X12 इंटो का चूने से मकान बनाना	,,	,,
50.	सखीना औरत अलादीन खां कामखानी लोहाखान, अजमेर	नाले के पास	9X8 की कच्ची झोपड़ी छत फूस की बनाना	,,	,,
51.	देवीसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत लोहाखान, नई बस्ती, रेल्वे में नोकरी	,,	1 पक्का कमरा 16X11 का चूने का प्लास्टर व छत पर पट्टियां	,,	,,
52.	कंवरपुरी पुत्र मोहनपुरी गुसाई शास्त्रीनगर, अजमेर	गणेश मंदिर के पास,	12X9 की झोंपड़ी में कच्ची मिट्टी में चुनाई छत फूस कोबनाना	,,	,,
53.	रतनलाल पुत्र मेन्ट भाभी पानी की टंकी नाले के पास भोपों का बाडा	पानी की टंकी के पास भोपों का बाडा	12X22 पर कब्जा करके 18X12 की झोपड़ी बनाना	,,	11–3–81
54.	बिहारीलाल पुत्र रागोमपाल 29 वर्ष पावर हाऊस गणेशगढ़ में हैल्पर के नीचे लोहागल रोड़, अजमेर	गणेशगढ नीचे	2 कमरे पक्के छत पर पट्टियां साईज 20X12 के बनाना	15–12–80	11–3–81

1	2	3	4	5	6
55.	भगाजी मेघाजी कुम्हार, 26 वर्ष शास्त्रीनगर, अजमेर	गणेशगढ़ पहाड़ी के पास	10'X7' पर कब्जा एवं 2 कमरे 10'X4' एक पक्का, एक कच्चा	15–12–80	11–3–81
56.	छगनसिंह पुत्र सवाईसिंह 30 वर्ष नई बस्ती लोहाखान, अजमेर	पोल्ट्री फार्म के पीछे नाले के पास	20X10 का एक पक्का कमरा बनाना	15–12–80	11–3–81
57.	सीताराम पुत्र चद्रबली, शास्त्रीनगर, अजमेर	गणेशगढ़ की पहाड़ी के नीचे, नाले के पास	10X8 पर कब्जा एवं 5X4 पर एक पक्का कमरा बनाना	–,,– –,,–	–,,– –,,–
58.	प्रहलाद पुत्र भंवर राम कनौंजिया घोसी, 30 वर्ष, अजमेर	,,	6X4 पर एक कमरा पक्का रसोई कच्ची 3X1 का बनाना	–,,–	–,,–
59.	भंवरसिंह पुत्र रामनारायण शेखावत 35 वर्ष, रेल्वे में चपरासी	,,	12X12 पर कब्जा एक कमरा पक्का 4X5 को बनाना	–,,–	–,,–
60.	मोती पुत्र बुद्धा माली 45 वर्ष घोला बड़ा डुंगरिया, अजमेर	मदार पहाड़ पानी टंकी के पास	10X8 की एक झोपड़ी कच्ची बनाना	–,,–	–,,–
61.	रामचन्द्र पुत्र देवाराम भील 29 वर्ष, भोपों का वाड़ा, अजमेर।	,,	21X26 पर कब्जा 5X4 की एक कच्ची झोपड़ी बनाना	–,,–	–,,–